उत्तर प्रदेश राज्य की वार्षिक रिपोर्ट
१९५८–५९

भाग १

(उत्पादन, विकास और जनहित के कार्य)

विषय-सूची

अध्याय ६—शिक्षा, अनुसंधान आदि   पृष्ठ संख्या

अध्याय ७—कल्याण, उत्थान और सहायता तथा पुनर्वास

अध्याय ८—स्थानीय निकायों के कार्य

अध्याय ९—प्रकीर्ण

टिप्पणी

सामान्य प्रशासन रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश की राज्य वार्षिक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित की जा रही है और अलग-अलग दो खण्डों में विभाजित है। इसके पहले खण्ड में उत्पादन, विकास एवं जनहित के कार्यों का विवरण है और दूसरे में सामान्य प्रशासकीय एवं विधायन कार्यों, भूमि प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, न्याय, शांति-व्यवस्था, वित्त आदि के प्रशासन का उल्लेख है। यह संशोधित रिपोर्ट का प्रथम खण्ड है।

इस खण्ड में दिये गये विवरण सामान्यतः सन् १९५८-५९ से संबंधित हैं (इनमें कुछ उपलब्ध आंकड़े जून, १९५८ को समाप्त होने वाले कृषि वर्ष या सहकारी वर्ष से संबंधित हैं) जहां विशेष कारणों वश सन् १९५८ के कैलेण्डर वर्ष का अनुसरण करना आवश्यक था वहां इस सम्बन्ध में नीचे टिप्पणियां दे दी गयी हैं।

की वार्षिक रिपोट

खण्ड १

अध्याय १

वर्ष की स्थिति

(१) वर्षा, बाढ़ और सामान्य स्थिति आदि

मौसमी दशाएं—उत्तर प्रदेश में पुनः मौसमी दशाएं प्रतिकूल रहीं और राज्य के विभिन्न भागों में मानसून की अनियमितताओं के कारण काफी क्षति हुई।

विगत कई वर्षों से राज्य में किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं। लगातार सन् १९५४, १९५५, १९५६ और १९५७ में भारी एवं विनाशकारी बाढ़ें आयीं। साथ ही सूखा, गेरुई, तेज पछुआ हवाएं और ओलों आदि के रूप में भी अन्य प्राकृतिक आपदाएं आयीं, यद्यपि इनका प्रकोप अपेक्षाकृत कम रहा।

आलोच्य वर्ष में जो समस्याएं उठ खड़ी हुईं वे किसी भी भांति पहले की उठी समस्याओं से कम कठिन न थीं। मानसून के समय सूखे की स्थिति के कारण मिट्टी में नमी की कमी का और सन् १९५७ के जाड़ों में वर्षा न होने का, १३६५ फसली की रबी की फसल के अखुआ फूटने और पकने पर काफी प्रभाव पड़ा और कुल उत्पादन सामान्य से कम रहा। जाड़ों में वर्षा न होने का परिणाम यह हुआ कि बांदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर के जिलों में अधिकांश तालाब और कुएं सूख गये और पीने के पानी की कमी हो गयी। तत्काल सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम्य क्षेत्रों में ट्रकों पर पीने का पानी पहुंचाने व उनके वितरण का प्रबन्ध किया गया। मुफ्त पानी की सप्लाई के लिए चुने हुए स्थानों पर पीने के पानी की सप्लाई के विशेष केन्द्र खोले गये। वर्तमान कुओं और तालाबों को गहरा करने के लिए इन जिलों के जिलाधीशों के पास काम-चलाऊ रूप से एक कोष (फंड) रख दिया गया। आर्थिक सहायता भी प्रदान की गयी।

जहां तक वर्षा का सम्बन्ध है, अप्रैल, १९५८ के प्रथम पखवारे में वर्षा बिलकुल नहीं हुई। केवल वाराणसी कमिश्नरी के जिलों में कुछ छुटपुट वर्षा हुई। अप्रैल के तीसरे और चौथे सप्ताह में राज्य भर में छुटपुट वर्षा हुई। मई मास में भी वर्षा बिलकुल नहीं हुई, केवल पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ मामूली वर्षा हुई। जून के पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह में वर्षा नहीं हुई, केवल राज्य के पूर्वी एवं पहाड़ी अंचल में हलकी वर्षा हुई, वह भी तीसरे सप्ताह में। इस वर्ष मानसून के आने में देर हुई और जून के चौथे सप्ताह में राज्य में कुछ वर्षा हुई। इस वर्षा का औसत १ से ३.५ इंच तक रहा। सम्पूर्ण जुलाई के महीने में वर्षा होती रही और मास के अन्तिम सप्ताह में तथा अगस्त के प्रथम सप्ताह में भारी वर्षा हुई। इस वर्षा का औसत ४ से ५ इंच तक रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि बाढ़ आ गई और राज्य के पश्चिमी जिलों में पानी लग गया। कुछ पश्चिमी जिलों में अगस्त के प्रथम सप्ताह में अभूतपूर्व वर्षा हुई जो सामान्य से बहुत अधिक थी। सहारनपुर और देहरादून के जिलों में तो ११ इंच तक वर्षा हुई। सितम्बर के प्रथम पखवारे में राज्य भर में सामान्य वर्षा हुई और दूसरे पखवारे में मानसून और अधिक सक्रिय हो उठा और अचानक फट पड़ा। बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ के जिलों में तथा पहाड़ी जिलों में ६ से लेकर ८.१२ इंच तक वर्षा हुई। वर्षा की यह दशा अक्तूबर के प्रथम सप्ताह के अन्त तक बनी रही जबकि पश्चिमी जिलों के समान, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, नैनीताल, अल्मोड़ा, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, खीरी, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी के जिलों में भारी वर्षा हुई। मास के शेष भाग में दूसरे और तीसरे सप्ताह में सामान्य वर्षा हुई जबकि अन्तिम सप्ताह में बिलकुल ही वर्षा न हुई। नवम्बर का मास बिलकुल सूखा रहा, केवल सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बलन्दशहर,

मथुरा, बिजनौर, अलमोड़ा और गढ़वाल में महीने के अन्तिम सप्ताह में हलकी बूंदाबांदी हुई । दिसम्बर का प्रथम पखवारा सूखा रहा और दूसरे पखवारे में समस्त राज्य भर में हमीरपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया और देवरिया के जिलों को छोड़कर जहां मौसम पूरे महीने भर सूखा बना रहा, केवल छुटपुट व हलकी वर्षा हुई । जनवरी, १९५९ के प्रथम सप्ताह में नहीं के बराबर वर्षा हुई जबकि दूसरे सप्ताह में बिलकुल ही वर्षा न हुई । इस मास के दूसरे पखवारे में समस्त राज्य में सामान्य वर्षा हुई ।

फरवरी, १९५९ के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में वर्षा पूरे राज्य भर में भलीभांति फैलकर हुई । कुछ जिलों में पानी के साथ ओले भी पड़े । ओले से राज्य के कुल २६ जिले प्रभावित हुए जबकि इनमें से सात जिलों में ओलों का प्रकोप बहुत ही व्यापक रहा । मार्च, १९५९ का पूरा महीना बिना वर्षा के रहा । केवल अन्तिम सप्ताह में ओलों के साथ हलकी वर्षा हुई ।

जुलाई, १९५८ के अन्तिम तथा अगस्त के प्रथम सप्ताह में राज्य के अनेक जिलों में अत्यधिक भारी व निरन्तर वर्षा के फलस्वरूप नदियों व नालों में बाढ़ आ गई और पानी जमा हो गया । राज्य की प्रायः सभी बड़ी नदियों में पानी खतरे के बिन्दु को पार कर गया । इन बाढ़ों का प्रभाव राज्य के ४२ जिलों पर पड़ा, जिनमें से गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर, हरदोई, सीतापुर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं और मुरादाबाद के जिले अत्यधिक भयंकर रूप से प्रभावित हुए । आधे अगस्त के बाद से एक महीने तक स्थिति अच्छी बनी रही और खरीफ की अच्छी फसल की आशा की ही जा रही थी कि सितम्बर मास के अन्तिम व अक्तबर के प्रथम सप्ताह में अत्यधिक भारी वर्षा ने इस आशा को नष्ट कर दिया । पिछड़ कर हुई इस वर्षा से होने वाली हानि अत्यधिक व्यापक थी । कुछ स्थानों में तो २४ से ४८ घं के भीतर हुई वर्षा पूरे मौसम की कुल वर्षा से अधिक रही । मेरठ, आगरा और रुहेलखंड कमिश्नरियों के सभी जिलों में और लखनऊ कमिश्नरी के लखनऊ, हरदोई और खीरी जिलों में बाढ़ का भीषण प्रकोप बना रहा और पानी जमा हो गया । शाहजहांपुर और हरदोई की बाढ़ प्रायः अभूतपूर्व थी जबकि लखनऊ में गोमती की बाढ़ सन् १९२४ के बाद सबसे अधिक रही । इस प्रकार अधिक क्षति बाढ़ की अपेक्षा पानी लगने से हुई । पश्चिमी जिलों में जल निकासी की व्यवस्था, जो कि इस प्रकार की भारी व निरन्तर वर्षा को दृष्टि में रख कर नहीं बनायी गयी थी, अपर्याप्त सिद्ध हुई और फसल को काफी क्षति पहुंची । एक प्राचीन व भूली हुई नदी हरनद, जिसका वर्णन प्राचीन लोक कथाओं एवं साहित्य में मिलता है, आगरा में पुनः प्रकट हुई । इसने खतों को और अपने आसपास की भूमि को काफी क्षति पहुंचायी ।

सहायता कार्य—(क) टेस्ट वर्क, मुफत सहायता, आर्थिक सहायता आदि—विगत वर्ष की भांति आलोच्य वर्ष में भी पूरे वर्ष विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपातकालीन स्थिति बनी रही । आरम्भ के कुछ महीनों में विपद का कारण १३६५ फसली वर्ष में रबी का उत्पादन कम होना था जो कि रबी की पिछड़कर बोआई के व मिट्टी में नमी की कमी के कारण हुई । अप्रैल, १९५८ के बाद पानी की कमी के कारण आपातकालिक स्थिति उत्पन्न हो गयी । वर्ष के उत्तरार्द्ध में मानसून के देर से आने, भारी वर्षा, बाढ़ और पानी लगने के कारण आपत्ति की स्थिति उत्पन्न हुई ।

राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर सहायता पहुंचायी । सरकार के वित्तीय साधनों के अन्तर्गत जो कुछ भी किया जा सकता था किया गया । सामान्य एहतियाती कार्रवाई के अतिरिक्त बाढ़, एवं अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने जिलाधीशों को अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किये । सहायता एवं बचाव के तात्कालिक उपाय किये गये और जहां आवश्यक था आर्थिक सहायता भी पहुंचाई गई । बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में पशुओं को खिलाने के लिए भूसा और सूखी घास की उपलब्धि एवं सप्लाई का प्रबन्ध किया गया । सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का और जनता को दी गयी मदद का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

(१) आर्थिक सहायता	१३,५७,०६७ रु०
(२) बाढ़ या अत्यधिक वर्षा से क्षति-ग्रस्त या नष्ट हुए मकानों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता	८,४३,००० ,,
(३) टेस्ट और सहायता कार्य	२०,०४,००० ,,

(४) बाढ़ सहायता संबंधी अन्य कार्य .. .. ५,२०,१६६ रु०

(५) खेतों में जमा पानी के निकासी की व्यवस्था जिससे कि समय से रबी की बोआई की जा सके .. .. ८,६०,००० ,,

(६) अधिनियम १२ के अन्तर्गत तकावी सामान्य आपत्ति एवं भवन निर्माण तकावी रहित .. .. .. १,१६,५६,००० ,,

(७) रबी के बीज की खरीद के लिए तकावी .. .. ४६,३८,००० ,,

योग .. २,२४,७८,२३६ ,,

उपरोक्त के अतिरिक्त पीड़ितों को निम्नलिखित रूप में सहायता दी गयी—

(१) मुफ्त और रियायती दरों पर चर्खों की सप्लाई

(२) प्रभावित क्षेत्र के कतुओं को दो आना प्रति घुण्डी की दर से आर्थिक सहायता

(३) पशुओं के चारे की मुफ्त एवं रियायती दरों पर सप्लाई

(४) टेस्ट एवं सहायता कार्य प्रारम्भ करना

(५) खाद्यान्नों की वित्तपोषित बिक्री

(६) तकावी के नियमों में ढिलाई, जिससे कि ऐसे किसान भी तकावी पाने के हकदार हो सकें जिन पर पहले से सरकार की देय रकम हो

(७) दवाइयों का मुफ्त वितरण और बीमारियों के फैलने से रोकथाम

(८) बाढ़ से नष्ट या क्षति-ग्रस्त मकानों के निर्माण के लिए वनोपज की मुक्त एवं रियायती दरों पर सप्लाई

(९) खेतों में जमा पानी की निकासी के लिए विशेष अनुदान की स्वीकृति, जिससे रबी की बोआई समय से की जा सके।

(ख) छूट और मुल्तवी—राज्य सरकार ने १३६५ की रबी और खरीफ की मालगुजारी में निम्नलिखित छूट की और वसूली के मुल्तवी की स्वीकृति दी—

	खरीफ, १३६५ फसली	रबी, १३६५ फसली
छूट	१,५७,९९,६७४ रु०	५६,६०,६३० रु०
मुल्तवी	७,१४,६८४ ,,	..

(ग) ओले पड़ने के कारण सहातता—फरवरी मास के पूर्वार्द्ध में और मार्च के अन्तिम सप्ताह में ओले पड़ने के कारण जिन्हें नुकसान उठाना पड़ा उन्हें भी आवश्यक सहायता दी गयी। ओले पड़ने से राज्य के २६ जिले प्रभावित हुए जिनमें से झांसी, आजमगढ़, हमीरपुर, गाजीपुर, नैनीताल और रायबरेली के जिलों पर इसका प्रकोप विशेष रूप से अधिक रहा।

(घ) अग्निकांडों के कारण हुई हानि के लिए सहायता—आलोच्य वर्ष में ग्राम क्षेत्रों में आग लगने की काफी घटनाएं हुईं और राज्य सरकार ने अग्निकाण्ड से पीड़ितों में सहायतार्थ वितरण के उद्देश्य से १,२८,९३० रु० की धनराशि स्वीकृत की। इसके अतिरिक्त पीड़ितों को तकावी बांटने के लिए ५,९७,००० ० की धनराशि स्वीकृत की गयी।

(ङ) तकावी—सन् १९५८ के वर्ष में कुल २,९९,६९,११२ रु० की धनराशि (सन् १८८४ के अधिनियम, १२ के अन्तर्गत २,०२,२४,६५२ रु० और सन् १८८३ के अधिनियम, १९ के अन्तर्गत ९७,४४,४६० रु०) कृषकों को विशेष रूप से उनको जिन्हें बाढ़ व सूखा के कारण कष्ट उठाना पड़ा था, दिया गया जबकि गत वर्ष २,३१,३९,६३३ रु० (सन् १८८४ के अधिनियम १२ के अन्तर्गत १,९०,०६,५११ रु० और सन् १८३३ के अधिनियम १९ के अन्तर्गत ४१,३३,१२२ रु०) दिया गया

था। आलोच्य वर्ष में १,३०,३४,४२२ रु० की तकावी की वसूली भी मुल्तवी कर दी गयी प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तकावी नियमावली, १९४२ के नियम ३६ (क) के पालन में ढिलाई कर दी गयी जिससे कि उन किसानों को भी तकावी दी जा सके जिनके ऊपर पहले से ही तकावी की रकम देय थी।

राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आलोच्य वर्ष में चकों के अन्तर्गत पक्के कुओं के निर्माणार्थ तकावी देने की एक विशेष योजना आरम्भ की गयी। इस योजना के लिए ६०,१९,००० रु० की शुद्ध रकम निर्धारित की गयी। तत्पश्चात् इस योजना का विस्तार राज्य के गैर चकबन्दी वाले क्षेत्रों में भी किया गया।

मजरुआ भूमि—आलोच्य वर्ष में राज्य में खरीफ के क्षेत्र में लगभग ६३.४ हजार एकड़ का कमी हुई। सितम्बर, १९५७ में भारी और लगातार वर्षा के कारण अनेक जिलों में बाढ़ आ जाने के फलस्वरूप रबी की बोआई पर भी असर पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि रबी के अन्तर्गत पूर्वगामी वर्ष की तुलना में मजरुआ भूमि में ६.७ लाख एकड़ की कमी हुई। आलोच्य वर्ष में रबी के क्षेत्र के अन्तर्गत मजरुआ भूमि २,३८,४५,५५७ एकड़ था। जायद फसल के क्षेत्र में वृद्धि हुई और यह पूर्वगामी वर्ष के २,२४,०६१ एकड़ से बढ़ कर २,२७,०६० एकड़ हो गया। १३६५ फसली में (१९५७-५८) राज्य में कुल मजरुआ भूमि ५,०२,९०,५१९ एकड़ थी जबकि १९५६-५७ के वर्ष में (१३६४ फसली) यह ५,१०,२१,४७२ एकड़ थी। इस प्रकार इसमें ७,३०,९५३ एकड़ या १·४ प्रतिशत की कमी हुई। आलोच्य वर्ष में राज्य में मजरुआ भूमि का शुद्ध क्षेत्रफल ४,००,८०,२३२ एकड़ था जबकि पूर्वगामी वर्ष में यह ४,०२,६४,३३५ एकड़ था। इस प्रकार इसमें १,८४,१०३ एकड़ या ०.४६ प्रतिशत की कमी हुई।

सिंचित भूमि—राज्य में शुद्ध सिंचन क्षेत्र आलोच्य वर्ष में बढ़कर १,२१,२८,०३७ एकड़ (१३६५ फसली या १९५७-५८ कृषि वर्ष की संख्याएं उपलब्ध हैं) हो गया। इस प्रकार इसमें ७,८३,२७९ एकड़ या ६.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने के फलस्वरूप राज्य की सिंचन शक्ति बढ़ने के कारण हुई। आलोच्य वर्ष में कुल २१,८४० पक्के कुएं बनाये गये जबकि पूर्वगामी वर्ष में १७,७६७ पक्के कुएं बनाये गये थे। इस वर्ष ७,१६३ पक्के कुएं गिर गये जबकि पूर्वगामी वर्ष में १,१७३ कुएं गिरे थे। इस वर्ष सबसे अधिक पक्के कुएं बस्ती जिले में बनाये गये और उनकी संख्या ३,०९७ थी। ऐसे पक्के कुओं की कुल संख्या जिनका वास्तव में सिंचाई कार्यों के लिए प्रयोग किया गया, पूर्वगामी वर्ष के ६,४९,५५९ से बढ़कर ६,५३,८९७ हो गयी। ऐसे पक्के कुओं की संख्या जिनका उपयोग सिंचाई कार्यों के लिए नहीं किया गया घटकर १,७७,१०२ से १,७३,४०० हो गयी।

मूल्य—पूर्वगामी वर्ष की तुलना में सन् १९५८-५९ में कृषि वस्तुओं (अनाज) के थोक भाव सामान्यतः ऊंचे रहे। सन् १९५८-५९ में अनाज के थोक मूल्यों (१९४८=१००) का औसत सूचनांक ११०.५ था जबकि १९५७-५८ में यह ८९.२ था। इस प्रकार इसमें लगभग २३.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक वस्तुओं के थोक भावों की भी यही प्रवृत्ति रही किन्तु इस दशा में अनाज के समान भाव बहुत तेजी से नहीं चढ़े। सन् १९५८-५९ में औद्योगिक वस्तुओं के थोक भावों का (१९४८=१००) औसत सूचनांक सन् १९५७-५८ के १०६.२ की तुलना में १०९.१ था। कृषि समता सूचनांक (१९४८=१००) जिससे किसानों पर भावों के रुख के प्रभाव का पता चलता है। १९५७-५८ में ८६.० से बढ़ कर १९५८-५९ में १०६.० हो गया। इस प्रकार किसान के लिए अनुकूल स्थिति का पता चलता है। थोक भावों में वृद्धि का प्रभाव फुटकर भावों पर भी परिलक्षित हुआ। फलत: रहन-सहन का खर्च बढ़ गया।

सन् १९५८-५९ में शहरी मध्यम वर्ग उपभोक्ता मूल्य सचनांक (१९४८=१००) १९५७-५८ के ९५ से बढ़ कर १०१ हो गया, जबकि इसी अवधि में ग्राम उपभोक्ता मूल्य सूचनांक (जुलाई, १९५४-जून, १९५५=१००) १४१ से बढ़ कर १५९ हो गया।

विदेशी मुद्रा की स्थिति---द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के लक्ष्यों में पूंजीगत व्यय अधिक था। फलतः रुपया लगाने के सम्बन्ध में अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो गया। औद्योगिक और विद्युत योजनाएं, उन्नत प्रकार के पुल और बांधों का निर्माण सभी विदेशी मुद्रा और सामान की प्राप्ति पर निर्भर था। इसी अनुपात में निजी क्षेत्र में भी मांग में वृद्धि हुई। मूल्य क्रम से निरंतर बढ़ते रहे। विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं में यथासंभव कमी की गयी। द्वितीय आयोजना के प्रथम दो वर्षों के व्यय और प्राप्तियों का लेखा-जोखा १९५८-५९ में किया गया और वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार भौतिक लक्ष्यों को घटाया गया। रिहंद बांध को जो कि योजना का मुख्य अंग था, विदेशी मुद्रा के बटवारे में प्रमुख प्राथमिकता दी गयी।

अध्याय २

(२) नियोजन और विकास कार्य

सामान्य—अड़तालीस करोड़ रुपये लागत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में २,१७१ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था। उत्तर प्रदेश को, जो आबादी और रकबे में संपूर्ण देश का षष्ठमांश है १९५६ में २५३.१ करोड़ रु० की अधिकतम धनराशि योजना के लिए दी गई। १९५६-५७ में वास्तविक व्यय ४३.३९ करोड़ रु० और सन् १९५७–५८ में ४०.२९ करोड़ रुपया था। अतएव पहले दो वर्षों में ८३.६८ करोड़ रु० से अधिक धन का उपयोग नहीं किया गया।

नियोजन आयोग ने १९५८–५९ में राज्य विकास योजना के लिए मूलतः ४६.६६ करोड़ रुपये की अधिकतम धनराशि निर्धारित किया था। फिर भी १९५८–५९ में विकास योजनाओं के लिए ४९.२४ करोड़ रुपये का राज्य बजट में प्राविधान करना पड़ा। पत्र-व्यवहार और उच्च स्तरीय विचार-विनिमय के पश्चात् आयोग ने अक्तूबर, १९५९ में इस राज्य के लिए ४७.४५ करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की, और इसी के अन्तर्गत जोतों की चकबन्दी पर होने वाला १४५ लाख रुपये का योजनेत्तर व्यय भी पूरा करना पड़ा।

इस वर्ष एक उल्लेखनीय बात यह हुई कि विकास के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का सावधिक अनुमान तैयार किया जाने लगा। विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशियों में योजनाओं की प्रगति को देखते हुए व्यावहारिक रूप में हेरफेर किया गया। परिणामस्वरूप १९५८–५९ के लिए अनुमानित व्यय ४७.५० करोड़ रु० आंका गया, जो पूर्व वर्ष की तुलना में सुधार की ओर संकेत था।

सन १९५९–६० के लिए राज्य विकास योजना आलोच्य वर्ष में तैयार की गयी। राज्य सरकार ने नियोजन आयोग के पास राज्य योजना के लिए ५,३९९.७६१ लाख रुपये और केन्द्र संचालित योजनाओं के लिए ५८४.२३२ लाख रुपये का योजना प्रारूप भेजा। नियोजन आयोग ने १९५९–६० में राज्य वार्षिक योजना के लिए ५० करोड़ रुपये की अधिकतम् धनराशि निर्धारित किया। केन्द्र संचालित योजनाओं के लिए ५८३.१४ ३ लाख रु० स्वीकृत किया गया, जिसमें राज्य का हिस्सा १६५.४९६ लाख रुपया रखा गया, जो ५० करोड़ रु० की अधिकतम स्वीकृत धनराशि में शामिल था। कृषि और उससे संबंधित कार्यक्रमों पर प्रमुख बल दिया गया, जिसके लिए १६८९.१९१लाख रुपये नियत किया गया। १,५४८ लाख रु० सिंचाई और बिजली तथा ११०६.०४ रु० सामाजिक सेवाओं के लिए नियत किया गया। अन्य मदों में उद्योग और उत्खनन के लिए २७९.७६ लाख रु०, यातायात और परिवहन के लिए ३०० लाख रु० तथा विविध मदों के लिए ७७.०१ लाख रुपये की धनराशियां निर्धारित की गयीं।

विकेन्द्रीकरण की दिशा में अन्य प्रयास—सामाजिक सेवाओं के जनतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण की दिशा में प्रयास किये गये, क्योंकि समाजवादी समाज की रचना के लिए विकेन्द्रीयकरणआवश्यक समझा जाता है। जिला नियोजन समितियों को, जिनका काम केवल परामर्श देना था, जिला बोर्डों में सम्मिलित कर लिया गया और अन्तरिम जिला परिषद् के नाम से विधिवत् निकायों की स्थापना की गयी। खंड स्तर पर खंड विकास समिति (पहले की खंड परामर्शदात्री समिति) के चेयरमैन के रूप में एक असरकारी अधिकारी की नियुक्ति की गयी।

खाद्योत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से खरीफ और रबी आंदोलनों का संगठन किया गया और परिणाम बहुत उत्साहवर्द्धक रहा। खंड विकास अधिकारियों द्वारा उनके अपने क्षेत्रों का नियोजन विवरण तैयार करने का प्रयोग सफल सिद्ध हुआ।

स्थानीय विकास कार्य—स्थानीय विकास कार्यक्रम को जनता ने अपने आवश्यकतानुसार स्वयं अपना लिया। सामान्यतः यह जन कार्यक्रम था, जिसमें सरकार ३३ से ५० प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करती रही। आलोच्य वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त ७४.४७ लाख रु० को और राज्य आत्म सहायता अनुदान में से ४.८७ लाख रु० की व्यवस्था जिलों के लिए की गयी। भारत सरकार के अनुदान में जिलों में वहां के छायाखंडों के आधार पर प्रति छाया खंड १२,५०० रु० की दर से धन दिया गया। जिन जिलों में पहले के कार्य पूरे नहीं हो पाये थे और उनका खर्च इस नियत

धनराशि से पूरा नहीं पड़ता था, उन्हें अतिरिक्त धनराशियां दी गयीं। ये धनराशियां पेय जलकूपों, ग्रामीण सड़कों, पुलियों, छोटे पुलों, पंचायतघरों और बीज गोदामों के निर्माण और मरम्मत जैसे सामान्य कार्यों पर खर्च की गयी। पहले साल के अपूर्ण काम को प्राथमिकता दी गयी।

भारत-तिब्बत सीमा विकास योजनाएं——आलोच्य वर्ष में भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र की विशेष विकास योजनाओं की प्रगति संतोषजनक रही। १६ लाख रु० के बजट प्राविधान के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं पर १४ लाख रु० व्यय किया गया——

(१) पशुधन विकास
(२) कुटीरोद्योग विकास
(३) बागवानी विकास
(४) चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य व्यवस्था
(५) शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था
(६) जड़ी-बूटी उद्योग का विकास
(७) सड़कों और पुलों के निर्माण
(८) सांस्कृतिक कार्यों का उत्थान
(९) पेय जल व्यवस्था
(१०) इस्पात के झूला पुलों का निर्माण

श्रमदान——आलोच्य वर्ष में जनवरी, १९५९ के तीसरे सप्ताह में बड़े उत्साह से श्रमदान आंदोलन आरंभ किया गया। खाद्योत्पादन में वृद्धि पर विशेष बल दिये जाने के कारण सिंचाई और भूमि संरक्षण कार्य को प्राथमिकता दी गयी। कार्य की अन्य महत्वपूर्ण मदों में पिछले श्रमदान आन्दोलन में आरम्भ किये गये कार्यों की मरम्मत और उन्हें पूरा करना, एप्रोच सड़कों का निर्माण, गलियों में खड़ंजा बिछाना और पहाड़ी क्षेत्रों पर वृक्षारोपण के लिए गड्ढ़े तैयार करना आदि कार्य था।

आन्दोलन के दौरान में कुल ५,०३,६६,१६५ रु० की लागत का ६४,७१,६५,२६० फुट मिट्टी का काम किया गया। इस कार्यक्रम में जनता का योगदान १,१६,७५,६६१ रु० और पुल-पुलियों के निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकार का अनुदान २,२०,१६४ रु० था।

प्रत्येक राजस्व डिवीजन के सबसे अच्छे जिले और खंड को पारितोषिक देने के लिए सरकार ने ५०,००० रु० का अनुदान दिया।

चरण१, चरण २ तथा प्रगाढ़ विकास खंड——सन् १९५८-५९ के वर्ष में भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों के लिए एक संशोधित स्वरूप निर्धारित किया। इसके अनुसार खंडों में विकास-कार्य पांच-पांच वर्षों के दो चरणों में पूरा करना था। इनको चरण १ और चरण २ की संज्ञा दी गयी। राष्ट्रीय विकास सेवा स्तर कार्य करने वाले १ अप्रैल, १९५८ के पूर्व चलने वाले खंड तथा तत्काल बाद में खोले गये खंड आलोच्य वर्ष में विकास के प्रथम चरण में रखे गये। किन्तु उक्त तारीख से पहले जो खंड प्रगाढ़ विकास खंड के स्तर पर पहुंच गये थे, उन्हें प्रगाढ़ विकास खंड के रूप में कार्य करने दिया गया। इन खंडों को तब तक प्रगाढ़ खंड के रूप में काम करना था, जब तक वे अपनी निर्धारित अवधि पूरी न कर लें, तत्पश्चात् उन्हें द्वितीय चरण में प्रवेश करना था। समस्त प्रगाढ़ विकासोत्तर खंडों को चरण २ में रखा गया। चरण १ और चरण २ के लिए निर्धारित धनराशियां क्रमशः १२ लाख रु० और ५ लाख रु० थीं।

'६३-बी--२--राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना' मद में ६०७.८७ लाख रुपये का प्राविधान किया गया, जिसमें पहले आरम्भ किये गये (योजनेतर) कार्यों के लिए ५७.३२ लाख रुपये का व्यय भी सम्मिलित था। 'पी--ऋण और अग्रिम' के मद में ३८.४२ लाख रु० का प्राविधान किया गया। '६३-बी' मद के कुल प्राविधान में से ८७.८५ लाख रु० समर्पण (सरेण्डर) कर दिया गया क्योंकि राष्ट्रीय प्रसार सेवा / सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संशोधन के फलस्वरूप धन की आवश्यकता बजट प्राविधान तक नहीं पहुंच सकी। 'पी--ऋण और अग्रिम' मद का बजट प्राविधान आवश्यकता से कम हो गया और ८.६९ लाख रु० का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों के ढांचे में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नये खण्ड खोलने का कार्यक्रम ढीला कर देना पड़ा। अतः सम्पूर्ण राज्य में अक्तूबर, १९६१ तक खण्डों के खोलने की अवधि बढ़ा कर अक्तूबर, १९६३ तक कर दिया गया।

आलोच्य वर्ष में ३७ नये विकास खंड प्रथम चरण खंड के रूप में खोले गये। साथ ही विभिन्न जिलों में पूर्व विकास कार्यों, मुख्यतः कृषि के लिए ५६ छाया खंड भी आरम्भ किये गये।

३१ मार्च, १९५९ को चालू खण्डों की स्थिति इस प्रकार थी—

प्रथम चरण खंड	२५५
द्वितीय चरण खंड	३३
प्रगाढ़ विकास खंड	८२
पूर्व प्रसार खंड	५६
योग ..	४२६

अक्तूबर, १९५९ में यह आशा की जाती थी कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण और प्रगाढ़ विकास खंडों के अन्तर्गत राज्य के क्षेत्रफल का ५२.६ प्रतिशत, कुल जनसंख्या का ४६.१ प्रतिशत और ग्रामीण जनसंख्या का ५३.४ प्रतिशत आ जायगा।

कृषि—सन् १९५८-५९ में राज्य में कृषि विकास का विशेष उल्लेखनीय कार्य हुआ। सरकार ने खरीफ और रबी आन्दोलन आरम्भ किया, जिससे गांवों में आशातीत उत्साह का संचार हुआ और बड़ी संख्या में गैर सरकारी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लग गये। इन आन्दोलनों का मुख्य उद्देश्य—

(क) शीघ्र परिणाम देने वाले कुछ चुने हुए मदों के सम्बन्ध में केन्द्रित प्रयास
(ख) समुन्नत कृषि उपायों को अपनाने की दिशा में जनता को शिक्षित करना
(ग) उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग

इस आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण बात थी, ग्राम सहायकों का चुनाव और उनका प्रशिक्षण। प्रत्येक ग्राम सहायक से उम्मीद की जाती थी कि वह अन्य दस या अधिक किसानों को आंदोलन के कार्यक्रम को अपनाने और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करेगा।

आंदोलन की दूसरी विशेषता विकास खंडों में कृषि कार्य समिति की स्थापना थी। ग्राम सहायकों, स्कूल के अध्यापकों, नलकूप आपरेटरों की यह समितियां प्रत्येक ग्राम सभा में वहां आरंभ किये गये कार्यों को सम्पन्न कराने के लिए बनायी गयीं।

सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने के विचार से प्रत्येक क्षेत्र में डिवीजनल और जिला स्तर पर सेमिनार संगठित किये गये ताकि कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके और उन्हें कार्यक्रम की स्पष्ट जानकारी करायी जा सके।

इन आन्दोलनों के उल्लेखनीय परिणाम निकले। रबी और खरीफ दोनों फसलें असामान्य रूप में अच्छी थीं। धान की पैदावार पहले साल की तुलना में लगभग २४ प्रतिशत अधिक थी। (रबी की फसल के वास्तविक आंकड़ों के बाद में उपलब्ध होने की संभावना थी। फसल-कटाई प्रतियोगिताओं के परिणाम संकलित किये जा रहे थे।) पूर्व वर्ष की अपेक्षा उर्वरकों के उपयोग में भी ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि कार्यक्रम की सफलताएं इस प्रकार थीं—

(१) समुन्नत बीजों का वितरण	१५·०५२	लाख मन
(२) उर्वरकों का वितरण	२१·९५९	,, ,,
(३) भूमि संरक्षण और सुधार	४४,९४८	एकड़
(४) समुन्नत औजारों का वितरण	५१,६६४	
(५) उत्तर प्रदेश प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं का क्षेत्र ..	९·४२८	लाख एकड़
(६) नये बागों का क्षेत्र	७,६३८	एकड़

पहाड़ी जिलों में वृक्ष लगाने का एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इन जिलों के खंड क्षेत्रों में ४ लाख से अधिक वृक्ष रोपे गये।

आलोच्य वर्ष में ५६ लाख रु० की धनराशि जिलों को सिंचाई ऋण वितरण के लिए दिया गया। इसके अतिरिक्त ५०.५३ लाख रु० का पक्के कुओं, बोरिंग, रहट, पम्पिंग प्लांट, निजी नलकूप, निजी बंधियों और बंधियों की मरम्मत के लिए उपयोग किया गया।

विकास खंडों में छोटे सिंचाई कार्यों के लिए ६८,२३,८०० रु० का ऋण दिया गया। आलोच्य अवधि में १०७ निजी नलकूप और २१ राजकीय नलकूप तैयार किये गये तथा ४,६७६ पक्के कुएं बनाये गये और १,८४६ कुओं की बोरिंग की गयी। साथ ही २,३५४ रहट और २२७ पम्पिंग सेट लगाये गये। ६ मील लम्बी नहरें खोदी गयीं। पहाड़ी जिलों में १२७ मील लम्बी गूलें तैयार की गयीं। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप ६५,२४० एकड़ क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत आ गया।

पशुपालन—इस कार्यक्रम के अधीन पशुओं की नस्ल-सुधार, रोगों की रोकथाम और इलाज तथा नयी चारे की फसलों के प्रचार की ओर विशेष ध्यान दिया गया।

समुन्नत नस्ल के ७६३ सांड़ तथा ३,६६१ अन्य समुन्नत पशु सप्लाई किये गये। लगभग ३८,०३७ पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया और ३६·७३६ लाख पशुओं को पोंकनी तथा अन्य रोगों की रोकथाम के टीके लगाये गये। आलोच्य वर्ष में १४·३२४ लाख पशुओं का इलाज किया गया। ५४ पशु-चिकित्सालयों के खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रत्येक खंड में कम से कम एक पशु-चिकित्सालय खोलने की योजना बनायी गयी। वर्तमान चिकित्सालयों में सुधार किया गया।

उद्योग—देहाती कारीगरों को उत्पादन के आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य में निम्नांकित योजनाएं आरंभ की गयीं—

(१) ट्यूशनल कक्षा योजना
(२) पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों की योजना
(३) प्रगाढ़ विकास योजना।

जहां तक पुनर्गठित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों का सम्बन्ध है सन् १९५८-५९ के वर्ष में उनकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं—

(१) केन्द्रों की संख्या	२४७
(२) प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	२,७७६
(३) प्रशिक्षार्थियों की संख्या	२,८३३
(४) उत्पादित वस्तुओं का मूल्य	७,०१,६०० रु०
(५) बेची गयी सामग्री का मूल्य	७,२०,७५७ रु०

खंडों में १६३ सहकारी समितियां खोली गयीं, जिनमें प्रशिक्षित कार्यकर्ता भी थे और जिनकी सदस्य संख्या ४,८१४ थी।

विकास खंडों में आरंभ की गयी अन्य स्थायी योजनाओं का ब्योरा इस प्रकार है—

(क) खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास—यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से आरम्भ की गयी

(ख) ग्रामीण औद्योगिक आस्थान—ये लोनी (मेरठ), काशी विद्यापीठ (वाराणसी) और देवबन्द (सहारनपुर) में स्थापित किये गये हैं

(ग) अग्रगामी कारखाना योजना—पांच कारखानों में से ३ कारखाने आजमगढ़, अतरौली (अलीगढ़) और देवबन्द (सहारनपुर) में स्थापित किये गये हैं

(घ) हथकरघा विकास योजना—इस योजना के अधीन मऊ (आजमगढ़) विकास खंड में एक सूत रंगने तथा हथकरघे के कपड़े की सफाई करने के लिए एक कारखाना चालू था। औद्योगिक कार्यक्रम की प्रगति का ब्योरा इस प्रकार है—

(१) ईंट के भट्ठे	५६
(२) ईंट का उत्पादन	६,८७,१०,०००
(३) ट्यूशनल कक्षाएं	१४

(४) उत्पादन केन्द्र ..	..	..	..	७
(५) खादी विकास केन्द्र	..	..	..	१६
(६) चरखों का वितरण	..	..	..	३,५४६
(७) रोजगार से लगने वाले व्यक्ति—				
(क) अल्पकालिक	..	..	..	३,२७४
(ख) पूर्णकालिक	..	..	..	१६०

चिकित्सा सेवाएं—आलोच्य अवधि में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार हुआ इस कार्यक्रम का प्रमुख अंग वातावरण की सफाई रहा।

शुद्ध जल की व्यवस्था को स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्राथमिकता दी गयी। हरिजनों के लिए बनाये गये ४८४ कुओं के अतिरिक्त ८,३७७ साफ कुएं बनाये गये। कुल मिला कर १४,४४३ कुओं का जीर्णोद्धार किया गया और ८,८२४ हाथ के पम्प लगाये गये।

वातावरण की सफाई कार्यक्रम के अधीन ३,९६,५०० गज पक्की नालियां निर्मित की गयीं और ४,१३,३०० गज लम्बी नालियों की चिनाई की गयी। इसके अतिरिक्त १,००,३२३ सोख्ते और ९,९४६ निर्धूम चूल्हे बनाये गये।

आलोच्य वर्ष में प्रसार अभिकर्ताओं की सहायता से चेचक के १७,८५,२०० टीके लगाये गये। ७,४३,१०० व्यक्तियों को मलेरिया निरोधक टीके और १३,८३४ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

प्रति खंड एक नेत्र चिकित्सा शिविर के हिसाब से शिविरों का संगठन किया गया। प्रत्येक शिविर का औसत खर्च १,५०० रु० था, जिसमें ५०० रु० का राजकीय योगदान भी सम्मिलित है।

नये चिकित्सालयों के लिए ४० इमारतों के निर्माण और वर्तमान ५६ चिकित्सालयों में सुधार करने की स्वीकृति दी गयी।

स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए प्रगाढ़ खंडों के ६ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ६ लैण्ड रोवर गाड़ियां सप्लाई की गयीं।

शिक्षा—आलोच्य वर्ष में ३८४ नये स्कूल खोले गये और विकास खंडों में स्कूलों के लिए ३०६ नयी इमारतें निर्मित की गयीं। स्कूलों में अध्यापन का स्तर ऊंचा करने के लिए खंड बजट से किताबों, पत्रिकाओं, पोस्टरों, चार्टों, टाट-पट्टियों, तख्ता स्याह, कला-कौशल की सामग्री, बागवानी और खेती-बाड़ी के औजार और विज्ञान के साज-सामान की सुविधाएं प्रदान की गयीं। स्कूली लड़कों के लिए साफ पानी की व्यवस्था करने के हेतु ग्रामीण स्कूलों में बड़ी संख्या में हाथ के पम्प लगाये गये।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में ४,९२६ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये और १,००,६५४ वयस्कों को इन केन्द्रों में ट्रेनिंग के लिए भर्ती किया गया। आलोच्य वर्ष में ६२,९६५ प्रौढ़ों को साक्षर किया गया। इस कार्यक्रम के ही सिलसिले में और इस उद्देश्य से भी कि नव साक्षर पुनः असाक्षर न हो जायं, ३,३२१ पुस्तकालय, वाचनालय और सूचना केन्द्र खंडों में स्थापित किये गये।

आमोद-प्रमोद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संगठित करने में ग्रामीण सांस्कृतिक अभियानों को पुनः चालू करने और उनके समुचित उपयोग की ओर विशेष ध्यान दिया गया। सामुदायिक श्रवण के लिए ५८५ सेट लगाये गये तथा २,४४६ सामुदायिक केन्द्र खोले गये। जिन खंडों में सिनेमा का साज सामान था वहां सिनेमा दिखाने का इंतजाम किया गया। ग्राम गीत, नृत्य, नाटक और भजन आदि को सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग बनाया गया।

युवकों के बीच युवक मंगल दलों का संगठन किया गया जिससे कि भविष्य के लिए चतुर और बुद्धिमान ग्राम नेता तैयार किये जा सकें और समाज शिक्षा कार्यक्रम के लिए एक केन्द्र बनाया जा सके। युवक मंगल दल के सदस्यों ने आर्थिक विकास और सामुदायिक सेवा योजनाओं का कार्य आरम्भ किया और श्रमदान, सड़क की मरम्मत, वृक्षारोपण, ग्रामीण सफाई तथा मेले और त्योहारों में सामाजिक कार्य करने में सक्रिय भाग लिया। विचाराधीन वर्ष में १८ से २१ युवक मंगल दलों की स्थापना की गयी, जिनकी सदस्य संख्या १२,२७१ थी।

महिलाओं और बच्चों के बीच कार्य——सन् १९५८–५९ में महिला और बाल कार्यक्रम को अधिक प्रोत्साहन मिला। इस कार्य के लिए पहली बार अलग बजट में व्यवस्था की गयी। बजट की मुख्य मदें इस प्रकार थीं——

(१) बच्चों के लिए नर्सरी कक्षाओं का संचालन
(२) युवती क्लबों और महिला मंडलों का संगठन
(३) सामान्य निर्देशन तथा साक्षरता के लिए प्रौढ़ कक्षाओं का संचालन
(४) विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों का संगठन
(५) गांवों में भजन मंडलियों का संगठन।

विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और यह अनुभव किया गया कि खेती-बाड़ी के आधुनिक तरीकों की ट्रेनिंग उन्हें देना देश के हित में होगा। सभी महिला कार्य-कर्त्रियों को रबी कार्यक्रम की ट्रेनिंग दी गयी और उन्होंने प्रत्येक खंड में अनेक शिविर संगठित किये।

विचाराधीन वर्ष में पहाड़ी जिलों की महिला कार्यकर्त्रियों को रबी, खरीफ और बागवानी कार्यों की विशेष ट्रेनिंग देने के लिए हवालबाग (अलमोड़ा) में व्यवस्था की गयी।

ग्राम सेविकाएं पूर्वी जिलों में निर्धूम चूल्हे, जालीदार आल्मारियां, नहाने के घाट तथा हाथ के पम्पों का प्रचलन कराने में विशेष सफल रहीं। उन्हें शाक-सब्जी की खेती, कटाई और सिलाई, नेवार बुनन, जूट तैयार करने, खिलौने बनाने आदि के प्रचार में भी अच्छी सफलता मिली।

वर्ष में १०२ महिला कल्याण केन्द्र आरम्भ किये गये, जिनमें महिलाओं की संख्या १,७०२ थी।

सहकारिता——सहकारिता आंदोलन को अधिक सुदृढ़ और व्यापक बनाया गया। अकेले खण्ड क्षेत्र में ३,२५८ नयी सहकारी समितियां संगठित की गयीं और २,९७,५०९ नये सदस्य भर्ती किये गये। समितियों क कुल हिस्से की पूंजी वर्ष में ६२.४७ लाख रु० थी। लगभग ५,६३–३७,१०० रु० तक का ऋण दिया गया था।

प्रान्तीय रक्षक दल——मौजूदा नियोजन प्रणाली के अधीन राष्ट्रीय विकास कार्यों को सम्पन्न करने में प्रान्तीय रक्षक दल पूर्ववत् महत्वपूर्ण कार्य करता रहा। हल्का सरदारों और ग्रुप लीडरों की भर्ती पुनर्गठित अदालती पंचायतों और गांव सभाओं के आधार पर की गयी। प्रत्येक अदालती पंचायत से एक हल्का सरदार, प्रत्येक ग्राम सभा से एक ग्रुप लीडर और प्रत्येक रक्षक टोली के लिए एक सेक्शन लीडर द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में भर्ती होने थे। आलोच्य वर्ष में ७२३ हल्का सरदार, ८,०२३ ग्रुप लीडर, ३१,०६६ सेक्शन लीडर तथा ८७,९१३ रक्षक भर्ती किये गये। बिना हथियार की फौजी शिक्षा ३२,२५० स्वयं-सेवकों को दी गयी, १८,६६८ स्वयंसेवकों को हथियार का उपयोग सिखाया गया। १५,४५४ को शरीर संवर्द्धन और १०,७०८ को तैराकी सिखायी गयी।

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमदान संगठन की दिशा में सफल प्रयत्न किये गये। वर्ष में समस्त राज्य म ८९६ विकास शिविरों का संगठन किया गया और १,३२,३९२ स्वयंसेवकों तथा जनता ने जन हित-कारीकार्यों को श्रमदान द्वारा पूरा किया।

विकास शिविरों के माध्यम से ७६२ मील सड़कें बनायी गयीं तथा १,३८४ मील ४ फर्लांग लम्बी सड़कों की मरम्मत की गयी। इसके अतिरिक्त ६५ मील ६ फर्लांग बंध (+१३बंध) बनाये गये तथा ६२ मील २ फर्लांग बंधों (+२४ बांध) की मरम्मत की गयी, १५४ मील ७ फर्लांग लम्बी सिंचाई की गूलें बनायी गयीं तथा ७४१ मील गलों की मरम्मत की गयी। ८९ मील ३ फर्लांग नालियों (+४१ नालियों) का निर्माण और ४३ मील ५ फर्लांग नालियों (+२०० नालियों) की मरम्मत की गयी, १४९ तालाबों को गहरा किया गया, ४८ पुलियां बनायी गयीं तथा २७ की मरम्मत की गयी, २६ कुएं खोदे गये और १,२१३ की मरम्मत की गयी। साथ ही ८३० वनरोपण शिविरों तथा ४५ ग्रीष्म शिविरों का भी संगठन किया गया।

दंगल, खेदकूद सम्मेलन, अखाड़ों तथा शरीर संवर्द्धन केन्द्रों का बड़े पैमाने पर संगठन किया गया। कुल मिला कर २,९०० दंगलों तथा ६,८६७ खेदकूद सम्मेलनों का संगठन ग्राम तहसील तथा जिला

स्तरों पर किया गया। दंगलों में ६७,६५५ पहलवानों ने भाग लिया। लखनऊ में एक तैराकी कक्षा भी चल रही थी, जिसमें लगभग ३५० युवकों को तैराकी की ट्रेनिंग दी गयी।

दल के स्वयंसेवकों ने बाढ़, मेला, प्रदर्शन आदि के सिलसिले में उपयोगी सेवाएं कीं। मेला कार्य के लिए १२,५३३ व्यक्तियों, बाढ़ कार्यों के लिए १,१०० व्यक्तियों और अन्य कार्यों के लिए १४८ व्यक्तियों को बुलाया गया था। मेलों में खोये हुए १,३३८ बच्चों को उनके मां-बाप के पास पहुंचाया गया। प्रान्तीय रक्षक दल के २६० स्वयंसेवकों को उनके उत्तम काम के लिए पुरस्कृत किया गया। दल के कार्यकर्ताओं की सहायता से १३६ गुंडों को पुलिस के हवाले किया गया।

श्रमदान शिविरों और ट्रेनिंग के कार्यक्रमों में सांस्कृतिक और आमोद-प्रमोद के कार्य भी सम्मिलित थे। दिन का काम पूरा करने के बाद शिविरवासी रात में भजन, ग्राम गीत तथा ग्राम नृत्य का आयोजन करते थे। यह संगठन राज्य में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक तथा आमोद-प्रमोद के कार्यों का विस्तार कराने में बड़ा सहायक रहा।

वर्ष में दल को एक नया काम सौंपा गया और उन्हें तीन महीने के लिए (सितम्बर से नवम्बर, १९५८) रबी अभियान के काम में लगाया गया। दल ने अपने नियत लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया।

ग्रामीण युवक संगठन के विस्तार में प्रान्तीय रक्षक दल सक्रिय रहा। संख्या की अपेक्षा गुण पर अधिक बल दिया गया। प्रान्तीय रक्षक दल की युवक कल्याण शाखा द्वारा वर्ष में १,५७५ युवक मंडल संगठित किये गये। युवकों में नागरिकता तथा देशभक्ति की नयी भावना जागृत करने पर ध्यान दिया जाता रहा।

वर्ष के अन्त तक दो राज्य युवक कल्याण रैलियों का संगठन प्रान्तीय रक्षक दल के मुख्यालय में किया गया। इससे ग्राम्यस्थ भारत के विकास की दिशा में ग्रामीण युवकों के बहुमुखी कार्यों का पता चलता है।

ग्रामीण युवकों तथा प्रान्तीय रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने बदरीनाथ और केदारनाथ के यात्रियों की सेवा के लिए विशेष जत्था संगठित किया।

खेलकूद परिषद्—राज्य सरकार ने खेलकूद के विकास के लिए १९५८—५९ में उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद् को ५,९९,९०० रु० का एक अनुदान दिया। अनुदान तीन मुख्य मदों में दिया गया, जो इस प्रकार है—

	रु०
(१) खेलकूद का विकास	९१,०००
(२) खेलकूद के स्तर को उठाना	२,०१,४००
(३) स्टेडियम आदि का निर्माण	३,०७,५००
योग ..	५,९९,९००

खेलकूद विकास कार्यक्रम के अधीन ५८,६०० रु० के अनुदान राज्य के खेलकूद एसोसिएशनों और क्षेत्रीय परिषदों को अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिये गये, जिनका ब्योरा इस प्रकार है—

(क) राज्य खेलकूद एसोसियेशन—	रु०
(१) उत्तर प्रदेश ओलिम्पिक एसोसियेशन	६,०००
(२) उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन	४,०००
(३) उत्तर प्रदेश खेलकूद नियंत्रण बोर्ड	४,०००
(४) उत्तर प्रदेश लान टेनिस एसोसियेशन	४,०००
(५) उत्तर प्रदेश बैडमिण्टन एसोसियेशन	३,०००
(६) उत्तर प्रदेश टेबुल टेनिस एसोसियेशन	२,०००
योग ..	२३,०००

(ख) क्षेत्रीय खेलकूद परिषद्—

		रु०
(१)	लखनऊ	३,६००
(२)	इलाहाबाद	३,०००
(३)	आगरा	२,०००
(४)	मेरठ	३,०००
(५)	वाराणसी	३,०००
(६)	फैजाबाद	३,६००
(७)	बरेली	४,२००
(८)	गोरखपुर	२,४००
(९)	नैनीताल	२,४००
(१०)	झांसी	२,४००
	योग	२९,६००

खेलकूद का स्तर उठाने के लिए प्रयास जारी रहे। होनहार युवकों को विभिन्न खेलकूदों में प्रशिक्षित करने के लिए सिखाने वालों का एक पनल ट्रेनिंग शिविर चलाता रहा। यह सिखाने वाले राज्यीय, राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे। राज्य के विभिन्न जिलों के प्रशिक्षार्थियों को ऊंचे स्तर की शिक्षा प्रदान की गयी और योजना का काफी प्रचार हुआ। जनता ने इसका स्वागत किया और सहयोग दिया।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय खेलकूद परिषद् के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न खेलों के १०० प्रशिक्षण शिविर संगठित किये गये। प्रत्येक शिविर १५ दिन का था और लगभग २,००० प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

राज्य के होनहार प्रशिक्षार्थियों के ९ शिविर संगठित किये गये और १२६ प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। निम्नांकित खेलों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार थी

(१)	हाकी (नैनीताल)	१६
(२)	क्रिकेट (नैनीताल)	१४
(३)	एथेलिटिक (नैनीताल)	२०
(४)	टेबुल टेनिस (नैनीताल)	१४
(५)	टेनिस (मसूरी)	१४
(६)	बैडमिंटन (देहरादून)	१४
(७)	वेट लिफ्टिंग (ननीताल)	१०
(८)	कुश्ती (ननीताल)	१०
(९)	तैराकी (रुड़की)	१४
	योग	१२६

उत्तर प्रदेश लान टेनिस एसोसियेशन द्वारा १९५८–५९ में लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा में टेनिस के तीन प्रशिक्षण केन्द्र कार्य करते रहे। यह केन्द्र बहुत सफल रहे और प्रशिक्षार्थियों में बहुत सुधार दिखायी पड़ा।

हाकी, टेनिस, बैडमिन्टन, टेबुल टेनिस और एथेलिटिक्स के उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किये गये, जिनमें लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने भाग लिया।

जिला खेलकूद एसोसियेशन के सहयोग से प्रायः सभी खेलों के अन्तर्जिला टूर्नामेंटों को क्षेत्रीय खेलकूद परिषदों ने सफलतापूर्वक सम्पादित कराया। इसके अतिरिक्त राज्य एसोसियेशनों को राज्य सम्मेलनों, ऊंचे दर्जे के ६ यूनिटों और राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन करने के लिए अनुदान भी दिये गये।

उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद् के तत्वावधान में १०, ११ और १२ दिसम्बर, १९५८ को लखनऊ केन्द्रीय खेलकूद स्टेडियम में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भारतीय व्यायाम और खेलकूद द्वितीय राज्योत्सव

मनाया गया। पुलिस इंस्पेक्टर जनरल की अध्यक्षता में परिषद् द्वारा इस कार्य के लिए एक संगठन समिति बनायी गयी। इस उत्सव में प्रायः सभी विश्वविद्यालयों, प्रमुख व्यायाम शालाओं तथा पुलिस की क्षेत्रीय टीमों, रेलवे आदि ने भाग लिया। बड़ौदा की एक व्यायामशाला भी आमंत्रित की गयी। यह उत्सव बहुत सफल रहा।

(३) प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

प्रशिक्षण—प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो पहलू थे अर्थात् प्रारम्भिक एवं कार्यकाल में प्रशिक्षण। प्रारम्भिक प्रशिक्षण में विभिन्न साधनों से भर्ती किये गये कर्मचारियों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन किये जाने वाले कार्यों के विशेष स्वरूप से उन्हें अवगत कराया जा सके। इसके बाद ही विभागीय कार्यकर्ताओं के लिए उनके कार्यकाल में ही उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योंकि इन कर्मचारियों को उनके कार्य की जानकारी करानी थी और उन्हें ऐसे अन्तर्विभागीय कार्यों में लगाना था, जो उनके काम से संबंधित थे।

प्रारम्भिक प्रशिक्षण—प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन ग्राम–स्तर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को विशेष महत्व मिला, क्योंकि उनकी प्रशिक्षण-अवधि १८ महीनों से बढ़कर दो वर्ष कर दी गयी थी जिससे कि वे क्षेत्रीय कार्य की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकें। ट्रेनिंग कार्यक्रम विषयों और तरीकों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुए।

विचाराधीन वर्ष में ९५० ग्राम–स्तर कार्यकर्ताओं ने प्रारम्भिक प्रशिक्षण पूरा किया और १,९१५ ऐसे कार्यकर्ता वर्ष के अन्त में प्रशिक्षण पा रहे थे। दस हजार ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं की आवश्यकता राज्य में खुलने वाले सभी विकास खंडों के लिए थी, जिनमें से योजनारम्भ काल से लेकर विचाराधीन वर्ष के अन्त तक ७००० कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न वर्गों के २७५ ग्राम–स्तर कार्यकर्ताओं को प्राविधिक विषयों और प्रसार उपायों की प्रारम्भिक ट्रेनिंग दी गयी।

वर्ष भर २४ प्रशिक्षण केन्द्र चालू रहे।

कार्यकाल में प्रशिक्षण—रबी आंदोलन के अवसर पर लगभग ५,००० खंड कर्मचारियों को रबी कार्यक्रम के सम्बन्ध में और प्रगतिवादी किसानों (ग्राम सहायकों) को ट्रेनिंग देने के तरीकों का प्रगाढ़ प्रशिक्षण दिया गया। यह ट्रेनिंग प्रधानाध्यापकों, निदेशकों तथा खंड स्तर के ग्रुप–स्तर कार्यकर्ताओं तथा समस्त परगना हाकिमों तथा परगना स्तर पर काम करने वाले विभिन्न विभागों के जिला स्तर अधिकारियों को दी गयी।

प्राविधिक विषज्ञों में रिफ्रेशर पाठ्यक्रम विशेषज्ञों के लिए आरम्भ किये गये। साथ ही वनरोपण, भूमि संरक्षण, मत्स्यपालन आदि जैसे व्यक्तिगत मदों में ट्रेनिंग देने की संबंधित विभागों के सहयोग से व्यवस्था की गयी। प्रशासकीय अधिकारियों के लिए सेवा-काल में संस्थात्मक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी।

असरकारी तथा अन्य व्यक्तियों का प्रशिक्षण—प्रगतिशील किसानों (ग्राम सहायकों) के लिए तीन दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठित किया गया। खाद्योत्पादन आन्दोलन के क्षेत्र में और तात्कालिकता पर विशेष बल दिया गया। कुल मिलाकर २,५९,४७३ ग्राम सहायकों को प्रशिक्षित किया गया।

युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण स्कूलों के अध्यापकों को शिक्षकों के दलों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। एक-एक मास अवधि के १६ शिविर वर्ष में आयोजित किये गये और ७५० ग्रामीण स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। कतिपय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रसार सेवा सम्बन्धी ६ सप्ताह का ट्रेनिंग कोर्स १९५८–५९ की गर्मी की छुट्टियों में विश्वविद्यालय के चुने हुये विद्यार्थियों और अध्यापकों के लाभार्थ, जिन्हें विश्वविद्यालय उम्मीदवारों की संज्ञा दी गयी, चालू किये गये और १९६ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

गांवों में बढ़ईगिरी करने वालों और लोहारों को समुन्नत कृषि औजारों के बनाने और उनकी मरम्मत करने की ट्रेनिंग दी गयी।

विकास अन्वेषणालय—सामुदायिक और राष्ट्रीय प्रसार सेवा परियोजनाओं के लिए अनुभव, परीक्षण और नये विचारों द्वारा, चाहे वे अपने ही प्रयोगों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुये हों अथवा किसी अन्य सूत्र से उपलब्ध हुये हों, कार्यकारी पूंजी की व्यवस्था करने तथा उन्हें विभिन्न कार्य-क्रमों में अग्रगामी योजनाएं चालू करके पूर्णतया क्रियान्वित करने के उद्देश्य मई, १९५४ में विकास अन्वेषणालय की स्थापना की गयी, जिसे मई, १९५९ में पांच साल पूरे हो गये ।

आलोच्य वर्ष में किये गये संस्था के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं—

(१) अनेक अग्रगामी योजनाएं चालू करना, जिससे इन अग्रगामी योजनाओं को संबंधित कार्यकारी अभिधान बड़े पैमाने पर अपना सकें और उनका प्रसार कर सकें

(२) संस्थात्मक कार्यों के सम्पूर्ण क्षेत्र में अग्रगामी परियोजनाओं और कार्यक्रमों का प्रसार

(३) अनेक महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापन की व्यवस्था तथा विशेषकर रबी और खरीफ अभियानों का मूर्यांकन और 'कृषि से संबंधित अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में सामुदायिक विकास कार्यक्रमका महत्व' सम्बन्धी 'इकाफे' द्वारा वित्त-पोषित अध्ययन

संस्था की सेवाओं को अधिकाधिक कार्यान्वित किया गया और भारत सरकार ५०:५० के अनुपात से संस्था के लिए धन देने पर राजी हुई । सामुदायिक विकास मंत्रालय ने देश के अन्य भागों में इसी प्रकार की संस्थाएं खोलने का निश्चय किया ।

संस्था की ११ शाखाएं निम्नांकित मुख्य तीन ग्रुपों में विभाजित की गयीं—

(क) मुख्यतः अग्रगामी योजनाओं के माध्यम से कार्य करने वाली शाखाएं—
- (१) अल्प वयस्क वर्ग में विशेष प्रसार कार्य शाखा,
- (२) सहकारिता शाखा,
- (३) ग्रामोद्योग शाखा,
- (४) जनता द्वारा भूमि संरक्षण कार्य के लिए शाखा,
- (५) ग्रामीण स्वास्थ्य तथा सफाई शाखा,
- (६) महिला कार्यक्रम शाखा,

(ख) मूल्यांक अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए शाखाएं—
- (७) ग्रामीण जीवन विश्लेषण शाखा,
- (८) आंकड़ा शाखा,

(ग) सेवाएं शाखा—
- (९) सूचना एवं प्रकाशन शाखा
- (१०) दृश्य-श्रव्य सहायता शाखा
- (११) पुस्तकालय

संस्था ने खंड जिला योजनाओं की तैयारी तथा वार्षिक संशोधन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों की स्थापना आदि से संबंधित कार्य भी पंचवर्षीय योजना शाखा द्वारा किया ।

विभिन्न शाखाओं के कार्य का संक्षिप्त विवरण आगे के अनुच्छेदों में दिया जा रहा है—

अल्प-वयस्क वर्ग में विशेष प्रसार कार्य—इटावा, लखनऊ, गोरखपुर, बलिया और सहारन पुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में युवक मंगल दलों-द्वारा मौजूदा कार्यक्रमों के अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में साग सब्जी पैदा करने, सामूहिक फलोद्यानों के रोपण, बछड़ा पालन, मुर्गपालन तथा शरीर संवर्द्धन के प्रयोग आरम्भ किये गये । राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में खटीमा खंड के दो गांवों में विशेष मांग पर इन पिछड़े क्षेत्रों में संस्था द्वारा शुरु किये गये युवक मंगल दलों का स्वरूप निर्धारित करने के सम्बन्ध में जांच कार्य किया गया ।

साथ ही प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न खंडों में संक्षिप्त पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये और जिला अथवा क्षेत्र-स्तर पर सेमिनार आयोजित किये गये । एक राज्य युवक सेमिनार भी संगठित किया गया, जिसमें नियोजन, शिक्षा और पंचायतराज विभागों तथा प्रान्तीय रक्षक दल, भारत सेवक

समाज तथा समाज कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह अपने किस्म का पहला सेमिनार था और इसने राज्य में ग्रामीण युवक कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने सम्बन्धी सिफारिशें भी की।

खण्ड तथा जिला स्तरों के युवक मंगल दलों में प्रतियोगिता की गयी, प्रान्तीय रक्षक दल तथा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में युवक मंगल दल की दो रैलियां संगठित की गयीं।

वर्ष में एक नयी परियोजना, जिसे 'नव-मानव विकास' की संज्ञा दी गयी, लखनऊ जिले में चिनहट क पड़ोस के ४ गांवों में आरम्भ की गयी। इस योजना को आरम्भ करने में दृश्य-श्रव्य जैसे लोकप्रिय उपायों की सहायता ली गयी और इन गांवों के निवासियों को विभिन्न कार्य क्रमों में लगाया गया। स्थानीय प्रेरणा को जाग्रत करने तथा लोगों को अपना आर्थिक स्तर सुधारने को प्रोत्साहित किया गया। आलोच्य वर्ष में निम्नांकित कार्य आरम्भ किये गये—

(१) रबी की बोआई के लिए शुद्ध बीजों की भरपूर पूर्ति
(२) उर्वरकों का वितरण
(३) खेतों की मेड़बन्दी करके भूमि-संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ करना
(४) युवक मंगल दलों का संगठन
(५) ग्रामीणों को पालने के लिए समुन्नत बछड़े आदि देकर पशुधन का सुधार
(६) ग्रामीण महिलाओं के लिए लाभकर काम की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बुनाई के प्रशिक्षण केन्द्र खोलना

सहकारिता—चोसी, बिलासपुर, बुधाना और देवकाली की ४ पुरानी शुगरकेन मार्केटिंग और प्रोसेसिंग समितियों ने दिसम्बर, १९५८ के प्रथम सप्ताह से गन्ना पेराई का कार्य शुरु कर दिया। इन चारों यूनिटों ने सीजन में १,५२,४०३ मन गन्ना पेरा। विचाराधीन वर्ष में दो नयी गन्ना प्रोसेसिंग समितियां संगठित की गयीं, जिनमें से एक कादराबाद (बिजनौर) में अफजलगढ़ के विघटित सैनिकों के लाभार्थ थी और दूसरी मुंगरा बादशाहपुर (जौनपुर) में एक ऐसी रूपरेखा निकालने के लिए खोली गयी, जो छोटी यूनिटों के लिए उपयोगी और कम लागत की हो। देवकाली को छोड़कर अन्य तीनों पुरानी यूनिटों ने २ १/२ प्रतिशत से ४ प्रतिशत लाभांश हिस्सों पर घोषित की और गन्ना सप्लाई करने वालों को ६ न० पै० से १० न० पै० प्रति मन तक बोनस दिया। वर्ष में इन यूनिटों की कार्यप्रणाली ने इनकी प्राविधिक कुशलता और किसानों के हित साधन में सहकारी प्रयासों का औचित्य सिद्ध कर दी।

अतारा और बिलासपुर की धान की सहकारी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग समितियों ने दिसम्बर, १९५८ में कार्यारम्भ कर दिया और ४१,९०० मन धान कूटा। यह कृषकों द्वारा उत्पादित कृषिवस्तुओं के प्रोसेसिंग के लिए एक नया क्षेत्र खोलने वाला सुनहला प्रयास था।

आलोच्य वर्ष में माधोगंज (हरदोई) की सहकारी मूंगफली मार्केटिंग और प्रोसेसिंग समिति के लिए इमारत बनाने और मशीन लगाने का काम शीघ्रता से पूरा किया गया। उसी समय से यह कारखाना सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

महेवा की फल तथा सब्जी संरक्षण सहकारी प्रोसेसिंग समिति के लिए विभिन्न किस्म की मशीनों की उपलब्धि का काम शीघ्र पूरा कर लिया गया और मटर की डिब्बाबन्दी मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू किया गया। सीजन में ९५४ मन हरी मटर की डिब्बेबन्दी की गयी। प्रयोगात्मक आधार पर टमाटर और झरबेर के जैम बनाने का काम भी आरम्भ किया गया। इस परियोजना द्वारा किसानों को उनके उत्पादन का अधिक दाम मिलने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के २०० व्यक्तियों को रोजगार मिला।

नौरंगा (कानपुर) की समन्वित सहकारी विकास परियोजना की क्षेत्रीय समितियों की सदस्य संख्या तथा हिस्से की पूंजी पूर्वगामी वर्ष के १,४५९ तथा ३८,१६४.०६ रु० से बढ़कर क्रमशः १,५३९ और ४१,८०३.६१ रु० हो गयी।

महेवा (इटावा) की बहुधंधी सहकारी की यूनियन से औजारों, उर्वरकों तथा उपभोक्ता सामग्रियों की १,२१,५६८ रु० की बिक्री हुई, जबकि पूर्व वर्ष में ९९,०५६ रु० की बिक्री हुई थी।

ग्रामोद्योग—विचाराधीन वर्ष में अग्रगामी चर्मालय सफलता पूर्वक कार्य करता रहा। इसने अपनी पूरी क्षमता से अधिक उत्पादन किया और ३१ मार्च, १९५९ तक ४,५०,००० रु० की बिक्री

की। फर्रुखाबाद के स्थानीय चमड़ा मार्केट से उपलब्ध मरे बछड़ों के चमड़ों से क्रोम तैयार करने का काम भी इसमें शुरू किया गया। शिकार किये जानवरों की खाल को कमाने का कार्य भी किया जाता रहा। इस चर्मालय में प्रतिदिन २,००० रु० मूल्य के १,००० पौंड चमड़े का उत्पादन होता रहा।

चिनहट स्थित ग्रामीण युवक औद्योगिक आस्थान में चीनी मिट्टी उद्योग प्रमुख बना रहा और बिजली की अनुपलब्धि के बावजूद भी जार, कंडी, फूलों की हंडियां आदि वस्तुएं बनायीं और खुले बाजार में बेची गयीं। यहां की निर्मित वस्तुओं के प्रति काफी रुचि प्रदर्शित की गयी और मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी अच्छी मांग रही। इस परियोजना के अधीन ग्रामीण युवकों की बड़ी संख्या को ट्रेनिंग मिलने के साथ ही लगभग ७० व्यक्तियों को रोजगार मिला। राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र और कुमायूं की पहाड़ियों में उपलब्ध होने वाले विभिन्न मृतिका उद्योग की वस्तुओं के परीक्षण के लिए इस योजना ने व्यापक क्षेत्र खोल दिया। अल्मोड़ा जिले के भीमताल क्षेत्र से संग्रहीत क्वार्ट्ज फेल्सपर के नमूने का इस योजना के अधीन परीक्षण किया गया।

ग्राम गृहों के लिए मशीनों द्वारा रस्सी बटने का काम एक अत्योपयोगी कुटीरोद्योग था। मशीन की मदद से हाथ की अपेक्षा छः गुना रस्सी बटी जा सकती थी और मजदूर २ रु० से ३ रु० प्रतिदिन कमा सकते थे। यह कार्यक्रम चिनहट में सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया गया और राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रसार किया जा रहा था।

गोबर गैस का गांवों में ईंधन और प्रकाश करने के एक साधन के रूप में प्रयोग करने के उत्साहवर्द्धक परिणाम रहे। चिनहट के औद्योगिक आस्थान ने परिवार के आधार पर गोबर गैस का यंत्र लगाने की न केवल लागत कम की अपितु छोटे इंजिनों को चालू करने में गोबर गैस के उपयोग की संभावनाओं के खोज-बीन सम्बन्धी प्रयोग भी किये।

वर्ष में गांवों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों जैसी संस्थाओं से गोबर गैस यंत्र लगाने की भारी मांग प्राप्त हुई।

राज्य में आम और अमरूद जैसे स्थानीय फलों के उपयोग के विषय में अनुसंधान करने के लिए एक छोटा विंग तैयार किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में एक छोटी यूनिट भी स्थापित की जा रही थी।

संस्था ने बागेश्वर में फर तैयार करने और शिकार के जानवरों का चमड़ा कमाने का एक केंद्र खोलने का निश्चय किया, क्योंकि यहां आगामी वित्तीय वर्ष में बिजली मिल जाने की आशा थी।

F जनता द्वारा भूमि-संरक्षण कार्य—संस्था द्वारा तैयार किये गये भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अधीन आलोच्य वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये गये।

इस कार्यक्रम के अधीन इटावा जिले की भाग्य नगर अग्रगामी परियोजना के चिरहुलिया ग्राम में भूमि-संरक्षण और चकबन्दी का काम समन्वित रूप से आरम्भ किया गया। संरक्षण कार्य लगभग एक साधारण ढाल वाली ४० एकड़ भूमि पर किया गया। जोतों का पुनर्वितरण सीढ़ीदार बंधों के आधार पर किया गया। यह योजना ५ जुलाई, १९५८ से आरम्भ की गयी और सफलता पूर्वक सम्पन्न हुई। परियोजना की रूपरेखा भी प्रकाशित की गयी थी।

दिबियापुर रेलवे स्टेशन के निकट लगभग ५० एकड़ ऊसर भूमि के एक टुकड़े पर ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने की परियोजनाधीन कार्यारम्भ किया गया। ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के विभिन्न तरीके प्रयोग किये गये और उनसे उपलब्ध संग्रहीत परिणाम उत्साहवर्द्धक पाये गये। इस योजना का अन्य क्षेत्रों में जन-सहयोग से प्रसार करने की आशा की जाती थी।

जनवरी, १९५९ तक भाग्यनगर खंड में लगभग १,३३३ एकड़ क्षेत्र पर दौलबन्दी, मेडबन्दी आदि जैसे भूमि-संरक्षण कार्य किये जा रहे थे। भूमि संरक्षण क्षेत्रों के लिए घासों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के हेतु भाग्य नगर में एक घास पौधघर खोला गया और वर्षा, वायु की गति आदि के संबंध में विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करने के हेतु एक वेधशाला भी खोली गयी। मुजफ्फराबाद के भूमि संरक्षण केंद्र पर सितम्बर, १९५८ में ग्राम स्तर कार्यकर्त्ताओं के पांचवें दल (बैच) की ट्रेनिंग समाप्त हुई और छठा दल ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा था।

पर्वतीय परियोजनाओं के प्रसार से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के बीच विशेष प्रकार के विशेष अध्ययन और ध्यान की आवश्यकता थी। अतः निम्नांकित तीन ऊंचाई का कार्यक्रम आरम्भ करने क लिए निश्चित किया गया--

(१) २५०० फुट से नीचे,
(२) २५०० फुट से ३,५०० तक,
(३) ३,५०० फुट से ऊपर

दो हजार पांच सौ फुट की ऊंचाई के लिए देहरादून सहारनपुर सड़क पर शिश्रोला कलां चुना गया और इससे संबंधित योजना केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की गयी। २,५०० फुट से ३,५०० फुट तक की ऊंचाई के लिए देहरादून मंसूरी सड़क पर कुकाल गांव के निकट राजपुर चुना गया। वर्ष में इन दोनों गांवों में काम आरम्भ किया गया। तीसरी अर्थात् ३,५०० फुट से ऊपर के लिए ५,००० फुट की ऊंचाई पर अवस्थित भीमताल को चुना गया। जन सहयोग से भीमताल में एक भूमि संरक्षण कार्य आरम्भ करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में भूमि संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सफाई---विचाराधीन वर्ष में ग्रामीण शाखा ने तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं अर्थात् सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्राम नियोजन का काम आरम्भ किया।

सफाई परियोजना के अन्तर्गत इटावा और लखनऊ जिलों में क्षेत्रीय प्रदर्शन के लिए 'वाटर सील लैटरिन पैन्स' की डिजाइन में सुधार करने संबंधी कार्य को अंतिम रूप दिया गया। निर्धूम चूल्हों की विभिन्न डिजाइनों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और उसे प्रकाशित किया गया। यह परियोजना सर्वप्रथम लखनऊ जिले के चिनहट छाया खंड में आरम्भ की गयी और इसके लिए २५,००० जनसंख्या वाले २७ गांवों को चुना गया। परियोजनाधीन मौजूदा साफ पानी के कुओं में हाथ के पंपों की व्यवस्था करके सुधार किया गया और साफ पाखानों के बनवाने का कार्य आरम्भ किया गया। इन गांवों में कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ६ क्षेत्रीय अध्यापकों को प्रशिक्षित और नियुक्त किया गया। वर्ष के अन्त तक १८७ पाखाने इन गांवों में बन चुके थे। पाइप, ट्रैप (जाली) और पैन (चिलमची) की लागत १० रु० से घटकर ५ रु० तक पहुंच गयी। गड्ढों के गुम्बदाकार ढक्कनों से ढक्कनों की लागत १० रु० से घटकर ५ रु० हो गयी। इन गड्ढों को बलुही मिट्टी में गिराने संबंधी प्रयोग चिनहट में किये गये।

लखनऊ और इटावा जिलों के चुने हुए गांवों में अग्रगामी स्वास्थ्य शिक्षा योजना आरम्भ की गयी। वर्ष में स्वास्थ्य शिक्षकों के उपयोग के लिए स्वास्थ्य संबंधी दस पाठ प्रकाशित किये गये। स्वास्थ्य शिक्षा कक्षाओं का उद्देश्य ग्रामों में प्रचलित खराब सफाई व्यवस्था के प्रति जनता को अधिक जागरूक करना और उनके लाभार्थ उपलब्ध विभिन्न सफाई व्यवस्थाओं के उपयोग के प्रति प्रेरित करना था। दृश्य-श्रव्य साधनों की सहायता से ग्रामीणों की स्वास्थ्य समस्याओं पर स्वास्थ्य शिक्षक सामूहिक विचार विमर्श आयोजित करते थे। इन गांवों (नगरियां, व्यासपुर केशमपुर, गौरी, भैंसामऊ और लछमनपुर) में ६८ बैठकें की गयीं।

ग्रामीणों द्वारा १५ पाखानों, १८६ फुट लम्बी जमींदोज पानी निकासी नालियां, २२ निर्धूम चूल्हे और सामुन्नत किस्म के ४ पेय जलकूप तैयार किये गये।

ग्राम पुर्ननियोजन की ओर लोगों का विशेष ध्यान आकृष्ट हुआ और अपने घरों के पुर्ननिर्माण और पुनर्नवीकरण की दिशा में ग्रामीणों ने सक्रिय सहयोग दिया। इटावा जिले के मराईपुर, भवानी, हरी का पुरा और उदोत का पुरा में २६ नये घर बनाये गये और ४२ घरों का पुनर्नवीकरण किया गया। ग्राम पुर्ननियोजन कार्य चिनहट (लखनऊ) में आरम्भ किया गया। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की मदद से प्रारम्भिक कार्य वर्ष में पूरे किये गये और निर्माण कार्य के शीघ्र आरम्भ होन की आशा थी।

महिला कार्यक्रम---गांवों में अन्वेषण कार्य आरम्भ करके ग्रामीण महिलाओं के बीच कार्य करने के लिए उपयुक्त काय प्रणाली और टेक्नीक की खोज करने और महिला कल्याण के हेतु विकास

अन्वेषणालय के कार्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से अप्रैल, १९५६ से एक महिला कार्यक्रम शाखा की स्थापना की गयी। अग्रगामी विकास परियोजना इटावा के अजितमल खण्ड में एक अग्रगामी परियोजना आरम्भ की गयी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा (उदार), और व्यवसाय की दिशा में समुन्नत रहन-सहन प्रसार (इम्प्रूव होम लिविंग एक्सटेंशन) कार्यक्रम में उपयुक्त विषय की खोज करना था। उसके अन्य उद्देश्य विस्तृत प्रसार प्रणाली और टेक्नीकों का प्रभावपूर्ण प्रसार, उपयुक्त प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम की शोध महिला प्रसार कार्यकर्त्रियों के प्रभावपूर्ण संपादन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की उपयुक्त कार्यदशाओं का अध्ययन और ग्रामीण परिवारों में महिलाओं के बीच इम्प्रूव होम लिविंग एक्सटेंशन कार्यक्रम के संपादन तथा प्रकाशन के निमित्त संगठनात्मक ढांचे की उद्भावना थे।

अग्रगामी योजना के प्रथम चरण में क्षेत्रीय कार्य चार मुख्य गांवों तक ही सीमित रहा। द्वितीय चरण में इन कारों के आस-पास के तीन-तीन गांव प्रत्येक से संबद्ध कर योजना के अन्तर्गत लाये गये। अन्ततोगत्वा यह सोचा गया था कि अजितमल परियोजना, प्रधानालय से ५ मील के क्षेत्रफल में पड़ने वाले ३२ गांव अग्रगामी परियोजना के क्षेत्र में लाये जायंगे।

सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता, चाहे वे अधीक्षण, क्षेत्रीय अथवा लघुतम किसी भी स्तर के कार्यकर्ता हों, क्षेत्रीय कार्य से सीधे संबद्ध कर दिये गये। प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपना कार्यारम्भ एक-एक परिवार के पास जाकर और एसे परिवारों को चुनकर किया, जो मोटे तौर पर सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ग्रुपों सहित गांव के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हों। प्रथम चरण में क्षेत्रीय कार्य इन्हीं चुने परिवारों तक ही सीयमत रहा। इसके बाद समूहों का निर्माण किया गया, जिनके द्वारा अंततः सामुदायिक दृष्टिकोर्ण उत्पन्न करने और प्रत्येक गांव समुदाय के साथ काम करने की आशा की जाती थीं। क्षेत्रीय कार्य के लिए इस प्रकार की क्रमिक प्रणाली के अपनाये जाने से प्रत्यक्ष कार्य और निकट पड़ोस एवं निकटस्थ गांवों में उसके विकिरण द्वारा कार्यक्रम के प्रसार का अध्ययन संभव हो सका जिससे अन्वेषण द्वारा बुनियादी गांवों में विकसित किये गये विचारों और प्रसार टेक्नीकों का अधिक शीघ्र प्रसार भी संभव हो सका।

अजितमल अग्रगामी परियोजना प्रधानालय में एक संग्रहालय था, जिसका कि समुन्नत रहन-सहन के लिए क्षेत्र प्रयोग यूनिट के रूप में कार्य करने के हेतु उपयोग किया जा सके और परियोजना के क्षेत्र कार्य के शीघ्र सम्पादन के निमित्त जिसे सामग्री सप्लाई करने का एक केंद्र बनाया जा सके। संग्रहालय की सहायिका, एक ग्रामीण महिला थी अपने घर और रसोईखाने का ऐसा रखरखाव करने की कोशिश करती थी, जो उसके गांव स्तर को देखते हुये आदर्श समझा जा सके। संग्रहालय के अन्य कर्मचारियों में संग्रहालय का इंचार्ज क्षेत्रीय सहायक, गृह प्रदर्शन परियोजना के विकास के लिए एक डिमांस्ट्रेटर (प्रदर्शक) और समुन्नत रहन-सहन कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप म अग्रगामी परियोजना गांवों में गृह उद्योग कायक्रम से संगठनार्थ दो क्षत्रीय अध्यापक थे।

होम-यूनिट चार प्रमुख गांवों में अवस्थित थे। ग्राम सेविकाओं के लिए ये रहन-सहन यूनिट के रूप में थे और ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रदर्शन यूनिट का काम देते थे। कठिनाइयों के बावजूद भी ये होम यूनिट संतोषजनक रूप से कार्य करते रहे। ग्रामीण महिलाएं ग्रुप कार्य के लिए यहां सप्ताह में एक या दो बार आने-जाने लगी थीं। पर्व, उत्सव और राष्ट्रीय समारोहों का इन यूनिटों द्वारा संगठन किया गया, जिनमें ग्रामीण महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रत्येक होम यूनिट के साथ एक सहायिका संबद्ध थी जो ग्राम सेविकाओं के लिए 'अन्डर स्टडी' का काम देती थी। वह ग्राम सेविकाओं द्वारा शुरू किये गये कार्य को आगे बढ़ाने और ग्रामीण महिलाओं तथा क्षेत्रीय कार्य-कर्त्ताओं के बीच सम्पर्क स्थापित करने का काम करती थी।

महिला कार्यक्रमों के अधीन उल्लेखनीय सफलताओं का ब्योरा इस प्रकार है—

(१) कार्यक्रम बनाने की विधियों और उपायों के संबंध में अधिक सर्वतोमुखी सहमति और विचारशीलता बरती गयी

(२) समुन्नत रहन-सहन प्रसार कार्यक्रम की अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित मदवार विषय, व्यावहारिक कार्य विधियों और प्रदर्शन टेक्नीकों का स्वरूप निर्धारण हुआ

(३) निर्धारित पद्धति पर सामुदायिक विकास कार्य के संदर्भ में अग्रगामी परियोजनान्तर्गत ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के समन्वित कार्य का स्वरूप निखारा गया

(४) संग्रहालय और होम यूनिट अग्रगामी परियोजना की कार्य यूनिटें बनीं जो अग्रगामी परियोजना के कार्यक्रम निर्धारण तथा] अनुसंधान के उपयोगी अंग सिद्ध हुईं

(५) अग्रगामी परियोजना में ग्रामीण क्षेत्रों की महिला कार्यकर्त्रियों के लिए न्यूनतम सुविधा व्यवस्था करने में संतोषजनक स्थिति प्राप्त की गयी,

(६) अग्रगामी परियोजना के क्षेत्रीय कर्मचारियों के कार्य अभिनवीकरण संबंधी विधियों के अपनाये जाने के फलस्वरूप क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ताओं का एक प्रभावकारी जत्थे का रूप देने के निमित्त आवश्यक ट्रेनिंग का स्वरूप निर्धारित किया गया।

ग्राम्य जीवन विश्लेषण शाखा—अगस्त, १९५८ में ग्राम्य जीवन विश्लेषण शाखा ने खरीफ अभियान के परिणामों के मूल्यांकन का कार्य आरम्भ किया। इसकी रिपोर्ट बड़ी उपयोगी पायी गयी और विभिन्न विकास विभागों में प्रसारित की जा रही थी। १९५८–५९ में रबी अभियान के मूल्यांकन का कार्य भी आरम्भ किया गया।

कृषि कार्यों में प्राविधिक सुधार, पूंजी, लागत, फसल कटाई और उपयोग पर चकबन्दी का कैसा प्रभाव पड़ा है इसका ज्ञान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में चकबन्दी पर प्रभाव विषयक अध्ययन की योजना का आलेख्य तैयार किया गया। चकबन्दी-पूर्व काल के आंकड़े संकलित किये गये। अध्ययन हेतु चुने गये गांवों में चकबन्दी का कार्य पूरा होने तक आगे आंकड़े संकलित करने का काम स्थगित कर दिया गया।

परिवार योजनाओं द्वारा कृषि विस्तार अध्ययन हेतु पूर्वगामी वर्ष में तैयार किये गये प्रोफार्मों को २० प्रगतिशील किसानों में बांटा गया ताकि किसानों की उनको उपयोग करने संबंधी योग्यता की परीक्षा हो सके। किसानों द्वारा भरे गये फार्मों का विश्लेषण किया गया। प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रोफार्मा का संशोधन करके उसे अपेक्षाकृत आसान और छोटा किया गया।

'सफाई और स्वास्थ्य शिक्षा मल्यांकन' की समन्वित परियोजना के संबंध में ग्रामीण जीवन विश्लेषण शाखा की ग्रामीण स्वास्थ्य शाखा के कमचारियों द्वारा संकलित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और दिसम्बर के महीने में आयोजित स्वास्थ्य शिक्षा सम्मेलन के उपयोग के लिए एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की गयी। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य शिक्षा कक्षाओं संबंधी मौजदा अध्ययन टिप्पणियों का संक्षेप भी तैयार किया गया।

महिला कार्यक्रम शाखा ने महिला कार्यक्रमों संबंधी अग्रगामी परियोजना अध्ययन की योजना तैयार करने में भाग लिया। इसकी अध्ययन योजना प्रश्नावलियां और प्रोफार्मा तैयार किये गये।

सन् १९५६–५७ और १९५७–५८ में उद्योगशाखा में स्थापित दानेदार चीनी यूनिटों का अध्ययन किया गया ताकि जनता में इसका प्रचार होने के बाद ऐसी यूनिटों की समस्याओं और भविष्य की जानकारी प्राप्त की जा सके। पुरानी यूनिटों की कार्यप्रणाली पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की गयी।

आंकड़ा शाखा—एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक आयोग ने इस संस्था को 'कृषि के विशेष संदर्भ में आर्थिक विकास में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का महत्व' पर अध्ययन करने का कार्य सौंपा। आलोच्य वर्ष में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और कार्यक्रमानुसार उसे एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वर्ष में सं०रा०सं० आ०आ० ए० स० पू० की ओर से 'राष्ट्रीय आर्थिक विकास में सामुदायिक विकास योग' पर पूरक अध्ययन करने का काम मिला।

उपर्युक्त अध्ययनों के अतिरिक्त विचाराधीन वर्ष में कई प्रकार के अध्ययन किये गये और रिपोर्ट तैयार की गयीं जिममें ये मुख्य थीं—

(१) उत्तर प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की कार्य प्रणाली
(२) बख्शी का तालाब के कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की तीन वर्षीय कार्य प्रणाली
(३) उत्तर प्रदेश में मुर्ग पालन का विकास
(४) समुन्नत कृषि औजार
(५) उत्तर प्रदेश में ग्राम सेवक (उनका महत्व कार्य भार और पारस्परिक संबंध),
(६) १९५७–५८ तथा १९५८–५९ की रबी के दौरान में इटावा अग्रगामी विकास परियोजना में कृषि नमूना सर्वेक्षण

विकास पाठ्यक्रम पुस्तिका को अद्यतन रूप दिया गया और ग्रुप तथा जिला स्तर कार्यकर्त्ताओं की डायरी की पांडुलिपि तैयार की गयी।

सूचना प्रकाशन तथा दृश्य-श्रव्य शाखा—सूचना तथा प्रकाशन शाखा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को संस्था के विभिन्न कार्यों से विज्ञ रखना तथा राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषकर जिला खण्ड योजना के निर्माण और संशोधन के संबंध में उन्हें जानकारी कराना था।

संस्था द्वारा आरम्भ किये गये कार्यों के संबंध में वर्ष में कई प्रकाशन किये गये और 'नवयुवक' पाक्षिक पत्रिका बराबर प्रकाशित होती रही।

जहां तक दृश्य श्रव्यशाखा का संबंध था ग्रामीण ब्राडकास्टिंग संबंधी कार्यक्रमों में प्रगति हुई। खंडों में कई ग्राम्य और विकास गीतों का संग्रह किया गया और संस्था के स्टुडियो में उनके ग्रामोफोन रेकार्ड तैयार किये गये। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं और कार्यक्रमों को चित्रित करने वाली अनेक छबियां तैयार की गयीं। स्वास्थ्य विषयक फिल्म स्लाइडों के ६ सेट और प्रसार शाखा के लिए दो सेट फोटोग्राफी शाखा द्वारा तैयार किये गये। इस शाखा ने संस्था के ग्रामोद्योग कार्यक्रमों संबंधी छोटी-छोटी फिल्में भी तैयार कीं।

कला शाखा ने संस्था के प्रकाशनों और पोस्टर आदि की तैयारी से संबंधित कार्य किया। वर्ष में संस्था द्वारा एक संग्रहालय का संगठन किया गया जिसमें संस्था के विभिन्न कार्यों के संबंध में संकेत था।

अग्रगामी परियोजनाओं क्षेत्रों में चलचित्र प्रदर्शन किये गये और महत्वपूर्ण विकास प्रदर्शिनियो में प्रदर्शन स्टाल लगाये गये।

पुस्तकालय—संस्था का पुस्तकालय पूर्ववत् कार्य करता रहा। इसकी सदस्य संख्या आलोच्य वर्ष में १,०४५ तक बढ़ गयी। औसतन प्रतिमास ९५० पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए और लगभग १०० किताबें संदर्भ हेतु ईश्यू की जाती रहीं।

ग्रामस्तर कार्यकर्त्ता सचल पुस्तकालय सेवा का राज्य के ४६ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों और २४ प्रशिक्षक केंद्रों में विस्तार किया गया।

पुस्तकालय की एक अद्यतन सूची दो स्तम्भों में प्रकाशित की गयी। एक मासिक न्यूज लेटर जिसमें हाल की आयी हुई पुस्तकों की समीक्षा लाइब्रेरी में आने वाली पत्र-पत्रिकाओं के चुने हुये लेख होते थे और महीने में नयी पुस्तकों की सूची होती थी, बराबर प्रकाशित होता रहा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना शाखा १९५८–५९ के लिए जिला और खंड योजनाओं के वार्षिक संशोधन कार्य में तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खण्डों को खोलने में प्राथमिकता निर्धारण संबंधी आवश्यक सूचना संकलन करने में व्यस्त रही।

केंद्रीय जोन परिषद् के जन-बल संबंधी अध्ययन की आलोच्य वर्ष में और आरम्भ १९५९–६० तथा १९६०–६१ के खरीफ अभियान के लक्ष्य निर्धारित करने और राज्य के खरीफ और रबी अभियानों के सामान्य मूल्यांकन कार्य में भी शाखा ने भाग लिया।

———

अध्याय ३

उत्पादन और वितरण

(४) कृषि

सामान्य—मौसम में मानसून देर से आरम्भ हुआ। वर्षा सामान्य से अधिक रही। यह फसल के लिए विशेषकर अगहनी धान के लिए लाभदायक रही। अनेक जिलों में अत्यधिक वर्षा के साथ-साथ बाढ़ भी आयीं जिससे मक्का, बाजरा और कपास की फसलों के उत्पादन में कमी हुई। अक्तूबर के प्रथम पखवाड़े में भारी वर्षा और बाढ़ के फ़लस्वरूप अनेक जिलों में रबी की बोआई भी पिछड़ कर हुई।

फसलों का क्षेत्र और पैदावार—(१) गन्ना—गन्ना सन् १९५८–५९ के वर्ष में २७,४६,९११ एकड़ बोया गया। गुड़ के रूप में कुल उत्पादन ३०,७६,४०० टन रहा। इस प्रकार इसमें ०.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(२) धान—धान का क्षेत्र इस वर्ष १,०२,०६,११५ एकड़ था और उपज इस वर्ष २९,८४,४५० टन हुई।

(३) ज्वार—प्रश्नोच्य वर्ष में २२,५९,६१७ एकड़ ज्वार बोया गया और इसका कुल उत्पादन ६,२४,४४२ टन रहा।

(४) बाजरा—बाजरा के अन्तर्गत इस वर्ष २६,६६,५१७ एकड़ का क्षेत्र था और इसकी कुल उपज ५,५४,४४२ टन रही।

(५) मक्का—सन् १९५८–५९ के वर्ष में मक्का का क्षेत्र २७,०१,५०१ एकड़ था और इसका कुल उत्पादन ६,११,२५५ टन था।

(६) कपास—इस वर्ष कुल १,९७,१५५ एकड़ क्षेत्र में कपास बोया गया और इसका वास्तविक उत्पादन ३४,०२२ गांठ का था जबकि प्रति गांठ ३९२ पौंड की थी।

(७) रबी की फसल—जहां तक इस वर्ष रबी की फसल का संबंध था, गेहूं, जौ और चना क्रमशः ९५,६४,०९१ एकड़, ४५,९१,३८७ और ६७,२६,४९४एकड़ में बोया गया।

अधिक अन्न उपजाओ अभियान—पूर्वगामी वर्षों की भांति इस वर्ष भी अधिक अन्न उपजाओ अभियान को प्राथमिकता दी गयी। इस वर्ष उन्नत प्रकार के अनेक कृषि उपकरण किसानों को बेचे गये। बंधियां बनाने, जंगल साफ करने, नालियों का निर्माण करने आदि कार्यों के लिए ब्याज रहित ऋण दिये गये। बैल एवं कृषि उपकरणों के खरीदने और अनेक पक्के कुय बनाने के लिए किसनों को ब्याज सहित तकावी दिया गया।

खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के हेतु किसानों में रबी और खरीफ के बीजों के अतिरिक्त काफी बड़ी मात्रा में उर्वरक एवं खाद का वितरण किया गया। इसका विवरण इस प्रकार है—

(१) बीज—		मन (लगभग)
	(क) खाद्यान्नों के उन्नत बीज (दाल सहित)	४०,९८,९४०
	(ख) जूट के उन्नत बीज	१,८२०
	(ग) कपास के उन्नत बीज	१३,९४०
	(घ) तेलहन के उन्नत बीज	२,९००
(२) उर्वरक—		टन
	(क) नगर कम्पोस्ट	४,६०,०००
	(ख) अमोनियम सल्फेट	८९,९८३ २३

(२) उर्वरक—

	टन
(ग) यूरिया	५,०२३.२३
(घ) अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	२,२३२.३३
(ङ) सुपर फास्फेट	११,६६६.६६
(च) हड्डी की खाद	२,५७६.३६
(छ) खली	४,१८०.५०
(ज) रक्त खाद	११६.८०
(झ) छिछड़ा (मांस की खाद)	७.५६
(ञ) अन्य उर्वरक	४१७.०४

फसल प्रतियोगिता—अपनी भूमि से अधिक से अधिक मात्रा में खाद्यान्न पैदा करने के लिए किसानों को उत्साहित करने के हेतु राज्य, क्षेत्र, जिला, तहसील और पंचायती अदालत के स्तर पर गेहूं, धान, मक्का, बाजरा और आलू जैसी महत्वपूर्ण फसलों में फसल प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं।

सन् १६५८–५६ के वर्ष में फसल प्रतियोगिताओं में कुल ५५,५५१ लोगों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के अन्तर्गत कुल १८.५१७ लाख एकड़ भूमि थी। वर्ष के अन्त में प्रतियोगिता फल को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुए राजस्थान की मरुभूमि को रोकने के लिए मथुरा आगरा और अलीगढ़ के जिलों में २८० एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया।

कृषि विकास और प्रसार सेवाएं—राज्य में खाद्य और कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करने की दिशा में कृषि विकास और प्रसार सेवाएं कार्य करती रहीं। इन उपायों में कृषि भूमि का विस्तार, अच्छे बीजों एवं समुन्नत कृषि प्रणालियों का अपनाना, फल एवं साग-सब्जी के क्षेत्र का विस्तार करना, उत्पादन में वृद्धि करना आर्गेनिग तथा हरी खादों और कम्पोस्ट का उपयोग करना, उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग करना और कीड़ों एवं रोगों से फसलों को होने वाली क्षति को रोकने का प्रयत्न करना शामिल था। अनुसंधान के महत्वपूर्ण परिणामों को किसानों के खेतों पर प्रदर्शन किया गया।

राजकीय फार्म—कृषि विभाग के अन्तर्गत शैक्षिक, अनुसंधान, प्रदर्शन और बीज बढ़ोत्तरी के फार्म थ। शैक्षिक फार्मों में विद्यार्थियों को अपने प्रयत्नों से फसल पैदा करने के लिए, जिससे कि वे वैज्ञानिक कृषि के टेक्नीक को सीख सकें, खेत दिये गये। प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल एक एकड़ के दसवें भाग के बराबर था। अनुसंधान फार्मों का उपयोग उन्नत किस्म के बीजों और कृषि की समुन्नत प्रणालियों के संबंध में प्रयोग करने के लिए किया जाता रहा।

बीज और प्रदर्शन फार्मों का उपयोग अनुसंधान फार्मों में तैयार किये गये उन्नत किस्म के बीजों को पैदा करने में किया जाता था।

जहां तक बीज फार्मों की स्थापना का प्रश्न था, सन् १६५८–५६ के वर्ष के लिए २५–२५ एकड़ के २५४ यूनिटों का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को १५४ वर्तमान फार्म यूनिटों का सुधार कर और ७३ नये यूनिटों की स्थापना कर पूरा किया जाना था। यह लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया। मार्च १६५६ तक जितने फार्म यूनिट बन कर तैयार हो गये थे उनका विवरण नीचे निम्नलिखित है—

	१६५६–५७	१६५७–५८	१६५८–५६	योग
(१) सुधार किये गये वर्तमान यूनिट	४०	२५५	१५४	४४६
(२) खोले गये नये फार्म यूनिट	७०	८५	७३	२२८

उन्नत बीज गोदाम—सन १६५७ के अन्त में कृषि और सहकारी विभागों के बीज गोदामों की संख्या क्रमशः ५१६ और १,२१० थी। इनके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में कृषि एवं सहकारी

विभाग के अन्तर्गत क्रमशः ३६१ और ८५ बीज गोदाम खोले गये। सन् १९५८–५९ के वर्ष में बीज का वितरण निम्न प्रकार से हुआ—

सन् १९५८–५९ के लिए निर्धारित लक्ष्य	मात्रा		योग
	कृषि विभाग	सहकारी विभाग	
४५,१९,६०० मन	१४,९८,२८७ मन	२६,००,५५३ मन	४०,९८,९४० मन (लगभग)

जापानी पद्धति से धान की खेती—गत वर्ष की सफलता को देखते हुए इस वर्ष भी धान की खेती के लिए जापानी पद्धति अपनाने के हेतु एक अभियान चलाया गया। सन् १९५८–५९ में जापानी पद्धति से ६,७६,११३ एकड़ पर धान की रोपाई हुई।

उत्तर प्रदेशीय पद्धति से गेहूं की खेती—सन् १९५८–५९ के वर्ष में राज्य के सभी गेहूं वाले जिलों में उत्तर प्रदेश पद्धति से गेहूं की खेती करने का अभियान चलाया गया। स पद्धति से कुल १८,७४,२७३ एकड़ भूमि पर खेती की गयी।

जूट विकास योजना—राज्य में जूट उत्पादन का लक्ष्य, जूट निरीक्षा समिति द्वारा संशोधन कर १ लाख २५ हजार गांठ कर दिया गया। इसकी तुलना में अनुमानित उत्पादत १ लाख ४२ हजार गांठ का हुआ।

कपास—कपास के सम्बन्ध में सन् १९५८–५९ का उत्पादन लक्ष्य ९० हजार गांठों का था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक लाख ८० हजार एकड़ भूमि पर ३५/१, अमरीकी कपास २१६ एफ और ३२० एफ की उन्नत किस्मों तथा देशी किस्में बोई गयीं। इस वर्ष के कपास के उत्पादन का अनुमान ३,२०० गांठ का था। इस कमी का मुख्य कारण पिछड़ कर होने वाली भारी और लगातार वर्षा थी जिसके फलस्वरूप फसल को काफी क्षति पहुंची और ७५ प्रतिशत ढेंढ़ी बह गयी।

बागबानी विकास योजना—उद्यान विकास योजना के अन्तर्गत नये उद्यानों के क्षेत्र बढ़ाये जाने के प्रयत्न किये जाते रहे। यह योजना सर्व प्रथम सन् १९४७ में आरम्भ की गयी, और अब यह राज्य के सभी जिलों में लागू है।

इस योजना के सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार कार्य किया गया और कृषिकों को खाका तैयार करने व खाद आदि के सम्बन्ध में प्राविधिक परामर्श दिया गया। उद्यान लगाने वालों को असली पौधों की सप्लाई का प्रबन्ध किया गया। इन पौधों के पैंकिंग व ढुलाई का खर्चा नहीं लिया गया। आलोच्य वर्ष में १७,१२७.४३ एकड़ भूमि पर नये उद्यान लगा गये।

केन्द्रीय पौधघर—राज्य में ६ केन्द्रीय पौधघर थे। यह राजकीय उद्यानों के अधीक्षकों के मुख्यालयों में स्थित थे। जनता को रियायती दरों पर सप्लाई करने के उद्देश्य से असली पौधे व बीज तैयार करने का कार्य यह करते रहे। आलोच्य वर्ष में २,८९,२६० पौधे तैयार किये गये और १,२७१ मन सब्जियों के बीज पैदा किये गये। कुछ स्थानों पर बाढ़ के कारण पौधघरों को काफी क्षति उठानी पड़ी।

लाख विकास—लाख विकास कार्य योजना के अन्तर्गत वाराणसी, मिर्जापुर, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी के जिलों में लाख के चार फार्म थे। इन सभी फार्मों में समय से ही छटनी व रोग निरोधक कार्यवाई की गयी। २२ मन २० सेर लाख का उत्पादन हुआ।

लाख पैदा करने की समुन्नत प्रणाली को प्रगाढ़ बनाने की योजना के अन्तर्गत मिर्जापुर, वाराणसी, लखनऊ और सीतापुर के जिलों में लाख पैदा करने के उमुन्नत प्रणालियों का व्यापक रूप से प्रदर्शन किया गया। मिर्जापुर का लाख का फार्म भी इस योजना के अन्तर्गत चलाया गया।

पौध सुरक्षा—पौध सुरक्षा सेवा ने ६५,९४४ एकड़ के क्षेत्र में ७१,४३१ वृक्षों और ८,१४० पौधघरों पर नियंत्रण कार्रवाई की और १,०५२ गोदामों को कीटाणु-मुक्त किया। इसके अतिरिक्त १२,९८८ मन खाद्यान्न, दालों व आलू के बीजों को भी कीटाणु मुक्त किया गया।

उत्तर प्रदेश-राजस्थान सीमा पर वन रोपण—राजस्थान के मरुभूमि को उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने से रोकने के मुख्य उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर वृक्षारोपण के कार्य में और प्रगति हुई। ३१ अक्तूबर, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के जिलों में २८० एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। आगरा के फतेहाबाद और सैरगढ़ तहसीलों में ३७ और ५१ एकड़ के पूरे-पूरे दो खण्डों में वृक्षारोपण किया गया। मथुरा जिले के छाता तहसील में २५ और ३० एकड़ क दो एकमुश्त खण्डों में वृक्षारोपण किया गया। इसी प्रकार अलीगढ़ जिले में १३७ एकड़ भूमि पर नया वृक्षारोपण किया गया।

पहले के २,०६९ एकड़ भूमि पर किया गया वृक्षारोपण का रखरखाव संतोषजनक रूप से किया जाता रहा।

ऊसर की तोड़ और भू-संरक्षण—धकुनी फार्म में ऊसर को केवल पानी से तर कर ऊसर तोड़ने का प्रयोग जारी रहा। सनई की हरी खाद देने के बाद प्रत्येक खेत में गेहूं बोया गया। कटियार में जिप्सम और पानी से तर करने की प्रणाली द्वारा ऊसर तोड़ने का प्रयोग जारी रहा। इसी प्रकार रहीमाबाद में जिप्सम, धान की भूसी और पानी से तर करने की प्रणाली द्वारा ऊसर तोड़ने का प्रयोग जारी रहा। रहीमाबाद में फार्म कुछ मोटे व अच्छे किस्म की अगहनी धान की ऊसर की दशाओं में परीक्षण जारी रहा।

सन् १९५८–५९ के वर्ष में कुल उत्पादन और विगत दो वर्षों का (कृषि वर्ग) उत्पादन यहां दिया जा रहा है—

वर्ष	उत्पादन (मन में)				सन् १९५६–५७ की तुलना में १९५८–५९ के उत्पादन का प्रतिशत
	खरीफ (खाद्यान्न)	रबी (खाद्यान्न)	गन्ना	योग	
१९५६–५७	११,५६२	९,५५९	१५२	२१,२७३	..
१९५७–५८	८,६६६	९,५७८	६३	१८,३०७	..
१९५८–५९	८,२९१	१४,३७८	..	२२,६६९	१०६.५६

कृषि शिक्षा—पहले की भांति कानपुर का राजकीय कृषि विद्यालय उत्तर प्रदेश के बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजूकेशन की इंटर (कृषि) परीक्षा के लिए और आगरा विश्वविद्यालय की बी० एस-सी० (कृषि), एम० एस-सी० (कृषि) तथा पी-एच० डी० की डिग्रियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करता रहा। भूमि प्रबन्ध में विद्यार्थियों का मार्ग निर्देशन करके और उनमें कृषि विषयक रुचि उत्पन्न करके यह विद्यालय योग्य कृषि स्नातक तैयार करने का अपना प्रयास जारी रखे रहा।

जुलाई, १९५८ में विद्यालय में कुल ६११ छात्र थे।

कृषि, सहकारिता और गन्ना विकास विभाग तथा अन्य विकास विभागों में कर्मचारियों की मांग की पूर्ति के हेतु बुलन्दशहर, चिरगांव (झांसी) और गोरखपुर के कृषि स्कूल आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार, कृषि सहकारिता तथा एतत्संबंधी विषयों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते रहे। दो वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर तथा सब्जियों के बगीचे, उद्योगों, फूलों के बगीचे आदि के रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रशिक्षण भी सम्मिलित था। साथ ही उसमें दुग्धशाला के सम्बन्ध में व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा पशु-पालन (पशु चिकित्सा विज्ञान सहित) की शिक्षा भी सम्मिलित थी। इन सभी विषयों के अतिरिक्त पंचायत, गांवों की सफाई, जन-स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा, ग्राम्य उद्योग और प्रसार तथा विकास कार्य संबंधी विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी।

जुलाई, १९५८ में इन तीनों स्कूलों में कुल ४२७ विद्यार्थी थे।

कृषि अनुसंधान—सन् १९५८–५९ के वर्ष में एक बाढ़-अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसलों की किस्म तथा फसलों के हेर-फेर के तरीके आदि का पता लगाना था। अनुसंधान के महत्वपूर्ण परिणामों का किसानों के खेतों

पर प्रदर्शन किया गया जिससे कि वे अपने खेतों के लिए उपयुक्त तरीकों को अपना सकें। अन्य अनुसंधान केन्द्र भी आलोच्य वर्ष में संतोषजनक रूप से कार्य करते रहे। उनके कार्य कलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

१—गन्ना—गन्ना के अधिकांश क्षेत्र में को० ४२१, को० शा० ३२१, को० शा० २४५, को० ५२७ और को० शा० ५१० की किस्मों का प्रयोग किया गया। *काफी अधिक उत्पादन तथा बीच मौसम में बोयी जाने वाली किस्म के रूप में को० शा० ५२४ को उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में आम बोआई के लिए दिया गया। केन्द्रीय क्षेत्र की बीच मौसम से कुछ पहले बोयी जाने वाली किस्म को० शा० ५६० को मध्य-पूर्वी क्षेत्र में बोने के लिए स्वीकृति किया गया। पूर्वी और मध्य पूर्वी क्षेत्रों के लिए बी० ओ० १७ किस्म दिया गया। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बोआयी के लिए स्वीकृत सूची पर को० शा० ३२१, को० शा० २४५, को० शा० ५१५, को० ४२१ और को० ४५३ की किस्में थीं। देहरादून जिले के लिए को० ५२६ की किस्म दी गयी। 'तराई' क्षेत्र और 'खादर' क्षेत्र के लिए भी को० ३५६ की किस्म की सिफारिश की गयी।

एक बार 'इंटर कलचर' के समय और फिर एक बार 'अथिग कप' के समय प्रति एकड़ ३ पोण्ड ऐसिड इक्वलेंट वाले २.४. डी एमाइन साल्ट का भूमि पर प्रयोग से गन्ने के रस में मिठास (सक्रोज) के प्रतिशत में ०.२ से ०.७ यूनिट तक की वृद्धि होती है पर इससे गन्ने का उत्पादन घट जाता है।

अंखुआने (अंकुर निकलने) के बाद गन्ने की कतारों के बीच कूड़े करकट की एक तह देने से गन्ने की खेती की सामान्य प्रणाली, जिसमें कई बार गोड़ाई करनी पड़ती है, की तुलना में अधिक पैदावार होती है।

सिंचाई की कम सुविधा की स्थिति में सबसे अधिक उत्पादन को० शा० ५१० द्वारा और न्यूनतम उत्पादन को० शा० ४१६ द्वारा हुआ। को० ४५२ और को० शा० ५१० दोनों ही किस्में समान रूप से शुष्कता-सहिष्णु थीं और को० शा० ४१७ पर सूखे का बहुत जल्द प्रभाव पड़ता है।

बोने के पहले गन्ने के बीज को अरेटन गामा के घोल में डाल देने से देर से बुआई की स्थिति में अधिक लाभ पहुंचता है। लिंडेन किस्म के गामा की एच सी द्रव का एक पौण्ड मिट्टी में देने से गर्मी के मौसम में 'शूट बोरर' पर पूरा-पूरा नियंत्रण हो जाता है। साथ ही गन्ने की बीजों और अंखुओं को टरमाइट कीड़े द्वारा हानि से बचाया जा सकता है। कीटाणुनाशक दवा की लागत ४५ रु० प्रति एकड़ पड़ती है। यह भी पता लगा कि इंटरनोडल बोरर कीड़े के निराकरण के लिए ०.०५ प्रतिशत के के एण्ड्रीन का घोल अधिक लाभकर है।

पूर्वगामी वर्ष की भांति गन्ने का अधिकतम उत्पादन वहां पाया गया जहां सनई की हरी खाद बोते समय ४० पौंड प्रतिशत एकड़ के हिसाब से धान की भूसी दी गयी थी।

उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में ३३ विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों और १० एकड़ के खण्डों में केन्द्रेतर अनुसंधान कार्य किये गये। साल भर में किये गये प्रयोगों की संख्या ९६ थी। गन्ने की नयी किस्मों में से को० शा० ५१० से सबसे अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ। ९ चीनी मिलों में पेराई संबंधी ५२ परीक्षण किये गये। पश्चिमी क्षेत्र में १६ केन्द्रों पर ५२ क्षेत्रीय प्रयोग संबंधी खेत बोये गये। बीज और पेड़ी दोनों की दृष्टि से नयी किस्मों में को० ६५१ अधिक आशाजनक सिद्ध हुई। पूर्वी क्षेत्र के ३३ केन्द्रों में ६२ प्रयोग संबंधी खेत बोये गये। आलोच्य वर्ष में पेराई संबंधी १२५ परीक्षण किये गये। प्रसारित किस्मों में को० शा० ४४३ और को० ६१७ अधिकांश केन्द्रों में संतोषजनक सिद्ध हुई।

२—कृषि रासायन—(क) भूमि सर्वेक्षण—(१) पश्चिमी क्षेत्र, अलीगढ़—आगरा जिले में भूमि सर्वेक्षण और भूमि परीक्षण का कार्य पूरा किया। बुलन्दशहर जिले के खुर्जा और सिकन्दर राव तहसीलों के सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ किया गया

---

*को० शा० अर्थात् कोयम्बटूर से लाकर शाहजहांपुर में जांचे गये गन्ने की किस्म जो उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। को० अर्थात् सीधे कोयम्बटूर में बोयी गयी गन्ने की किस्म।

(२) केन्द्रीय क्षेत्र, कानपुर—लखनऊ जिले में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा किये जाने के पश्चात् रायबरेली जिले के डलमऊ तहसील में कार्य प्रारम्भ किया गया

(३) पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी—इस क्षेत्र में इस कार्य के लिए इलाहाबाद जिले को लिया गया और आलोच्य वर्ष में मेजा तथा करछना तहसीलों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया। फूलपुर और हंडिया तहसीलों में यह कार्य चल रहा था

(४) बुन्देलखंड क्षेत्र, झांसी—हमीरपुर जिले में भूमि संबंधी अध्ययन कार्य जारी रहे

(५) उत्तरी और तराई क्षेत्र—तराई क्षेत्र में पीलीभीत जिले के पूरनपुर तहसील में कार्य आरम्भ किया गया। जिले के शेष भागों में भी यह कार्य किया जा रहा था।

(ख) क्षेत्रीय कार्य—पूर्व की भांति उन सभी जिलों में जहां भूमि सर्वेक्षण कार्य चल रहे थे, भूमि पर नाइट्रोजन और फास्फेट वाली रासायनिक खाद डाल कर किसानों के खेतों पर साधारण खाद संबंधी परीक्षण किये गये। इसके परिणामस्वरूप पुनः यह ज्ञात हुआ कि यद्यपि इन सभी जिलों की भूमि को नाइट्रोजन की आवश्यकता है तथापि जब फास्फेट वाली खाद पौधों के जड़ों के पास डाली गयी तो जितनी वृद्धि अधिकतम नाइट्रोजन देने से हुई उससे भी यथेष्ट अधिक उत्पादन इस प्रकार फास्फेट देने से हुआ। केवल नाइट्रोजन डालने से खाद्योत्पादन में कुल मिला कर औसत ६ से ४४ प्रतिशत तक वृद्धि हुई और फास्फेट डालने से नाइट्रोजन की अपेक्षा २८ से ६६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। सुपर फास्फेट के रूप में फास्फोरिक एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से अमोनियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण पाया गया। यह भी देखा गया कि फास्फेट के उर्वरक अपने पीछे भूमि में काफी मात्रा में बचत छोड़ जाते हैं जिनका उपयोग अगली फसलों में किया जा सकता है।

किसानों के खेतों पर नाइट्रोजन, फास्फेरिक एसिड और पोटाश डाल कर किये गये साधारण प्रयोगों की शृंखला द्वारा यह ज्ञात हुआ कि केवल पश्चिमी क्षेत्र को छोड़ कर, जहां नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड की अपेक्षा पोटाश के प्रयोग द्वारा गेहूं के उत्पादन में लगभग १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई, पोटाश के प्रयोग का कोई सक्रिय प्रभाव नहीं पड़ता।

किसानों के खेतों पर प्रयोगों द्वारा जो परिणाम प्राप्त हुए उनकी पुष्टि राज्य की विभिन्न प्रकार की भूमि और जलवायु में स्थापित राजकीय फार्मों में किये गये खाद सम्बन्धी प्रयोगों के परिणामों से होगी।

३—तेलहन केसलवां (बदायूं) और अन्य केन्द्रों में किये गये किस्म संबंधी प्रयोगों में देर से फैलने वाली किस्मों में २८, ई० सी० १०८१, टी० एम० बी०१, ५–४ और २७ की किस्में तथा जल्दी गुच्छे लगने वाली किस्मों में आर० बी० १, टी० एम० वी २, ए० के० १२–१४, ई० सी० १७०४ और धारवाड़ –२ की किस्मों ने अत्यधिक आशाजनक उत्पादन दिये। तेलहनों के अधिक आशापूर्ण किस्मों के सम्बन्ध में उनके बीजों के आकार, उनमें खली और तेल के अनुपात के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा था।

तिल के सम्बन्ध में कल्यानपुर तथा अन्य क्षेत्रों में जो प्रयोग किये गये उनसे यह पता चला कि टी० १० किस्म की अपेक्षा ४/२–४/६,/२०–४, ५२०१, आई० सी० सी० ए० और ५७०१ (कानपुर स्थानीय) की किस्में अच्छी उपज देती हैं। सन् १९५८–५९ में तिल की उत्तम किस्मों को छांटने के हेतु एफ० २ जाति के तिल के एक बड़े अंश का अध्ययन किया जा रहा था।

कानपुर और राजकीय तराई फार्म, फूलबाग (नैनीताल) में रेंड़ की किस्म संबंधी प्रयोगों से पुनः यह पता चला कि रेंड़ की टी० ३ किस्म और स्थानीय तराई किस्म सबसे अधिक उत्पादन देती हैं। टी० ३ किस्म से और अधिक अच्छी किस्म के चुनाव के लिए लगभग २०० किस्मों की परीक्षा की जा रही थी।

गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद, बहराइच और मेरठ में किये गये जांच के प्रयोगों के आधार पर राज्य के कछार वाली भूमि में वितरण के लिए अलसी की टी० १२६ की किस्म को अन्तिम रूप चुना गया। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किये गये किस्म संबंधी प्रयोगों में बुन्देलखण्ड की स्थानीय किस्म की अपेक्षा एच० ६०३–२, एच० ३९७ और ए० ६२१–१ की किस्मों ने अधिक आशाजनक उत्पादन दिये। कानपुर और बेलाताल (बुंदेलखण्ड) में मण्डूर (रस्ट) और मुरझाना (विल्ट) रोगों से प्रभावित न

होने वाली अलसी की किस्मों के चुनाव के लिए अलसी के बहुताय किस्मों का अध्ययन किया जा रहा था।

पीली सरसों संबंधी प्रयोगों में देर में होने वाली किस्मों में टी० ४११५/२, टी० १५१, टी० १० और टी० १ की किस्में सर्वोत्तम पायी गयीं। जल्दी तैयार होने वाली टी० ४२ की किस्म गोरखपुर क्षेत्र के लिए सर्वोपयुक्त पायी गयी।

राई सम्बन्धी प्रयोगों में जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में ई० टी० ११ और एल० १६/३ की किस्मों ने तथा देर से तैयार होने वाली किस्मों में लाहा १०१ और राई ६२ की किस्मों ने सबसे अधिक उत्पादन दिया। अधिक उपज देने वाली और रोग निरोधी किस्में चुनने के लिए लहिया, टोरिया और भूरी सरसों की और बी० चीनेसिस की संकरित किस्मों से उत्पन्न किये गये एफ० ३ के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा था।

४—दाले अरहर के सम्बन्ध में कानपुर में देर से फैलने वाली और देर से खड़ी होने वाली किस्मों में किस्म १०५ सर्वोत्तम पायी गयी। एफ० २, एफ० ३ और एफ० ४ के तथा टी० १/टी० १६० के संकरण से उत्पन्न किये गये किस्मों में चुनाव किया गया।

जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में किस्म संबंधी किये गये प्रयोगों के अनुसार कानपुर में ६—१०/८ की किस्म सब से अधिक उत्पादन देने वाली सिद्ध हुई। एफ० २ और टी० ६ की १०६ के संकरण से उत्पन्न किस्मों में चुनाव किये गये। अतर्रा में देर से तैयार होने वाली हर दानों वाली किस्मों में ए—१ किस्म उत्तम सिद्ध हुई। मूंग की ४० किस्मों में किस्म संबधी किये गये प्रयोगों द्वारा यह पता चला कि संकरित किस्में ३६—१/३, ३२—२/४ और ४४—१/४ जो कि किस्म १ के समान जल्दी तैयार होने वाली थीं और जिनके दाने बड़े होते थे, किस्म १ से अधिक उत्पादन देती थी। ६ किस्मों में किये गये किस्म संबंधी प्रयोगों से यह पता चला कि किस्म १ की अपेक्षा किस्म ६/११ ने वाराणसी और कानपुर में अधिक उत्पादन दिया।

सोयाबीन की देर से तैयार होने वाली किस्मों में किये गये किस्म सम्बन्धी प्रयोगों के अनुसार यह पता चला कि किस्म टी० ४६ की अपेक्षा किस्म टी० ५४०१ अधिक उत्पादन देने वाली है।

लोबिया की देर से तैयार होने वाली किस्मों में जहां तक बीज की मात्रा और चारे की मात्रा के उत्पादन का सम्बन्ध है, 'रूसी दैत्य' और किस्म २ अन्य सभी किस्मों से ऊंची सिद्ध हुई। लोबिया की जल्दी तैयार होने वाली ६ किस्मों के संबंध में जो प्रयोग किये गये उनसे यह पता चला कि किस्म ५२६६ तथा अन्य किस्मों की अपेक्षा टी० १ ५२८२ का संकरण संकरित जाति संख्या २०/७—२५ और टी० १ से अधिक उत्पादन होता है।

चना के किस्म सम्बन्धी प्रयोगों में कानपुर में किस्म ८७८ टी० १ और अन्य किस्मों की अपेक्षा २५६—८, २५६—१६, २५२—१६७ और ४६१—१५ की किस्में अधिक उत्तम सिद्ध हुईं। ३० किस्तों के प्रारम्भिक प्रयोगों के परिणाम से यह पता चला की टी० १ और टी० ८७ की अपेक्षा संकरित जाति की चुनी हुई ६०५—१५, ७४२—१, ७१०—२, १७७—११, ७४२—७ और ६६०—११ की किस्में अधिक उत्पादन देती हैं। खाने की मटर की संकरित जाति की २० आशाजनक किस्मों की किस्म संबंधी प्रयोगों के अनुसार टी० १०, एन० पी० २६ और अन्य किस्मों की अपेक्षा किस्म २५६—२, जहां तक फलियों का सम्बन्ध है, अधिक उत्पादन देने वाली सिद्ध हुई जब कि बीज का अधिक उत्पादन किस्म टी० ३८४—१ से प्राप्त हुआ।

मसूर की ३० किस्मों की प्रारम्भिक जांच से यह ज्ञात हुआ कि किस्म टी० ३६ तथा अन्य किस्मों की अपेक्षा किस्म ५ और १६ अधिक उत्पादन देती हैं। अगहनी धान के बाद ८ किस्मों की किये गये किस्म सम्बन्धी प्रयोगों से यह पता चला कि किस्म ३६ अन्य किस्मों से अधिक उत्पादन देती हैं।

५—मक्का ज्वार—राज्य के केन्द्रीय और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में वितरण के लिए सिफारिश की गयी देर में तैयार होने वाली ८ बी और औसत् समय में तैयार होने वाली टी० ३ की किस्मों की बढ़ोत्तरी की जाती रही। आलोच्य वर्ष में भी स्थानीय निर्धारित किस्मों की अपेक्षा ४४०२ और ४८/१२ की आशाजनक क़िस्मों ने कल्यानपुर, अमरोख (झांसी) और बेलातला

(हमीरपुर) में किये गये किस्म सम्बन्धी प्रयोगों में अच्छे, उत्पादन किया। कुछ वांछनीय जातियों को चुनने के लिए अमरीका से प्राप्त 'ए' जाति की अन्य किस्मों और आशाजनक देशी किस्मों से तैयार की गयी एफ० १ और एफ २ की संकरित किस्मों का अध्ययन किया गया। अमरीकी अन्य 'ए' किस्म और आशाजनक देशी किस्मों से तैयार कुछ और संकरित किस्मों का और भी अध्ययन किया गया।

बाजरा—कल्यानपुर, राया, हरदोई और मैनपुर के फार्मों में विशेष रूप से चुने गये किस्मों का स्थानीय प्रतिमित (स्टैंडर्ड) किस्मों के साथ किस्म सम्बन्धी प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय किस्मों और 'विशेष रूप से चुने गये किस्मों' की तुलनात्मक अध्ययन करना था। अच्छी से अच्छी संकरित किस्मों ने जो परीक्षण किये गये उनमें से दो ऐसी किस्मों का चुनाव किया गया जिनमें संकरित होने की अधिक क्षमता थी और इनके सम्बन्ध में अलग-अलग परीक्षण। किये गये जिससे कि अधिक से अधिक संकरित होने की क्षमता रखने वाले किस्मों को चुना जा सके तथा जिनका उपयोग अन्ततः वर्ग संकरित बीजों के उत्पादन के लिए किया जा सके। सन् १९५७–५८ में चार सुसंकरणीय जातियों के संकरणों का आलोच्य वर्ष में उनके उत्पादन के सम्बन्ध में छानबीन के लिए प्रारम्भिक परीक्षण किया गया।

सावां कोदों आदि—आलोच्य वर्ष में सावां कोदों, काकुन लडुआ आदि की खेती की जाती रही और सावां की उन्नत किस्म २५ और ४६ के बीज की बढ़ोत्तरी वितरण के लिए की जाती रही।

६—कपास—कपास के सम्बन्ध में भारतीय केन्द्रीय कपास समिति और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित तीन पृथक योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रीय आधार पर अनुसंधान कार्य होता रहा। इनमें से २ परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य लम्बे रेशे वाली और अधिक उपज देने वाली ऐसी किस्मों को तैयार करना था जो ओटाई के बाद रुई का अधिक प्रतिशत दें। कृषि संबंधी अनुसंधान योजनाओं का उद्देश्य ऐसी प्रणालियों को खोज निकालना था जिनसे राज्य की कृषि दशाओं के अन्तर्गत कपास का अधिकतम उत्पादन किया जा सके।

देशी कपास— ३५/४ पर्ब जी० ७०३ (यू० पी० नं० १) देशी संकरित जातियों में से ३५/१ से उत्पादन और किस्म दोनों की दृष्टि से अच्छी पाई जाती रही है। बुलन्दशहर में भी ३५/१ से इसका उत्पादन अधिक रहा। इस संकरित जाति से ३५/१ की सामान्य किस्म की तुलना में पिछले मौसम में उत्तर प्रदेश के ५ सरकारी फार्मों में अधिक उपज हुई। सामान्य मौसम रहने पर इससे १०५० पौण्ड प्रति एकड़ कपास पैदा हुई। साथ ही इससे और भी कुछ लाभ दिखाई दिये। इसका बाजार भाव राज्य के विभिन्न केन्द्रों में ३५/१ किस्म की कपास से १० रु० से ११५ रु० प्रति कैण्डी तक अधिक आंका गया। एक दूसरी अच्छी किस्म ५१/५० भी तैयार की गयी जिसे २६ से ३३ नं० तक के सूत की कताई हो सकती है। १९७–३, सी० ५२० और ३५/१ किस्मों को उत्पन्न करने वाले नये संकरणों से कुछ और संकरण भी तैयार हुए जिनमें ३५/१ के ९६० के मुकाबिले में २०२२ और १९१३ सी० एस० पी० थे।

अमरीकी कपास—अमरीकी कपास की सामान्य किस्मों का दुबारा चुनाव किया गया जिससे एम ४/४३ अधिक कपास देने वाली किस्म पायी गयी और एम०४-५८ अधिक लम्बे रेशे वाली, इसका रेशा एक इंच से अधिक लम्बा था, और ४१ नं० तक के सूत कातने तक के उपयुक्त सिद्ध हुई।

संकरणों में से ईरान एल०पी० यम० और १०० एफ पार्व० एम० १०० एफ/६ अधिक उत्पादन देने वाली पाई गयी और उनका किसानों के खेतों में २१६ एफ० के साथ परीक्षण किया गया। एफ०एम० एम० ४/२ और ईरान टी० ५ पी०एम०/४ किस्मों ने २१६ एफ० के ३३ नं० की तुलना में क्रमशः ३८ और ४३ नं० तक की कताई की क्षमता प्रदर्शित की। १०० एफ० डेल्फाआ/६, १०० एफ० मिसडेल, ४, एम० ४ मीडे और टी०वेब एम० ४ किस्मों से भी आशाजनक संकरण तैयार हो रहे थे जिनसे ४० नं० पर क्रमशः १८३२, १९२८, १९५० और १८५१ सी०एस०पी० की आशा थी जबकि २१६ एफ से १६८२ सी०एस०पी० उपलब्ध होते हैं।

प्रारम्भिक संकरणों में से ओ० ४ बी—४० एम० ४ और १०० एफ० सी ओ ४ बी०—४० संकरण जेसिड निरोधक रहे और उनका उत्पादन २१६ एफ० के बराबर रहा।

७—तम्बाकू—देसी तम्बाकू की उपयुक्त किस्में तैयार करने के तथा कुछ चुने हुये क्षेत्रों में सिगरेट के लिए अच्छी किस्म की तम्बाकू की लाभप्रद खेती की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दो परियोजनाओं के अन्तर्गत तम्बाकू अनुसंधान का कार्य किया जा रहा था। पूर्वगामी वर्ष से एक तम्बाकू प्रसार परियोजना भी कार्य कर रही थी।

प्रयोग किये जाने पर यह पता चला कि हुक्के में प्रयोग की जाने वाली तम्बाकू की फसल प्रति एकड़ १०० पौण्ड नाइट्रोजन के प्रयोग से सबसे अच्छी होती है। हुक्का की तम्बाकू के बेहन लगाने का सबसे उपयुक्त समय जाड़े की फसल के लिए अक्तूबर का अन्तिम और गरमी की फसल के लिए मार्च का दूसरा सप्ताह पाया गया। संकरित जातियां तैयार करने के कार्य के परिणामस्वरूप हुक्का की तम्बाकू के लिए एन० पी० एस० २१९ की किस्म, बीड़ी की तम्बाकू के लिए के० ४९ और जी० ६ की किस्में तथा खाने की तम्बाकू के लिये एन० पी० ३१ की किस्म आशाजनक पायी गयी और किसानों के खेतों में इनका प्रयोग किया जा रहा था। प्रसार योजना के अन्तर्गत तम्बाकू के उन्नत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध किये गये। साथ ही कृषि की एवं तम्बाकू साफ करने की वैज्ञानिक प्रणालियों का भी प्रदर्शन किया गया।

८—रेशे—रेशे की फसलों में सनई और पटसन के सुधार के सम्बन्ध में विस्तृत कार्य किये जा रहे थे। विभिन्न जातियों के बीज की एवं हरे तत्वों की उत्पादन क्षमता निर्धारित करने के लिए प्रयोग किये गये। इकनामिक बोटेनिस्ट शाखा में पटसन (सन हेम्प) के १२ की जो किस्म तैयार की गयी उसकी तेजी से सारे राज्य में बढ़ोत्तरी की जा रही थी। पटसन की उन्नत किस्म एफ० पी० ३ से चुनी गयी एक किस्म की उत्तर प्रदेश में बढ़ोत्तरी के लिए सिफारिश की गयी।

९—उन्नत किस्तम केबीजों का उत्पादन—इस शाखा में उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन की मात्रा का विवरण निम्नलिखित है—

फसल का नाम	बुलन्दशहर		राया		सराय मीरन	
	मन	सेर	मन	सेर	मन	सेर
गेहूं पी० एच० ५९१ ..	१२३	३५	६०१	८	६८	०
गेहूं सी० १३	०	०	०	०	३५	०
जौ के० १२	८	३	२४९	१२	०	०
जौ सी० २५१	०	०	०	०	१९	०
चना टी० ८७	०	०	११४	७	३२	०
चना आई० पी० २५ ..	२९	३०	०	०	०	०
मटर टी० १६३	३६	१५	२०२	२४	०	०
बरसीम	०	२१	२६	३२	०	०
राई आर० टी० ११ ..	०	०	७	८	१३	१०
मूंग टी० १	१५	३८	१८	३७	०	२५
पीली सरसों टी० १५१ ..	०	०	०	०	१४	३२
ज्वार हजारा	०	०	०	०	४	३६
ना टी० २२८	०	०	०	०	१	१२
ढैंचा	०	०	११	२०	१	०
जई	०	०	२९	५	०	०
बिनौला २१६ एफ ..	०	३९.५	३७	०	०	०
बिनौला ३५/१	३	२.१२५	७	०	०	०

कृषि सम्बन्धी प्रयोग—कृषि सम्बन्धी प्रयोगों के लिए विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में खाद, कृषि प्रणाली और फसलों के हेर फेर सम्बन्धी प्रयोग किये गये। खाद के सिलसिले में अधिक एन० (सामान्य से अधिक) खाद देने से पैदावार अधिक हुई। कपास में फास्फेट या पोटाश अलग-अलग या मिला कर देने से लाभ नहीं हुआ। एक अन्य प्रयोग में यह देखा गया कि यदि अमोनियम सलफेट सेल्यूलास्टिक पदार्थों के साथ मिलाकर दी जाय तो एन० की उपलब्धि बढ़ जायगी। कली निकलते समय प्लेनोफिक्स

के छिड़काव से कपास की ढोंढियों की संख्या बढ़ जाती है। मई में बोई गयी कपास की तुलना में अप्रैल में बोई गई कपास से पैदावार अधिक हुई।

१०—पौधों के रोग—

(क) गेहूं—

(१) गेरुई लगना (लूज स्मट)—२५ किस्मों की जांच गेरुई रोग निरोधक तत्वों का पता लगाने के लिए की गयी और एन०पी० ७७१, के० ४९, ई० १०४६ और रिडले की किस्मों में रोग के प्रतिरोध की शक्ति अधिक पायी गयी।

(२) बालों में झुर्री पड़ना (इयरकाकल)—२० प्रतिशत नमक के घोल में 'नेम टोड गाल' के तैराने और स्वस्थ बीजों के तलछट को कम से कम सात बार पानी बदल कर धोने से उस रोग पर प्रभाव पूर्ण ढंग से नियंत्रण किया जा सका। सादे पानी में भिगोये गये बीज में ०.०६ प्रतिशत रोग संक्रमण पाया गया जबकि नियंत्रण में २६.८ प्रतिशत था।

(३) मण्डूर (रस्ट) कानपुर में गेहूं की ७१ किस्में और ज्योलीकोट में १० किस्मों का इस रोग के प्राकृतिक संक्रमण और कृत्रिम संक्रमण की स्थितिओं में परीक्षण किया गया। किस्म ई० १९१३ कानपुर में दोनों प्रकार के मण्डूर के प्रति अधिक प्रतिरोधक सिद्ध हुई। ज्योलीकोट में जिन १० किस्मों का परीक्षण किया गया उन सभी पर मण्डूर का प्रभाव जल्दी पड़ा। जहां तक रोग संक्रमण के प्रकार का सम्बन्ध है मैदान और पहाड़ी इलाकों में परीक्षित सभी किस्मों पर जिनमें ई० १९५३ भी शामिल है, इस रोग का शीघ्र प्रभाव पड़ा (३–४–प्रकार)।

(४) करनाल बण्ट—इस रोग के संक्रमण के सम्बन्ध में जो प्रयोग किये गये उनसे पता चला कि यदि फफूंद (फंगस) के वियावुल स्पोरोडिया का गेहूं के पौधे के डण्ठल में टीका लगाया जाय तो ४१.७४ प्रतिशत तक यह रोग होता है।

गेहूं की किस्मों के निरोधकता सम्बन्धी परीक्षणों से पता चला कि एन०पी० ७१०, पी० बी० ५९१, एन०पी० १२५ और एन०पी० ७२० किस्मों पर इस रोग का प्रभाव क्रमशः ४१.७४ प्रतिशत २२.२ प्रतिशत, २२.० प्र० श० और १०.० प्रतिशत होता है। आशा थी कि इस विधि द्वारा करनाल बण्ट के विरुद्ध कुछ और किस्मों का परीक्षण किया जायगा।

(ख) जौ—

(१) गेरुई लगना (कवर्ड स्मट)—गेरुई निरोधक की जांच के लिए १० किस्मों का परीक्षण किया गया। वयावुल स्मट स्पोर्त की टीका लगाने पर ६ किस्मों अर्थात् सी० ५०, बाजीपुर स्थानीय, के० १२, के०एन० १५, सी० २९४ और सी० २८४ पर इस रोग का प्रभाव नहीं पड़ा जबकि सी० २५१ एन०पी० २१, के०एन० १६ और के० एन० १७ पर इसका हलका प्रभाव (४२–८.० प्र०श०) पड़ा।

(२) गेरुई लगना (लूज स्मट)—३५ किस्मों पर प्रयोग किया गया। सभी पर इस रोग का प्रभाव पड़ा। किस्म सी० ४४ पर सबसे कम (१.० प्रतिशत) प्रभाव पड़ा।

(३) मण्डूर (रस्ट)—वाराणसी के आसपास और कानपुर के अनुसंधान फार्म में भूरे मण्डूर का प्रभाव दिखाई दिया। इनके नमूने एकत्र कर जाति सम्बन्धी विश्लेषण के लिए शिमला की मण्डूर अनुसंधानशाला को भेजे गये।

(ग) चना—

मुरझाना (विल्ट) रोग—इस रोग से ग्रस्त एक भूमि खंड पर चने के २२ किस्मों का परीक्षण किया गया। सभी पर इस रोग का प्रभाव पड़ा। जाति १०६ पर सबसे कम अर्थात् ५ प्रतिशत प्रभाव पड़ा।

(घ) ज्वार—

दानों में गेरुई लगना (ग्रेन स्मट)—ज्वार की २५ किस्मों और जातियों को रोग के कीटाणुओं का टीका दिया गया और उनकी रोग निरोधकता का परीक्षण किया गया। केवल १२ किस्मों पर रोग का प्रभाव पाया गया। अधिकतम प्रभाव ७ प्रतिशत और न्यूनतम १.०८ प्र०श० क्रमशः ५७/८ और ४१०२ व्यक्तियों में था।

(ङ) धान—

ब्लास्ट (किस्म सम्बन्धी प्रयोग)—ब्लास्ट से निरोधकता के सम्बन्ध में २२ किस्मों का परीक्षण किया गया। १० किस्मों पर अर्थात् टी० २२, ए० एच ७५५, एस० एम० ८, सी० एच० ४५/६५१७ ए० आर०पी० ६, एम०एम० ६ एस० ६७, सी०आर० ५५ और ए०के०पी० ८ पर प्राकृतिक परिस्थितियों में ब्लास्ट का साधारण संक्रमण देखा गया और उन्हें प्रतिरोधक किस्मों की श्रेणी में रखा जा सका। फिर भी इस प्रयोग की पुनरावृत्ति द्वारा परिणाम की वृद्धि होनी थी।

(२) रसायनों द्वारा ब्लास्ट का नियंत्रण—प्रारंभिक प्रयोगों से पता चला कि हर पखवारे में फसल पर एक पौण्ड सेरेसन और ५ से ६ पौण्ड चूना के मिश्रण के छिड़काव से हानि बहुत कम हो जाती है। आशा है, यह प्रयोग आगामी वर्ष खेतों में किया जायगा।

(च) अमरूद—

मुरझाना (विल्ट)—प्रयोगों से पता चला कि अमरूद की १५ किस्मों में इस रोग के प्रति निरोधकता या प्रतिरोधकता है। तीन किस्में अधिक निरोधक पायी गयीं। उन्हें उपयुक्त किस्म तैयार करने में इस्तेमाल किया जाना था जिनमें अधिक फलों और इस रोग की निरोधकता के वांछित गुण हों।

रोग ग्रस्त अमरूद के पेड़ों की मिट्टी में जिपसम और चूना देने से रोग का बढ़ना रुक जाता है।

(छ) बरसीम—

राज्य ट्रैक्टर संगठन—राज्य में किसानों को ६,६१५ और टीन बीज मुफ्त में और दूसरे राज्यों को १०४ टीन बीज नाममात्र के मूल्य पर दिये गये।

राज्य ट्रैक्टर संगठन मुख्य रूप से राज्य के उपनिवेशन और पुनर्वास विभाग के लिए कृषि योग्य योग्य बंजर भूमि को तोड़ने के कार्य में लगा रहा।

आलोच्य वर्ष में राज्य ट्रैक्टर संगठन द्वारा किये गये कुल कार्य की स्थिति निम्नलिखित आंकड़ों से जानीजा सकती है—

(१)	बंजर क्षेत्र में जोताई की गयी	५,२८१.७३	एकड़
(२)	बंजर क्षेत्र में पहली बार पटेला चलाना	२,६०६.४०	,,
(३)	बंजर क्षेत्र में पुनः पटेला चलाना	३,२१५.३	,,
(४)	मजरुआ क्षेत्र में हल चलाया गया	१३१.०	,,
(५)	मजरुआ क्षेत्र में पहली बार पटेला चलाया गया	१४१.५	,,
(६)	मजरुआ क्षेत्र में पुनः पटेला चलाया गया	१,२६१.०	,,

राजकीय कृषि कर्मशाला—लखनऊ स्थित राजकीय कृषि कर्मशाला (गवर्नमेन्ट एग्रीकल्चरल वर्कशाप) ने निम्नलिखित कार्य किये—

(१) राज्य ट्रैक्टर संगठन और अन्य विभागों के ट्रैक्टरों की मरम्मत और उनका रख-रखाव

(२) बैलों द्वारा खींचे जाने वाले सुधरे किस्म के कृषि उपकरणों का उत्पादन और साथ ही ट्रैक्टर द्वारा चलाये जाने वाले यंत्रों का सुधार।

(३) उ०प्र० के सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए पुलों और पीपों का उत्पादन उ०प्र० के विद्युत् विभाग के लिए सामान और नियोजन विभाग के लिए ट्रेलर तथा पाइपों आदि का उत्पादन।

आलोच्य वर्ष में किये गये कार्य की कुल लागत, जिसमें सामान का मूल्य भी सम्मिलित है, लगभग ८ लाख १८ हजार रुपये थी जबकि सन् १६५७–५८ के वर्ष में यह ८ लाख रु० थी।

साज-सज्जा सम्बन्धी अनुसंधान आदि—आलोच्य वर्ष में नीलगांव के साज-सज्जा अनुसंधान केन्द्र और लखनऊ के अनुसंधान कक्ष (विंग) ने निम्नलिखित कार्यक्रम को पूरा किया—

(१) ५–टन समानान्तर मूवमेंट कल्टीवेटर के लिए डिजाइन

(२) एक स्वचालित बीज गिराने वाली मशीन के लिए डिजाइन जिसे कि एक ३ टीन या ५ टीन वाले कल्टीवेटर में ३ नालियों में बीज बोया जाने के लिए जोड़ा जा सके
(३) आलू प्लान्टर के लिए डिजाइन
(४) पैडिल से चलने वाले मड़ाई यंत्रों की डिजाइन
(५) महुआ के फलों से बीजों को अलग करने वाले यंत्र के लिए २ डिजाइनें
(६) बैलों द्वारा खींचे जाने वाले यंत्रों के लिए एकहरे और दोहरे छड़ों का उपकरण
(७) सिह हैण्ड हो का सुधार
(८) हल्के ढांचे के चौड़े हलों का तथा साथियों द्वारा खींचे जाने वाले अन्य यंत्रों का सुधार ।

आलोच्य वर्ष में औजार जांच केन्द्र ने निम्नलिखित जांच कार्यक्रम पूरा किया--

(१) कृषि अनुसंधान की भारतीय परिषद् द्वारा प्रेरित यंत्र प्रतियोगिता में भेजे गये यंत्रों की प्रयोगात्मक जांच,
(२) गेहूं की मड़ाई के लिए थ्रेशर और डिस्क हैंटरे की तुलनात्मक जांच
(३) गन्ना प्लान्टर की जांच
(४) कृषि विकास समिति, नैनी (इलाहाबाद) द्वारा डिजाइन की गयी बैलों से चलने वाले पम्प की जांच
(५) जिला सहकारी विकास संघ, मेरठ द्वारा भेजे गये कृषि यंत्रों की जांच
(६) सीडिंग अटैचमेन्ट और पैरलल मोशन कल्टीवेटर की जांच
(७) जूट सीड ड्रिल की जांच
(८) ग्राउन्ड नट डिगर की जांच ।

इमारतें आदि—बीज गोदामों और ५० एकड़ के तथा ५० एकड़ से ऊपर के फार्मों के लिये इमारतों की पूरी योजनाएं एवं तखमीने तैयार किये गये और तदनुसार इमारतों का निर्माण किया गया।

विभिन्न सरकारी विभागों और छोटे तथा बड़े फार्मों के मालिकों को उनके फार्मों से संबंधित टेक्नीकल समस्याओं के बारे में टेक्नीकल परामर्श दिया गया ।

कृषि सूचना ब्यूरो—कृषि सूचना ब्यूरो कृषि विभाग के एक महत्व पूर्ण प्रसार खन्ड (विंग) के रूप में कार्य करता रहा। अभियान गाइड पुस्तिकाओं, प्रसार कार्यकर्त्ताओं के लिए सहायता पुस्तिकाओं, प्रोत्साहन पुस्तिकाओं और काफी बड़ी संख्या में फोल्डरों फोस्टरों, तथा परचों के रूप में लाभदायक प्रसार साहित्य सरल हिन्दी में प्रकाशित किये गये और खण्ड स्तर तक के कार्यकर्त्ताओं में तथा ग्राम स्तर तक के प्रगतिशील कृषकों में वितरित किये गये ।

'कृषि और पशुपालन' तथा 'कृषि-समाचार' नामक मासिक पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित की जाती रहीं । प्रगतिशील किसानों और उन स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई, जहां राज्य में कृषि शिक्षा के पुनस्संगठन की योजना के अन्तर्गत कृषि शिक्षा एक अनिवार्य विषय के रूप में जारी की गयी है ।

कृषि सूचना ब्यूरो ने किसानों में अपने प्रचार कार्य का और अधिक विस्तार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त क्षेत्रीय ९ कृषि सूचना निरीक्षकों द्वारा, विभिन्न वर्शनियों में भाग लेकर और स्थानीय कृषि समस्याओं पर लेख भेजकर किया । ब्यूरो ने पत्र-पत्रिकाओं के स्वतंत्र आदान-प्रदान द्वारा कृषि अनुसंधान की भारतीय परिषद से तथा भारतीय संघ के कृषि के अन्य विभाग से भी संपर्क बनाये रखा । दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राज्य में और बाहर के स्थानों में संगठित किसान मेलाओं और विकास प्रदर्शनियों में भाग लेना था ।

(५) राजकीय फार्म

तराई राजकीय फार्म—तराई राजकीय फार्म में, जो कि देश के बड़े फार्मों में से एक है, बोयी जाने वाली मख्य फसलें गन्ना, गेहूं, मक्का, धान और तेलहन थीं । उत्पादकों में वितरण करने के हेतु

इन उपजों को कृषि विभाग को सप्लाई किया गया। आलोच्य वर्ष में ६३,०९८ मन उन्नत बीज का उत्पादन किया गया और ३८,८३७ मन फार्मों और कृषि बीज गोदामों को सप्लाई किया गया। बीज के रूप में जिस उपज का उपयोग नहीं किया जा सका, उसे मानव उपयोग के लिये बेच दिया गया। आलोच्य वर्ष में लगभग १४,७८,९४८ मन गन्ने का उत्पादन हुआ और मिलों को सप्लाई किया गया।

इस क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु मक्का के बीज से उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त थी। अतः सन् १९५७ में प्राविधिक सहकार योजना के तत्वाधान में दोगली जाति के मक्का की बीज पैदा करने की एक योजना बनायी गयी। आलोच्य वर्ष में दोगली किस्म का १,३८८ मन मक्के का बीज पैदा किया गया और बीज के काम के लिए उसे कृषि विभाग को सप्लाई किया गया।

ट्रैक्टर वर्कशाप—फार्म में एक ट्रैक्टर वर्कशाप भी था। इसमें एक बड़ी संख्या में ट्रकों इत्यादि के अतिरिक्त १०० से ऊपर ट्रैक्टरों का रखरखाव व उनकी ओवर हालिंग तथा छोटे बड़े मरम्मत का कार्य किया जाता था। वर्कशाप में सामान्य रूप से मरम्मत का कार्य किये जाने के अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में खड़गपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी के छात्रों को १ वर्ष का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दुग्धशाला—दुग्धशाला में पशुओं की कुल संख्या ५०४ थी। दूध देने वाले पशुओं में १७९ मुर्रा भैंसें व ३३ साहीवाल गायें थीं। आलोच्य वर्ष में दूध व दूध से तैयार होने वाली वस्तुओं की बिक्री की मात्रा इस प्रकार थी—

	पौण्ड
दूध	५,४२,३३०
मिल्क शेक	१,३८६
क्रीम	८५.१३
मक्खन	५,८९२
घी	६,४११
खोआ	३८८
सेपरेटा	१,३८,२१०

आलोच्य वर्ष में उन्नत नस्ल के ३५ सांड़ तैयार किये गये तथा पशु पालन विभाग को ६ सांड़ सप्लाई किये गये।

दूध की दृष्टि से भेजी गयी हरियाना गायें बांध कर खिलाये जाने के कारण अधिक उपयोगी सिद्ध न हुई। अतः इन्हें तराई राजकीय फार्म के तीन खण्डों में भेज दिया गया, जहां चरागाह की सुविधाएं होने के कारण उन्हें कम खर्च पर रखा जा सकता था। इन गायों का दुहना इस उद्देश्य से बन्द कर दिया गया कि इनके बछड़ी बछड़े का पूरा-पूरा विकास हो सके और वे प्रजनन तथा फार्म के लिए बैल की आवश्यकता पूरी कर सके। आलोच्य वर्ष में इस नस्ल की ८ बछियां और २३ बैल पशुपालन विभाग को सप्लाई किये गये और १२ बछड़े फार्म पर बैल के रूप में काम में लाये गये।

कुक्कुट पालन—कुक्कुट पालन शाखा ने प्रतिवर्ष उत्तम नस्ल के लगभग ६०० मुर्गे और मुर्गियों का रख रखाव किया और लगभग २०,००० चूजों का पालन-पोषण किया। इस योजना के प्रसार के लिए प्रयास किया गया, जिससे कि इस शाखा की कार्य क्षमता में ५० प्रतिशत की वृद्धि हो जाय।

कुक्कुट पालन फार्म में इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले किसानों और सरकारी विभाग के उम्मीदवारों को आधुनिक कुक्कुट पालन में प्रशिक्षित किया गया। आलोच्य वर्ष में १६ व्यक्तियों को कुक्कुट पालन में प्रशिक्षित किया गया। कुक्कुट पालन फार्म में ७५,६३० अण्डे पैदा हुए। विकास के लिए १६,२८० अण्डे दिये गये। खाने के लिए ४५,६५३ अण्डे बेचे गये। आलोच्य वर्ष में ९,४१० चूजे सेये गये और ४,५६३ मुर्ग-मुर्गियों तथा ६८४ चूजे विकास के लिए दिये गये। २६७ मुर्ग-मुर्गियां खाने के लिए बेची गयीं।

उद्यान—एक हजार एकड़ के उद्यान के फल वृक्षों में फल लगना आरम्भ हुआ और आलोच्य वर्ष में १,३३५ मन फल का उत्पादन हुआ। लगभग २१,७०० फल तथा अंगरी पौधे और १,४२६ पौण्ड सब्जियों का बीज पैदा हुआ और उन्हें उत्पादकों को सप्लाई किया गया।

अनुसंधान इत्यादि—आलोच्य वर्ष में उच्च पौष्टिक तत्व वाले चारे उगाने का कार्यक्रम प्रगाढ़ रूप से प्रारम्भ किया गया। दुग्धशाला में ऐसे चरागाह स्थापित करने का भी काम शुरू किया गया, जिन्हें बारी-बारी से चरायी के लिए प्रयोग में लाया जा सके। आशा की जाती थी कि इस प्रकार के ५० एकड़ के चरागाह शीघ्र तैयार हो जायं। स्थानीय और बारहमासी घासों के संबंध में किये जाने वाले अनुसंधान कार्य संतोषजनक रूप से चलते रहे। पारा, सूदन, अंजन, डल्ला लेडिनो क्लोवर और कुडजू जैसी बारहमासी घासें उपयोगी और अल्प व्यय साध्य सिद्ध हुई।

यंत्रीकृत राजकीय फार्म—आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश के यंत्रीकृत राजकीय फार्म के उप संचालक के अधीन १० फार्म थे और एक फार्म, तराई राजकीय फार्म (जिला नैनीताल) के मैनेजर के अधीन था। यह फार्म मिले-जुले फार्म के रूप में थे और उनका कृषि एवं पशु-पालन क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भाग था। इन फार्मों का मजरुआ क्षेत्र ७,३९५ एकड़ था जिनमें से भूमि की उर्वरता के पूरक के रूप में २,००४ एकड़ में हरी खाद के पौधे बोये गये। सन् १९५८–५९ के वर्ष में ३,४८१ एकड़ भूमि पर रबी की फसल बोयी गयी। उपज का विवरण इस प्रकार है—

	मन
(क) खाद्यान्न	२९,७७४
(ख) साग सब्जी	१४१
(ग) सूखा-चारा	४९,६४३
(घ) हरा चारा	१,३१,९७१
(ङ) गन्ना	४,५६,४६०

कुल ४,६६९ एकड़ भूमि में खरीफ की फसल बोयी गयी। इसमें २,००४ एकड़ में हरी खाद के पौधे बोये गये। २,६६५, एकड़ में अन्य फसल बोयी गयी जिसका विवरण इस प्रकार है—

(क) खाद्यान्न	९,२५४ मन
(ख) सूखा चारा	१९,८५६ ,,
(ग) हरा चारा	१,२५,०९० ,,

अप्रैल, मई और जून, १९५८ में प्रतिकूल मौसम होने के कारण एक फार्म में गन्ने की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा। मुख्य रूप से अपर्याप्त वर्षा के कारण खरीफ की बोआई और धान की रोपाई भी पिछड़ गयी। सन् १९५८ के सितम्बर के अन्तिम दिनों में और अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में अत्यधिक वर्षा होने के फलस्वरूप रबी के लिए खेत तैयार करने में देर हुई। पाला के कारण लाही की फसल मारी गयी सन् १९५९ के जनवरी व फरवरी में लगातार बादल व नम मौसम रहने के फलस्वरूप गेहूं, जौ और राई की फसलों में भयानक रूप से गेरुई लग गयी। सन् १९५९ के मार्च में ओले पड़ने के साथ-साथ तूफान आने के कारण गेहूं, जौ, चना और राई की फसलों को क्षति पहुंची। रेडराट और अलबिनों रोग के कारण हस्तिनापुर और बाबूगढ़ के फार्मों में गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। हस्तिनापुर, माधुरीकुन्ड और नीलगांव के फार्मों में बाढ़ के कारण खरीफ के अवसर पर काफी क्षति हुई।

इन फार्मों में पशुओं और भैंसों की संख्या २,५५६ थी। इनमें से ८३८ पशु दुधारू थे। ; ल २०,६४० मन दूध हुआ। इस वर्ष ४२५ उन्नत नस्ल के बैल बांटे गये। कुक्कुट पालन विभाग से १०,३०९ मुर्गे मुर्गियां और २०,४७९ अण्डे प्रजनन कार्यों के लिए और १,२६१ मुर्गे मुर्गियां तथा ४६,७२९ अण्डे खाद्यार्थ दिये गये। २१४ मेढे और बकरे भी दिये गये। भरारी और माधुरी कुण्ड फार्मों में भेड़े और बकरियां रखी गयीं।

इन फार्मों के कार्यान्वयन में होने वाले घाटे में कमी करने के लिए और उनके पुनस्संगठन के लिये राज्य सरकार ने राज्य के पशुपालन आयुक्त, कृषि संचालक और यंत्रीकृत राजकीय फार्मों के उप-संचालक की एक उपसमिति नियुक्त की।

(६) सिंचाई

सामान्य—खरीफ के प्रारम्भ में मौसम प्रायः सूखा रहा और सूखा मौसम होने के तथा बर्फ कम पिघलने से नदियों में औसत से कम पानी आने के कारण सिंचाई की मांग अत्यधिक रही। जून के अन्तिम सप्ताह में हलकी छिटपुट वर्षा हुई। मानसून नियमित रूप से जुलाई के प्रथम सप्ताह में आरम्भ हुआ और अक्तूबर, १९५८ के मध्य तक सक्रिय बना रहा। सितम्बर मास में और अक्तूबर के प्रथम पखवाड़े में भारी वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप राज्य के पश्चिमी जिलों में बाढ़ आ गयी और पानी रुका रहा। राज्य के अधिकांश भाग में सितम्बर व अक्तूबर, १९५८ में असाधारण वर्षा होने के फलस्वरूप रबी की पलिहरों की सिंचाई के लिए मांग सामान्य रूप से कम रही। बाढ़ प्रभावित और पानी लगे हुए क्षेत्रों में रबी की बोआयी भी पिछड़ गयी। कोर की सिंचाई भी देर से आरम्भ हुई। दिसम्बर, १९५८ तक मौसम सूखा रहा। इसके बाद समस्त राज्य में जनवरी, फरवरी में छिटपुट वर्षा होती रही जिसका कि रबी की फसलों पर लाभदायक प्रभाव पड़ा।

सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धि (सप्लाई) पर्याप्त थी और राज्य भर में भली-भांति उपयोग किया गया।

सन् १९५८–५९ के वर्ष में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग ७५,३२,०४४ एकड़ था (१९५८ की खरीफ में ३५,२७,६४५ एकड़ और १९५८–५९ की रबी में ४०,०४,३९९ एकड़), जब कि सन् १९५७–५८ के वर्ष में यह ८०,४६,७६३ एकड़ था। इस कमी के लिए पश्चिमी जिलों में असाधारण मानसून व भारी बाढ़ तथा पूर्वी जिलों की समय से हुई वर्षा मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। राज्य सिंचाई साधनों की सहायता से उत्पन्न फसल का मूल्य २३१ करोड़ ९९ लाख रु० आंका गया और सिंचाई राजस्व अनुमानतः ७४९ लाख ३४ हजार रुपया (लगभग) था।

चालू नहरें और नलकूप—सन् १९५८–५९ के वर्ष में चालू नहरियों की कुल लम्बाई ४२,८०३ मील (लगभग) थी। इसमें २६,६६५ मील सिंचाई नहरियों अर्थात् मुख्य नहरें, उनकी शाखाएं और रजबहे और १६, १३८ मील अन्य नहरें अर्थात् जल निकास के मार्ग, एस्केप्स नलकूपों की गूलें थीं। इसमें ३,६२६ मील नयी नहरों की भी थीं जिन्हें आलोच्य वर्ष में चालू किया गया था। वर्ष की समाप्ति पर चालू राजकीय नलकूपों की कुल संख्या (लगभग) ६,२५६ थी। इसमें ४७२ नये नलकूप भी शामिल थे, जिन्हें इसी वर्ष चालू किया गया था।

पूरे किये गये या निर्माणाधीन सिंचाई कार्य—आलोच्य वर्ष में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है—

(१) नहरें—

राज्य के पश्चिमी भाग की नहरों में जारी जल निकास की क्षमता २००० क्यूसेक्स से बढ़ा कर ४००० क्यूसेक्स करने का काम पूरा किया गया। पूर्वी जमुना नहर के आधुनिकीकरण का कार्य जारी रहा और सन् १९५९–६० में इस कार्य के पूरा हो जाने की आशा थी। गंगा नहर की माट शाखा में पिलहर की सिंचाई के लिए नहरियों के निर्माण-कार्य में और आगरा नहर प्रणाली के अफजलगढ़ नहर के निर्माण-कार्य में गति हुई। (इस नहर का प्रयोग सिंचाई के कार्यों के लिए भी किया जाता रहा।)

सन् १९५८ की बा में शारदा नहर प्रणाली के बनबसा स्थित शारदा बैरेज को काफी क्षति पहुंची। बैरेज के क्षतिग्रस्त भागों में सुदृढ़ करने व उनका आधुनिकीकरण करने का कार्य आलोच्य वर्ष में आरम्भ किया गया। शारदा सागर परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत (शारदा नहर की क्षमता बढ़ाना) पक्की चुनाई का शेष कार्य इस वर्ष किया गया। शारदा सागर परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्य की प्रगति हुई और बाद में ५० प्रतिशत मिट्टी का कार्य पूरा किया गया। यह परियोजना गंगा–गोमती–सई और सई–गंगा के दोआब में और अधिक सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए और वर्तमान शारदा नहर प्रणाली की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार करने के लिए थी। नानक सागर परियोजना के कार्य, जिसका निर्माण नैनीताल जिले में, देवहा–बहगुल नहर प्रणाली में सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई के हेतु किया जा रहा था, नियमित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति

करता रहा तथा बांध पर लगभग ५० प्रतिशत मिट्टी का काम पूरा किया जा चुका था। देवहा बहगुल नहर प्रणाली में सिंचाई के पानी की पूरी सप्लाई शाखा नहर से होती रही है। नहरों के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर था।

फैजाबाद जिले में टांडा पम्प नहर पर नागरिक कार्य पूरे किये गये और आजमगढ़ तथा बलिया जिलों के दोहरीघाट पम्प नहर का कार्य प्रगति पर था। ये दोनों नहरें रबी १९५८-५९ से आंशिक रूप से कार्य करने लगी क्वानों और बस्ती जिले की बखीरा पम्प नहरों का कार्य पूरा हुआ। क्वानों पम्प नहर को सिंचाई के लिए ६० क्यूसेक्स के आंशिक बहाव के साथ खोल दिया गया। बखीरा नहर को भी चालू किया गया। बस्ती पम्प नहर का काम प्रगति पर था।

रामगंगा नदी में आनेवाली बाढ़ के विध्वंसकारी प्रभाव को कम करने के साथ ही साथ १३ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तथा मध्यवर्ती भाग को काफी सस्ती बिजली उपलब्ध करने के लिए रामगंगा परियोजना, जिसके अधीन ४१२ फुट ऊंचे मिट्टी और पत्थर के बांध तथा कुल १,०५,००० किलोवाट की स्थापित क्षमता वाले दहे बिजलीघर का निर्माण सम्मिलित है, का काम आलोच्य वर्ष में चालू रहा। सर्वेक्षण एवं ड्रिलिंग संबंधी कारवाई तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्य किये गये। इनके अतिरिक्त १,३५० फुट लम्बे प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट के पुल, जिनका निर्माण राम गंगा नदी पर धामपुर के भी निकट होना है, के लिए नींव के कुएं गलाये गये।

बुन्देलखण्ड और बघेलखंड क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के अन्य भागों के लिए सिंचाई के हेतु जल संग्रह के लिए जलाशयों और ग्रेविटी नहरों में निर्माण संबंधी नई परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर था। उपरी खजुरी, बांदा जिले में ओहेन (वाल्मीकि) जलाशय और मिर्जापुर जिले में जिरगो जलाशय की परियोजनाओं पर कार्य चालू रहा। ओहेन परियोजना की नहरों को रबी १९५८-५९ से सिंचाई के लिए खोल दिया गया। नैनीताल जिले के काशीपुर तहसील के तुमरिया जलाशय का ५० प्रतिशत मिट्टी का काम और ५० मील नहरों का काम पूरा किया गया। माताटीला बांध के प्रथम चरण की नहरें सिचाई करने लगीं। इस परियोजना के लिए भूमि हस्तगत करने की कार्रवाई चल रही थी।

(२) लघु योजनाएं—उपरोक्त वर्णित सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिंचाई की अनेक छोटी परियोजनाएं पूरी की गयीं या उनका कार्य प्रगति पर था। आलोच्य वर्ष में बुन्देलखण्ड में अनेक कन्टूर बन्धियों और राज्य के पश्चिमी जिलों तथा मध्यवर्ती व पूर्वी जिलों में कई जलनिकासी नालियों के निर्माण का कार्य पूरा किया गया या प्रगति पर था।

(३) नलकूप—राजकीय नलकूपों के निर्माण में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा। सबसे पहले नलकूपों का निर्माण पश्चिमी जिलों में आरम्भ किया गया। जहां १,६५६ राजकीय नलकूप और ६०० राजकीय नलकूपों में से ५८२ नलकूप प्रथम पंच वर्षीय योजना के पूर्व ही बनाये गये और चालू किये गये। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में नलकूप निर्माण की और परियोजनाएं आरम्भ की गयीं और नलकूप के सिंचाई की व्यवस्था का प्रसार मध्यवर्ती व पूर्वी जिलों में भी किया गया। राजकीय नलकूपों की संख्या जो कि सन् १९५७-५८ में ५,७८४ थी, सन् १९५८-५९ के अन्त में बढ़ कर ६,२५६ हो गयी। इसमें राष्ट्रीय प्रसार सेवा और प्रगाढ़ विकास खण्ड के नलकूप भी सम्मिलित हैं। नलकूप की बड़ी परियोजनाओं में, आलोच्य वर्ष में जिनका निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में था सन् १९५८-५९ के अन्त तक इन का विवरण इस प्रकार है—

योजना का नाम	सफलतापूर्वक निर्मित नलकूपों की संख्या	नलकूपों की संख्या जिनमें यंत्र लगाये गये	शक्ति दी गयी	
			बिजली	डीजल
१—भारत अमरीकी प्राविधिक कार्य-क्रम १९५३ के अन्तर्गत २८० राजकीय नलकूप	२७९	२७८	२७१	२
२—द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत नलकूप	६११	५२५	४६५	१३

ग्राम्य जल सप्लाई——राज्य के १६८ गांवों की १,७१,५००जन संख्या (लगभग) के पानी पीने की सुविधा उपलब्ध करने के हेतु आलोच्य वर्ष में १६,७३,३१७ रु० की लागत की ग्राम्य जल सप्लाई योजना स्वीकृत की गयी। जिला नियोजन समिति के परामर्श से इन योजनाओं पर स्वीकृत धनराशि में से ७,५२,८२१ रु० का प्रयोग किया गया। यह अनुमान किया गया था कि सभी योजनाएं मार्च, १९६० तक समाप्त हो जायंगी। पीने के पानी की योजना कुमायूं डिवीजन के ४ पहाड़ी जिलों और गोरखपुर, फैजाबाद, तथा वाराणसी कमिश्नरियों के ८ पूर्वी जिलों के लिए थी, जहां कि ग्रामवासियों को पानी लेने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था या जहां भूगर्भ जल की सतह ऊंची थी और पानी खराब था।

बाढ़ सुरक्षा कार्य——द्वितीय पंच वर्षीय योजना में राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा नालियों के निर्माण व उनके आधुनिकीकरण के और नदियों के कटाव से नगर की सुरक्षा के लिए राज्य के विभिन्न भागों में तुरन्त कार्यान्वियन के हेतु ९ करोड़ २ लाख रु० की अनुमानित लागत की अनेक अन्य परियोजनाएं स्वीकृत की गयीं। आशा की जाती थी कि इससे ६,६२,००० एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में इस मद की उच्चतम् निर्धारित धनराशि ८ करोड़ रु० में से ६ करोड़ ४१ लाख रु० व्यय किये गये। कुल ३४९ मील और ६ फुट की लम्बाई के ३० बांध बनाये गये, ४२२३ पानी से घिरे हुए गांवों की सतह ऊंची उठायी गयी और ६१२ ऐसे गांवों में सतह उठाने का काम हो रहा था जिसकी सतहें आंशिक रूप से उठायी जा चुकी थीं।

राज्य के पश्चिमी इलाके में पानी जमा होना रोकने के लिए बाढ़ नियंत्रण कोष के अन्तर्गत ५५लाख रु० की लागत की कुल ६३२ मील के लिए जलनिकासी योजनाएं स्वीकृत की गयीं। इन योजनाओं को सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर अलीगढ़, मथुरा और बुलन्दशहर के जिलों में १९५६ के वर्ष में कार्यान्वित किया गया। इन योजनाओं से २,१२,००० एकड़ को लाभ पहुंचने की आशा थी। १९५८ के अन्त तक ४३३ मील लम्बी नालियों का निर्माण किया गया, जिसके फलस्वरूप १८,६०० एकड़ भूमि में पानी जमा होने को रोकने में सहायता मिली।

सन् १९५८ की वर्षा में बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण-कार्यों ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी।

(७) नयी बस्तियां

सामान्य——राज्य में नयी बस्तियों की योजना सन् १९४७ से आरम्भ की गयी। इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना तथा विभिन्न प्रकार के लोगों को बसाना था, जैसे भूतपूर्व सैनिकों, विस्थापित व्यक्ति, राजनीतिक पीड़ित, कृषि के स्नातक एवं डिप्लोमा होल्डर और भूमिहीन व्यक्ति नयी भूमि तोड़ने का और पुनर्वास का कार्य काशीपुर (नैनीताल), गंगा खादर (मेरठ), दूनागिरी (अल्मोड़ा) और मनुनगर (रामपुर) की नयी बस्तियों के क्षेत्रों में पूरा हो गया और इन योजनाओं को जिले के सामान्य प्रशासन में मिला दिया गया। आलोच्य वर्ष में नयी बस्तियों की केवल दो योजना यथा—तराई नौबस्ती योजना (नैनीताल) और अफजलगढ़ नौबस्ती योजना (बिजनौर) चालू रही। इन योजनाओं के अन्तर्गत कुछ कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है——

नौतोड़ क्षेत्र——आलोच्य वर्ष में अफजलगढ़ योजना के अन्तर्गत ३७० एकड़ भूमि तोड़ी गयी। इस प्रकार सभी स्थानों की नयी बस्तियों की नयी तोड़ी गयी भूमि का क्षेत्र १,२६,००० एकड़ हो गया।

नये गांव——आलोच्य वर्ष में केवल एक नया गांव बसाया गया। इस प्रकार ऐसे गांवों की कुल संख्या २०१ हो गयी।

बसाये गये परिवार——आलोच्य वर्ष में विभिन्न श्रेणी के २०६ परिवारों को बसाया गया। इस प्रकार अब तक नयी बस्तियों में बसने वाले विभिन्न श्रेणी के परिवारों की कुल संख्या ६,८५७ हो गयी।

सहकारी समितियां——सन् १९६७ के अन्त में जो २०७ सहकारी समितियां कार्य कर रही थीं, उनमें से राजनीतिक पीड़ितों की दो समितियां समाप्त कर दी गयीं।

आलोच्य वर्ष में एक गन्ना सहकारी समिति स्थापित की गयी। इस प्रकार आलोच्य वर्ष के अन्त में कुल सहकारी समितियों की संख्या २०६ थी।

बकाया की वसूली——नयी बस्तियों में बसे हुए लोगों से सरकारी बकाया की वसूली की ओर विशेष ध्यान दिया गया। आलोच्य वर्ष में ५,८५,१७४ रु० लगान, ८,५४९ रु० बीज का बकाया, २,८९,६३० रु० निर्मित मकानों की किस्तों का बकाया, २,४८,२३१ रु० सहकारी समितियों के बकाया और ८१,२६७ रु० अन्य विविध बकाया के रूप में वसूल किया गया।

खीरी की नौ आबादी——खीरी की नौ आबादी योजना, जो सन् १९५५ में लखीमपुर-खीरी जिले के निघासन तहसील के एक भाग में भूमिहीन मजदूरों और शिक्षित बेकारों के पुनर्वास के लिए आरम्भ की गयी थी, आलोच्य वर्ष में की गयी। इस योजना के आरम्भ होने से अब तक ६८४ परिवारों को (जिनमें ६०९ परिवार भूमिहीन मजदूरों के और ७५ परिवार शिक्षित बेकारों के थे) १२ बस्तियों में बसाया गया और लगभग २०० वर्ग मील भूमि पक्की सड़कों की पहुंच में कर दिया गया। इस क्षेत्र में आंशिक रूप में बिजली भी लगा दी गयी।

६७५ आबाद होने वालों को (६०० भूमिहीन मजदूर और ७५ शिक्षित बेकार) १,३०० रु० की लागत का एक कमरे वाला पक्का मकान भी रहने को दिया गया। बैल एवं कृषि औजार आदि की खरीद के लिये प्रत्येक भूमिहीन मजदूर और शिक्षित बेकार को क्रमशः ५०० रु० और १००० रु० ऋण दिया गया। मकान के मूल्य में से ५०० रु० तो आर्थिक सहायता मान ली गयी और शेष ८०० रु० ऋण जो १० वर्ष में अदा करना होगा। आलोच्य वर्ष में कुल ८५,७५० रु० का ऋण दिया गया और २०,००० रु० की आर्थिक सहायता दी गयी।

पीलीभीत की नौ आबादी——पीलीभीत का नौआबादी योजना दिसम्बर, १९५७ में आरम्भ की गयी। इसका उद्देश्य पीलीभीत जिले के शारदा पार के उस क्षेत्र में जहां इस जिले की सीमा खीरी जिले से मिलती है, १०,००० एकड़ कृषि योग्य बंजर भूमि का विकास करना था। इस योजना का उद्देश्य ६०० भूमिहीन मजदूर और ७५ शिक्षित बेकारों को बसाना था। आलोच्य वर्ष में १,००० एकड़ बंजर भूमि तोड़ी गयी। विस्तृत पैमाइश, सड़कों का कार्य निर्धारित करने और विस्तृत तखमीने आदि तैयार करने संबंधी प्रारम्भिक कार्रवाई की गयी। यह आशा की जाती थी कि यह योजना सन् १९६३–६४ तक पूरी हो जायगी।

(८) गन्ना विकास

विकास योजनाएं——प्रगाढ़ गन्ना विकास कार्य जारी रहा। पिछले दशक या विगत कई वर्षों में गन्ना विकास विभाग द्वारा किये गये कार्यों के परिणाम स्वरूप विभिन्न दिशाओं में धीरे-धीरे किन्तु औसत उत्पादन और गन्ना से चीनी प्राप्त होने की मात्रा में हुई प्रगति उत्साहजनक नहीं प्रगति हुई थी ।

गत वर्षों में प्रगति की दिशा में मुख्य बाधाएं यह थीं——(१) सिंचाई साधनों की और फलस्वरूप उर्वरकता की कमी, (२) जल निकासी की प्रभावपूर्ण व्यवस्था का न होना जिससे खेतों में पानी जमा होता रहा, (३) उपयुक्त यातायात के साधनों का अभाव और (४) रोग अवरोधक अधिक शक्कर वाली और अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के विकास की भी प्रगति।

आलोच्य वर्ष में आयोजना की दो परियोजनाओं पर तथा एक आयोजनायेतर परियोजना पर कार्य किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है ——

आयोजना की परियोजनाएं	आयोजनायेतर परियोजना
(१) उ० प्र० में गन्ने की किस्म का विकास और उसकी प्रगाढ़ खेती की परियोजना	(१) गन्ना विकास की मुख्य परियोजना

(२) चीनी मिलों के क्षेत्र में सड़क और सीमेन्ट-कंक्रीट के मार्ग बनाने की परियोजना

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के व्यय के लिए मूलतः ५१३.३८ लाख रु० की व्यवस्था रखी गयी थी। किन्तु विभिन्न कटौतियों के फलस्वरूप सन् १९५७-५८ में यह धनराशि घट कर ४२६.४१ लाख रह गयी। सन् १९५८-५९ में यह और भी घटा कर ३६४.५८ लाख रु० कर दिया गया।

सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में आयोजना की परियोजनाओं और योजनानेतर परियोजनाओं पर क्रमशः ५१.६९ लाख और २८.४८ लाख व्यय हुये जबकि बजट में इनके लिए क्रमशः ५६.५३ लाख और २९.६७ लाख रु० निर्धारित किये गये थे।

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा आरम्भ की गयी गन्ना के काना रोग के विरुद्ध समवेत आन्दोलन के रूप में एक नयी योजना ८०,००० रु० की लागत से आलोच्य वर्ष में स्वीकृत की गयी। समिति द्वारा निश्चित कार्यक्रम के अनुसार योजना का कार्य आरम्भ किया गया। आलोच्य वर्ष में वास्तविक व्यय कुल ३६,७१९ रु० हुआ।

इसके अतिरिक्त चीनी मिलों के चारों ओर सीमेन्ट कंक्रीट के मार्ग व कोलतार की सड़क बनाने की योजना के लिए भी बजट में ३७,५ लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकार द्वारा यह धनराशि उत्तर प्रदेश ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता को दिया। इस मद में वर्ष के अन्त तक ३२,४६,२१५ रु० खर्च होने की सूचना प्राप्त हुई।

उत्तर प्रदेश में खेती की लागत का अनुमान लगाने की योजना के, जो कि ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त कर दी गयी, अन्तर्गत मूल बजट में ३७,०००रु० की व्यवस्था की गयी थी और २८,५१६ रु० वास्तविक व्यय हुए।

खाद्येतर फसलों की कटाई के सर्वेक्षण की योजना पर व्यय करने के लिए कृषि संचालक ने ५,६७० रु० की धनराशि गन्ना आयुक्त को दे दिया। उपयुक्त प्राविधिक निर्देशन में इस योजना के अन्तर्गत कार्य किया गया।

इस वर्ष के लिए गन्ने के उत्पादन और प्रति एकड़ उत्पादन के लक्ष्य क्रमशः ६८.२ करोड़ मन निर्धारित किये गये थे। आशा की जाती थी कि उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायगा और प्रति एकड़ उत्पादन के लक्ष्य में गत वर्ष के ३८७ मन प्रति एकड़ की तुलना में मामूली सी वृद्धि होने की संभावना थी। अनेक कारणों से जिसमें प्रतिकूल मौसमी दशाएं भी थीं, ६२० मन प्रति एकड़ के उत्पादन के लक्ष्य के प्राप्त होने की संभावना थी।

चीनी का उत्पादन——खांडसारी व गुड़ का मूल्य अनुकूल होने के कारण काफी बड़ी मात्रा में गन्ना गुड़ व खांडसारी के उत्पादन के लिए चला गया। सन् १९५८-५९ के पेराई के मौसम में राज्य की चालू ६९ चीनी मिलों में कुल २५ करोड़ १७ लाख मन गन्ना पेरा गया और २४० लाख ६६ हजार मन चीनी का उत्पादन हुआ जबकि पूर्वगामी वर्ष में २५ करोड़ ८१ लाख मन गन्ना पेरा गया था और २५६ लाख ४२ हजार मन चीनी का उत्पादन हुआ था। गन्ने से चीनी प्राप्ति का औसत ९.५९ प्रतिशत था जबकि गत वर्ष यह औसत ९.९३ प्रतिशत थी।

गन्ने का उत्पादन——(१) मौसमी दशाएं—गत वर्ष के सितम्बर मास से लेकर इस वर्ष के जून मास में मानसून के आने तक लगातार सूखे की स्थिति बनी रही। यही दशा भूमि में नमी की कमी के लिए काफी हद तक उत्तरदायी रही और इसका प्रभाव गन्ने की नयी लगाई गयी फसल की बुआई व उसकी बाढ़ आदि पर पड़ा। पेड़ी की फसल काफी क्षतिग्रस्त हुई। असिंचित क्षेत्रों में यह क्षति अधिक व्यापक रही।

जुलाई और अगस्त मास में हुई वर्षा सभी स्थानों पर लगभग बराबर हुई और गन्ना की फसल के विकास में यह सहायक रही। सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में पूर्वी व पश्चिमी दोनों खण्डों में अत्यधिक और लगातार वर्षा के फलस्वरूप बाढ़ें आईं और गन्ने की फसल को काफी क्षति पहुंची। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के खेत अक्तूबर की बोआई के लिये तैयार न किये जा सके। जाड़े की वर्षा कुछ सीमा

तक सम रूप से हुई और इससे फरवरी और मार्च के गन्ने की बोआई के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो गयी। पर कुल मिलाकर गन्ने की फसल के लिए मौसमी दशाएं अनुकूल न थीं।

(२) गन्ने के बीज व पौधघर---रोगी एवं कमजोर बीजों के बदलने का कार्य अधिक जोरशोर व जोश के साथ आरम्भ किया गया। प्रारम्भिक पौधघरों में प्रधान शोधशाला एवं उप-प्रधान शोधशाला से सप्लाई किये गये उत्तम किस्म के बीज प्रारम्भिक पौधघरों में लगाये गये हैं तथा प्रारम्भिक पौधघरों से जो बीज प्राप्त हुए उन्हें द्वितीय श्रेणी के पौधघरों में बोया गया। द्वितीय श्रेणी के पौधघरों ने सामान्य वितरण के लिए बीजों की सप्लाई की। आलोच्य वर्ष में कुल २,०१९ प्रारम्भिक और ९,२३२ द्वितीय श्रेणी के पौधघर लगाये गये। इनका क्षेत्रफल क्रमशः १,८९४ एकड़ व ९,४६१ एकड़ था। बीजों के उचित एवं द्रुतगति से वितरण के लिए सुविधाजनक स्थानों पर बीज वितरण केन्द्र स्थापित किये गये। आलोच्य वर्ष में कुल ६५ लाख ६ हजार मन बीज का वितरण किया गया जबकि लक्ष्य ३४ लाख मन का था। जल्दी तैयार होने वाली सी० ओ० ८५९ की किस्म मध्यवर्ती व रुहेलखंड के क्षेत्रों के लिए दी गयी। दो फसलों के मध्य में तैयार होने वाली सी० ओ० ८४६ किस्म हरदोई, रामपुर और नैनीताल के जिलों के लिए और इसी प्रकार की एक दूसरी किस्म सी० ओ० ९५१ पश्चिमी क्षेत्र के लिए दी गयी।

(३) खाद---आलोच्य वर्ष में ११ लाख मन से अधिक रासायनिक उर्वरक और १ लाख ९४ हजार मन खली का वितरण किया गया जबकि इनके लिए लक्ष्य क्रमशः ४ लाख ४० हजार मन व ३ लाख ५० हजार मन निर्धारित किया गया था।

आलोच्य वर्ष में ९ लाख एकड़ क्षेत्र की फसल की ऊपरी कांट-छांट का एक उत्साहजनक कार्यक्रम बनाया गया था, पर उर्वरकों के मिलने की कठिन स्थिति के कारण वास्तव में केवल ७ लाख ४८ हजार एकड़ क्षेत्र की फसल की कटाई-छटांई की जा सकी। सिंचाई साधनों की अपर्याप्तता भी नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग में बाधा बनी रही।

हरी खाद की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ हरी खाद के बीजों की मांग बहुत ऊंची रही। २० हजार मन के लक्ष्य की तुलना में २२ हजार २०० मन हरी खाद के बीजों का वितरण किया गया।

८० लाख मन के लक्ष्य की तुलना में इस वर्ष ८७ लाख ६५ हजार मन ग्राम कम्पोस्ट तैयार की गयी इसके अतिरिक्त ८ लाख ६ हजार मन फैक्ट्री के कूड़े कचरे की खाद कारखाने में ही तैयार की गयी जबकि इसका लक्ष्य १० लाख मन का था। प्लांट संबंधी कुछ कठिनाइयों के फलस्वरूप यह लक्ष्य पूरा न किया जा सका।

(४) क्षेत्र प्रदर्शन---खेती संबंधी, किस्म संबंधी, खाद सबंधी, पेड़ी छोड़ने संबंधी, फसलों के हेरफेर संबंधी और फसलों को लगने वाले कीट और कीटाणुओं संबंधी प्रदर्शनों का प्रबन्ध विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। कुल १५,५२० प्रदर्शन किये गये जबकि गत वर्ष इनकी संख्या १९,९२६ थी।

(५) सिंचाई---चूंकि गन्ने के उत्पादन पर अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का काफी विपरीत प्रभाव पड़ता था, इसलिए अपने सीमित साधनों के भीतर ही विभाग ने अधिक सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी संभावित उपाय किये। इस वर्ष ४६५ निजी नलकूपों का निर्माण किया गया। जबकि गत वर्ष २९५ का निर्माण किया गया था। इनके अतिरिक्त २,१५५ पक्के कुयें गलाये गये, १७२० कुओं की बोरिंग की गई, १३४४ रहट और २५४ पंपिंग सेट लगाये गये। इनका लक्ष्य क्रमशः २,७५०, १,८००, १,१५० और २८५ था।

(६) रोगों और कीड़ों पर नियंत्रण---गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र का सुव्यवस्थित प्रणाली के अनुसार सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न रोगों एवं कीड़ों-मकोड़ों के लगने के संबंध में पता लगाया गया। काना, गंधी, गेरुई रोगों का व्यापक रूप से आक्रमण हुआ किन्तु पूर्व वर्ष की भांति ही इनका प्रभाव कम रहा। खीरी जिले के गोला क्षेत्र में झांई लगने का रोग का छुटपुट आक्रमण हुआ। अलबिनो रोग पश्चिमी जिलों तक ही सीमित रहा किन्तु पूर्व वर्ष की अपेक्षा यह कुछ अधिक व्यापक था। फसल में लगने वाले प्रमुख कीड़ों में गर्म मौसम में गन्ने में लगने वाले कीड़े (बोरर) और विशेष रूप से शूट-बोरर का आक्रमण सामान्यतः गन्ना उत्पादन करने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र में हुआ। चूंकि इनका आक्रमण हलका था इसलिए फसल को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची। देवरिया जिले के पडरौना

मण्डल के ९ क्षेत्रों में पायरिला के रोग में संक्रामक रूप धारण कर लिया। अन्य कीड़ों में जिनसे फसलों को क्षति पहुंचती है, पश्चिमी जिलों के लाइगेड बग, सहारनपुर और रामपुर जिलों के ह्वाइट फ्लाई, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी के फुटके, सहारनपुर, देहरादून और मुजफ्फरनगर के जिलों में देहरादून बोरर और बस्ती जिले के गन्ना में लगने वाले कीड़े (माइट) थे। काना, गन्धी, अलबिनो रोगों और पायरिला ह्वाइट फ्लाई तथा लाइगेड बग पर प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रण करने के लिए व्यापक पैमाने पर रोग निवारण एवं कीट नाशक अभियान संगठित किये गये।

उपरोक्त रोगों एवं कीड़ों मकोड़ों से प्रभावित १,१३,२७९ एकड़ के क्षेत्र में से आलोच्य वर्ष में १,००,०३६ एकड़ पर सफलतापूर्वक इनका नियंत्रण किया गया। विगत वर्ष यह संख्या क्रमशः १,८२,३५३.९४ एकड़ और १,६३,०१४.७१ एकड़ थी।

आलोच्य वर्ष में, उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में काना रोग के विरुद्ध एक समन्वित अभियान' नाम से एक विशेष योजना तदर्थ चुनी गयी तीन युनिटों पडरौना सर्किल (देवरिया जिला उत्तरी) के शिवराही, पडरौना और छितौनी क्षेत्रों में आरम्भ की गयी। प्रत्येक युनिट में १०,००० एकड़ कृषि क्षेत्र था जिसमें १,००० एकड़ इस योजना संबंधी कार्यवाई के लिए था। इस योजना का व्यय भार भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति वहन करती थी और इस कार्य के लिए विशेष कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी।

प्रचार और प्रोपेगण्डा—कुल ६३७ ग्रुप सम्मेलन, २४० प्रदर्शनियां, १,११,६५४ गांव की सभाएं और १७६ सिनेमा शो आयोजित किये गये तथा ४,७४,२०६ परचे और नोटिसें बांटी गयीं। गत वर्ष यह संख्याएं इस प्रकार थीं—ग्रुप सम्मेलन ५२१, प्रदर्शनियां २२९, गांव की सभाएं ९०,३०२ सिनेमा शो १०३ और परचे व नोटिसे वितरित की गयीं ४,११,०५८।

गन्ना फसल प्रतियोगिता—जोनल और राज्य स्तर पर गन्ना फसल प्रतियोगिताएं संघटित की गयीं। राज्य का अधिकतम उत्पादन २,४२४ मन प्रति एकड़ का था।

गांवों में यातायात व्यवस्था—फैक्टरियों के विकास की योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने चीनी मिलों के चारों ओर सीमेंट कंक्रीट के मार्ग और तारकोल की सड़कें बनवाने में ३२ लाख ४६ हजार रु० व्यय किया। इसके अतिरिक्त यूनियन एवं गन्ना परिषद के कार्यक्रम के अन्तर्गत ४५८ मील पक्की व कच्ची सड़कें और ७७८ पुलियां और पुलों का निर्माण किया गया, जबकि गत वर्ष ४०१ मील लम्बी सड़कें और ६९२ पुल और पुलियों का निर्माण किया गया।

साज सामान—आलोच्य वर्ष में कुल ११,९०८ सुधरे किस्म के उपकरण वितरित किये गये जबकि लक्ष्य १०,००० का था।

(९) पशु-पालन

चिकित्सा सहायता—आलोच्य वर्ष में राज्य में ३०७ पशु-चिकित्सालय थे। पशु पालन विभाग के कार्यों का प्रबन्ध करने के लिए जिसमें पशु चिकित्सा भी है, ६३ जिला पशु अधिकारी, ९१ पशु चिकित्सक, ३१८ सहायक पशु सर्जन और १,३३७ स्टाक मैन थे। पशु चिकित्सालयों में तथा इनके बाहर २३,६१,७५९ रोगी पशुओं का इलाज किया गया। पशु चिकित्सालयों में तथा उसके बाहर ३,७३,१५६ पशुओं को बधिया किया गया।

आलोच्य वर्ष में देहरादून, बरेली, फतेहपुर और फैजाबाद के सदर पशु चिकित्सालयों का प्रांतीयकरण किया गया।

रोग निरोधक उपाय—पोकनी रोग के नियंत्रण के लिए राज्य के मैनपुरी, देहरादून, नैनीताल, सीतापुर, खीरी, हरदोई, बाराबंकी, आजमगढ़, बस्ती, हमीरपुर और कानपुर के ११ जिलों में रोग निरोधक अभियान सामूहिक आधार पर चलाये गये। इन जिलों में कुल मिलाकर १,०४,७२७ टीके लगाये गये।

जैविक औषधियां—आलोच्य वर्ष में जैविक औषधि निर्माण शाखा द्वारा सेरा और टीके की १,०५,८३,९९५ मात्राएं तैयार की गयीं और ८८,६२,७९० मात्राओं के प्रयोग के लिए सप्लाई

किया गया। जैविक औषधियों के तैयार करने और उनके वितरण के सम्बंध में लगभग ३ लाख ७६ हजार रु० व्यय किये गये और तैयार की गयी औषधियों के मूल्य को ध्यान में रखते हुये राज्य को ५१,२०० रु० की शुद्ध बचत हुई।

पशु संवर्द्धन—कालसी (देहरादून) स्थित पशु पालन केंद्र एवं डेरी फार्म में आलोच्य वर्ष में शुद्ध जाति की ५५ सिंधी गायें, ४७ मुर्रा भैंस, ३४ सिंधी सांड़ २० मुर्रा सांड और पंढ़िया तथा बछियायें थी। एक जरसी सांड़ भी था। फार्म में २,७५,४६६ पौंड दूध हुआ। आलोच्य वर्ष में विकास खंडों को एक सिंधी गाय, ३ सिंधी बछड़े और एक सिंधी पंड़िया दी गयी। इनके अतिरिक्त १२ सिंधी और ४ मुर्रा सांड़ प्रजनन कार्यों के लिए रखे गये।

पर्वतीय क्षेत्र के ५ पशु चिकित्सालयों और दो भेड़ा फार्मों में, जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, प्रत्येक में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक सांड़ और एक भैंसा सांड़ रखने की एक नवीन योजना आरम्भ की गयी। इस कार्य के लिए प्रत्येक गाय एक रु० की दर से और भैंस दो रु० की दर से फीस ली जाती थी।

एक दूसरी नयी योजना जिसे इस वर्ष इटावा में आरम्भ किया गया वह भदवारी भैंसों के सुधार के संबंध में थी। इस योजना के अन्तर्गत इस जाति की कम से कम १२ पौंड प्रतिदिन दूध देने वाले ५० दुधारु भैंसों की उचित रख रखाव के लिए पांच रु० प्रति भैंस प्रतिमास की दर से आर्थिक सहायता दी जाती थी जिससे कि इस क्षेत्र के भदवारी नस्ल की भैंस पालने वालों को प्रलोभन मिल सके।

स्वीकृत किस्म के सांड़ों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से ऐसे केंद्र ग्राम खंडों की संख्या, जिनमें कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी थे, सन् १९५७-५८ में ७६ से बढ़ाकर ८३ कर दी गयी। इन खंडों में इस वर्ष कुल ८०,१४५ कृत्रिम गर्भाधान किये गये। ५६,५६२ गायों और भैंसों का इसके बाद इसी वर्ष गर्भाधान होने के संबंध में परीक्षण किया गया और इससे यह पता चला औसतन ५६.४५ प्रतिशत पशुओं के संबंध में कृत्रिम गर्भाधान संबंधी प्रयोग सफल न हुआ। इसके अतिरिक्त इन खंडों में पड़ने वाले क्षेत्रों में ३३,६८६ पशुओं को बधिया किया गया और ८,३३,५५१ पशुओं को टीके लगाये गये।

अन्य राज्य फार्मों में प्रजनन कार्यों के लिए विभिन्न नस्ल के १,१९६ गायें व १,१२२ भैंसें थीं। देसी नस्ल के पशुधन का विकास करने के हेतु रियायती मूल्य के आधार पर स्वीकृत नस्ल के ८७० सांड़ और ४६३ भैंसा सांड़ दिये गये।

दुग्धशाला विकास—आलोच्य वर्ष में अलीगढ़ के सेंट्रल डेरी फार्म ने ४,९४,२१७ पौंड दूध, १,७६,१९६ पौंड मक्खन, ९४,११३ पौंड घी, १४,६६५ पौंड क्रीम पनीर, ४५९ पौंड क्रीम और २,३९,६३१ पौंड सुअरों से प्राप्त सामग्री बेची।

लखनऊ के चक गंजेरिया फार्म में विभिन्न कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति करते रहे। ५०० एकड़ भूमि पर चारा का उत्पादन किया जाता रहा और १० एकड़ भूमि पर बागबानी की जाती थी। आलोच्य वर्ष में दुग्धशाला शाखा ने कुल ७,७२,९६८ पौंड दूध का उत्पादन किया जिसे लखनऊ कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन के द्वारा लखनऊ नगर के उपभोक्ताओं को बेचा गया। वर्ष की समाप्ति पर दुग्धशाला में १२६ साहीवाल गायें, ११९ मुर्रा भैंसें, ७२ साहीवाल ब्याने योग्य बछियाएं ८५ साहीवाल बछड़े, ९३ मुर्रा बछड़े, २५ बैल और ३ साहीवाल सांड़ थे।

डेयरी फार्मिंग में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों को तकावी ऋण के रूप में ३१,५०० रु० दिये गये। पशुपालन और दुग्धशाला में विद्यार्थियों को शिक्षित करने के हेतु (१) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरद्वार (सहारनपुर), (२) गांधी विद्यालय इंटर कालेज, नवाबगंज, (गोंडा), और (३) डी० एम० डिग्री कालेज, देवरिया की तीन शिक्षा संस्थाओं को अपने यहां दुग्धशाला यूनिट की स्थापना करने के लिए बीस-बीस हजार रु० की आर्थिक सहायता प्रत्येक संस्था को दी गयी।

गोशाला और गोसदन—दुधारू पशुओं, बैल तथा दुग्धशाला के अन्य उपकरणों की खरीद के लिए ७ गोशालाओं को प्रत्येक को १३,१०० रु० की दर से अनुदान दिये। गये निःशुल्क पशु चिकित्सा

संबंधी सहायता दिये जाने के अतिरिक्त गोशालाओं को अपने अनुपयोगी पशुओं को गोसदनों में भेजने के लिए यातायात की सुविधाएं प्रदान की गयीं।

उपयोगी पशुओं के लिए खुराक और चारा के साधन सुरक्षित रखने के हेतु वृद्ध, बेकार तथा छुट्टा घूमने वाले पशुओं को राज्य, जिला तथा निजी गोसदनों में भेज दिया गया। आलोच्य वर्ष में ६,३०० पशु गोसदनों में भरती किये गये।

घोड़ा और खच्चर संवर्द्धन---राज्य के १७ जिलों में घोड़ा संवर्द्धन कार्य हुए जबकि गदहा और खच्चर संबंधी संवर्द्धन कार्य केवल अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी-गढ़वाल और गढ़वाल के ४ पहाड़ी जिलों तथा एटा और मैनपुरी के जिलों तक ही सीमित रहे। राज्य में टी० बी० ई० अरबी, कठियावाड़ी और भोटिया नस्ल के २८ बीजाश्व और ९ बीज खच्चर थे तथा वे १,६२४ बार प्रयोग में आये। मुरादाबाद का बीजाश्व विभाग पुराने तथा नये खरीदे गये बीजाश्वों के रख-रखाव का केन्द्र बना रहा।

भेड़ और ऊन विकास---अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल और देहरादून के सीमावर्ती क्षेत्रों में भेड़ और ऊन के नियोजित विकास के लिए सन् १९५३ में जो योजना चालू की गयी थी वह संतोषजनक रूप से प्रगति करती रही। कुल मिलाकर ६ भेड़ प्रजनन फार्म (पशुलोक, ऋषिकेश के फार्म छोड़कर) और १० भेड़ा केन्द्र थे, जोकि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये थे। आलोच्य वर्ष में ७५ देशी भेड़ और ४० गद्दी बकरियां खरीदी गयीं।

पहाड़ी क्षेत्रों की देसी नस्ल की भेड़ों का सुधार करने के लिए उन्नत जाति की भेड़ें पैदा करने के उद्देश्य से ग्वालदम (गढ़वाल), पीपलकोठी (गढ़वाल) करमी (अल्मोड़ा) और डुंडाहसिल (टिहरी) के राजकीय भेड़ केन्द्रों में कार्य होते रहे। क्षेत्रीय आधार पर भेड़ और ऊन के विकास की कृषि अनुसंधान की भारतीय परिषद की योजना पर पीपलकोटी में कार्य होता रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में २२ भेड़ा केन्द्र कार्य कर रहे थे जहां से मौसम में संकरण के निमित्त निजी पालकों को उन्नत नस्ल के भेड़े दिये जाते हैं। देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में निजी पालकों को ऊन उत्पादन के आधार पर आर्थिक सहायता दी गयी।

उरई (जालौन), माधुरी कुण्ड (मथुरा), भरारी (झांसी), बाबूगढ़ (मेरठ), मथुरा और मखदून (मथुरा) में शुद्ध जाति के बीकानेरी पशु रखे गये। मैदानी क्षेत्र में २४ भेड़ा केन्द्र कार्य कर रहे थे। इनके अतिरिक्त राज्य में २४ भेड़ एवं ऊन विकास प्रसार केन्द्र भी थे। साथ ही मिर्जापुर जिले में इसी प्रकार के ४ और नये केन्द्रों के खोलने का प्रबन्ध किया गया, जिनमें प्रत्येक में ५० भेड़ें हों।

बकरी पालन---जमुनापारी और बारबरी बकरियों के क्षेत्र में उनके सुधार के निमित्त वित्त पोषित योजनाएं चालू रहीं। दूध के उत्पादन के आधार पर निजी पालकों को आर्थिक सहायता दी गयी। माधुरी कुण्ड (मथुरा), भरारी (झांसी), मथुरा, उरई (जालौन) और आटा (जालौन) के फार्मों में जमुनापारी नस्ल की बकरियों का रख-रखाव किया जाता रहा। एटा के मिशनरी पोलट्री फार्म में भी बरबरी नस्ल की एक छोटी यूनिट रखी गयी।

ग्वालदम (गढ़वाल) में अंगोरा बकरियों की पालन योजना चालू रही। आलोच्य वर्ष में सभी प्रकार के मेमनों की संख्या, जिनमें शुद्ध अंगोरा नस्ल के ५ थे, ५४ थी।

सुअर संवर्द्धन---सुअर संवर्द्धन में दिलचस्पी रखने वालों की, जो कि अधिकतर हरिजन थे, नस्ल सुधार के लिए मिडिल वाइट यार्कशायर सुअरों की मांग की पूर्ति अलीगढ़ के सेन्ट्रल डेरी फार्म द्वारा की गयी। साथ ही इस प्रकार इस संस्था द्वारा उन्नत नस्ल के सुअर रियायती मूल्य पर सुअर से प्राप्त वस्तुओं के उत्पादन के लिये खरीद लिये गये।

कुक्कुट पालन---आलोच्य वर्ष में सात और कुक्कुट पालन प्रदर्शन यूनिटें स्थापित की गयीं। प्रत्येक यूनिट में १०० पक्षी रखे गये। निजी कुक्कुट पालन फार्मों के मालिकों को ५,००० रु० की सहायता दी गयी। २१ कुक्कुट पालकों को कुक्कुट-गृहों (दाबो) की सुधार के लिए ५०-५० रु० अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी गयी। कुक्कुट पालन प्रसार केन्द्र खण्डों के १५ कुक्कुट पालकों

को राज्य कुक्कुट पालन फार्मों में ६ सप्ताह की ट्रेनिंग दी गयी। राज्य कुक्कुट पालन फार्मों से विकास के निमित्त ३१,९६३ पक्षी और १,७४,०३४ अण्डे वितरित किये गये इनके अतिरिक्त खाने के काम में ले आने के लिए ३,५१३ पक्षी तथा २५,६१७ चूजे बच गये।

१० अण्डे सेने वाली मशीनें और इतनी ही पालने वाली मुर्गियां, प्रत्येक ५० रु० की रियायती दर पर, कुक्कुट पालन में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को दी गयीं।

चक गजेरिया फार्म के कुक्कुट पालन खण्ड में वर्ष के अन्त में ३६३ मुर्गियां, १५१ मुर्गे और ३,००९ चूजे थे। आलोच्य वर्ष में कुल ३,२६० पक्षियों और ४,०७७ चूजों की सप्लाई विभिन्न विकास खण्डों को की गयी।

खाल उतारने की विधि का विकास---राज्य के ११ जिलों में अस्थि पंजरों के उचित उपयोग के लिए खाल उतारने वालों की १४ सहकारी समितियां संगठित की गयीं और उनकी रजिस्ट्री की गयी। प्रत्येक को ६,००० रु० की दर से आर्थिक सहायता दी गयी।

खाल उतारने की ट्रेनिंग प्रदान करने वाले ४ सचल दल थे जिन्होंने ग्राम क्षेत्रों के ५७९ खाल उतारने वालों को ट्रेनिंग दी। इनमें से ११३ खाल उतारने वाले उपरोक्त सहकारी समितियों के सदस्य थे। इन सचल दलों ने इस कार्य के १,३८३ व्यावहारिक प्रदर्शन किये और प्रशिक्षित खाल उतारने वालों को खाल उतारने के समुन्नत औजार के ५० सेट निःशुल्क वितरित किये।

बक्शी के तालाब का प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र आलोच्य वर्ष में समान गति से प्रगति करता रहा। ५७ ग्राम्य कारीगरों और २ वैभागिक उम्मीदवारों को खाल उतारने की, खाल साफ करने की तथा अस्थि पंजर के उपयोग के विधि की ट्रेनिंग इस केन्द्र में दी गयी। इसके अतिरिक्त बिहार और पश्चिमी बंगाल के एक-एक उम्मीदवारों को भी इस केन्द्र में ट्रेनिंग दी गयी। बड़े पशुओं के ४६७ और बकरियों के १२,६०८ अस्थि पंजर क्रमशः लखनऊ नगर से तथा बादशाहनगर स्थित जैविक औषधि निर्माणशाला से प्राप्त किये गये और उनकी सफाई, छंटाई आदि के फलस्वरूप १०५ मन १९ सेर हड्डी का चूरा, २१० मन ३५ सेर हड्डी, २६५ मन २९ सेर छिछड़ा मांस, ४६७ खालें और १२,६०८ बकरियों की खालें प्राप्त हुईं। इनकी बिक्री से ३४,०७५ रु० प्राप्त हुए।

राम नगर (नैनीताल) और मलगांव (एटा) स्थित दो राजकीय गोसदनों से १,५०६ खालें, १९३ मन १८ सेर हड्डी, ५१ मन ९ सेर ८ छटांक हड्डी का चूरा, १५ मन १३ सेर छिछड़ा मांस, ६ मन १३ सेर सींग, २ मन १२ सेर चर्बी और २५ सेर सींग का चूरा प्राप्त हुआ जिनका मूल्य १६,८३१ रु० था।

अस्थि पंजर के उपयोग का कार्य फर्रुखाबाद जि.ल के तकीपुर और सुलतानपुर जिले के जयसिंहपुर केन्द्रों में भी किया गय। इस वर्ष इन केन्द्रों में क्रमशः ३१५ मन और ३४५ मन वस्तुएं प्राप्त हुईं।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण---अगस्त, १९५८ में जिला पशुधन अधिकारियों को ८ महीने की ट्रेनिंग लेने के लिये इज्जतनगर स्थित भारतीय पशु अनुसंधान संस्था में भेजा गया। जैविक औषधि निर्माणशाला के एक लघु अनुसंधान सहायक को उपरोक्त संस्था में जैविक औषधियों के उत्पादन की टेक्नीक में ९ महीने की ट्रेनिंग लेने के लिये भेजा गया। इसी संस्था में ६ महीने का स्नातकोत्तर पुनर्ध्यापन (रिफ्रेशर कोर्स) पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए दो वेटेरिनरी सहायक सर्जनों को भेजा गया। एक पोल्टरी इन्सपेक्टर को मुर्गियों के प्रजनन संबंधी विषयों में ढाई महीने की और एक वेटेरिनरी सहायक सर्जन को कुक्कुट पालन के विषय में उच्च पाठ्यक्रम की ६ मास की ट्रेनिंग लेने के लिये इसी संस्था में भेजा गया।

जुलाई, १९५८ से दो उम्मीदवारों को मथुरा स्थित वेटेरिनरी कालेज में बी० वी० एस० सी० और ए० एच० पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया। दिसम्बर, १९५८ से १३ उम्मीदवारों को कालेज में कृत्रिम गर्भाधान की २ महीने की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया।

एक सहायक मत्स्य पालन विकास अधिकारी को मत्स्य पालन में चार सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स पूरा करने के लिए जुलाई, १९५८ में कलकत्ते भेजा गया।

तीन वरिष्ठ मत्स्य पालन इन्सपेक्टरों को अन्तरदेशीय मत्स्य पालन के विषय में १० महीने की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये जुलाई, १९५८ में कलकत्ता स्थित केन्द्रीय अन्तरदेशी मत्स्य पालन अनुसंधान केन्द्र भेजा गया।

प्रचार--विभाग ने जिलों में अनेक एक दिवसीय पशु एवं कुक्कुट प्रदर्शन आयोजित किये। इस वर्ष जिला और क्षेत्रीय पशु-प्रदर्शनियों और मेरठ में एक राजकीय पशुधन प्रदर्शनी आयोजित की गयी। राजकीय प्रदर्शनी में विभिन्न नस्लों के लगभग १,१९२ पशुओं और १,०३८ कुक्कुटों का प्रदर्शन किया गया। पारितोषिक प्राप्त करने वाले पशुओं के मालिकों को ११,३४३ रु० की धनराशि पुरस्कार में दी गयी।

दिल्ली की अखिल भारतीय पशु-प्रदर्शनी में भी राज्य ने भाग लिया। इस प्रदर्शनी में २३ खण्डों के अतिरिक्त १९४ पशु और २६४ कुक्कुट भेजे गये। पशु पालन के विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं को प्रकाशनार्थ भेजे गये तथा रेडियो-वार्ताएं भी प्रसारित की गयीं।

वेटेरिनरी कालेज तथा पशुपालन अनुसंधान केन्द्र--मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश का वेटेरिनरी कालेज तथा पशु पालन संबंधी अनुसंधान शाला पशु चिकित्सा की शिक्षा तथा अनुसंधान की दिशा में उपयोगी सेवाएं करता रहा। इस वर्ष कालेज ने अपने जीवन के १२ वर्ष पूरे कर लिये तथा पूर्णरूपेण प्रशिक्षित ४०५ स्नातक तैयार किये। तीन विद्यार्थियों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा किया।

जुलाई, १९५८ में पूर्व वेटेरिनरी परीक्षा द्वारा १०० छात्र बी० वी० एस० सी० और ए० एच० डिग्री कक्षाओं के प्रथम वर्ष में भरती किये गये। एम० वी० एस० सी० (प्रथम वर्ष) की कक्षा में १५ उम्मीदवार भरती किये गये। जुलाई, १९५८ से जून, १९५९ तक के शैक्षिक वर्ष में १२ विभागीय कर्मचारियों ने एक वर्ष के संक्षिप्त बी० वी० एस० सी० और ए० एम० पाठ्यक्रमों को पूरा किया। कालेज में छात्रों की कुल संख्या ४७६ थी।

आलोच्य वर्ष में डिग्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को ७० छात्रवृत्तियां दी गयीं, जिनमें योग्यता छात्रवृत्तियां, निर्धनता छात्रवृत्तियां और फीस की माफी भी सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त १५ विद्यार्थी अन्य अभिकरणों द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करते थे।

अन्तिम वर्ष के छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए बम्बई व आनन्द ले जाया गया और तीसर वर्ष के विद्यार्थी उत्तर प्रदेश व आस-पास के राज्यों के पशु-चिकित्सा संबंधी महत्व के स्थानों को देखने गये। साथ ही तृतीय वर्ष के छात्र गरमी की छुट्टियों में चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण के लिए राज्य के प्रमुख पशु-चिकित्सालयों में भेजे गये।

क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (वेटेरिनरी सहायक सर्जन और वेटेरिनरी अधिकारी) के लाभार्थ निम्न-लिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू किये गये--

१--कृत्रिम गर्भाधान की टेक्निक

२--क्षय रोग और जोन की बीमारी के इलाज की निदान संबंधी प्रणाली

३--गर्भपात के संक्रामक रोग के इलाज की निदान संबंधी प्रणाली

पशुपालन और पशुचिकित्सा विज्ञान के शिक्षकों तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा सामुदायिक योजना खण्डों के निरीक्षण कर्मचारियों के लाभ के लिए २ रिफरेशर ट्रेनिंग कोर्स मई-जुलाई, १९५८ में कालेज में आयोजित किये गये। प्रत्येक कोर्स एक महीने का था। इस प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से उम्मीदवार चुने गये थे।

पशु-अनुसंधानशाला की चारों शाखाओं अर्थात् पशु-प्रजनन विज्ञान शाखा, रोग एवं कीटाणु शाखा, मथुरा स्थित जिला दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म और भरारी स्थित पौष्टिक चारा शाखा द्वारा इस वर्ष जो कार्य किये गये उनका विवरण निम्न लिखित है--

पशु-प्रजनन विज्ञान शाखा--मथुरा में वीर्य बैंक की अग्रगामी योजना कार्य करती रही तथा वर्गीकृत वीर्य राज्य के अनेक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को भेजा गया। यह देखा गया कि जब एकत्र कि

गया वीर्य 'सीमेन' शिपर द्वारा भेजा गया तो गर्भाधान के हेतु उसकी क्षमता में किसी व्यक्ति द्वारा भेजे गये वीर्य की अपेक्षा ४० से ५० प्रतिशत की कमी हो गयी ।

वीर्य में मिलाने के लिए किसी उपयुक्त ऐसे पदार्थ की खोज करने के प्रयत्न किये गये, जिससे कि उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके ।

राज्य के कई फार्मों से दूध देने की मात्रा, दूध देने की अवधि, दूध न देने की अवधि तथा दो बिआव के बीच की अवधि आदि से संबंधित आवश्यक आंकड़ों का संकलन किया गया । गंगातीरी नस्ल की गायों के संबंध में जो आंकड़े एकत्र किये गये उनके विश्लेषण से यह पता चला कि दूध देने की इनकी औसत अवधि २४० दिन, दूध न देने की अवधि १९२ दिन, दो बिआवों के बीच की अवधि ५३० दिन और दूध देने की औसत मात्रा १,७८६ पौंड थी ।

रोग एवं कीटाणु शाखा---राज्य की रोग संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं पर यह शाखा अनुसंधान कार्य करती रही । खेतों से प्राप्त होने वाले नमूनों की भी यह जांच करती रही । साथ ही विभिन्न वैभागिक प्रदर्शनियों और पशु-प्रदर्शनियों में भी यह शाखा भाग लेती रही । गलघोंटू, खुरपका, क्षयरोग, जोन की बीमारी के संबंध में प्रयोगशालाओं में एवं खेतों में प्रयोग किये गये ।

जिला दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म---फार्म में अच्छी हरियाना गायें, मुर्रा भैंस, जमुनापारी बकरियां, बीकानेरी भेड़ें, सफेद लेगहार्न मुर्गियां और आर० आई० आर० मुर्गियां थीं । फार्म में उपलब्ध सुविधाओं का स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के लिए भरपूर उपयोग किया गया । साथ ही इनका उपयोग अनुसंधान करने वाले कर्मचारियों और छात्रों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में किया गया । फार्म में ३३४ हरियाना गायें, १८७ मुर्रा भैंसें, ४१ भेड़ें, १२२ बकरियां और ८६१ मुर्ग-मुर्गियां थीं । इस वर्ष कुल ४,४४,२०० पौंड दूध का उत्पादन किया गया और २७,२६८ अण्डे, १,२९१ पक्षियों और ९ सांभर विकास प्रयोजन के लिए वितरित किये गये । कृत्रिम गर्भाधान के निमित्त ५४ सांड़ भी वितरित किये गये ।

पौष्टिक चारा शाखा---राज्य में चारे के साधनों में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से शाखा नये-नये चारों की उपयोगिता के संबंध में अनुसंधान पूर्ववत् करती रही । नीला पेनिक घास के रासायनिक तत्वों का अध्ययन करने से यह विदित हुआ कि इसकी बाढ़ और उपज अच्छी होती है तथा यह स्वाद में रुचिकर भी होती है ।

संई नामक एक देसी घास की पाचकता के संबंध में किये गये प्रयोगों से पता लगा कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, किन्तु इसके साथ खनिज लवणों का भी होना आवश्यक है ।

भरारी फार्म के वातावरण में जमुनापारी बकरियों की बाढ़ और नस्ल सुधार के संबंध में अध्ययन किये गये ।

गुआर गोंद उद्योग से प्राप्त एक गुआर का चूरा नामक पदार्थ में गुआर की उपस्थिति अधिक मात्रा में पायी गयी और यह मूंगफली की खली के समतुल्य सिद्ध हुई ।

इस शाखा ने विकास प्रदर्शनियों में प्रदर्शन करने का आयोजन किया और विभिन्न साधनों से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण भी पूर्ववत् करता रहा ।

कृषि अनुसंधान की भारतीय परिषद् की निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में भी व्यापक अनुसंधान किये गये---

१---ठांठ गायों की बन्ध्यापन के संबंध में जांच (यह योजना ३१ जुलाई, १९५८ तक ही जारी रही)।

२---उत्तर प्रदेश के पशुओं म छूत से होने वाले गर्भपात के संबंध में जांच करने की योजना (इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं में पाये जाने वाले ब्रूसोलासिस को नष्ट करने और उसके नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपाय का पता लगाना था । यह रोग छूत से मनुष्यों को भी हो सकता है । आलोच्य वर्ष में यह योजना कार्यान्वित थी) ।

(१०) मत्स्य पालन

तालाबों में मछलियों को पालना और चुने हुए केंद्रों का विकास कार्य जारी रहा। ३,४६,३०,६३८ छोटी व ३६,७०,६६७ बीजी मछलियों को पकड़ कर जलाशयों में डाला गया, जिससे बड़े होने पर उन्हें बेचा जा सके। वैभागिक मत्स्यालयों में, जिनका क्षेत्रफल २०,७२०.२१ एकड़ था, २१,४६,५५४ बीजी मछलियां डाली गयीं। इनके अतिरिक्त पाहुज, बरबार, कीयम और शारदा सागर के जलाशयों में जिनका क्षेत्रफल २०,४९७ एकड़ था, ४४६ बीजी मछलियां डाली गयीं। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में बड़ी प्रचलित जातियों की अर्थात् रोहू, नैन, कटला और कलबौस प्रकार की कुल ४०,०२,००३ बीज मछलियां जलाशयों में डाली गयीं। आलोच्य वर्ष में देहरादून के हिमालय प्रयोगात्मक फार्म को और तराई राजकीय फार्म को ३,००४ बीजी मछलियों की सप्लाई की गयी।

वाराणसी के प्रशिक्षण केन्द्र में छात्रवृत्ति पाने वाले १० शिक्षार्थियों और ६ वैभागिक प्रशिक्षार्थियों को मत्स्य पालन में प्रशिक्षित किया गया।

लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, झांसी, बरेली और जौनपुर की वैभागिक दूकानों और नैनीताल व मसूरी की मौसमी दूकानों पर जनता को उचित मूल्य पर मछली प्राप्त होती रही। इन दूकानों ने १,५३,८३१ रु० की ४,६६२ मन मछलियां बेचीं।

केन्द्रीय अन्तरदेशीय मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता से साइप्रीनस कैप्रियो जाति की ८० छोटी मछलियां खरीदी गयीं और उनके संबंध में अध्ययन जारी रहा। लखनऊ की केन्द्रीय मत्स्य अनुसंधान प्रयोगशाला ऐसी क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में संलग्न रही, जिनका सीधा प्रभाव राज्य में मत्स्य पालन के विकास पर पड़ता है।

आलोच्य वर्ष में मत्स्यालय के योग्य ४८ तालाब, बीज मछलियां डालने के लिए अधिगृहीत किये गये और अधिक संख्या में मछलियों के जीवित रखने के लिए ६१ मत्स्यालयों को सुधारा गया। पहाड़ी क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की ताजे पानी की मछली (ट्राउट) के विकास के हेतु कल्दपानी मीनाशय के जीर्णोद्धार का काम पूरा किया गया।

मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के हेतु मत्स्य पालन के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए १३ तालाबों के सुधार का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया और इनमें २४,०७,२७२ बीज मछलियां डाली गयीं।

जनता को मछली पालने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों आदि को १५,४६,०८६ बीज मछलियां ४ रु० प्रति हजार (मीनाशय में) की रियायती दरों पर बांटी गयीं तथा भाड़ा व्यय में ५० प्रतिशत की और रियायती छूट दी गयी। मछुओं को जीविका के अच्छे साधन उपलब्ध करने व उनकी आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने के लिए मछुओं की ८ सहकारी समितियां स्थापित की गयीं और उन्हें ५०,००० रु० तक का सहायतार्थ अनुदान दिया गया।

इलाहाबाद में 'कोल्ड स्टोरेज प्लांट' के लगाये जाने का कार्य पूरा हुआ और प्राविधिक सहकार योजना (टी० सी० एम०) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त कोल्ड स्टोरेज केबिनेट, लखनऊ की मछली की दूकान में लगायी जा रही थी।

(११) वन

वन सम्पत्ति उपयोग परामर्शदात्री परिषद्—७ अगस्त, १९५८ को वन सम्पत्ति उपयोग परामर्शदात्री परिषद् की एक बैठक बरेली में हुई। विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई के संबंध में, विशेष रूप से इंडियन टरपेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी तथा अन्य छोटे उद्योगों को रेजिन की सप्लाई से संबंधित विभिन्न मामलों पर परिषद् ने विचार किया।

भूमि प्रबन्धक बोर्ड—भूमि प्रबंधक बोर्ड ने अपनी आठवीं बैठक, मथुरा में २३ नवम्बर, १९५८ को की। बदरीनाथ मंदिर की बर्फीले चट्टानों से रक्षा करने, अधिक से अधिक अच्छे ढंग से भूमि का उपयोग करने, सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने, कृषकों और गांव समाजों की भूमि पर वृक्षारोपण करने और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के प्रश्नों पर इसमें विचार

किया गया। वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण की अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के संबंध में भी परिषद् ने विचार किया।

वृक्षारोपण, वन रोपण और सड़क के किनारे वृक्ष लगाना—वृक्षारोपण और वन रोपण का कार्य तेजी से चल रहा था। आलोच्य वर्ष में इस कार्य के लिए ४३,५६३ एकड़ भूमि ली गयी जबकि सन् १९४६ में २,४७७ और १९५५ में १८,८९९ एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण व वन रोपण किया गया था।

वृक्षारोपण मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित था—

(क) साल एवं अन्य विविध वृक्षारोपण जिसमें दियासलाई की लकड़ी व खेल-कूद के सामान की लकड़ी का वृक्षारोपण

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण

(ग) नहरों के किनारे वृक्षारोपण

(घ) भूमि-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

(ङ) संरक्षित वनों में और भूमि प्रबंध वृत्त के ऊसर भूमि खण्डों में वनरोपण

(च) सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।

उपरोक्त में से प्रत्येक के संबंध में जो कार्य हुए हैं, उनका विवरण यहां दिया जा रहा है—

१—साल और प्रकीर्ण जातियां—आलोच्य वर्ष में २३,७१९ एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। जिन मुख्य जातियों का वृक्षारोपण किया गया वे साल, खैर, शीशम, सागौन, हल्दू, शहतूत, संदन, गूतल, सेमल, कांजू, पूला, तून, सिरिस और बनरंग थीं।

२—पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण—वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत टिहरी और कुमायूं वृत्त के पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से विविध प्रकार के वृक्षों के रोपण का विचार था। आलोच्य वर्ष में खेलकूद और अन्य उद्योगों के लिए ७,१९१ एकड़ से अधिक भूमि पर मुख्य जातियों के जो वृक्ष लगाये गये उनमें ऐश, अखरोट, पहाड़ी शहतूत, मांपल आदि के वृक्ष थे।

३—नहरों के किनारे वृक्ष लगाना—आलोच्य वर्ष में नहरों के किनारे-किनारे ७७८ एकड़ भूमि पर (लगभग ८५ मील) नया वृक्षारोपण किया गया। लगाये गये वृक्षों में सीसों, अरू, बबूल, खैर, सिरिस, सागौन, सेमल, प्रस्कोपिया, जुलीफ्लोरा, तून,नीम, जामुन, कंजी, महुवा, अर्जुन, काजू और आम के वृक्ष थे। इसके परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक रहे। पिछले ११ वर्षों में नहरों के किनारे-किनारे लगभग १,०७७ मील तक वृक्ष लगाये जा चुके हैं।

४—भूमि संरक्षण एवं वनरोपण योजना—इन योजनाओं के अन्तर्गत भूमि-क्षरण एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए आलोच्य वर्ष में ४,६९२ एकड़ पर वृक्षारोपण किया गया।

५—संरक्षित वन और परती भूमि खण्ड—आलोच्य वर्ष में भूमि प्रबन्धक वृत्त में संरक्षित और परती भूमि के ७,१५६ एकड़ पर वृक्षारोपण किया गया। इसमें यमुना और चम्बल के खारों के संरक्षित वनखण्डों और आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी और इटावा जिलों में उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा वनरोपण योजना के अन्तर्गत सरकार में निहित परती भूमि के ४,१८२ एकड़ भूमि भी सम्मिलित थे। खारों में कण्टूर बंदिशों और दरारों को भरने तथा पानी से घिरे हुए क्षेत्रों में मेड़बन्दी व वृक्ष लगाने और ऊसर क्षेत्र की अच्छी मिट्टी वाले भागों में बोआई करने के बजाय मजबूत बेहन लगाने के कार्यों से संतोषजनक फल प्राप्त हुए। इनमें प्रायः ९५ प्रतिशत सफलता मिली।

चरायी वाले क्षेत्र के आसपास अंजना, नड़गिबरी, मंजूरा आदि जैसे चारे और चराई के घासों का प्रयोग जारी रखा गया। इनके परिणाम संतोषप्रद रहे। पशुओं से रक्षित बाड़ोंमें घासों की बाढ़ के संबंध में अध्ययन करने के लिए विभिन्न डिवीजनों में उन्नत प्रकार के घासों की बोआई चकों में की गयी।

६—सड़क के किनारे के वृक्ष—पूर्वगामी वर्ष के ५४ मील की तुलना में १९५८-५९ वर्ष में लगभग ८९ मील की लम्बाई में सड़कों पर वृक्ष लगाये गये। इस कार्य में प्रायः

९० प्रतिशत सफलता मिली। पौधों के चारों ओर ३-३ फुट की गोली खाइयां बनाई गयी और बबूल की झाड़ लगा दी गयी। इस प्रकार मनुष्य और पशु द्वारा होने वाली क्षति से पौधों की सुरक्षा की जा सकी और साथ ही पौधों में नमी बनाये रखने में सहायता मिली।

वृक्षारोपण करने के अतिरिक्त सड़कों के किनारे जहां कहीं काफी स्थान उपलब्ध हो गया बबूल बो दिया गया।

द्वितीय आयोजना के अधीन विकास योजनाएं—राज्य के वर्तमान वनों के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय आयोजनाओं में जो परियोजनाएं सम्मिलित की गयीं, उनमें ८ पूर्वगामी वर्ष से चालू थीं और अन्य पांच आलोच्य वर्ष में आरम्भ की गयीं। इन योजनाओं के अधीन आलोच्य वर्ष में जो कार्य हुआ वह आगे के अनुच्छेदों में दिया जा रहा है—

१—कुमायूं में फल वृक्षों का लगाना—कुमायूं, चकराता और टिहरी-गढ़वाल में अखरोट, मीठे चेस्टनट और बादाम के मूल्यवान फल वृक्षों को लगाने के उद्देश्य से यह योजना चालू की गयी। आलोच्य वर्ष में लगभग ७०,००० रु० की लागत से लगभग २५,००० फलवृक्ष यहां लगाये गये।

२—सरकार में निहित निजी वनों तथा विलीनकृत राज्यों व अन्तर क्षेत्रों और भूमि प्रबन्धक वृत्तों के कर्मचारियों के लिए आवास और जल सप्लाई की व्यवस्था—इस योजना के अधीन भूतपूर्व निजी वनों व परती भूमि को जमींदारी उन्मूलन के बाद, जो वन विभाग द्वारा हस्तगत कर ली गयी, के प्रबन्ध के लिए रखे गये वन विभाग के कर्मचारियों और भूतपूर्व टिहरी-गढ़वाल रियासत तथा भूमि प्रबन्धक वृत के कर्मचारियों के लिए १९३ इमारतों का निर्माण करना था। आलोच्य वर्ष में लगभग ३ लाख ४७ हजार रुपये की लागत से ५७ इमारतों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया।

३—वन संबंधी शिक्षा—फारेस्टर और फारेस्ट गार्डों का प्रशिक्षण—इस योजना का उद्देश्य वन विभाग के कर्मचारियों को वन संबंधी विषय में प्रशिक्षित करना था। आलोच्य वर्ष में ६५,०९५ रु० की लागत से २४ फारेस्टरों और ७५ फारेस्ट गार्डों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष के उत्तरार्द्ध में इन प्रशिक्षणों के लिए वन विभाग के कर्मचारियों का चुनाव कर लिया गया और इस पर ४५ हजार रुपया व्यय होने की संभावना थी।

४—लाख की खेती का विकास—आलोच्य वर्ष में लाख के फार्म स्थापित करने का कार्य हो रहा था। १,०६,३६९ वृक्षों की छँटाई आदि की गयी और रख-रखाव किया गया, जिन पर लगभग ४४,००० रु० की लागत आयी। लाख की खेती से लगभग १८९ मन लाख प्राप्त हुआ।

५—वन पशुओं की सुरक्षा—इस योजना के अनुसार वनों में शिकारियों और चोरी से शिकार करने वालों द्वारा व्यापक रूप से वन्य पशुओं का संहार रोकना, वन्य पशुओं का सामान्य विकास करना, नेशनल पार्कों और पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों का प्रबन्ध करना और पर्यटकों के लिए उनका विकास करना था। आलोच्य वर्ष में नेशनल फार्मों और वन्य पशुओं के सुरक्षित स्थानों का इनके भीतर निर्मित सड़कों व इमारतों का रख-रखाव किया जा रहा था और इस पर लगभग ३,९७,००० रु० का व्यय हुआ।

६—औद्योगिक महत्व के वृक्षों का रोपण जिनमें दियासलाई उद्योग में भी काम आने वाले वृक्ष सम्मिलित थे—इस योजना के अन्तर्गत १२,५०० एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया तथा उनका रख-रखाव किया गया। अगले वर्ष की बोआई के लिए भूमि तैयार करने के काम जारी रहा। इन कार्यों पर आलोच्य वर्ष में लगभग १८ लाख ३४ हजार रु० व्यय हुए।

७—द्वितीय विश्व युद्ध के समय में तथा सूखाक्रांत क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त साल के वनों में पुनः साल के वृक्षों को लगाना—इस योजना के अन्तर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के समय में तथा सूखा के क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव था। आलोच्य वर्ष में ३,१५० एकड़

भूमि में बोआई की गयी, उन पर वृक्ष लगाये गये और उनका रख-रखाव किया गया। आगामी वर्ष के वन रोपण के लिए भूमि तैयार की जा रही थी। इस योजना पर आलोच्य वर्ष में लगभग ३ लाख ९७ हजार रु० व्यय हुए।

८—कुमायूं में प्रथम श्रेणी के वनों का विकास—इस योजना का उद्देश्य द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना अवधि में वन विभाग के प्रबन्ध में कुमायूं क्षेत्र के ५ लाख एकड़ पर प्रथम श्रेणी के वन लगाना था। आलोच्य वर्ष में वन विभाग द्वारा १ लाख एकड़ भूमि पर ५ लाख ९१ हजार रु० की लागत से निशानबन्दी, वृक्ष लगाने और भूमि का विकास करने आदि का काम किया गया।

९—वन-संचार का विकास—इस योजना का उद्देश्य आयोजना अवधि में ३० लाख रु० की लागत से २४८ मील लम्बी सड़कों का निर्माण करना है। आलोच्य वर्ष में २०९ मील लम्बी मोटर सड़क, और दो पुलों के निर्माण का कार्य और लगभग १९५ की लम्बाई तक टेलीफोन की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य किये गये।

१०—निजी वनों का प्रबन्ध—इस योजना का उद्देश्य स्टाक में सुधार करना और उन वनों में मूल्यवान जाति के वृक्षों का तैयार करना था जो जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् वन विभाग के नियंत्रण में आ गये थे। आलोच्य वर्ष में ४,६३० एकड़ पर बोआयी की गयी, उन पर वृक्ष लगाये गये और उनका रख-रखाव किया गया। आगामी वर्ष के वृक्षारोपण के लिए भूमि तैयार की गयी। आलोच्य वर्ष में कुल ४ लाख ८४ हजार रु० व्यय हुआ।

११—सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों में गंगा खोलों में वनरोपण—इस भूमि संरक्षण एवं वन रोपण योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में १,६८३ एकड़ भूमि पर बोआयी की गयी, उन पर वृक्ष लगाये गये और उनका रख-रखाव किया गया। आगामी वर्ष जिस भूमि पर वृक्षारोपण किया गया था, वहां भूमि तैयार करने का कार्य किया गया। आलोच्य वर्ष में १ लाख ५१ हजार रु० व्यय हुए।

१२—मेरठ और बुलन्दशहर जिलों में गंगा और यमुना के कैचमेंट क्षेत्र में वन रोपण—द्वितीय आयोजना अवधि में वन विभाग द्वारा आरम्भ की गयी भूमि संरक्षण एवं वन रोपण की यह दूसरी योजना थी। आलोच्य वर्ष में २,२७९ एकड़ भूमि पर बोआयी की गयी, वृक्ष लगाये गये और उनका रख-रखाव किया गया तथा आगामी वर्ष के वृक्षारोपण के लिए भूमि तैयार की गयी। इस पर लगभग १ लाख ३९ हजार रु० का व्यय हुआ।

१३—गढ़वाल और बिजनौर जिलों में गंगा और इसकी सहायक नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में वन रोपण—इस वन रोपण के भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत ७६२ एकड़ भूमि पर वृक्षा- रोपण किया गया और भूमि-क्षरण रोकने के कार्य किये गये। आगामी वर्ष के वृक्षारोपण के लिए भूमि तैयार करने का भी कार्य किया गया। इस पर व्यय लगभग १ लाख १३ हजार रु० हुआ।

वनोपज की सप्लाई—(१) इमारती लकड़ी—इमारती लकड़ी के टुकड़ों को सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचने के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की लकड़ी जैसे सेमल, हल्द, कन्जू, बौरंग आदि आपसी समझौते द्वारा कारखानों को आलोच्य वर्ष में बेची गयीं।

दिसम्बर, १९५८ तक रेलवे को साल के २,२४,०७१ साधारण स्लीपर और १,६१,५१७ घनकुट विशेष स्लीपर सप्लाई किये गये। यह चौड़ के ३,१४,६७५ स्लीपरों और अन्य प्रकार की लकड़ियों के ८,१२१ स्लीपरों की सप्लाई के अतिरिक्त था। इन स्लीपरों का कुल मूल्य ६२ लाख ८ हजार रु० था।

(२) ईंधन और कोयला—लखनऊ के नगर को नियन्त्रित मूल्य पर जलाने की लकड़ी की सप्लाई पूर्ववत की जाती रही। सेना तथा छोटे उद्योगों को भी जलाने की लकड़ी सप्लाई की जाती रही।

आलोच्य वर्ष में ३,४५,००० मन लीसा निकाला गया और इसका अधिकांश भाग सन् १९४२ में रेजिन सप्लाई समझौते के अधीन इन्डियन टर्पिटाइन और रेजिन कम्पनी लिमिटेड क्लटरबकगंज को सप्लाई किया गया। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छोटे कारखानों सहकारी समितियों को भी लीसा की सप्लाई की गई।

सहकारी समितियों को सहायता करने के उद्देश्य से लीसा इकट्ठा करने व उसके लाने ले जाने का कुछ काम सहकारी समितियों को सौंप दिया गया।

अनुसंधान और प्रयोग---अनेक वन सम्बन्धी समस्याओं पर विशेष रूप से साल लकड़ी के पनरुद्धार, लीसा निकालने की विधियों, पौधघरों से सम्बन्धित विषयों और सर्पगन्धा के प्रचार पर आलोच्य वर्ष में अनुसन्धान एवं प्रयोग जारी रहे।

कार्य योजनाएं (वर्किंग प्लान्स)---वनों का प्रबन्ध तथा उसका उपयोग कार्य योजनाओं पर आधारित रहा, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा। आलोच्य वर्ष में गढ़वाल, रामनगर, सहारनपुर और देहरादून के वन डिवीजनों और गोंडा तथा गोरखपुर जिलों के निजी वनों के कार्य योजनाओं को पूरा किया गया। दक्षिणी खीरी वन डिवीजन की और उत्तरी-खीरी तथा दक्षिणी खीरी के वन डिवीजनों के निजी और उत्तर काशी, सोन और बिजनौर वन डिवीजनों के कार्य योजनाओं का संशोधन कार्य आरम्भ किया जाने को था।

अभाव की स्थिति में सहायता कार्य---आलोच्य वर्ष में जिला अधिकारियों को इस आशय के दिये गये आदेश भी जारी रहे कि वे वन विभाग के अधिकारियों से परामर्श करके, अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए वनों को चराई के हेतु खोलने तथा चारे की व्यवस्था करने और इमारती लकड़ी, छाने की चीजें आदि के सम्बन्ध में अभाव की स्थिति का सामना करने के लिए वनों के साधनों का उपयोग करते रहें।

वित्तीय स्थिति---सन १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में वन विभाग को २ करोड़ ९१ लाख रु० की अतिरिक्त राजस्व को प्राप्ति हुई। सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में लगभग २ करोड़ ७४ लाख रु० की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का अनुमान था।

(१२) विद्युत्

विद्युत विभाग के अन्तर्गत नये क्षेत्र लिए गये और राज्य के लगभग ४६ जिलों के शहरी, ग्राम्य, औद्योगिक व अन्य प्रकीर्ण उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई की जाती रही। विदेशी मुद्रा विनिमय की कठिनाइयों के कारण अनेक बड़ी परियोजनाओं के कार्य की प्रगति मन्द पड़ गई और नाताटीला बांध बिजलीघर की परियोजना को विशेष रूप से छोड़ ही देना पड़ा।

पूर्वी जिले---पूर्वी क्षेत्र विद्युत् परियोजना और मैनपुरी परियोजना के अन्तर्गत सोहवल (फैजाबाद), गोरखपुर, मऊ (आजमगढ़) और मैनपुरी के नये वाष्प चालित बिजलीघर, जिन्हें गत वर्ष चालू कर दिया गया था, आलोच्य वर्ष में प्रायः पूर्ण रूप से तैयार हो गये। पूर्वी क्षेत्र के तीन बिजली घर (प्रत्येक १५,००० किलोवाट) अब राज्य के लगभग १,२०० नलकूपों और नदी पंपिंग परियोजनाओं को बिजली की सप्लाई करते रहे। इनके चालू होने के पूर्व इन्हें बारी-बारी के आधार पर बिजली की सप्लाई मिलती रही। यह बिजली घर अब पूर्वी जिलों के अधिकांश प्रमुख नगरों को भी बिजली की सप्लाई करते रहे। विभागिक विद्युत वितरक लाइनों के पड़ोस के छोटे पैमाने के उद्योगों और अन्य ग्राम्य एवं कृषि उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में बिजली की सप्लाई की जाती रही।

मैनपुरी का १०,००० किलोवाट का चौथा बिजलीघर अब लगभग २४० नलकूपों को बिजली देने के अतिरिक्त अनेक कस्बों, शीतागार प्लान्टों और अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों को बिजली की सप्लाई करता रहा।

आलोच्य वर्ष में बहराइच के डीजल बिजली घर की क्षमता १,६५० किलोवाट से बढ़ा कर ३,१३६ किलोवाट कर दी गई। यह वृद्धि २८० किलोवाट के ४ सेटों और २०६ तथा १८० किलोवाट के एक-एक सेट की और स्थापना द्वारा की गई। यह बिजलीघर नलकूपों और बहराइच तथा गोंडा जिलों के कस्बों को बिजली की सप्लाई करता रहा।

इन बिजली घरों के चालू किये जाने से इन क्षेत्रों में काफी बड़ी मात्रा में बिजली की सप्लाई उपलब्ध हो गई, जोकि अभी तक बिजली की सुविधा से वंचित थे। इस विद्युत शक्ति का उपयोग करने के हेतु लगभग १४५ मील लम्बी ऊंचे वोल्टेज की वितरक लाइनों का निर्माण, १४६ नलकूपों और २० कस्बों में बिजली पहुंचाने के लिए किया गया।

बिजली उपलब्ध होने के फलस्वरूप अभाव ग्रस्त क्षेत्रों की जनता को अपने रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए और अधिक अवसर प्राप्त हुआ।

शारदा ग्रिड——पूर्वगामी वर्ष १३२ के० वी० लाइनों द्वारा शारदा ग्रिड व गंगा ग्रिड के जोड़ने का कार्य पूरा हो जाने के फलस्वरूप कि ग्रिड से दूसरे ग्रिड में विद्युत् शक्ति का स्थानान्तरण किया जा सका जिससे कि दोनों ग्रिडों के विद्युत साधनों का और अधिक उपयोग किया जा सका। कुमायूं पहाड़ी के भीतरी भागों में बिजली सुविधाओं के विस्तार की परियोजना पर कार्य जारी रहा और गोला—लखीमपुर ३३ के० वी० लाइन का कार्य पूरा किया गया और बिजली दौड़ा दी गयी। ३३ के० वी० गोला कुमार लाइन का काम पूरा हुआ और आलोच्य वर्ष में ६६ के० वी० मोहमदी गोला लाइन का कार्य चालू रहा। ३३ के० वी० लखनऊ डालीगंज लाइन, पश्चिमी हरदोई तथा रहीमाबाद और रहमान खेड़ा के राजकीय भूमि सुधार फार्मों की लाइनों का कार्य आरम्भ किया गया और कार्य में प्रगति हुई। गोला में ३ एम० वी० ए० ६६/३३ के० वी० का एक ट्रांसफार्मर चालू किया गया। ६६/३३/११ के० वी० उप बिजली घरों का कार्य प्रगति पर था।

आलोच्य वर्ष में विभिन्न ग्राम और औद्योगिक उपभोक्ताओं, लगभग ८५ नलकूपों और ६ कस्बों को बिजली देने के लिए आवश्यक उप-बिजलीघरों सहित लगभग ६४ मील लम्बी ११ के० वी० मेन ग्राम लाइनों का निर्माण किया गया।

कई अधिक महत्वपूर्ण कंट्रोल के स्थानों में कैरियर टेलीफोन की सुविधाओं का पूरा विस्तार किया गया।

गंगा ग्रिड——रुड़की और मुरादाबाद में १३२ के० वी० उप बिजली घरों के निर्माण का कार्य जिसे सन् १९५६ में आरम्भ किया गया था, आलोच्य वर्ष में पूरा किया गया और उप बिजलीघरों को चालू किया गया। आशा की जाती थी कि नदी के पार बिना खम्भों के दौड़ाये गये तार भारत में इस प्रकार का सबसे बड़ा होगा।

केवल हिन्डन नदी के पार तार दौड़ाने के कार्य को छोड़कर रुड़की और सहारनगर के बीच ६६ के० वी० लाइन का कार्य पूरा हुआ। सहारनपुर में उप-बिजलीघरों का कार्य, जिन्हें गतवर्ष आरम्भ किया गया था, प्रगति पर था।

मेरठ और मोदीनगर में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के हेतु मुरादाबाद से मेरठ तक ६६ के० वी० की एक अस्थाई लाइन का निर्माण-कार्य पूरा किया गया और उसमें बिजली दौड़ा दी गई। मोदीनगर के ६६ के० वी० स्टेप डाउन उप-बिजलीघर का कार्य जारी रहा।

सहारनपुर और मेरठ में डी० सी० बिजली की मांग बहुत बढ़ गई थी। इस मांग को पूरा करने के लिए दोनों स्थानों में दो तीन—तीन सौ किलोवाट क्षमता वाले मर्करी/आर्क रेक्टीफीयर लगाने का कार्य आरम्भ किया गया। मेरठ में रेक्टीफायर लगा दिये गये और उनसे व्यावसायिक कार्यों के लिये बिजली दी जाने लगी।

मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में बिजली की मांग म वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप मुजफ्फर-नगर और सालवा के बीच ३७.५ के० वी० दोहरी सरकिट लाइन को फिर से सीधी करने का और खतौली में ३७.५/११ के० वी० के एक स्टेप डाउन उप-बिजलीघर का निर्माण करने का निश्चय किया गया। आलोच्य वर्ष में ३७.५ के० वी० लाइन डिवीजन का कार्य पूरा किया गया और शेष कार्य लगभग समाप्त प्राय था।

चन्दौसी में उप-बिजलीघर के प्रसार का कार्य सभी प्रकार से पूरा किया गया।

मोदीनगर उप-बिजलीघर के प्रसार का कार्य पूरा किया गया और ६६ के० वी० मोदीनगर, गाजियाबाद लाइन में बिजली दौड़ा दी गई। मोदीनगर में एक विशेष यन्त्र (प्रोटेक्टिव गियर) बैठाने का कार्य परा हुआ और उसे चालू भी किया गया।

देहरादून में ६६/६.६ के० वी० उप-बिजली घर के निर्माण का कार्य पूरा हुआ और लाइन में बिजली दौड़ा दी गई। नजीबाबाद से कोटद्वारा तक ३७.५ के० वी० लाइन तथा कोटद्वारा में ३७.५ के० वी० के एक उप-बिजलीघर के निर्माण का कार्य पूरा हुआ और उन्हें चालू किया गया। इन निर्माण-कार्यों के अतिरिक्त रामपुर में ६६ के० वी० के एक उप-बिजलीघर का निर्माण-कार्य प्रगति पर था।

यमुना जल विद्युत् परियोजना (प्रथम चरण)——यमुना जल-विद्युत परियोजना प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्माण-कार्य के हेतु आवश्यक बिजली सुलभ करने के लिए डीजल बिजलीघर के निर्माण-कार्य, सम्बद्ध वितरक लाइनों और प्रारम्भिक नागरिक कार्य पूरे किये गये। देहरादून से धकरानी तक एक ३७.५ के० वी० लाइन और ढकरानी में एक डिजल बिजली के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। डीजल बिजली घर चालू रहा, निर्माण-कार्यों को और देहरादून जिले के छोहारपुर कस्बे को बिजली की सप्लाई करता रहा।

यमुना जल विद्युत परियोजना (प्रथम चरण) के अन्तर्गत क्रमशः १७,००० कि० वा० और ३४,००० किलोवाट की प्रस्थापित क्षमता वाले दो पन बिजलीघरों का निर्माण किया जाना था। किन्तु योजना आयोग ने यह निश्चय किया कि पहले पनबिजलीघर (प्रथम चरण) के बहाव के नीचे की ओर ६ मील पर एक बांध (कोंच बांध) के निर्माण की सम्भावना पर पूर्णरूप से जांच कर लिया जाय। ऐसा ही किया गया क्योंकि यदि कोंच बांध का अन्तिम रूप से निर्माण किया जाता तब प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्मित पनबिजलीघर जलमग्न हो जाते। अतएव परियोजना के प्रथम चरण पर कार्य रुक गया। द्वितीय चरण की जांच एवं सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया और वर्ष के अन्त में परियोजना का एक तखमीना तैयार किया जा रहा था।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग बहुत जोरदार थी और बिजली के भार की दशा काफी चिन्ताजनक थी। चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में यमुना परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत पनबिजलीघरों के निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जाना था, पहले से ही स्वीकृत किये गये एक ३० एम० डब्लू० सेट के अतिरिक्त राज्य को अपने वादों को पूरा करने के हेतु गंगा ग्रिड के हरदुआगंज वाष्प चालित बिजलीघर में एक अतिरिक्त ३० एम० डब्लू० जेनरेटिंग सेट के निर्माण के लिए भारत सरकार राजी हो गई। अतएव अब हरदुआगंज के वर्तमान वाष्पचालित बिजलीघर की प्रस्थापित क्षमता ६०,००० किलोवाट होगी।

इन उपायों द्वारा गंगा ग्रिड की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने का अनुमान किया जाता था। साथ ही यह भी आशा की जाती थी कि इन उपायों द्वारा विभाग आगरा, इटावा और मथुरा जिले के उन काफी बड़े क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई का विस्तार कर सकेगा जहां अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं थी।

हरदुआगंज वाष्पचालित बिजलीघर की परियोजना ही एक ऐसी परियोजना थी जिसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना अवधि में गंगा ग्रिड की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। इस परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अनेक प्रारम्भिक कार्यवाहियां की गईं और पर्याप्त मात्रा में मुद्रा विनिमय की सुविधा उपलब्ध किये जाने के प्रश्न पर भारत सरकार से बातचीत की गई।

यमुना जल विद्युत् परियोजना (द्वितीय चरण)——यमुना जल विद्युत योजना (द्वितीय चरण) जो टोंस नदी पर कार्यान्वित होने वाली है, का निर्माण बाद के प्रस्तावों के अनुसार दो चरणों में होगा। आलोच्य वर्ष में योजना सम्बन्धी सर्वेक्षण और उसे तैयार करने तथा ड्रिलिंग की कार्यवाही की गई। कोंच योजना के सर्वेक्षण और तैयार करने का काम और ड्रिलिंग की कार्रवाई की गई। कर्मचारियों के लिए कुछ अस्थायी इमारतें बनाई गईं।

टोंस नदी जहां पर यमुना नदी से मिलती है वहां से लगभग १८ मील बहाव के ऊपर के स्थान पर टोंस नदी दो तेज घुमाव लेती है और उस स्थान पर इन कई घुमावों में उसका धरातल लगभग ५५० फुट नीचा हो जाता है। प्रथम चरण के अधीन टोंस नदी पर ६५ फुट ऊंचा एक सीधा ग्रेविटी बांध बनाया जायगा जिससे कि नदी का पानी एक लाख चालीस हजार विस्थापित क्षमता वाली बिजलीघर के लिए उपलब्ध हो सकेगा। यह जल ३.८७ मील लम्बे और २२ फुट व्यास वाले एक सुरंग द्वारा ले जाया जायगा जिससे की पहले घुमाव की दूरी कम करके ४२९ फुट ऊंचे हेड से ७६ हजार किलोवाट स्थायी (फर्म) बिजली उपलब्ध हो सकेगी। द्वितीय चरण के अधीन ११४ फुट ऊंचा एक पक्का पिकअप बांध टोंस नदी पर बनाया जायगा जो पहले बिजलीघर से ढाई मील नीचे होगा। इसमें पानी जमा हो सकेगा और प्रथम चरण के टोंस बिजलीघर के पृष्ठांस और इस पिकअप बांध के बीच ८५ फुट गिराव का उपयोग किया जायगा। द्वितीय चरण के इस बिजलीघर की स्थापित क्षमता ३०,००० किलोवाट होगी और यह १५ हजार किलोवाट स्थायी बिजली उत्पन्न करेगा। इन दोनों बिजली घरों से जो बिजली उत्पन्न की जायगी उसे वर्तमान गंगा शारदा हाइडल ग्रिड में जिससे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य के क्षेत्र को बिजली मिलती है दिया जायगा। इस प्रकार राज्य के इन भागों में उद्योग स्थापना के हेतु सस्ती पनबिजली उपलब्ध होने की आशा है।

बुन्देलखंड क्षेत्र—जहां तक माताटीला बांध बिजलीघर परियोजना का सम्बन्ध है, विदेशी मुद्रा विनिमय की कमी के फलस्वरूप भारत सरकार आवश्यक प्लान्ट के आयात की प्रबन्ध करने में असमर्थ रही और फलस्वरूप यह परियोजना त्याग दी गई। इस परियोजना के अनुसार झांसी, हमीरपुर और जालौन के जिलों के प्रारम्भिक विकास के लिए बिजली पहुंचाने के हेतु बांध की तलहटी पर एक हाईडल पन बिजलीघर बनाया जाना था।

राजकीय नलकूपों और कस्बों को बिजली दिया जाना—आलोच्य वर्ष में राज्य भर में ५६१ राजकीय नलकूपों को बिजली दी गई। इनमें से २३४ गंगाग्रिड, ८५ शारदा ग्रिड और २४२ पूर्वी जिलों से सम्बद्ध कर दिये गये। ग्राम एवं नगर विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत २३ और बेकारी सहायता योजना के अन्तर्गत १० कस्बों को बिजली दी गई, जिसके नाम इस प्रकार हैं—

ग्राम्य और नगर विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत—

स्थान	जिला
१—रुदौली	बाराबंकी
२—बड़ा गांव	बाराबंकी
३—रुद्रपुर	देवरिया
४—सेराना	एटा
५—अकबरपुर	फैजाबाद
६—गोसाईंगंज	फैजाबाद
७—भगवंतनगर	हरदोई
८—बालामऊ	हरदोई
९—कैसरगंज	बहराइच
१०—मड़ियाहूं	जौनपुर
११—रामगढ़	नैनीताल
१२—जायस	रायबरेली
१३—छिबरामऊ	फर्रुखाबाद
१४—कमालगंज	फर्रुखाबाद
१५—कादीपुर	सुल्तानपुर
१६—जयसिंहपुर	सुल्तानपुर
१७—नयी बाजार	वाराणसी
१८—खमरिया	वाराणसी

२०—बिलासपुर	रामपुर
२१—राबर्टसगंज	मिर्जापुर
२२—मोहिउद्दीनपुर	गोरखपुर
२३—बड़हलगंज	गोरखपुर

बेकारी दूर करने की योजना के अन्तर्गत—

स्थान	जिला
१—फतेहपुर	फतेहपुर
२—बिंदकी	फतेहपुर
३—खजुहा	फतेहपुर
४—कर्नलगंज	गोंडा
५—उतरौला	गोंडा
६—मनकापुर	गोंडा
७—तुलसीपुर	गोंडा
८—पुखरायां	कानपुर
९—अकबरपुर	कानपुर
१०—गौसगंज	कानपुर

सामान्य—तृतीय पंचवर्षीय आयोजना से सम्बन्धित नयी परियोजनाओं का प्रारूप तैयार करने के लिए एक ज्येष्ठ अधिशासी अभियन्ता के अधीन एक अलग संगठन बनाया गया जो आंकड़ों का संकलन करता रहा।

आलोच्य वर्ष में मुख्य अभियन्ता (हाइडल) के अधीन राज्य भर में ६ प्रशासकीय क्षेत्र थे जिनका सदर रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और फैजाबाद में था। इनमें २८ सब-डिवीजन भी थे। व्यावसायिक वितरण क्षेत्र का सदर भी बरेली में था।

इस वर्ष देहरादून स्थित सर्वे डिवीजन और झांसी स्थित माताटीला डिवीजन समाप्त कर दिये गये। लखनऊ स्थित हाइडल विकास सर्किल और उसके लखनऊ, इलाहाबाद तथा मेरठ स्थित विकास डिवीजनों को २८ फरवरी, १९५९ को समाप्त कर दिया गया। बरेली स्थित व्यावसायिक एवं वितरण सर्किल के अधिशासी अभियन्ता (हाइडल) का भी पद २८ फरवरी, १९५९ को समाप्त कर दिया गया।

कासिमपुर के नये वाष्प चालित बिजलीघर के कार्य के सम्बन्ध में और मुरादाबाद की मेसर्स अपर गैंजेज वेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि० के पावनों के मूल्यांकन के हेतु कासिमपुर में हाईडल थरमल डिवीजन और मुरादाबाद में हाइडल वैल्यूशन डिवीजन के नाम से दो नये डिवीजनों की रचना की गई।

वर्ष के अन्त में प्रशासकीय एवं कार्यकारिणी युनिटों की संख्या ५ सर्किल, २६ डिवीजन और ७१ उप-डिवीजन की थीं।

वित्तीय स्थिति—आलोच्य वर्ष में ३,०४,४५,७०० रु० की लागत से पूंजीगत कार्य किये गये तथा अनुमानित राजस्व २,८७,००,००० रु० का था। इनका विवरण इस प्रकार है—

	रु०
गंगा ग्रिड	१,८०,००,०००
शारदा ग्रिड	५७,००,०००
थरमल योजनाएं	५०,००,०००
योग ..	२,८७,००,०००

कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन—कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन अधिकाधिक उपभोक्ताओं की सेवा करता रहा। ३१ मार्च, १९५८ को रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं की संख्या ४२,६८६ थी। मार्च,

१९५९ के अन्त तक यह संख्या बढ़ कर ४५,४६८ हो गई। इसी अवधि में बिजली कनेक्शनों के भार में भी वृद्धि हुई और यह १,१८,८०६ किलोवाट से बढ़कर १,२३,७२२ किलोवाट हो गयी। सब से अधिक मांग ४७,८७० किलोवाट की रही। इस वर्ष कुल २,३९० लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। कुल उत्पादन में से लगभग ८५ प्रतिशत औद्योगिक कार्यों में और शेष १५ प्रतिशत अन्य कार्यों में उपयोग किया गया।

१२८.३३ लाख रु० की अनुमानित लागत से प्लान्ट के बदलने की योजना के सम्बन्ध में कुछ सहायक उपकरणों के साथ १५,००० किलोवाट वाले एक टर्बो आल्टरनेटर और १,५०,००० पौंड प्रति घंटा क्षमता वाले दो ब्वायलरों के प्राप्त करने और उन्हें लगाने के काम में अच्छी प्रगति हुई।

थोक सप्लाई वाले उपभोक्ताओं की, जिनमें भारत सरकार का प्रतिरक्षा विभाग, [illegible] और सीवेज विभाग तथा अन्य भारी उद्योग थे, पूरी न होने वाली कुल मांगों का औसत ४०,२५० के० बी० था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १७० लाख रु० की अनुमानित लागत से सरकार ने संचार एवं वितरण प्रणाली में आवश्यक परिवर्द्धन करने और १५,००० किलोवाट वाले एक टर्बो आल्टरनेटर और १,५०,००० पौण्ड प्रति घंटा क्षमता वाले १ ब्वायलर लगाने की स्वीकृति दी [illegible]।

इस योजना के लिए आवश्यक प्लांट एवं अन्य उपकरणों के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के प्रश्न पर राज्य सरकार भारत सरकार से बातचीत करती रही और कम से कम समय में इस योजना को पूरा करने के हेतु यथासंभव सभी उपाय किये गये।

सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं की न पूरी हुई मांगों को तथा भविष्य में होने वाली मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादन और वितरण की क्षमता को बढ़ाने के हेतु तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में प्रस्ताव रखे गये हैं और ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

निजी क्षेत्र में बिजली का विकास—निजी और म्युनिसिपल बिजली सप्लाई संस्थाओं की संख्या ४५ रही और इनके द्वारा अनेक नगरों तथा कस्बों को बिजली मिलती रही। सन् १९०८ से जब कि कानपुर और मसूरी के नगरों को बिजली के उत्पादन और वितरण के लाइसेंस दिये गये थे, निजी बिजली सप्लाई संस्थानों ने राज्य में बिजली के साधनों के विकास में अपना योग दिया है। सन् १९४६ से इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है जैसा कि नीचे आंकड़ों से स्पष्ट है—

वर्ष			स्थापित क्षमता	उत्पादित बिजली (यूनिट में)
			किलोवाट	के० डब्लू० एच०
१९४५–४६ ..	..	..	५२,३४१	१२४०.२
१९५६–५७ ..	..	..	७४,२२९	२२६०.०
१९५७–५८ ..	..	..	८५,०१२	२४३०.५६

मुख्यतः विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण निजी बिजली सप्लाई संस्थाओं की उत्पादन क्षमता इतनी नहीं हो सकी कि वह सभी मांग को पूरी कर सके। अतः यू० पी० विद्युत (अस्थायी नियंत्रण अधिकार) अधिनियम, १९४७ के अधीन कुछ नगरों में बिजली की सप्लाई का नियंत्रण करना पड़ा।

बिजली सम्बन्धी कानून का प्रशासन—बिजली संबंधी कानूनों का सरकार ने बिजली निरीक्षकों द्वारा पालन कराया। इन बिजली निरीक्षकों को किसी भी लाइसेंस प्राप्त बिजली ठेकेदारों एवं उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शनों की जांच करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। आलोच्य वर्ष में बिजली निरीक्षकों ने ३१ बिजली के ठेकेदारों के काम, १२५ हाई वोल्टेज और १,८७५ मीडियम वोल्टेज बिजली कनेक्शनों का निरीक्षण किया और ३०५ अवसरों पर सिनेमा के बिजली कनेक्शनों की जांच की। बिजली द्वारा होने वाली १८४ दुर्घटनाओं की जांच की गयी और जहां कहीं आवश्यक समझा गया भारतीय विद्युत् नियमावली, १९५६ की व्यवस्थाओं के अनुसार मुकदमें चलाये गये।

१५ जनवरी, १९५३ से राज्य में बिजली के उपयोग पर बिजली-कर लगा हुआ है। जनवरी, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक बिजली-कर से प्राप्त १,४२,६४,२४७ रु० की रकम सरकारी खजानों में जमा हुई।

रिहन्द बांध परियोजना

सन् १९५८-५९ में प्रगति--(१) नागरिक कार्य--इस परियोजना पर कार्य प्रगति पर था। आलोच्य वर्ष में इस दिशा में जो कार्य हुए उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है--

नागरिक कार्य--बांध की नींव में खुदाई का सम्पूर्ण कार्य पूरा किया जा चुका था। चारों केबुल मार्गों के साथ कंक्रीट डालने का कार्य जारी रहा। आलोच्य अवधि में कुल २१२.३६ लाख क्युबिक फुट कंक्रीट डाला गया और उस प्रकार डाले गये कंक्रीट की कुल मात्रा २८४.८८ लाख क्युबिक फुट तक पहुंच गयी जब कि बांध और उसके लगाव आदि पर कुल ६००.०८ लाख क्युबिक फुट कंक्रीट डाला जाना था।

सोन नदी पर ३,३०० फुट लम्बा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का बड़ी सड़क का पुल बनकर तैयार हो गया। इस पुल द्वारा रेल के अन्तिम स्टेशन राबर्ट्सगंज और चुर्क स्थित सीमेन्ट फैक्टरी से बांध स्थल तक, सभी मौसमों के लिए उपयुक्त मार्ग तैयार हो गया। यह दोनों स्थान बांध स्थल से ५० मील की दूरी पर है। पुल तक पहुंचाने वाली सड़क को भी चौड़ा किया गया, सुधारा गया और इसे भारी यातायात के योग्य बना दिया गया।

मिर्जापुर जिले में जलाशय के क्षेत्र को चिन्हित किया गया और मध्य प्रदेश में जलाशय के पूरी सतह के क्षेत्र को चिन्हित करने का काम प्रगति पर था। जलाशय के लिये भूमि प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर था।

विस्थापित व्यक्तियों के बसाने का प्रस्ताव विचाराधीन और इन व्यक्तियों को बसाने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव वन विभाग के परामर्श से पुनर्वास अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। पेन स्टाक पाइपों के लिए १६ फुट व्यास वाले रोलों का निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया और उनकी रेडियोग्राफिक एवं हाइड्रोस्टेटिक जांच प्रगति पर थी।

विद्युत् कार्य--बिजलीघर--प्लांट सप्लाई करने के कारखाने में बिजली के प्लांट के निर्माण का कार्य संतोषजनक रूप से जारी रहा, तथा इसकी स्थिति इस प्रकार थी--

(क) मशीन नं० १ की स्पाइरल केसिंग निर्माण स्थल पर प्राप्त हुआ, मशीन नं० २ डिस्पैच किया गया, मशीन नं० ३ और ४ के पुरजे एकत्र किये जा रहे थे और मशीन नं० ५ का निर्माण हो रहा था।

(ख) निर्माण स्थल पर मशीन नं० १ का स्पीड रिंग प्राप्त हुआ, मशीन नं० २ डिस्पैच किया गया, मशीन नं० ३ व ४ के पुरजे एकत्र किये जा रहे थे और मशीन नं०५ का निर्माण हो रहा था।

(ग) मशीन नं० १, २ और ३ के पेन शैफ्ट तैयार किया गया और अन्य की बोरिंग आदि हो रही थी।

(घ) मशीन नं० १ का जनरेटर निर्माण स्थल पर पहुंचा, मशीन नं० २ का डिस्पैच किया गया और अन्य का निर्माण हो रहा था।

(ङ) मशीन नं० १ के टरबाइन के हिस्से मशीन द्वारा तैयार किये जा रहे थे।

(च) निर्माण स्थल पर २९० टन के क्रेन के समस्त भाग प्राप्त हुए।

निर्माण स्थल पर मशीन खड़ा करना--बिछाये गये टयूब लाइन के सभी दरार भरे गये और सहायक उपकरण जैसे लोवर कोन, नोज पीस इत्यादि को ठीक स्थान पर रखा गया और उनकी ढलाई की गयी। मशीन नं० एक के स्पीड रिंग के ऊपर कोन को नींव पर रखा गया तथा उसकी सतह चौरस करने का काम चल रहा था। मशीन नं० १ से ५ तथा मशीन नं० ६ के लिए क्रमशः ई० एल० ६४७.५ और ई० एल० ६१९ तक 'युनिट बे साइड' की दीवालों में कंक्रीट की भराई की

गयीं। साथ ही मशीन नं० १ से ५ तक के स्पाइरल केसिंग पायर्स में कंक्रीट भरने का काम पूरा किया गया।

एक ६० टन पावर हाउस क्रेन को खड़ा करने का काम समाप्त प्राय था और दूसरे क्रेन के खड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया। यूनिट नं० १ और २ में गंट्री गर्डरों और क्रेन की पटरी को यथा स्थान रखा गया।

बिजलीघर का निर्माण—चोपान में ६,००० किलोवाट क्षमता वाले वाष्प चालित बिजली घर का निर्माण पूरा किया गया। इस बिजलीघर से तथा पिपरी स्थित ४,००० किलोवाट वाले डीजल बिजलीघर में निर्माण-कार्यों के लिए बिजली दी गयी।

वितरक लाइनें और उप बिजलीघर—१३२ के०वी० वितरक लाइन तथा उप बिजलीघर—पिपरी से वाराणसी, पिपरी से मिर्जापुर, मिर्जापुर से सुल्तानपुर और वाराणसी से मऊ तक १३२ के० वी० की डी० सी० लाइन के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये और अस्थायी रूप से निर्माण के लिए आर्डर दिये गये। चूंकि यह कार्य कई चरणों में होना था इसलिए निम्नलिखित लाइनों के निर्माण और उनके लिए साज-सामान की सप्लाई करने के आदेश दिये गये—

	मील
१—पिपरी से वाराणसी	८१
२—पिपरी से मिर्जापुर	८१

उपर्युक्त लाइनों के संबंध में ठेके की सारी लिखा-पढ़ी पूरी की गयी। मिर्जापुर-वाराणसी लाइन के ३६ मील का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया। पिपरी-मिर्जापुर लाइन पर ६७ मील का बगली नकशा तैयार किया गया और ८१ मील तक के मार्ग का अन्तिम रूप से निर्धारण किया गया। पिपरी-मुगलसराय लाइन पर ६४ मील तक का बगली नकशा तैयार किया गया और ८१ मील के मार्ग का अंतिम निर्धारण किया गया।

१३२ के० वी० उपबिजलीघर के लिये ट्रांसफारमर और स्विच गियर की सप्लाई के हेतु प्राप्त हुये टेण्डर खोले गये और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया। चूंकि वितरण प्रणाली का निर्माण कई चरणों में होना था इसलिए केवल राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर और वाराणसी के उप बिजलीघरों के लिए ही १३२ के० वी० और ३३ के०वी० स्विच गियर के साज-सामान के स्थायी आर्डर दिये गये। उप बिजलीघरों के लिए १३२ के० वी० स्विच गियर के साज-सामान की व्यवस्था राज्य व्यापार निगम द्वारा की गयी।

आलोच्य वर्ष में विदेशी मुद्रा अनुपलब्ध होने के कारण ग्रिड ट्रांसफारमरों के आर्डर अंतिम रूप से नहीं दिये जा सके।

नैनी, सुलतानपुर, मिर्जापुर और वाराणसी में १३२ के० वी० के उप-बिजलीघरों के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी विज्ञप्ति जारी की गयी। मिर्जापुर और राबर्टसगंज में भूमि प्राप्त भी कर ली गयी।

६६ के० वी० वितरक लाइन और उप-बिजलीघर—लाइनों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा किया गया और घमुआघाट में घाघरा नदी के दोनों ओर का सर्वेक्षण किया गया।

मऊ, दोहरीघाट, गोरखपुर का अंतिम सर्वेक्षण पूर्ण किया गया और दोहरीघाट-गोरखपुर लाइन पर स्टब लगाने का काम पूरा किया गया।

घमुआघाट पर घाघरा के तट पर प्रयोगात्मक बोरिंग की गयी और लाइन के निर्माण का कार्य आगे रोक दिया गया।

रुड़की और बरेली के राजकीय वर्कशापों में ६६ के० वी० डी० सी० लाइन के टावरों का निर्माण हो रहा था। इस संबंध में अधिकांश कार्य पूरा हो गया और शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक इस्पात की व्यवस्था की जा रही थी।

३३ के० वी० वितरण लाइन और उप-बिजलीघर——के० वी० डी० सी० लाइन को २७.५ मील तक पूरा किया गया और इस लाइन से बिजली देना शुरू हो गया।

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित ३३ के०वी० एकहरी सर्किट लाइनों का निर्माण पूरा किया गया और उनसे बिजली देना आरम्भ किया गया।

(१) चोपान से चुर्क तक ३३ के०वी० लाइन्स---१३.५ मील
(२) देवरख भाट भाई से सुलतानपुर तक ३३ के वी० लाइन---चिलतावा रेलवे क्रासिंग सहित और ७५० के० वी० ए० ३३।११ के० वी० उप बिजलीघर--३०.९ मील (उप बिजलीघर से ११ के० वी० लाइन द्वारा प्रतापगढ़ नगर को बिजली की सप्लाई दी जा रही थी)
(३) झांसी से हड़िया तक ३३ के० वी० लाइन---१३.२५ मील
(४) औराई से भदोही तक ३३ के वी० लाइन---९.२५ मील
(५) हड़िया से जंघई तक ३३ के वी० लाइन---१५.५५ मील
(६) हंडिया से औराई से राजा का तालाब तक---३३ के० वी० लाइन-४२.४२ मील ।
(७) मऊ दोहरीघाट ३३ के० वी० (अस्थायी लाइन और ३३/६.६ के० वी० उप-बिजलीघर दोहरीघाट में पूरा किया गया। १,५०० के० वी० ए० का ट्रांसफारमर भी लगाया गया और बिजली दौड़ाई गयी)---२५.५ मील
(८) राजा का तालाब से मड़ुआडीह तक ३३ के० वी० लाइन, केवल रेलवे क्रासिंग को छोड़कर, पूरी की गयी---९.५ मील

सुलतानपुर से रायबरेली तक ५४ मील लम्बी ३३० के० वी० लाइन का निर्माण हो रहा था। सुलतानपुर जायस तथा रायबरेली उप बिजलीघरों के पास के स्पैनों के निर्माण के अलावा अन्य कार्य प्रायः पूरा हो चुका था।

झूंसी, चिलबिला, हड़िया, जंघई, औराई और राजा का तालाब में स्विच गियर के साथ ही साथ ३३/११ के० वी० उप बिजलीघरों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया और उन्हें चालू कर दिया गया। इन उप बिजलीघरों से उक्त कस्बों को और नलकूपों को बिजली दी जा रही थी।

रायबरेली के उप बिजलीघर के लिए भूमि प्राप्त की गयी। रायबरेली और जायस में ३३/११ के० वी० उप बिजलीघरों का निर्माण-कार्य चल रहा था।

११ के० वी० वितरक लाइन और उप-बिजलीघर---झूंसी से फूलपुर तक १० मील लम्बी, जंघई से मछलीशहर तक १३ मील लम्बी और फूलपुर से बादशाहपुर तक १०.५७ मील लम्बी ११ के० वी० लाइनों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया और उनसे बिजली ली जाने लगी।

राबर्ट्सगंज की बस्ती को बिजली देने के लिए ११ के० वी० लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया गया और उससे बिजली दी जाने लगी ।

फूलपुर, मछलीशहर, ज्ञानपुर, बादशाहपुर, भदोही, राबर्ट्सगंज, प्रतापगढ़, गोपीगंज और जंघई के कस्बों को बिजली सप्लाई करने के हेतु ११ के० वी० लाइन का निर्माण-कार्य पूरा किया गया और उनका रखरखाव किया जा रहा था।

निम्नलिखित लाइनों का निर्माण-कार्य चालू था---

(क) जायस से सलोन (१८ मील)---१७ मील तक खंभे खड़े किये गये और १० मील तक तार दौड़ाये गये।
(ख) रायबरेली से महराजगंज (१० मील) खंभा खड़ा करने का काम पूरा हुआ।
(ग) महराजगंज से बछरावां (१२ मील) खंभा खड़ा करने का काम पूरा हुआ और २ मील तक तार दौड़ाये गये।
(घ) रायबरेली मुख्य उप-बिजलीघर नगर उप-बिजलीघर (.००२.५)---१.३ मील तक खंभा खड़ा करने का कार्य पूरा हुआ ।
(ङ) जायस मुख्य उप-बिजलीघर--नगर उप-स्टेशन (१ मील)--मुख्य सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया और सामान ठीक किया जा रहा था।

एल० टी० सप्लाई---चंदौसी, चकिया और राबर्ट्सगंज के कस्बों में एल० टी० की सप्लाई का काम पूरा किया गया और राबर्ट्सगंज में उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन देना आरम्भ हो

गया था। सोनपुर और मरकुंडी दर्रा को स्थायी रूप से बिजली देने का कार्य पूरा किया गया और उनका रखरखाव किया गया।

(३) भवन निर्माण—झूंसी, हड़िया और फूलपुर के उप-बिजलीघरों के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों और बिजलीघर की इमारतों का निर्माण किया गया। जंघई, औराई और राजा का तालाब के उप-बिजली घरों के इमारतों का निर्माण-कार्य चल रहा था।

संगठन—आलोच्य वर्ष में रिहन्द बिजलीघर के मुख्य अभियंता के अधीन दो प्रशासकीय मंडल थे, जिनके मुख्यालय इलाहाबाद और पिपरी में थे। इनके ६ डिवीजन और १८ उप-डिवीजन थे।

आलोच्य वर्ष में नीचे दिये हुए कार्यों के लिए, जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में शामिल कर लिया गया था, निम्नलिखित संगठनों की व्यवस्था की गयी—

नाम	कार्य	कार्य आरम्भ की तारीख
१—रिहन्द डिजाइन संचालन का कार्यालय, जिसका मुख्यालय कानपुर में था, और जिसमें एक सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, २ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और ६ असिस्टेंट इंजीनियर (इलाहाबाद स्थित रिहन्द हाइडल ट्रांससर्किल से सम्बद्ध संगठनों को भी इसी संगठन में स्थानान्तरित हो जाना था)	रिहन्द योजना से संबंधित डिजाइन तैयार करने के कार्य	१ जनवरी, १९५९
२—पिपरी स्थित रिहन्द जल विद्युत उत्पादन सर्किल से संबंध रिहन्द विद्युत उत्पादन संगठन जिसमें एक एक्जीक्यूटिव और ५ असिस्टेंट इंजीनियर थे।	रिहन्द ग्रिड पर प्रोटेक्टिव गियर और कैरियर कम्युनिकेशन से संबंधित डिजाइन और स्थापना के कार्य	१० मार्च, १९५९

पूंजीगत कार्य की लागत—आलोच्य वर्ष में रिहन्द बांध विद्युत योजना के संबंध में लगभग ६,०३,६६,८०० रु० की लागत के पूंजीगत कार्य किये गये।

१४—उद्योग

व्यापार तथा उद्योग—१९५८-५९ के वर्ष में उद्योगों की सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इस अवधि में औद्योगिक वस्तुओं के थोक भावों में वृद्धि हुई। प्रमुख तैयार माल और औद्योगिक कच्चे माल के भाव सूचकांक पूर्वगामी वर्ष की तुलना में क्रमशः ३.४ तथा ६.६ अधिक थे। इसी प्रकार श्रमजीवी उपभोक्ता मूल्यांक (कानपुर में), शहरी मध्यवर्गीय उपभोक्ता मूल्यांक तथा ग्राम्य उपभोक्ता मूल्यांक भी चढ़े।

ऊनी साल, टार्च, पेंट और वार्निश, लालटेन, साइकिल और उसके पुर्जे, स्टील ट्रंक आदि जैसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा। कालीन, सिल्क और ब्राकेड, पीतल की कलात्मक वस्तुएं, छींटे, जूते, कैंची, ताले, खेलकूद का सामान, जरदोजी का सामान, हाथी दांत की वस्तुएं, लकड़ी की नक्काशी वाली वस्तुएं, चिकन का सामान, हथकरघे के वस्त्र, संगमरमर की वस्तुएं तथा दरियों का विदेशों को निर्यात होता रहा।

लघु उद्योगों के विकास के लिए उद्योग निदेशालय ८० से अधिक योजनाएं चलाता रहा जिनके द्वारा इन उद्योगों को आर्थिक संगठनात्मक, प्राविधिक तथा हाट व्यवस्था की सुविधाएं प्रदान की गयीं।

लघु उद्योग—(१) पिछड़े क्षेत्रों का विकास, प्रशिक्षण कक्षाएं तथा प्रगाढ़ विकास योजनाएं—प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्रों में जो द्वितीय आयोजनावधि प्रशिक्षण कक्षाओं के रूप में जारी

रखे गये, आलोच्य अवधि में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। यह प्रसार विभिन्न योजनाओं के रूप में हुआ जिनका व्योरा इस प्रकार है:—

	केंद्र
१—आयोजना से बाहर की प्रशिक्षण कक्षाएं	११०
२—आयोजना में सम्मिलित अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षाएं ..	५०
३—पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों की योजना के अधीनस्थ प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र	८४
४—प्रगाढ़ विकास योजना के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र जो अब उद्योग विकास के विभाग के केंद्रों में मिला दिये गये हैं ..	६३
योग ..	३०७

इन सभी योजनाओं के केंद्रों की कार्य पद्धति आयोजना के बाहर की प्रशिक्षण कक्षाओं के समान ही था। उनका उद्देश्य समुन्नत औजारों और उत्पादन-विधियों को प्रचलित करना और उनमें प्रशिक्षित करना था। राज्य भर में फैले ३०७ केंद्रों ने ५६ प्रकार के व्यवसायों में ट्रेनिंग दी। इन केंद्रों को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने इन्हें प्रत्येक जिले में समूह के रूप में पुनर्स्संगठित किया और प्रत्येक समूह में चार-चार धंधों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उपर्युक्त चार योजनाओं के साधनों को एकत्र किया गया और साज-सज्जा और शिक्षण के स्तर में सुधार किया गया। आलोच्य अवधि में प्रशिक्षित व्यक्तियों तथा उत्पादन और बेचे गये माल का व्योरा निम्नलिखित है—

योजना का नाम	प्रशिक्षित व्यक्ति	उत्पादित माल का मूल्य	बेचे गये माल का मूल्य
	संख्या	रु०	रु०
१—प्रशिक्षण कक्षा योजना ..	६१४	३,३५,१७५.६४	३,८६,५३०.६३
२—अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षा योजना	२७१	२,७७,७६७.८७	२,५८,०३७.४४
३—पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों के विकास की योजना ..	८६१	७३,१६६.५३	६२,८१६.६६
४—प्रगाढ़ विकास खंड योजना ..	७७४	३८,४५४.७०	२६,२२६.७६

(२) सहायता एवं पुनर्वास योजना—आलोच्य वर्ष में पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित व्यक्तियों के लिए तीन प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र गोविन्दनगर (कानपुर), गोविन्दपुरी (मोदीनगर, मेरठ) तथा पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापितों के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र दिनेशपुर (नैनीताल) में चालू रहा। यह विभिन्न व्यवसायों में ट्रेनिंग देते रहे। इन केंद्रों में शिक्षा पा रहे २२४ प्रशिक्षणार्थियों में से २०५ ने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी कर ली।

(३) व्यापार चिन्ह के उल्लंघन तथा नकली सामान की बिक्री—व्यापार चिन्ह के उल्लंघन तथा नकली माल की बिक्री को रोकने की योजना प्रदेश के जिलों अर्थात् कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, लखनऊ और मेरठ में लागू रही। आलोच्य वर्ष में १४३ नये मामले पकड़े गये जबकि १९५७-५८ में ११५ पकड़े गये थे। आलोच्य अवधि में ४१ व्यक्तियों के विरुद्ध ६६ मामले पुलिस को दिये गये।

अग्रगामी वर्कशाप योजना—अग्रगामी वर्कशाप योजना १९५०-५१ में आरम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य ग्राम्य क्षेत्रों का उद्योगीकरण और ढलाई, मुड़ाई, बढ़ईगीरी आदि जैसे प्राविधिक धन्धों में गांवों में ही प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना था। इस योजना में कृषि औजारों तथा घर गृहस्थों की वस्तुओं का निर्माण और मरम्मत भी शामिल थी। आलोच्य वर्ष में यह योजना कुड़वार (सुल्तानपुर), बकेवर (इटावा), आजमगढ़, देवबन्द (सहारनपुर) तथा अतरौली (अलीगढ़) में लागू थी।

३० जून, १९५८ को २२५ प्रशिक्षार्थियों ने एक वर्ष की ट्रेनिंग ली और जुलाई, १९५८ से २२५ शिक्षार्थियों के एक अन्य दल ने ट्रेनिंग लेना आरम्भ किया। ट्रेनिंग की अवधि आलोच्य वर्ष में एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई।

मोटर मेकेनिक और बिजली मेकेनिक के पाठ्यक्रम भी आरम्भ किये गये। शिक्षार्थियों को २५ रु० मासिक की छात्रवृत्ति भी दी गई।

औद्योगिक आस्थान—पांच औद्योगिक आस्थान, दो बड़े और तीन छोटे, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता से स्थापित किये जा रहे थे। इस योजना का उद्देश्य शहरी तथा ग्राम क्षेत्रों के व्यक्तियों को उद्योग-धन्धे शुरू करने के लिए भवन, बिजली, पानी, कच्चा माल तथा विशेष मशीनों के उपयोग की सुविधा प्रदान करना था।

औद्योगिक आस्थान, कानपुर—कानपुर औद्योगिक आस्थान के लिए यहां के विकास बोर्ड से कालपी रोड पर ३८ एकड़ भूमि भी दी गई थी। इसमें कारखानों के लिए विभिन्न आकार के ९७ प्लाट बनाये गये थे। ६०० वर्ग गज वाले २३ वर्कशाप भवनों में से २१ का निर्माण-कार्य प्रायः पूरा कर लिया गया और उसमें पानी और बिजली की भी व्यवस्था कर दी गई। आधे एकड़ आकार वाले २२ कारखानों की इमारतें निर्माणाधीन थीं। वर्ष की समाप्ति पर १६ यूनिटों के कार्यालय वाले भाग तथा ८ कारखानों के शेड वाले भाग प्रायः बन कर तैयार हो गये थे।

औद्योगिक आस्थान, आगरा—इस आस्थान के लिए ५० एकड़ भूमि उपार्जित की गई और भवनों के निर्माण तथा आस्थान स्थल के विकास के लिए इसे आगरा के विकास ट्रस्ट को दिया गया। विभिन्न आकार के प्लाटों की संख्या निश्चित कर दी गई। ३१ यूनिटों का (१७ यूनिट आधे एकड़ वाली और १४ यूनिट ६०० वर्ग गज वाली) निर्माण-कार्य चल रहा था। निर्माण-कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने का निश्चय किया गया।

औद्योगिक आस्थान, देवबन्द—सहारनपुर जिले के देवबन्द औद्योगिक आस्थान में कारखानों के भवनों के निर्माण के लिए भूमि उपार्जित की गई और निर्माण-कार्य के तखमीने सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये। निर्माण-कार्य आरम्भ करने की व्यवस्था की गई।

औद्योगिक आस्थान, लोनी ब्लाक—मेरठ जिले के लोनी विकास खंड औद्योगिक आस्थान में कारखानों के भवनों के निर्माण के लिए भूमि हस्तगत की गई और निर्माण-कार्य की रूपरेखा और तखमीने तैयार करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेरठ के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को सौंप दी गई।

औद्योगिक आस्थान, काशी विद्यापीठ ब्लाक (वाराणसी)—इस आस्थान के लिए भूमि हस्तगत की गई और निर्माण-कार्य की रूपरेखा और तखमीने तैयार करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को सौंप दी गई।

(६) **ग्राम क्षेत्र में सचल वर्कशाप**—द्वितीय आयोजना में बढ़ईगीरी तथा लोहारगीरी के दो-दो सचल वर्कशाप ग्रामीण कारीगरों को उनके ही स्थानों में समुन्नत औजारों तथा कार्य विधियों की शिक्षा देते रहे।

(७) **प्लास्टिक वस्तु केन्द्र**—इटावा का प्लास्टिक वस्तु केन्द्र एक किराये के भवन में १८ शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग देता रहा। इस केन्द्र में प्लास्टिक के विभिन्न उद्योगों में ट्रेनिंग दी गई।

(८) **लकड़ी पक्की करने के कारखानें**—द्वितीय आयोजना में लकड़ी पक्की करने के दो कारखानों की व्यवस्था इलाहाबाद तथा बरेली में की गई थी। आलोच्य वर्ष में इन केन्द्रों के भवन-निर्माण का कार्य पूरा किया गया। इलाहाबाद के केन्द्र में लकड़ी पक्की करने के दोनों कक्षों में सभी आवश्यक मशीनें आदि लगा दी गयीं और बरेली के केन्द्र में लगायी जा रही थीं। दिसम्बर, १९५८ में भरती किये गये पांच शिक्षार्थियों को इलाहाबाद में लकड़ी पक्की करने के काम में ट्रेनिंग दी जा रही थी।

(९) **खेलकूद के सामान का केन्द्र**—बरेली के खेलकूद सामान के केन्द्र का अपना भवन बन कर तैयार हो गया और अब आलोच्य वर्ष में उस भवन में आ गया। नये वर्कशाप में लगभग

दो लाख रुपये की मशीनें लगाई गईं। इस केन्द्र में २० शिक्षार्थियों के ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी। ट्रेनिंग अवधि एक वर्ष की थी, जिसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को २५ रुपया मासिक की छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था थी।

नैनीताल के राजकीय खेल-कूद सामान निर्माण केन्द्र ने व्यक्तियों को क्रिकेट के बल्ले तथा विकेट हाकी बेटमिनटन व टेनिस के बल्ले आदि जैसी वस्तुओं के बनाने की ट्रेनिंग दी। आलोच्य वर्ष के अन्त में इस केन्द्र में १६ शिक्षार्थी ट्रेनिंग पा रहे थे। सन् १६५८-५६ में इस केन्द्र ने १,१७५ रु० १४ न० पै० का सामान बनाया और १,१३३ रु० २८ न० पै० का सामान बेचा।

(१०) बिजली से कलई करने का यंत्र—मुरादाबाद में बिजली से कलई करने के यन्त्र की स्थापना के लिये भूमि उपार्जित की गई और भवनों के निर्माण आदि के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दी गई। केन्द्र के लिए आवश्यक मशीनें तथा उपकरण विदेशों से खरीदे गये और केन्द्र के सन् १६५६-६० के अन्त तक काम आरम्भ कर देने की आशा थी।

(११) कटलरी योजना—मेरठ जिले के मृत प्राय कटलरी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिये सरकार ने १६५०-५१ में एक योजना आरम्भ की इसके अन्तर्गत 'हीट ट्रीटमेन्ट' तथा प्राविधिक परामर्श की सुविधाएं प्रदान की गईं और उद्योग के लिए उपयुक्त कच्चे माल की व्यवस्था की गई।

विचाराधीन वर्ष में ३८,५०० रु० की कटलरी तथा अन्य सामान तैयार हुआ और २७,००० पया का माल बेचा गया। इनके अतिरिक्त स्थानीय उद्योग को आवश्यक सुविधाएं दी गईं।

(१२) राजकीय खिलौना विकास केन्द्र, बरेली—आलोच्य वर्ष में बरेली के केन्द्रीय काष्ठ-कला केन्द्र में खिलौने बनाने की कला में १३ व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये। २१ प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संगठित की गई उत्पादन सहकारी समिति सुचारु रूप से कार्य करती रही। केन्द्र में लकड़ी के खिलौने का उत्पादन और बिक्री १६५८-५६ के वर्ष में क्रमशः २,४८५ रु० ३२ न० पै० तथा २,६११ रु० ६२ न० पै० रही।

(१३) राजकीय दर्जीगीरी केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ—वर्ष की समाप्ति तक डालीगंज, लखनऊ के दर्जीगीरी केन्द्र में १०८ व्यक्ति प्रशिक्षण ले रहे थे और ४५ ने अपने दो वर्ष का पाठ्यक्रम समाप्त कर लिया था। केन्द्र के आरम्भ होने से लेकर अब तक ३०७ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका था। भूतपूर्व तथा प्रशिक्षणाधीन शिक्षार्थियों द्वारा ३,४३३ रु० १२ न० पै० के कपड़े तैयार किये गये और ३,१६४ रु० ६२ न० पैसे के बेचे गये।

(१४) चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच और तामचीनी उद्योग—राज्य में तीन चीनी मिट्टी के कारखाने तथा दो राजकीय चीनी पात्र विकास केन्द्र और खुर्जा (बुलन्दशहर) तथा चुनार (मिर्जापुर) स्थित राजकीय केन्द्र सन्तोषजनक ढंग से कार्य करते रहे और इनमें चाय के बर्तन, फूलदान, खिलौने, जार, बिजली के इंसुलेटर आदि का उत्पादन होता रहा। तामचीनी उद्योग के क्षेत्र में तीन कारखाने तामचीनी के खोखले बर्तन बनाते रहे।

आलोच्य वर्ष में कार्य करने वाले राजकीय केन्द्रों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय बातें इस प्रकार हैं—

(क) राजकीय कांच मोती प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी तथा पुरदिलपुर (अलीगढ़)—वाराणसी तथा पुरदिलपुर स्थित राजकीय कांच मोती प्रशिक्षण केन्द्रों में १२ शिक्षार्थियों ने ट्रेनिंग पूरी की।

(ख) राजकीय चीनीपात्र विकास केन्द्र खुर्जा—सन् १६४२ में आरम्भ किये गये इस केन्द्र में सन्तोषजनक प्रगति होता रहा। बर्तन बनाने वालों के ६० परिवार केन्द्र से सम्बद्ध कर दिये गये और उन्होंने आलोच्य वर्ष में एक लाख ४३ हजार रुपये का तैयार कच्चा माल खरीदा। केन्द्र ने बर्तन निर्माताओं को प्राविधिक परामर्श दिया और विचाराधीन वर्ष में ३४ बर्तन निर्माताओं को ट्रेनिंग दी।

(ग) राजकीय चीनी पात्र विकास केन्द्र, चुनार (मिर्जापुर)—यह केन्द्र चुनार में १६५४ में खुर्जा केन्द्र की पद्धति पर आरम्भ किया गया था। सफेद चीनी मिट्टी के

बर्तन बनाने के कार्य में ६ परिवार लगे हुये थे और उन्होंने आलोच्य वर्ष में १३,६०० रु० का तैयार कच्चा माल खरीदा।

(घ) राजकीय प्रायोगिक रेत सफाई यन्त्र एवं प्रयोगशाला, शंकरगढ़ (इलाहाबाद)—प्रयोगशाला का कार्य जनवरी, १९५८ से आरम्भ हुआ और उसमें रेत के १०० नमूनों की परीक्षा की गई। केन्द्र में ३२० टन रेत साफ किया गया, जिससे उच्च कोटि का कांच का सामान तैयार हो सके।

(ङ) राजकीय गैस प्लांट तथा कांच के सामान की वैज्ञानिक निर्माणविधि का प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, फिरोजाबाद (आगरा)—यह यन्त्र विचाराधीन वर्ष में लगाया गया और यह कुटीर आधार पर चूड़ी बनाने वालों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता रहा।

(१५) राजकीय अलौह धातु उद्योग योजना, मुरादाबाद—मुरादाबाद के प्रयत्नशील पीतल के बर्तन उद्योग विकास के लिए सरकार ने १९५०-५१ में अलौह धातु उद्योग योजना आरम्भ की थी।

आलोच्य वर्ष में ३८ व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये और ११,५०० रु० का माल तैयार किया गया।

आलोच्य वर्ष में ३८ व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये और ११,५०० रु० का माल तैयार किया गया। उद्योग के कारीगरों को प्राविधिक परामर्श दिया गया और नयी डिजाइनें निकाली गयीं।

(१६) औद्योगिक अग्रगामी परियोजना, देवबन्द—ग्रामोद्योगों के प्रगाढ़ विकास के सम्बन्ध में प्रायोगिक रूप से आरम्भ की गयी देवबन्द की औद्योगिक अग्रगामी परियोजना निम्नलिखित योजनाओं में विभाजित कर दी गयी—

(१) बहुधंधी केन्द्र, नागल
(२) चर्म-जूता केन्द्र
(३) ग्रामीण औद्योगिक आस्थान
(४) अम्बर चर्खा कार्यक्रम
(५) ग्रामोदय योजना
(६) हस्तनिर्मित कागज-उद्योग
(७) आटा-चक्की
(८) ग्रामीण तेल-उद्योग
(९) मिट्टी बर्तन-उद्योग
(१०) हाथ से धान कूटने का उद्योग
(११) गुड़ खंडसारी उद्योग
(१२) साबुन निर्माताओं के लिए अखाद्य तेल
(१३) रेशा-उद्योग
(१४) फल परीक्षण-केन्द्र
(१५) लोहारगीरी-केन्द्र
(१६) साबुन और सौन्दर्य प्रसाधन
(१७) दर्जीगीरी केन्द्र
(१८) कांच मोती तथा खिलौना निर्माण केन्द्र
(१९) बनियाइन मोजे का उद्योग
(२०) प्लास्टिक तथा एलकेथीन
(२१) बढ़ईगीरी केन्द्र
(२२) वस्त्र छपाई तथा रंगाई केन्द्र
(२३) लकड़ी के खिलौने का केन्द्र
(२४) कलात्मक सूती दरियां
(२५) पाइलट वर्कशाप तथा
(२६) सचल वर्कशाप

कुटीर तथा ग्रामोद्योगों की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए यह परियोजना एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती रही। पाइलट वर्कशाप में अन्य शिल्पों के अलावा (१) ढलाई, (२) फिटिंग तथा वेल्डिंग, (३) टर्निंग, (४) बढ़ईगीरी तथा नमूना निर्माण केन्द्र, (५) लोहारगीरी, (६) मोटर मिस्त्री तथा तेल इंजिन संचालन तथा (७) बिजली के काम के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। आलोच्य वर्ष में इस वर्कशाप में ४२ व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये।

(१७) गुण चिन्हाकन योजना--आलोच्य वर्ष में गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत १९ निरीक्षण केन्द्र चालू रहे। योजना की प्रगति इस प्रकार रही--

	केन्द्रों की संख्या	निर्माताओं की संख्या	१९५८-५९ में गुण चिन्हांकन वस्तुओं का मूल्य	आयोजना के आरम्भ से मार्च, १९५९ तक गुण चिन्हांकित वस्तुओं का मूल्य
			रु०	रु०
आयोजनायेतर योजनाएं	११	२३६	१,०३,१३,७३७.२५	५,२२,६७,९४०.९२
द्वितीय आयोजना की परियोजनाएं ..	८	६३	१९,५२,४२९.७८	२४,१०,४४५.३१
योग ..	१९	२९९	१,२२,६६,१६७.०३	५,४६,७८,३८६.२८

ग्रामोद्योग--(१) खादी विकास योजना--अगस्त, १९५८ तक राज्य में १५० खादी केन्द्र तथा १६ बुनाई प्रशिक्षण कक्षाएं चालू रहीं। बाद में खादी योजना के प्रसार-कार्यक्रम के विघटन के कारण यह संख्या घटाकर क्रमशः ५० तथा ८ कर दी गयी। बंद किये गये केन्द्र विशेष रूप से बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए खोले गये थे। यद्यपि ये केन्द्र सरकारी योजना से निकाल दिये गये थे, किन्तु किसी प्रकार की कठिनाई न होने देने के लिए श्री गांधी आश्रम द्वारा इन केन्द्रों में कताई की व्यवस्था करायी गयी और इसके लिए उक्त संस्था को राज्य की ओर से समुचित आर्थिक सहायता दिये जाने का आश्वासन दिया गया। इन केन्द्रों द्वारा १४,६४२ कतुए प्रशिक्षित किये गये और ६,३३४ मन सूत तैयार किया गया।

राज्य के विभिन्न खादी संगठनों को ८,२४,०३५ रु० अनुदान स्वरूप दिये गये। इनमें से ५,३४,००० रु० राज्य के पूर्वी जिलों के बाढ़ और सूखाग्रस्त व्यक्तियों से खरीदे जाने वाले सूत पर आर्थिक सहायता देने के लिए दिया गया।

(२) गुड़ और खांडसारी योजना--गुड़ और खांडसारी उद्योग-विकास-योजना राज्य के ४० जिलों के ७,४३३ गांव में चल रही थी।

फतेहपुर, देवरिया, बरेली, लखनऊ और मेरठ के प्रशिक्षण केन्द्रों में २८९ गन्ना-उत्पादकों को गुड़ और खांडसारी की समुन्नत उत्पादन विधियों में ट्रेनिंग दी गयी। समुन्नत उपकरण, मशीनें, आदि खरीदने के लिए २६ गुड़ तथा खंडसारी सहकारी समितियों को ४४,२५ रु० छूट तथा अनुदान स्वरूप और १,६१,५५० रु० व्याज रहित ऋण के रूप में दिया गया। इनके अतिरिक्त समुन्नत कोल्हू और कढ़ाव काम में लाने के लिए गन्ना उत्पादकों में २ लाख ५० हजार रुपया बतौर तकावी के बांटा गया।

गुड़ विकास कर्मचारियों की सहायता से ५,९९१ समुन्नत भट्टियां निर्मित की गयीं तथा ९,४७,४९० मन अच्छे किस्म का गुड़ तथा १,०६,६६९ मन खांडसारी बनाया गया।

(३) ताड़गुड़ योजना--ताड़गुड़ विकास योजना राज्य के ११ जिलों के ५९ केन्द्रों में चालू रही। ये जिले कानपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, मेरठ, नैनीताल, फतेहपुर, बिजनौर, जौनपुर, बदायूं तथा एटा थे।

आलोच्य वर्ष में १८९ व्यक्तियों को इस उद्योग में प्रशिक्षित किया गया।

योजना से ९२९ लोगों को रोजगार मिला। इन लोगों ने ६,२९५ मन गुड़, १,८०९ मन राब और ७७ मन चीनी बनायी। इसके अतिरिक्त ताड़ी इकट्ठा करने वालों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा ताड़ की पत्तियों की ५,०८,४२६ उपयोगी तथा कलात्मक वस्तुएं तैयार की गयीं।

ताड़ी इकट्ठा करने वालों की १४ प्रारम्भिक सहकारी समितियों तथा कानपुर स्थित एक सर्वोच्च संगठन-उत्तर प्रदेश राज्य ताड़ गुड़ सहकारी संघ लिमिटेड राज्य में चालू रहे। आलोच्य वर्ष में ३६,६५४ पौंड स्वादिष्ट तथा पौष्टिक पेय नीरा, ३,९२८ मन गुड़ तथा १,०५० मन राब शकर आदि बेची गयी।

(४) अम्बर चर्खा योजना—खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित अम्बर चर्खा योजना सन् १९५७ में आरम्भ की गयी थी। योजना के प्रथम वर्ष में केवल प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया। अक्तूबर, १९५८ से उत्पादन कार्य भी आरम्भ किया गया।

योजना का कार्यकलाप राज्य के ६ जिलों तक सीमित रहा, जिनमें बलिया, आजमगढ़, देवरिया, सहारनपुर, गोंडा और इलाहाबाद शामिल थे।

आलोच्य वर्ष में फरवरी, १९५९ तक २,५९७ कतुए प्रशिक्षित किये गये तथा २४,२१३ पौंड सूत तैयार किया गया। मार्च, १९५९ के अन्त तक ५६,००० रु० के मूल्य का ३६,२४७ गज कपड़ा बनाया गया।

(५) पर्वतीय ऊन योजना—पर्वतीय ऊन योजना उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र स्थित अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, नैनीताल तथा देहरादून के जिलों में चालू रही। आलोच्य अवधि में सात बुनाई एवं रंगाई केन्द्र ६ प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र तथा ९० कताई केन्द्र चालू रहे।

योजना के अधीन १४,४३५ कतुए और ३५८ बुनकरों (जिनमें प्रशिक्षणाधीन ९२ बुनकर भी सम्मिलित थे) को प्रशिक्षित किया गया। लगभग ४९६ मन सूत तथा ३,४०,३११ रु० का कपड़ा बनाया गया। राजकीय विभागों, खादी ग्रामोद्योग भवन, नयी दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में श्री गांधी आश्रम द्वारा १,९७,११९ रु० का ऊनी माल बेचा गया। वर्ष में २५१ नयी डिजाइनें निकाली गयीं।

योजना के अधीन ऊन धुनने के तीन यंत्र खरीदे गये और वे लगाये जा रहे थे।

(६) भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र ऊन योजना—भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र योजना सन् सन् १९५६ में अल्मोड़ा, पौड़ी तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों के सीमा-क्षेत्रों में आरम्भ की गयी थी। अल्मोड़ा में तीन प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र तथा १२ कताई केन्द्र और पौड़ी-गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल के जिलों में दो-दो प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र तथा आठ-आठ कताई केन्द्र चल रहे थे। आलोच्य वर्ष में ४,८९३ कतुओं तथा ६९ बुनकरों (२० प्रशिक्षणाधीन बुनकरों को मिलाकर) ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और १४८ मन सूत तथा ८९,४५० रु० का कपड़ा तैयार किया। ५९,५०० रु० का ऊनी माल बेचा गया और ३०७ नयी डिजाइनें प्रचलित की गयीं।

(७) हस्तनिर्मित कागज योजना—हस्तनिर्मित कागज योजना के अधीन आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित वस्तुओं की पूर्ति के लिए आदेश मिले और उन्हें पूरा किया गया—

	वस्तुओं का ब्योरा	मूल्य रु०
(१)	११५ टन ब्लाटिंग पेपर	१,६१,०००
(२)	१।। लाख फाइल कवर	१०,०००
(३)	२ लाख 'कैंडक्स'	१२,०००
(४)	५०० रीम लिखने का कागज	१४,०००
		१,९७,०००

कालपी के हस्त निर्मित कागज उद्योग में ६०० व्यक्ति लाभप्रद रोजगार में लगे हुए थे। ७५,००० रु० के उत्पादन तथा कच्चे माल की पूर्ति सम्बन्धी लक्ष्य की तुलना में ८४,००० रु० का उत्पादन और कच्चा माल की पूर्ति हुई। हस्तनिर्मित कागज की समुन्नत उत्पादन विधियों में २० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

कारीगरों को प्रदेश भर में सहकारी समितियां बनाने और हाथ का कागज बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार की सहकारी समितियां आलोच्य वर्ष में कालसी (देहरादून), गरुड़ (अल्मोड़ा), रामपुर, कड़ा (इलाहाबाद), रणखंडी (सहारनपुर), लखनऊ तथा बलिया में संगठित की गयीं।

(८) चमड़ा और चर्मशोधन उद्योग का विकास—ग्राम्य क्षेत्रों के हरिजन चर्मशोधकों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए राज्य में १९५४–५५ में आदर्श ग्रामीण कुटीर चर्मशोधालय स्थापित करने की एक योजना आरम्भ की गयी।

सन् १९५४–५५ में ३० सहकारी समितियां, १९५५–५६ में भी ३०, १९५६–५७ में १९ तथा १९५७–५८ में १० समितियां संगठित की गयीं। १९५८–५९ के वर्ष में मार्च मास के अन्त में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन से ३० चर्मशोधन केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति मिली ।

सन् १९५८–५९ के वर्ष में जिन समितियों ने अपने भवन निर्मित करना चर्मशोधन कार्य आरम्भ कर दिया था, उनकी प्रगति इस प्रकार रही—

(१)	शोधी हुयी खालों की संख्या	१,२३,२३०
(२)	शोधे हुये चमड़े का मूल्य	२१,९८,१९० रु०
(३)	चमड़ा कमाने वालों की औसत आय ..	२॥ रु० से ३ रु० प्रति कार्य दिवस

(९) औद्योगिक सहकारी समिति योजना—औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या, जो १ अप्रैल, १९५८ को १,९५९ थी, ३१ मार्च, १९५९ तक बढ़कर २,२५४ हो गयी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने बुनकर समितियों को १४,०५,२४५ रु० तथा अन्य समितियों को ५५,९०० रु० के ऋण दिये। इसने बुनकर समितियों को ३०,१४,२३३ रु० का सूत तथा १४,१६४ रु० का रंग वितरित किया और आलोच्य अवधि में ८,३०,१७७ रु० का हथकर्घे का कपड़ा बेचा ।

(१०) बैरक कंबल योजना—सुरक्षा विभाग के लिए बैरक कंबल बनाने की योजना सन् १९५३–५४ में आरम्भ की गयी थी। इस योजना से लगभग ६,००० आंशिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों, १०० बुनकर परिवारों तथा २०० कुशल तथा अकुशल कारीगरों को रोजगार मिला था। आलोच्य वर्ष में ६८,००० कंबल तैयार किये गये—

(११) अन्य ग्रामोद्योग योजनाएं—खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन, बम्बई ने १९५७–५८ तथा १९५८–५९ के वर्षों में उत्तर प्रदेश के सामुदायिक विकास क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में निम्नलिखित ग्रामोद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार ने १३,७०,७०५ रु० का अनुदान तथा २४,८५,५५० रु० बतौर ऋण के स्वीकृत किया ।

(१) धान की हाथ से कुटाई तथा आटा और चक्की उद्योग
(२) तेल घानी
(३) साबुन तथा अखाद्य तेल उद्योग
(४) चर्म उद्योग
(५) मिट्टी के बर्तनों का उद्योग
(६) दियासलाई कुटीर उद्योग
(७) हस्तनिर्मित कागज
(८) ताड़गुड़
(९) गुड़ खांडसारी

उपर्युक्त धनराशियों में २०,३८,५९४ रु० के ऋण तथा ९,२७,७५१ रु० ८३ न० पै० बतौर अनुदान के खादी तथा ग्रामोद्योगों को चलाने वाली रजिस्टर्ड सहकारी समितियों को मार्च, १९५९ के अन्त तक दिये गये।

आलोच्य वर्ष में ५२९ सहकारी समितियां संगठित की गयीं।

हथकर्घा विकास योजना—आलोच्य वर्ष में ८९ हथकर्घा सहकारी समितियां, जिनकी सदस्य संख्या १९,२७८ थी, संगठित और रजिस्टर की गयीं जिन्हें मिलाकर राज्य में इस प्रकार की समितियों की कुल संख्या १,१८८ तथा सदस्य संख्या १,२५,२०९ हो गयी। उत्पादन एवं क्रय-विक्रय समितियों की संख्या, आलोच्य वर्ष की ५० पुनस्संगठित और परिवर्तित समितियों को मिलाकर ४७६ हो गयीं। आलोच्य अवधि में इस प्रकार की समितियों ने लगभग ७ करोड़ ५५ लाख रु० मूल्य का ८ करोड़ ३९ लाख गज कपड़ा तैयार किया और लगभग ६,९७,६२,००० रु० मूल्य का ८ करोड़ २० हजार गज कपड़ा बेचा ।

बिक्री---आलोच्य वर्ष में बिक्री के लिये सहकारी आधार पर नयी दुकानें खोली गयीं और उनकी कुल संख्या १६२ हो गयी। इन दुकानों द्वारा २६,२७,००० रु० के मूल्य का २३,६६,००० गज हथकर्घे का कपड़ा बेचा गया।

गवर्नमेन्ट यू० पी० हैंडीकाफ्ट्स के अधीन चल रहे पांच अन्तर्राज्यीय केन्द्रों द्वारा ५,५७,००० रु० का कपड़ा बेचा गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ के अधीनस्थ संचालित कानपुर, मेरठ तथा वाराणसी स्थित केंद्रीय भंडारों ने छोटे बिक्री केन्द्रों को ४ लाख ४५ हज़ार रुपये का हथकर्घे का माल दिया।

सचल बिक्री यूनिटें---उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की पांच बिक्री-गाड़ियों ने हथकर्घा वस्त्रों का प्रचार करने के अतिरिक्त ५६,६४३ रु० का माल बेचा।

रंगाई घर---आलोच्य वर्ष में ६३ सहकारी रंगाईघरों ने ३,१४,००० पौंड सूत रंगा। पिलखुवा, जिला मेरठ स्थित मध्यम आकार के रंगाई घर द्वारा १०० पौंड सूत तथा ५,७०० पौंड कपड़ा 'ब्लीच' किया गया व ८८० पौंड सूत रंगा गया। इसी आकार के बाराबंकी के रंगाईघर द्वारा ६,५०० पौंड सूत रंगा गया।

नमूना निर्माण केन्द्र---बाराबंकी, खलीलाबाद, कासगंज, अमरोहा, रामपुर, टांडा, मऊ तथा गाजीपुर स्थित आठ नमूना निर्माण केन्द्रों ने २८ नये डिजाइन निकाले तथा ६४ हज़ार रुपये मूल्य का ६०,२५० गज हथकर्घा वस्त्र तैयार किया।

गुण चिन्हांकन---गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत ६८ हथकर्घा बुनकर समितियां लायी गयीं। आलोच्य अवधि में ३३ लाख ४१ हज़ार रुपये के मूल्य के २३ लाख ६३ हज़ार गज कपड़ा गुण चिन्हांकित किया गया।

कैलेंडरिंग प्लान्ट---मऊ के राजकीय कैलेंडरिंग ब्लिचिंग और डाइंग फैक्टरी ने १,०३,५१,००० गज कपड़ा 'कैलेंडर' किया तथा १२,५०० पौंड सूत रंगा। जिला केन्द्रीय बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, मगहर, जिला बस्ती के अधीनस्थ खलीलाबाद की इस प्रकार की फैक्टरी में हथकर्घे वस्त्र के ३,२७,००० थान 'कैलेंडर' किये गये।

छूट---हथकर्घा वस्त्र पर स्वीकृत छूट की ३४ लाख ७४ हज़ार रुपये की धनराशि राज्य की बुनकर समितियों में आलोच्य वर्ष में वितरित की गयी।

रेशम हथकरघा वस्त्र, वाराणसी---वाराणसी की रेशम बुनकर सहकारी समितियों ने आलोच्य वर्ष में १२ लाख ८० हजार रुपये मूल्य का १,०६,२०० गज रेशमी हथकर्घा वस्त्र तैयार किया और १३ लाख २३ हजार रुपये का १,०७,५०० गज कपड़ा बेचा। वाराणसी के मदनपुरा, पीलीकोठी, चेतनपुरा, लालपुरा, बजरडीहा तथा बड़ा बाजार स्थित ६ रेशम रंगाई घरों ने १४,००७ पौंड रेशम रंगा।

सहकारी कताई मिल---प्रस्तावित सहकारी कताई मिल के लिए हिस्से की पूंजी एकत्र होती रही। राज्य सरकार ने १० लाख रुपये के हिस्से खरीदे।

हस्तशिल्प योजनाएं---(१) केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ---आलोच्य वर्ष में १४ प्रशिक्षार्थियों के प्रथम दल ने लखनऊ के केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। केन्द्र ने बहुत से नए डिजाइन निकाले और उनमें से लगभग ६०० डिजाइनों के उत्पादन केन्द्रों तथा सहकारी समितियों के लिए वास्तविक नमूने तैयार तैयार किए गये। केन्द्र के लिए एक उपयुक्त भवन भी खरीदा गया।

(२) शिल्प संग्रहालय, लखनऊ---यह संग्रहालय उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच सम्पर्क का एक साधन रहा तथा औद्योगिक वस्तुओं के कच्चे माल तथा उनकी खपत की वर्तमान तथा भावी संभावनाओं के सम्बन्ध में सूचना प्रसार का एक उपयोगी माध्यम रहा। संग्रहालय में वस्त्रों तथा अन्य कलात्मक वस्तुओं के आकर्षक नमूने भारी संख्या में प्रदर्शित किये गये थे।

(३) गाड़ियों द्वारा कुटीर उद्योगों की वस्तुओं की बिक्री---कुटीर उद्योग की वस्तुओं की बिक्री के लिए आयोजित मोटर गाड़ियों की यूनिट प्रदर्शन तथा बिक्री कार्य करती रही। इसने राज्य की विभिन्न प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लिया।

(४) चिकन कढ़ाई योजना, लखनऊ---आलोच्य वर्ष में राजकीय चिकन कढ़ाई योजना के अन्तर्गत २,२१,८९९ रु० का माल तैयार किया गया और १,८३,४०२ रु० का बेचा गया। योजना द्वारा ८५० व्यक्तियों को रोज़गार मिला।

(५) अन्य योजनाएं---राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अन्य हस्तशिल्पों में बिदरी, लाख का काम, सींग उद्योग, बेंत तथा बांस उद्योग, तारकशी, हाथी दांत तथा लकड़ी के खिलौनों का उद्योग सम्मिलित है।

इनके अलावा आलोच्य अवधि में राज्य के विभिन्न भागों में हस्तशिल्पों के विकास के लिए इसी प्रकार की १३ अन्य योजनायें चलती रहीं।

गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स---इस संस्था के पांच हस्तशिल्प बिक्री केन्द्र तो राज्य में तथा पांच अन्य राज्यों में अर्थात् कलकत्ता, नागपुर, हैदराबाद, भोपाल और नयी दिल्ली में आलोच्य अवधि में चलते रहे। इनके अतिरिक्त इलाहाबाद तथा सारनाथ (वाराणसी) के रेलवे स्टेशनों पर दो ट्रालियों द्वारा बिक्री की व्यवस्था की गयी। आलोच्य वर्ष में केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र द्वारा निकाले गये ३१६ नये डिजाइनों को भी प्रचलित किया गया।

विभिन्न बिक्री केन्द्रों द्वारा १२,५८,५४४ रु० ६७ न० पै० का हस्तशिल्प का सामान बेचा गया।

रेशम कीट पालन उद्योग---राज्य में इस उद्योग का प्रमुख केन्द्र दून घाटी रही, यद्यपि इसके केन्द्र इटावा, नैनीताल, सहारनपुर, गोरखपुर तथा गढ़वाल में भी थे।

रेशम का कीड़ा पालने वाले परिवारों की संख्या जो आरम्भ में केवल २७ और प्रथम आयोजन के अन्त में ४१४ थी, आलोच्य वर्ष में बढ़ाकर २,५२८ हो गयीं। इस वर्ष ककून का उत्पादन २७,४०६ पौंड रहा। ४८ व्यक्तियों को इस कार्य की ट्रेनिंग दी जा रही थी। कीट पालकों की सात और सहकारी समितियां संगठित की गयीं।

अंडी रेशम योजना---अंडी रेशम उद्योग के सम्बन्ध में रामपुर जिले के सुआर तथा देवरिया जिले के तमखुई नामक स्थानों में काफी क्षेत्रीय कार्य किया गया। राजकीय फार्मों में लगभग ५॥ एकड़ भूमि में अंडी के पेड़ लगाये गए और ३,६६६ पौंड अंडी का ककून तैयार किया गया। आलोच्य वर्ष में इस कार्य में दस व्यक्ति ट्रेनिंग पा रहे थे।

उद्योगों को सहायता---(१) कोयला तथा अन्य सामग्री---विभिन्न लघु-स्तरीय उद्योगों के लिए कोयले की मात्रा २५,८८८ वैगन से बढ़ कर २७,४२८ वैगन हो गयी।

लघु उद्योगपतियों को लोहे और इस्पात का सामान तैयार करने के लिये ९,९२८ टन लोहा और इस्पात नियत किया गया। इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में ही कारखानों के निर्माण के लिए १,६१० टन लोहा, इस्पात, २७८ वैगन कोयले का चूरा तथा ६७ वैगन सीमेंट भी दिया गया।

(२) आयात तथा निर्यात---आलोच्य वर्ष में वास्तविक उपभोक्ताओं को आवश्यक कच्चे माल, पुर्जे तथा मशीनों के आयात के लिए २,५८,०३,२२२ रु० के मूल्य के प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

भारत सरकार ने अलौह धातुओं के वास्तविक उपभोक्ताओं को जारी किये प्रमाण-पत्रों के आधार पर आलोच्य वर्ष में १११.४७ टन अलौह धातु दी। राज्य के लिए नियत किया हुआ कच्चे माल का कोटा यहां की आवश्यकताओं को देखते हुए कम था।

ऋण एवं अनुदान योजना---लघु उद्योगों के विकास के लिए व्यक्तियों तथा सहकारी-समितियों को ३० लाख ७४ हज़ार रुपया बतौर ऋण के तथा ६८,१५० रु० अनुदान स्वरूप दिया गया। इस योजना से लाभान्वित होने वाले उद्योगों में लघु इंजीनियरिंग उद्योग, खाद्य पदार्थ, रसायन, चमड़ा तथा काष्ठ उद्योग प्रमुख थे।

प्राविधिक शिक्षा—आलोच्य वर्ष में २५ राजकीय तथा ७२ सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा संस्थाएं राज्य में चल रही थीं जिनमें विभिन्न इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक विषयों में प्रमाण-पत्र से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार पर्याप्त संख्या में आवश्यक योग्यता प्राप्त शिक्षकों, समुचित उपकरणों तथा भवनों की व्यवस्था करके इन शिक्षा संस्थाओं के शिक्षा स्तर की ट्रेनिंग देने वाले पांच वर्तमान पोलीटेक्नीकों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पद्धति पर १९५९–६० से जूनियर टेक्नीकल स्कूलों में परिवर्तित करना था। मुद्रणकला का एक क्षेत्रीय विद्यालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया। इसमें छपाई तथा तत्सम्बन्धी विषयों में प्रमाण-पत्र स्तर के ट्रेनिंग की व्यवस्था की। शिक्षा के समुचित स्तर की व्यवस्था द्वारा राज्य के विभिन्न प्राविधिक तथा इंजीनियरिंग विद्यालयों के समन्वित विकास के लिए एक प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की गयी। डिप्लोमा के स्थान पर डिग्री प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया। हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को कानपुर के हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट तथा केन्द्रीय टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट को आगरा विभागाध्यक्ष के अधिकार प्रदान किये गये। हाई स्कूल (प्राविधिक) तथा इंटरमीडियेट (प्राविधिक) के विद्यार्थियों को छोड़ कर, जिन्हें क्रमशः ४ रु० और ६ रु० मासिक फीस देनी होती थी, शेष राजकीय प्राविधिक संस्थाओं के विद्यार्थियों से कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया गया। कानपुर के हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट तथा राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, लखनऊ तथा गोरखपुर के राजकीय टेक्नीकल विद्यालयों को छोड़ कर, जहां ७४ रु० वार्षिक छात्रावास शुल्क लिया गया, राज्य के अन्य सरकारी प्राविधिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में छात्रावास शुल्क नाम मात्र को १ रु० से लेकर ३ रु० तक लिया गया।

विचाराधीन वर्ष के राजकीय बजट में प्राविधिक शिक्षा की सुविधाओं के विकास एवं प्रसार के लिए ५६,५७,२०० रु० की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त लखनऊ तथा गोरखपुर के राजकीय प्राविधिक विद्यालयों की प्रसार संबंधी केन्द्र द्वारा प्रस्तावित योजना के लिए भारत सरकार के अंशदान के रूप में ११ लाख ६० हजार रु० का प्राविधान किया गया। भारत सरकार द्वारा नियुक्त इंजीनियरिंग वर्ग समिति की सिफारिशों के अनुसार लखनऊ तथा गोरखपुर के राजकीय प्राविधिक विद्यालयों की वार्षिक प्रवेश क्षमता क्रमशः ४० और ३५ से बढ़ा कर २१० और २०० कर दी गयी। साथ ही इन विद्यालयों में सिविल इंजीनियरिंग के शिक्षण का भी प्रबन्ध किया गया।

आयोजना में बरेली तथा झांसी में एक-एक नया डिप्लोमा विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गयी थी और इनमें से प्रत्येक की वार्षिक प्रवेश क्षमता १२० रखी गयी थी। इन विद्यालयों के लिए आवश्यक उपकरण तथा भूमि खरीदी गयी। भारत सरकार ने ५ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कानपुर में एक भारतीय टेक्नोलाजीकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निश्चय किया। राज्य सरकार ने इस विद्यालय के लिए १,०४५ एकड़ भूमि उपार्जित की। भवनों का निर्माण आरम्भ होने वाला था।

१९५७–५८ के वर्ष में विभिन्न राजकीय प्राविधिक विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं में १,२७० विद्यार्थी बैठे और उनमें से १,१२८ उत्तीर्ण हुए। सहायता प्राप्त प्राविधिक विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं में बैठने वाले ६८६ विद्यार्थियों में ५७४ उत्तीर्ण हुए।

राज्य सरकार की एक योजना के अधीन निर्धन तथा मेधावी विद्यार्थियों को भारत तथा विदेशों में उच्च प्राविधिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा के लिए १ प्रतिशत के नाममात्र के ब्याज पर शिक्षा ऋण प्रदान किये गये। इस प्रयोजन के लिए बजट में रखी गयी २ लाख रुपये की धनराशि के कम पड़ जाने पर आलोच्य वर्ष में १ लाख ९३ हजार रुपये की और व्यवस्था की गयी। इस योजना के अधीन ३०० विद्यार्थियों को विभिन्न धनराशियों के ऋण दिये गये।

वाणिज्य ज्ञान शाखा—वाणिज्य ज्ञान शाखा न केवल उद्योग निदेशालय के कार्यकलाप की सूचनाएं एकत्र तथा प्रसारित करता रहा बल्कि सहकारी समितियों तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों को प्राविधिक क्रय-विक्रय, किस्त पर खरीद तथा संगठन और अर्थ संबंधी सुविधाओं से अवगत कराता रहा।

राज्य के समस्त जिलों के औद्योगिक सर्वेक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। आलोच्य वर्ष में इस कार्य में काफी प्रगति हुई।

विभाग ने 'भारत—१९५८' प्रदर्शनी में भाग लिया। राज्य में विभाग ने अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनमें मसूरी तथा नैनीताल की लघु उद्योग प्रदर्शनियां भी सम्मिलित थीं।

औद्योगिक संग्रहालय—उद्योग निदेशालय का औद्योगिक एवं वाणिज्य संग्रहालय तथा लघु-कुटीर उद्योगों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योग देता रहा। साप्ताहिक संवाद पत्र अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशित होता रहा।

भारी उद्योग—(१) राजकीय सूक्ष्मयंत्र निर्माणशाला, लखनऊ—राजकीय सूक्ष्मयंत्र निर्माणशाला जो जल मापक यंत्र, अनुवीक्षण यंत्र तथा अन्य सूक्ष्म यंत्र बनाने के लिए सन् १९५० में स्थापित की गयी थी, के कार्य में प्रगति होती रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस फैक्टरी में प्रति मास ३,००० जल-मापक यंत्र तथा २५ अनुवीक्षण यंत्र बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह समय से पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया। आलोच्य वर्ष में उत्पादन तथा बिक्री की स्थिति इस प्रकार रही—

वस्तुएं	उत्पादन	बिक्री
(१) जल मापक यंत्र आकार १/२", ३/४" तथा १" ..	३६,३५७	३६,१८२
(२) अनुवीक्षण यंत्र (स्कूली अनुसंधान तथा बुलैट प्रकार के) ..	२८३	२४५
(३) स्टेथेस्कोप	७९	६५

फैक्टरी में डाक्टरी यंत्र तथा प्रेशर गेज जैसी नयी वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ हुआ।

(२) राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क—सितम्बर, १९५८ में राजकीय सीमेंट फैक्टरी ने पांचवें वर्ष में पदार्पण किया। सीमेंट के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही और आलोच्य वर्ष में उत्पादन २,१३,१२४ टन तक पहुंच गया, और निर्धारित क्षमता का ९३ प्रतिशत था। फैक्टरी के दैनिक उत्पादन को ७०० टन से बढ़ा कर १,४०० टन करने की योजना में काफी प्रगति हो रही थी। इसके लिए आवश्यक मशीनों का आर्डर एक यूरोपियन फर्म को दिया गया। भट्ठी की ईंटों के निर्माण के लिए एक अग्रगामी योजना आरम्भ की गयी।

(३) रामपुर के उद्योग—राज्य सरकार ने निम्नलिखित फर्मों में धन लगा रखा था—

(१) मैसर्स रामपुर इंजीनियरिंग, कम्पनी, लिमिटेड
(२) मैसर्स रामपुर डिस्टेलरी ऐण्ड कैमिकल कम्पनी, लिमिटेड
(३) मैसर्स रजा टैक्सटाइल्स, लिमिटेड
(४) मैसर्स रामपुर मेज़ प्रोडक्ट्स, लिमिटेड
(५) मैसर्स रामपुर टैनरी ऐंड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, लिमिटेड
(६) मैसर्स रामपुर मेज़ प्राडक्ट्स, लिमिटेड
(७) मैसर्स माडर्न मेटल इंडस्ट्रीज (प्राइवेट), लिमिटेड
(८) मैसर्स डान मैच कम्पनी, लिमिटेड
(९) मैसर्स रामपुर डेरी फार्म, लिमिटेड (विघटनाधीन)

उपर्युक्त छठी, सातवीं व आठवी नम्बर की फर्में बंद रहीं। ये फर्में पिछले कई वर्षों से नहीं चल रही थीं।

पांचवें नम्बर की फर्म की समस्त सम्पत्ति-मैसर्स भारत फायर ऐंड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने अपने अधिकार में कर ली और उसका कुछ भाग कम्पनी द्वारा बेच भी दिया गया।

शेष पहले से चौथे नम्बर तक की फर्में सामान्य रूप से चालू रहीं। दूसरे नम्बर की फर्म १९५७–५८ में लाभप्रद रही और उसने उस वर्ष अपने हिस्सों पर तीन प्रतिशत का मुनाफा घोषित किया।

वस्तुक्रय विभाग---वस्तु क्रय विभाग द्वारा जारी किये गये टेंडरों, जानकारी पत्रों तथा निश्चित किये गये ठेकों और खरीदी गयी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार रहा---

जारी किये गये टेंडरों तथा जानकारी पत्रों की संख्या	..	१,५२३
निश्चित किये गये ठेके	.. .. ..	२,१८६
खरीदी गयी वस्तुओं का मूल्य	.. ..	४ करोड़ ९९ लाख रु०

आलोच्य वर्ष में ९६ रेट कांट्रेक्ट स्वीकृत किये गये। कुल मिला कर ४ करोड़ ९९ लाख रुपये की वस्तुएं खरीदी गयीं जिनमें से १ करोड़ रुपया ३० लाख की वस्तुएं रेट कांट्रेक्ट पर तथा शेष परिमाण कांट्रेक्ट पर खरीदी गयीं।

सामान्य---आलोच्य वर्ष में एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय परिवर्तन यह हुआ कि उद्योग निदेशालय का क्षेत्रीय आधार पर पुनस्संगठन किया गया। पहले उद्योग योजनाओं का निर्देशन निदेशालय के प्रधान कार्यालय में केन्द्रित था। विभिन्न योजनाओं के कार्याधिकारी वहीं से हिदायतें जारी करते थे और राज्य भर में फैले हुए केन्द्रों की यथा-संभव देखभाल करते थे। औद्योगिक कार्यक्रम के तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र तथा उसके फलस्वरूप केन्द्रों के विशाल समूह की समुचित देखरेख के लिए केन्द्रीय प्रशासकीय प्रणाली सर्वथा अनुपयोगी सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र स्तर पर अन्य विकास विभागों के साथ निकट सम्पर्क तथा समन्वय की भी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य को पांच क्षेत्रों में विभाजित कर के प्रत्येक क्षेत्र में संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक के पद का एक अधिकारी कार्य की देख-रेख के लिए नियुक्त कर दिया। प्रत्येक क्षेत्र में दो कमिश्नरी-डिवीजन रखे गये। इनमें से एक डिवीजन में क्षेत्रीय उद्योग अधिकारी रखे गये और दूसरे डिवीजन में एक उपक्षेत्रीय अधिकारी, सहायक निदेशक या उसके समानान्तर अधिकारी के स्तर का नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों तथा ज़िला उद्योग अधिकारियों से डिवीजन के कमिश्नरों को उद्योगों के विकास से अवगत रखने तथा उद्योग सम्बन्धी कठिनाइयों को हल करने में उनकी सहायता एवं परामर्श प्राप्त करने के लिए कहा गया। साथ ही उन्हें विभिन्न उद्योग योजनाओं के कार्यान्वय को समुचित देख-रेख करने तथा अन्य विकास विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाये रखने के निर्देश दिये गये।

१५---फल उपयोग

फल उपयोग निदेशालय सन् १९५३ में स्थापित किया गया। इसका मुख्य कार्यालय रानीखेत में था। इसकी स्थापना कुमायूं के चार पर्वतीय जिलों में बागवानी के विकास एवं राज्य के फल संरक्षण उद्योग की देखभाल करने के उद्देश्य से की गयी थी।

निदेशालय की बागवानी शाखा निम्नलिखित की सहायता से अपना कार्य करती रही ---

(१) पर्वतीय फल अनुसंधान शाला, चौबटिया जो सम-शीतोष्ण फलों के उत्पादन के समस्या पर अनुसंधान करती रही।

(२) बागवानी---पौध सुरक्षा सचल दल और पौध सुरक्षा केन्द्र, रानीखेत जो उत्पादन की टेक्नीक में और उद्यानों के रख-रखाव में प्रशिक्षित करते रहे तथा कीड़ों और मकोड़ों एवं रोगों के विरुद्ध सुरक्षा अभियान चलाते रहे।

(३) राजकीय फार्म, उद्यान और पौधघर जो आदर्श यूनिट के रूप में कार्य करते रहे और वितरण के हेतु फल के पौधों तथा तरकारियों के बीजों का उत्पादन करते रहे।

आलोच्य वर्ष में बागवानी के कार्य में लगभग १०० व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, ७,७२,००० कलमें और बेहन तथा ३६,९०० पौंड सब्जियों के बीज का वितरण किया गया, ४,९०० एकड़ उद्यानों का जीर्णोद्धार किया गया और ४,१०,००० वृक्षों पर कीड़ों और रोगों से बचाने की कार्रवाई की गयी। चौबटिया उद्यान के फलों की बिक्री से कुल ७०,५०० रुपये की आय हुई।

उद्योग शाखा के कार्य निम्नलिखित की सहायता से किये गये---

(१) फल संरक्षण एवं बपुनियन संस्था, लखनऊ जो नये उत्पादनों का पता लगाने और नई जातियों को तैयार करने के सम्बन्ध में अनुसंधान करता रहा और फल संरक्षण करने वालों को प्राविधिक परामर्श देता रहा।

(२) सबल प्रशिक्षण कक्षा की टोलियां और सामुदायिक वपुनियन केन्द्र जो लोगों को फल संरक्षण एवं डिब्बाबन्दी के टेक्नीक में प्रशिक्षित करते थे ।

(३) रामगढ़ की फल करण (प्रोसेसिंग) फैक्टरी जो छटनी किये गये और बटेल फलों को गूदे और रस में परिवर्तित कर उन्हें फल-संरक्षण करने वालों के हाथ बेच देते थे ।

आलोच्य वर्ष में लगभग १,७५,००० पौण्ड गूदे और रस का उत्पादन हुआ, २,४०,००० पौण्ड फलों और सब्जियों की डिब्बाबन्दी की गयी और ३,३०० व्यक्तियों को संरक्षण एवं डिब्बा बंदी के टेक्नीक में प्रशिक्षित किया गया ।

तराई राजकीय फार्म के १४,००० एकड़ उद्यान के फलों का उपभोग करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अधीन फूलबाग में एक फलसंरक्षण एवं वपुनियन फैक्टरी की स्थापना की जा रही थी । आलोच्य वर्ष में लखनऊ के फल संरक्षण एवं बपुनियन संस्था (इंस्टीट्यूट) में फल संरक्षण एवं डिब्बाबन्दी का एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया ।

१६—खान और खदानें

चीनी तथा कागज मिलों को चूना-पत्थर की सप्लाई देहरादून क्षेत्र से होती रही । आलोच्य वर्ष में अल्मोड़ा जिले के सेलखड़ी (सोपस्टोन) के लिए दो प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस और गढ़वाल जिले के सेल खड़ी के लिए एक उत्खानन पट्टा मंजूर किया गया ।

१७—सहकारी आन्दोलन

सामान्य—आलोच्य वर्ष में सहकारी आन्दोलन के प्रसार एवं उसमें नयी स्फूर्ति ले आने पर बल दिया । आलोच्य वर्ष में (आंकड़े ३० जून, १९५८ को समाप्त होने वाली सहकारी वर्ष तक के हैं) सहकारी संस्थाओं के पूंजीयत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं के हिस्से की पूंजी में रुपया लगाने की अपनी नीति जारी रखी । अखिल भारतीय ग्राम ऋण सर्वेक्षण ने यह तखमीना लगाया था कि कृषकों को उनकी ऋण संबंधी आवश्यकता का केवल ३ प्रतिशत भाग ही सहकारिता द्वारा पूरी की जाती है । द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वह इस प्रकार था कि आयोजना अवधि के अन्त तक कृषकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की कम से कम ४० प्रतिशत पूर्ति सहकारी समितियों द्वारा की जा सके । इस दिशा में जो प्रयास किये गये उसके फलस्वरूप प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों द्वारा दिया गया ऋण जो कि सन् १९५६-५७ में ७ करोड़ था आलोच्य वर्ष में बढ़ कर लगभग ११ करोड़ रु० हो गया । यह नयी प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों के संगठन, उनकी हिस्से की पूंजी व कार्यकारी पूंजी बढ़ाने, कई हजार और गांवों को उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आ जाने, जिला कोआपरेटिव बैंकों की हिस्से की पूंजी व जमा की रकम में वृद्धि होने और रिजर्व बैंक से अधिक धन प्राप्त होने के कारण संभव हो सका ।

दूसरा विषय जिसमें पर्याप्त प्रगति प्राप्त की जा सकी वह राज्य में क्रय-विक्रय एवं निर्माण समितियों का संगठन था । कृषि ऋण व्यवस्था एवं क्रय-विक्रय की व्यवस्था को परस्पर सम्बद्ध कर देना एक महत्वपूर्ण बात मानी गयी क्योंकि सहकारी आन्दोलन का विस्तार इस दिशा में प्राप्त सफलताओं पर ही बहुत कुछ निर्भर करता था । आलोच्य वर्ष में इन समितियों की सदस्य संख्या तथा उनकी हिस्से की पूंजी में वृद्धि और उनके द्वारा कृषि उत्पादन की एक बड़ी मात्रा के क्रय-विक्रय की व्यवस्था से उनकी निरन्तर बढ़ती लोकप्रियता का स्पष्ट परिचय मिलता है । यद्यपि इसके साथ यह भी अनुभव किया गया कि इन समितियों की स्थापना को मण्डी के पुराने व्यापारियों ने पसंद नहीं किया । खांडसारी चीनी उत्पादन, चावल मिल, दाल मिल, फलों की डिब्बाबन्दी और तेल की पेराई के लिए निर्माण समितियां प्लान्ट स्थापित किये गये और इमारतें बनायी गयीं ।

प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां—आलोच्य वर्ष में प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की संख्या बढ़ कर ४,१२७ हो गयी । कुल २,७१३ ग्राम्य समितियों को ३८३ बड़ी-बड़ी समितियों में, जिन्हें संगठित किया गया, मिला दिया गया । प्रारम्भिक समितियों की संख्या आलोच्य अवधि के अन्त में ४४,०६० थी जबकि पूर्वगामी वर्ष में इनकी संख्या ४२,६४६ थी सहकारी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत गांवों की

संख्या में १२,४१२ की वृद्धि हुई और इस प्रकार यह संख्या ६३,४१२ तक पहुंच गई। द्वितीय आयोजना अवधि के अन्त तक सभी गांवों को सहकारिता के अन्तर्गत लेने का प्रस्ताव था। इन समितियों की हिस्से की और कारबारी पूंजी गत वर्ष के ३२१.८८ लाख और १०,०७.७२ लाख रु० से बढ़कर क्रमशः इस वर्ष ४२५.४५ लाख और १,३७१.१८ लाख रु० हो गयी। सुरक्षित और अन्य कोष भी बढ़ कर ६.६६ लाख रु० हो गये। ३० जून, १९५८ को सदस्यों के नाम ऋण का बकाया ९७८.७७ लाख रु० था। यह केवल १५.८ प्रतिशत आता है जबकि पिछले साल बकाये का प्रतिशत १६.६ था। राज्य सरकार ने कतिपय चुनी हुई बड़ी समितियों द्वारा २०० गोदामों के निर्माण के २० लाख रु० (१०,००० रु० प्रति गोदाम के हिसाब से) की व्यवस्था करने के अतिरिक्त उनके हिस्से की पूंजी में ६०.६० लाख रु० लगाया। यह समितियां अपने सदस्यों से पौने नौ प्रतिशत ब्याज लेती थीं। हर फसल की आवश्यकता के आधार पर और अधिक ऋण दिये जाते रहे ताकि कोई भी किसान कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन की कमी से मजबूर न होने पाये। कर्ज लेने वाले सदस्यों को इस आशय के एक एकरारनामे पर हस्ताक्षर करना पड़ता था कि उनके समस्त कृषि उत्पादन की बिक्री उस क्षेत्र की क्रय-विक्रय समिति द्वारा की जायगी।

केन्द्रीय बैंक—राज्य के ४६ जिलों में ५८ बैंक थे। शेष ५ जिलों में उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक की शाखाएं कार्य कर रही थीं। लगभग सभी प्रारम्भिक ऋण समितियां इन बैंकों से सम्बद्ध थीं। आलोच्य वर्ष में केन्द्रीय बैंकों की निजी और कार्यवाही पूंजी में पर्याप्त वृद्धि हुई। निजी पूंजी में १०१.३७ लाख रु० की वृद्धि हुई जो बढ़ कर ३११.९२ लाख हो गयी और कार्यवाही पूंजी में २७५.७२ लाख रु० की वृद्धि हुई और यह बढ़ कर १,०९९.११ लाख रु० हो गयी। हिस्से की पूंजी में ९८.९१ लाख की वृद्धि हुई और यह बढ़ कर २५८.४२ लाख हो गयी। इसमें राज्य द्वारा दी गयी ०.३८ लाख रु० की रकम भी शामिल है। इन बैंकों ने अपने सदस्य समितियों को ९९७.३४ लाख रु० ऋण दिया जबकि पूर्वगामी वर्ष में ६६३.३९ लाख रु० का ऋण दिया गया था। इनकी जमा की रकम २८७.२८ लाख रु० से बढ़ कर ३११.४७ लाख रु० हो गयी।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक—पहले ही की भांति उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक का स्तर राज्य की सहकारी ऋण दात्री संस्थाओं में सबसे ऊंचा था। बैंक की वित्तीय स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी। इसके हिस्से की पूंजी और जमा की रकम में पर्याप्त वृद्धि हुई और यह क्रमशः १०८.०२ लाख और ५२६.०६ लाख रु० थी। बैंक के हिस्से की पूंजी में राज्य सरकार ने ५ लाख रु० दिये। बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण ५१७.६२ लाख से बढ़ कर ६९४.४८ लाख रु० हो गया और बैंक द्वारा रिजर्व बैंक से लिया जाने वाला कर्ज आलोच्य वर्ष में १९७.४५ लाख रु० से बढ़ कर २६३.९२ लाख रु० हो गया। इसकी निजी और कार्यवाही पूंजी में आलोच्य वर्ष में क्रमशः २८.७१ लाख रु० और २६०·३७ लाख रु० की वृद्धि हुई। बैंक को १०.७५ लाख रु० का मुनाफा हुआ जबकि पूर्वगामी वर्ष में यह मुनाफा ५.३६ लाख रु० का था। भारत सरकार द्वारा चलाई गयी अन्य आय वालों के लिए गृह निर्माण योजना के लिए धन की व्यवस्था करती रही और आलोच्य वर्ष में इस कार्य के हेतु ६६.०९ लाख रु० अग्रिम के रूप में दिये। ५५ लाख रु० का मध्यम कालिक ऋण, जिसे रिजर्व बैंक से प्राप्त होना था, कुछ प्राविधिक कठिनाइयों के कारण न मिल सका पर बैंक ने इस ऋण को अपने पास से ही अग्रिम देना स्वीकार कर लिया।

कृष्येतर प्रारम्भिक ऋण समितियां—कृष्येतर प्रारम्भिक ऋण समितियों की संख्या ९०१ थी और इनकी सदस्य संख्या १ लाख ८५ हजार थी। ये समितियां, कस्बों में रहने वाले कारीगरों, मजदूरी करने वालों और छोटे-छोटे व्यापारियों की तथा उनकी जो सरकारी या अन्य दफ्तरों, मिलों अथवा उत्पादन संस्थानों में लगे थे, की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थीं। इन लोगों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं ग्राम्य क्षेत्रों में रहने वालों से किसी प्रकार कम न थीं, और यह प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन था कि किस प्रकार से सहकारी समितियां उनकी वास्तविक वित्तीय कठिनाइयों को दूर करें। आलोच्य वर्ष में इन समितियों ने ८०-८१ लाख रु० का ऋण दिया। इस रकम की व्यवस्था मुख्यतः इनके सदस्यों और गैर-सदस्यों द्वारा की गयी थी। आलोच्य अवधि के अन्त में जमा की रकम १४२.९० लाख रु० थी।

प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन—महत्वपूर्ण उत्पादन और विक्रय समितियों में प्रादेशिक कोआपरेटिव बैंक, जिला सहकारी संघ, खण्ड विकास यूनियनें, दुग्ध समितियां और यूनियनें, घी समितियां और यूनियनें, मिश्री-जूरी क्रय-विक्रय समितियां एवं निर्माण समितियां थीं। ऋण न देने वाली संस्थाओं में प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन शीर्ष संस्था थी और यह राज्य का सबसे बड़ा सहकारी व्यापारिक संगठन था। फेडरेशन कोयला और उर्वरकों की सप्लाई करने का, घी स्तरीकरण केन्द्रों की स्थापना करने का, एक सरकारी औषधि फैक्टरी और एक छपाई के प्रेस का संचालन करने का और यू० पी० इंन्डी क्राफ्टस के सामानों को प्रचारित एवं उन्हें लोकप्रिय बनाने का अपना कार्य करता रहा। सबसे ऊपर की श्रेणी का संगठन होने के नाते यह न केवल क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता रहा अपितु इसने नयी आरम्भ की गयी सहकारी क्रय-विक्रय समितियों की, उनकी ६ लाख रु० मूल्य के स्टाक को खरीद कर, जिसे मण्डी के निजी व्यापारियों ने खरीदने से इनकार कर दिया था, सहायता भी की। यह समझा जाता है कि यदि यह सहायता न की गयी होती तो ये समितियां व्यापारियों के विरोध में खड़ी न रह सकतीं। फेडरेशन ने ५१,००० टन से ऊपर रासायनिक उर्वरकों का और १४,००० वैगन कोयले के चूरे का वितरण किया जबकि पूर्वगामी वर्ष में यह संख्याएं ४६,००० टन और १३,००० वैगन रहीं। इसने जेल की सप्लाई के लिए राज्य सरकार से एक करार किया जिससे यह भी लाभ हुआ कि क्रय-विक्रय समितियों को उन उत्पादकों की बिक्री का भी एक मार्ग मिल गया जिनकी बिक्री की व्यवस्था वे करती थीं। राज्य के सहकारी, कृषि और गन्ना विभागों के विभिन्न बीज गोदामों को इसने २७,५४१ मन हरी खाद की सप्लाई की। इसकी निजी पूंजी ६५.५३ लाख रु० से बढ़ कर १०६.६१ लाख रु० हो गयी और इसी प्रकार कार्यवाही पूंजी भी ३३८.८० लाख रु० से बढ़कर ३४३.८२ लाख रु० हो गयी।

विगत १५ वर्षों से फेडरेशन ६ प्रतिशत की दर से लाभांश बांटता रहा। राज्य सरकार ने फेडरेशन के हिस्से की पूंजी में ५ लाख रु० की धनराशि लगायी। आरम्भिक अवस्थाओं में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने ५ निर्माण समितियों में ५१,००० रु० के हिस्से खरीदे।

जिला सहकारी संघ—जिला सहकारी संघ अपने-अपने जिलों के अन्तर्गत सहकारी समितियों के क्रय-विक्रय एवं विकास संबंधी कार्यों में समन्वय स्थापित करते रहे। इनके द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्यों में ईंटें के भट्ठे लगाना, उर्वरकों का वितरण करना, सीमेंट, लोहा और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था करना आदि था। इन समितियों ने २८४.२० लाख रु० मूल्य के माल को क्रय-विक्रय किया, जबकि पूर्वगामी वर्ष में यह २३५.३२ लाख रु० था। इनकी निजी और कार्यवाही पूंजी क्रमशः ६७.०८ लाख और १८०.२४ लाख रु० से बढ़कर ७५.३६ लाख और १६८ रु० हो गयी।

खण्ड विकास यूनियनें—जिस प्रकार से केन्द्रीय कोआपरेटिव बैंक अपनी प्रारम्भिक समितियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, उसी प्रकार से खण्ड यूनियनें अपने से सम्बद्ध समितियों के द्वारा लोगों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं और उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति करती थी। इन यूनियनों की, जिनका सृजन सन् १९४७ में चालू किये गये नवीन सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत किया गया था, संख्या २,०५८ थी। उन्नत किस्म के बीजों, खाद और कृषि उपकरणों की सप्लाई के लिए ये बीज गोदाम चला रही थीं और इस प्रकार 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान में काफी सहायता दे रही थीं। इनमें से कुछ यूनियनों द्वारा चलाये जाने वाले ईंटे के भट्ठे आस-पास के गांव में सस्ते दरों पर ईंटों की सप्लाई करते थे और इस प्रकार ग्राम्य क्षेत्र में भवनों के निर्माण सहायता पहुंचाते थे।

आलोच्य वर्ष में खण्ड यूनियनों की सदस्य संख्या में १२,५३६ की वृद्धि हुई। इनके हिस्से की पूंजी में ४६,००० रु० की और कार्यवाही पूंजी में ४९.१७ लाख रु० की वृद्धि हुई। यूनियनों का शुद्ध लाभ पूर्वगामी वर्ष की तुलना में इस वर्ष ३३.२० लाख रु० अधिक हुआ।

सहकारी बीज गोदाम—विगत दस वर्षों में सहकारी बीज गोदामों के द्वारा बीजों का वितरण प्रायः दुगना हो गया है। इनकी संख्या अब १,२६० है। सन् १९४८ के वर्ष में कृषि विभाग के ५६७ बीज गोदाम सरकार द्वारा सहकारी खण्ड यूनियनों को हस्तान्तरित कर दिये गये। आलोच्य

वर्ष में इन गोदामों ने २१.०७ लाख मन बीजों का वितरण किया जबकि पूर्वगामी वर्ष में २०.०५ लाख मन का वितरण किया गया था। सवाई के आधार पर प्रथम 'ए' श्रेणी के बीज के वितरण का दुहरा महत्व था। एक ओर यह राज्य के ऋण विस्तार कार्यक्रम का अंश था और दूसरी ओर उत्पादन में वृद्धि करने का भी एक साधन था।

दुग्ध यूनियनें—आलोच्य वर्ष में राज्य में ७ दुग्ध यूनियनें कार्य कर रही थीं। इनमें लखनऊ की मिल्क सप्लाई यूनियन भी थी। इन यूनियनों द्वारा द्रव दूध की बिक्री में, पूर्वगामी वर्ष की तुलना में ६,२७३ मन की कमी हुई। केवल तीन दुग्ध यूनियनों ने, जिन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया, १.१८ लाख रु० का नफा कमाया। अन्य दुग्ध यूनियन का कार्य संतोषजनक नहीं था, इस अर्थ में कि उन्हें मुनाफा न हो सका। उनके कार्य को पुनस्संगठित किये जाने के प्रयास किये जा रहे थे।

घी यूनियनें—आलोच्य वर्ष में ८ घी यूनियनें थीं जिन्होंने १.०२ लाख रु० मूल्य के घी की सप्लाई की जबकि पूर्वगामी वर्ष में ०.२८ लाख रु० मूल्य के घी की सप्लाई की गयी थी।

क्रय-विक्रय समितियां—क्रय-विक्रय समितियों की संख्या पूर्वगामी वर्ष के ४० से बढ़ कर इस वर्ष ८८ हो गयी। इनकी सदस्य संख्या १,००,६४८ से बढ़कर १,८८,२४६ हो गयी और इनके हिस्से की पूंजी १४.०६ लाख रु० से बढ़कर २१.६७ लाख रु० हो गयी। इन समितियों ने १६.४५ लाख मन कृषि उत्पादनों के क्रय-विक्रय का कारबार किया, जिनका मूल्य लगभग ३ करोड़ रु० के था। पूर्वगामी वर्ष में इनके द्वारा २.६४ लाख मन का कारबार किया गया था। आलोच्य वर्ष में इन समितियों, को २.६२ लाख रु० लाभ हुआ। यह विश्वास कि यह समितियां कृषकों के बहुत अधिक लाभ की थीं और यह अब बनी रहेंगी, जोर पकड़ता जा रहा था। राज्य सरकार ने उनके हिस्से की पूंजी में १८.५१ लाख रु० लगाये और प्रत्येक समिति को गोदाम के निर्माण के लिए २५,००० रु० दिये। इस धनराशि में से २५ प्रतिशत आर्थिक सहायता और शेष ऋण के रूप में था। मण्डियों के भीतर या उनके निकट मौके की जमीन मिलने में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया गया।

इन समितियों द्वारा निम्नलिखित लाभ हुए—(१) सही तौल, (२) उत्पादन का रेहन रखना और अच्छे दाम मिलने पर उसे बेचना, (३) अनियमित और अनधिकृत कटौतियों का न होना, (४) सदस्यों को अपने उत्पादन की बिक्री के सम्बन्ध में अधिक उपयोगी जानकारी प्रदान करना और (५) कृषि के लिए आवश्यक बीजों का वितरण।

आलोच्य अवधि में इन समितियों ने लगभग ३० लाख रु० मूल्य के १.७३ लाख मन खाद्यान्नों की सप्लाई जेलों को की। सहकारी बीज गोदामों के बढ़ती बेचे हुए बीजों को इन समितियों ने उचित मूल्य पर बेच दिया। इन समितियों ने कपास, जूट, सन और तम्बाकू जैसी नगदी फसलों का भी कारबार आरम्भ किया।

करण (प्रोसेसिंग) समितियां—आलोच्य वर्ष में ४ करण समितियां—तीन गन्ने की और एक मूंगफली की—संगठित की गयीं। कुल मिलाकर इस प्रकार की ६ समितियां आलोच्य अवधि के अन्त में कार्य कर रही थीं। (यह समितियां उ० प्र० की नियोजन अन्वेषणालय की सहायता से चल रही थीं। इनमें से चार गन्ना समितियों ने १०५,६६८ मन गन्ना पेरा। एक धानकरण समिति ने १,४४० मन धान से चावल तैयार किया और मटर डिब्बाबंदी समिति ने १,२८० मन हरी मटर की डिब्बा-बंदी की। प्राविधिक कर्मचारियों की कमी की कठिनाई बनी रही।

खेतिहर समितियां—सामान्यतः सहकारी खेती को सहकारिता का एक जटिल रूप समझा जाता है। इस क्षेत्र में सहकारी खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रयोग करने के लिए सतर्कपूर्ण नीति अपनाई जाती रही। अब तक जिन ४ प्रकार की सहकारी खेती समितियों की स्थापना की गयी, उनकी संख्या निम्नलिखित है—

(१) उत्तम कृषि समितियां	..	..	१००
(२) संयुक्त कृषि समितियां	..	..	१५३
(३) सामुदायिक कृषि समितियां	..	..	८
(४) कृषक खेतिहर समितियां	..	..	१

स्थापित समितियों में से १२ को अभी अपना कार्य आरम्भ करना था ।

इन समितियों की संख्या पूर्वगामी वर्ष में २२७ थी और इस प्रकार उनकी कुल संख्या में ३५ की वृद्धि हुई । इनकी सदस्य संख्या ५,१५६ से बढ़कर ६,०७६ हो गयी । इनके अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई और यह क्षेत्रफल ५४,१८६ एकड़ से बढ़कर ६१,०६१ हो गया । हिस्से की और निजी पूंजी क्रमशः १४.२५ लाख और १५.८१ लाख रु० से बढ़कर १४.३८ लाख और १६.२० लाख रु० हो गयी । कार्यवाही पूंजी ३७.०२ लाख से बढ़ कर ३६.०८ तक पहुंच गयी । आलोच्य वर्ष में इन समितियों ने १.४० लाख रु० का मुनाफा उठाया । (२२८ समितियों में लाभ रहा, जबकि २२ में घाटा रहा ।) निम्नलिखित १२ समितियों को विपरीत कृषि दशाओं के होते हुए भी आलोच्य वर्ष में ५,००० रु० से अधिक का शुद्ध लाभ उठाया है---

ऐथल (सहारनपुर), दिरवा (मुजफ्फरनगर), भाटिया (बरेली), सोतल (पीलीभीत), नरौली कुशल (मुरादाबाद), बसंत (रामपुर), विजयी (रामपुर), अवरनतिया (रामपुर), आराजी लाइन्स (वाराणसी), काशीपुर (गाजीपुर), किसन (रामपुर) और समपुर (रामपुर) ।

सहकारी ढांचे की खेती अपनाने में अनेक समस्याएं थीं जिनके क्रमशः समाधान के लिए प्रयास किये जाते रहे । सहकारी फार्मों के मैनेजरों, सेक्रेटेरियों और सदस्यों की ट्रेनिंग एक बड़ी समस्या थी जिसकी ओर आलोच्य वर्ष में सहकारी कृषि समितियों के १६५ प्रतिनिधि प्रशिक्षित किये गये । निम्नलिखित विषयों में ट्रेनिंग दी गयी---

(१) कार्य वितरण की और मजदूरी देने की समस्या
(२) उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय
(३) सहकारी लेखा
(४) सहकारिता में सामान्य शिक्षा

इसके अतिरिक्त, सिंचाई में सुधार, कृषि मशीनों की खरीद, सहकारी पुस्तकालय की स्थापना, सहकारी फार्मों के चारों ओर घेरा लगाने जैसे आदि कार्यों के लिए सरकार से ८३ लाख रु० ऋण के रूप में और १४५ लाख रु० आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त हुए ।

उपभोक्ता स्टोर्स---कन्ट्रोल के दिनों में जबकि आवश्यक वस्तुओं की कमी, मुनाफाखोरी और चोर बाजारी के कारण अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं का नियंत्रित दरों पर मिलना कठिन हो गया था, उपभोक्ता स्टोरों का एक बड़ा संगठन था । नगरों में राशन की और कंट्रोल की वस्तुओं की सप्लाई करने के हेतु सन् १९४७-४८ में उपभोक्ता स्टोरों की स्थापना की गयी थी । सन् १९४८-५२ की अवधि में इन स्टोरों ने कुल ६२ करोड़ रु० का कारोबार किया ।

कंट्रोल उठा लिये जाने और स्थिति सुलभ हो जाने के फलस्वरूप उपभोक्ता स्टोरों का निश्चित कारबार जाता रहा और उनके सदस्यों की दिलचस्पी भी घटने लगी । इन असुविधाओं के साथ व्यापारियों से भारी प्रतियोगिता थी । अतः इनकी संख्या तथा इनका रोजगार धीरे-धीरे घटता गया । आलोच्य अवधि में ७ केंद्रीय (थोक) और २९४ प्रारम्भिक उपभोक्ता स्टोर थे । प्रारम्भिक उपभोक्ता स्टोरों की सदस्य संख्या, हिस्से की पूंजी, निजी और कार्यवाही पूंजी क्रमशः १,५१,२०९; १५.०२ लाख रु० ३८.०३ लाख रु० और ४९ लाख रु० थी । किन्तु ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि इन स्टोरों को पुनः चालू कर उनमें नया जीवन पैदा करना उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के हित में होगा । साथ ही सामान्य रूप से सहकारी आन्दोलन की सफलता में इससे सहायता मिलेगी । यह सुझाव दिया गया कि इन स्टोरों को क्रय-विक्रय समितियों से संबद्ध किया जा सकता है जिससे कि ग्राम्य क्षेत्रों से आने वाले कृषि उपजों की निकासी के लिए यह एक उपयुक्त माध्यम बन सके ।

गृह-निर्माण समितियां---गृह-निर्माण समितियों की संख्या पूर्वगामी वर्ष के ३३४ की तुलना में इस वर्ष ४१६ रही । इनकी सदस्य संख्या १५,७४८ थी । आलोच्य अवधि के अन्त में इन समितियों के हिस्से की, निजी और कार्यवाही पूंजी क्रमशः १४.३१ लाख, १५.७६ लाख और ५८.२९ लाख रु० थी । इन समितियों के सदस्यों ने ५४४ मकानों का निर्माण किया जिनका

मूल्य १२.२४ लाख रु० था। इन समितियों को वर्ष के दौरान में ०.७७ लाख रु० का लाभ हुआ और ०.१० लाख रु० की हानि हुई।

प्रशिक्षण और शिक्षा—सहकारिता की एक सुदृढ़ एवं स्थायी आधार शिला का निर्माण करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में सदस्यों एवं पदाधिकारियों को सहकारिता की शिक्षा देने का विशेष ध्यान दिया जाता रहा। अखिल भारतीय सहकारी यूनियन के तत्वावधान में संचालित एवं उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा स्वीकृत गैर-सरकारी प्रशिक्षण की योजना के अन्तर्गत सात शिक्षण यूनिटों की व्यवस्था की गयी जिनमें से प्रत्येक यूनिट प्रतिवर्ष १,००० सदस्यों, २०० पंचों और सरपंचों तथा ४० सिक्रेटरियों को प्रशिक्षित करेगी। सिक्रेटरियों के प्रशिक्षण की अवधि १।। महीना, कमेटी के लोगों की एक सप्ताह और सदस्यों की ३ दिन थी। आलोच्य वर्ष में इनके द्वारा ६,४१६ व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये। इस योजना का इस प्रकार विस्तार करने का प्रस्ताव था कि यथाशीघ्र राज्य के सभी जिले इसके अन्तर्गत आ जायं।

जहां सदस्यों और गैर-सरकारी लोगों का प्रशिक्षण सहकारिता आन्दोलन के लिए महत्वपूर्ण है वहां समितियों के कुशल कार्य संचालन के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति ने सहकारिता आन्दोलन के पुनस्संगठन के विषय में जो तीन प्रमुख सिफारिशें की हैं उनमें से एक कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी है।

राज्य में प्रशिक्षण का सम्पूर्ण कार्यक्रम सहकारी प्रशिक्षण संबंधी केंद्रीय समिति द्वारा संचालित प्रशिक्षण की स्वीकृत योजना के आधार पर चलाया जा रहा था। विभाग तथा सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया—उच्च कर्मचारी, बीच के कर्मचारी और अधीनस्थ कर्मचारी। अधीनस्थ कर्मचारियों अर्थात् सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण की सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। राज्य में इस प्रकार के ७ सहकारी प्रशिक्षण केंद्र थे जिनके द्वारा आलोच्य वर्ष में १,२१० सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग दी गयी।

१८—खाद्य एवं रसद

रबी की कटाई के पूर्व खाद्य स्थिति—पहले की भविष्यवाणी के विपरीत जनवरी, मार्च, १९५८ में खाद्य स्थिति संतोषजनक रही। भाव अच्छे चल रहे थे और आशा के विपरीत आमद एक सा रहे। इन अनुकूल कारणों के फलस्वरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकारी स्टाक की मांग कम होती गयी।

मार्च, १९५८ में सामान्यतः रबी की अच्छी फसल होने की आशा की जाती थी। अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में आमद, पूर्वगामी वर्ष की इसी अवधि के आंकड़े की तुलना में ७८ प्रतिशत अधिक रही। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में भी स्थिति संतोषजनक बनी रही। किन्तु मार्च के प्रथम पखवाड़े में प्रत्यक्ष परिवर्तन हुआ जबकि, पूर्वगामी वर्ष की तुलना में, गेहूं की आमद में १६.५ प्रतिशत की कमी हुई।

उत्पादन के तखमीने—मई के दूसरे पखवाड़े में प्राप्त सरकार के मुख्य संख्याविद् की उत्पादन संबंधी रिपोर्ट से यह पता चला कि सन् १९५६-५७ की तुलना में सन् १९५७-५८ में गेहूं, जौ और चने के उत्पादन में लगभग १४ प्रतिशत की कमी हुई जबकि पैदावार का क्षेत्र पूर्वगामी वर्ष की तुलना में ५ प्रतिशत कम था। पैदावार के क्षेत्र व उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े यहां दिये जा रहे हैं—

१—उत्पादन—

(लाख टन में)

	१९५६–५७	१९५७–५८	अन्तर
गेहूं ..	३१.१५	२७.१४	(–) ४.०१
जौ ..	१५.९६	१२.४८	(–) ३.४८
चना ..	१५.०७	१४.०७	(–) १.००
योग ..	६२.१८	५३.६९	(–) ८.४९

२—क्षेत्रफल—

		(लाख एकड़ में)		
		१९५६–५७	१९५७–५८	अन्तर
गेहूं	..	६६.७६	६२.७७	(–) ७.०२
जौ	..	४६.३३	४३.६७	(–) ५.६६
चना	..	६१.४७	६३.३७	(+) १.९०
योग	..	२१०.५६	१६६.८१	(–) १०.७८

व्यवस्था संबंधी नियम—उत्पादन में कमी की सूचना और बाजार में खाद्यान्नों की कम मात्रा में आमद के फलस्वरूप भाव चढ़ते रहे और पूरे १९५८ के वर्ष में भाव, मामूली हेर-फेर के साथ बराबर चढ़ते रहे। केवल चावल के संबंध में यह स्थिति नहीं रही, जिसके भावों में खरीफ की कटाई के बाद, काफी गिरावट आई। समय-समय पर स्थिति का सामना करने के लिए जो उपाय अपनाये गये उनका वर्णन नीचे के पैराओं में दिया जा रहा है—

(क) उचित मूल्य की दूकानें—३१ मई, १९५८ को राज्य में उचित मूल्य की २,३१८ दूकानें कार्य कर रही थीं। ये दूकानें पूर्वी उत्तर प्रदेश या पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थीं। खाद्यान्नों के भाव बराबर चढ़ते रहने के फलस्वरूप उचित मूल्य की दूकानों के जाल का इस प्रकार विस्तार किया गया जिससे कि पूरे राज्य भर में फैल जायं। मार्च, १९५९ के अन्त में राज्य में कुल ४,७६० उचित मूल्य की दूकानें कार्य कर रही थीं। इन दूकानों के द्वारा बिक्री के लिए भारत सरकार से बड़ी मात्रा में आयात किया हुआ गेहूं, चावल और मोटा गल्ला प्राप्त हुआ।

(ख) परिचय-पत्र योजना—यह सुनिश्चित करने के लिए कि सस्ते खाद्यान्नों की सप्लाई से वास्तविक उपभोक्ता लाभान्वित हो सके, राज्य की पंचमहानगरियों में परिचय-पत्र योजना चालू की गयी। परिचय-पत्र तैयार एवं उनका वितरण करने के लिए मुहल्लों को बड़े-बड़े खंडों में बांट दिया गया। १५० रु० या उससे कम की आमदनी वाले लोग परिचय-पत्र (कार्ड) पाने के हकदार थे। परिवार में ५ वर्ष से ऊपर के प्रत्येक सदस्य को एक यूनिट और ५ वर्ष से कम के सदस्य को आधा यूनिट माना गया। साप्ताहिक राशन की मात्रा दो सेर प्रति यूनिट निर्धारित की गयी।

आगे चल कर इस योजना को मेरठ, बरेली, सहारनपुर और रुड़की के नगरों में भी लागू कर दिया गया। जनवरी, १९५९ से अधिकतम आय की सीमा २५० रु० प्रतिमास कर दी गयी।

अन्य क्षेत्रों में पर्चियों के द्वारा खाद्यान्नों के तात्कालिक वितरण की एक साधारण योजना चालू की गयी।

(ग) रोलर—(आटे की मिलों द्वारा गेहूं की खरीद पर पाबन्दी)—यह देखा गया कि रोलर आटे की मिलों द्वारा बड़ी मात्रा में गेहूं के खरीद लिये जाने के फलस्वरूप बाजार अव्यवस्थित हो जाता था। अतः भारत सरकार ने अनिवार्य सामग्री अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत जुलाई, १९५८ में एक आदेश जारी कर रोलर आटा मिलों द्वारा बाजार से देशी गेहूं की खरीद पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसके अतिरिक्त राज्य से अच्छे किस्म के गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दिया गया।

भारत सरकार ने रोलर आटा मिलों के लिए आयात किये हुये गेहूं के १०,११० टन प्रतिमास का कोटा निर्धारित कर दिया। मार्च, १९५९ तक यह कोटा बढ़ा कर १४,६८० टन कर दिया गया।

मिलों द्वारा उत्पादित आटा, सूजी, मैदा आदि के वितरण का प्रबन्ध निश्चित दरों पर उचित मूल्य की दूकानों एवं थोक विक्रेताओं के यहां किया गया। बड़े-बड़े संस्थापनों को सीधे मिलों से अच्छे किस्म के गेहूं की सप्लाई का प्रबन्ध किया गया।

जनवरी, १९५९ से राज्य की पंचमहानगरियों में और बरेली, मेरठ तथा सहारनपुर के नगरों में कार्ड-होल्डरों को भी ३ रु० तक का आटा और २ रु० तक का मैदा या सूजी ले सकने का अधिकार दे दिया गया। यह गेहूं के २ सेर प्रति यूनिट, प्रति सप्ताह के निर्धारित राशन के अतिरिक्त था। इन नगरों में कार्ड होल्डरों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी उपरोक्त मात्रा में आटा और अच्छे मिल के गेहूं के खरीदने की छूट दे दी गयी।

(घ) आयात किये हुए खाद्यान्न की अनधिकृत बिक्री पर प्रतिबन्ध—१ नवम्बर, १९५८ को भारत सरकार द्वारा आयात खाद्यान्न (अनधिकृत बिक्री पर प्रतिबन्ध) आदेश जारी किया गया जिसके अनुसार केवल सरकार द्वारा अधिकृत व्यापारी के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति भारत के बाहर से आयात किये हुए खाद्यान्न का रोजगार नहीं कर सकता था।

(ङ) लाइसेंस संबंधी आदेश—उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के थोक व्यापार पर नियंत्रण बनाये रखने के उद्देश्य से यू०पी० फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर, १९५८ जारी किया गया। इस आदेश के अन्तर्गत जो व्यक्ति किसी प्रकार के खाद्यान्न की बिक्री करते थे या उसे रखते थे या बिक्री के लिए संग्रह करते थे, उनके लिए १०० मन या उससे अधिक के स्टाक के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था। इस आदेश को २४ जनवरी, १९५९ को संशोधित किया गया और खाद्यान्न के वे सभी व्यापारी जो बिक्री के लिए खाद्यान्न रखते थे या संग्रह करते थे, उनके पास एक समय में यदि ५० मन से अधिक का स्टाक हो तो लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश चावल मिल (लाइसेंस तथा नियंत्रण) आदेश, १९५८ के अधीन चावल मिलों द्वारा (जिनमें धान कूटने और साफ करने वाले दोनों सम्मिलित हैं) लाइसेंस लेने की व्यवस्था लागू की गयी।

(च) खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध—उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (निर्यात नियंत्रण आदेश) १९५८ के द्वारा २९ अगस्त, १९५८ से चावल, धान, मक्का, ज्वार-बाजरा और उनसे बनी चीजों को राज्य से बाहर निर्यात करने पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लागू रखा गया। इस आदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश चावल (निर्यात नियंत्रण आदेश) १९५७ रद्द हो गया, जिसके अधीन उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल के केवल १४ अभावग्रस्त क्षेत्रों से ही चावल और धान के निर्यात पर प्रतिबन्ध था।

भारत सरकार द्वारा लागू किये गये अन्तर क्षेत्रीय गेहूं यातायात नियंत्रण आदेश, १९५७ के अधीन गेहूं और उससे बनी चीजों के अन्तर क्षेत्रीय यातायात पर प्रतिबन्ध पूर्ववत् लागू रहा।

राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश धान (यातायात पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५८ जारी किया, जिससे २४ दिसम्बर, १९५८ से उन २३ जिलों से जिनमें उत्तर प्रदेश चावल उगाही (लेवी) आदेश १९५८ लागू था, धान के यातायात पर प्रतिबन्ध लागू रहा। १० जनवरी, १९५९ से यह आदेश आगरा, मुरादाबाद, बरेली, उन्नाव और मिर्जापुर के अन्य ५ जिलों पर भी लागू कर दिया गया।

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा यातायात पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९ जारी किया जिससे हिमांचल प्रदेश और दिल्ली के संघीय क्षेत्रों तथा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं बिहार राज्यों के पास-पड़ोस के उत्तर प्रदेश के सीमांत पर गेहूं, चावल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और उनसे बनी चीजों के यातायात पर १० मार्च, १९५९ से प्रतिबन्ध लग गया।

(छ) स्टाकों का अधिग्रहण—भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी गेहूं, चावल, धान, चना, चने की दाल, जौ और मटर के संबंध में अनिवार्य सामग्री अधिनियम, १९५५ की धारा ३ (क) को लागू करने के लिए जारी की गयी भारत सरकार की विज्ञप्ति की तिथि से ३ महीने तक की अवधि में किसी भी स्थान के औसत बाजार भाव स्टाक अधिग्रहण करने के अधिक राज्य सरकार को प्राप्त हो गये।

(ज) सट्टा पर प्रतिबन्ध—सट्टा (नियमन) अधिनियम, १९५२ के अधीन गेहूं और चना की सट्टेबाजी निषिद्ध थी। जुलाई, १९५८ से भारत सरकार ने मोटे अनाजों और दालों की सट्टेबाजी के साथ ही इनके क्रय-विक्रय के लिए अहस्तांतरणीय विशिष्ट डिलीवरी पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया।

(अ) रबी की बीज—बीज के लिए पंजाब से ५,००,००० मन गेहूं के आयात का प्रबन्ध किया गया। किन्तु पंजाब सरकार ने केवल ३,५३,८०० मन गेहूं की सप्लाई की, जिसमें से २,१२,००० मन गेहूं सहकारी बीज गोदामों को 'न कोई लाभ न कोई हानि' के आधार पर कृषकों में वितरित करने के लिये दिया गया। शेष स्टाक का उपयोग जेल, पुलिस भोजनालयों, पी० ए० सी० तथा अन्य संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में किया गया।

व्यापारियों से अधिग्रहीत किये गये खाद्यान्नों के स्टाक में से २३,०४१ मन मटर और ७५,६०५ मन चना बीज के लिए वितरण के हेतु सहकारी बीज गोदामों को दिये गये।

परामर्शदात्री समितियां—मुहल्ला समितियां और जिला परामर्शदात्री समितियां—खाद्यान्नों के उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक दूकान के हेतु मुहल्ला समितियां गठित की गयीं। प्रत्येक समिति में ५ से अधिक गैर-सरकारी सदस्य नहीं होते थे।

उचित मूल्य की दूकानों की स्थिति एवं अन्य संबंधित मामलों में परामर्श देने के लिये जिला स्तर पर स्थानीय संसद के सदस्यों, विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों और स्थानीय हितों के प्रतिनिधियों की परामर्शदात्री समिति संगठित की गयी।

राज्य खाद्य परामर्शदात्री समिति—राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में, सरकार को खाद्यान्न संबंधी मामलों में परामर्श देने के लिए अक्तूबर, १९५८ में एक समिति बनाई गयी। इसके सदस्य, विधान सभा में विरोधी दलों के नेता, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री थे।

सरकारी थोक विक्रय मूल्य—मार्च, १९५९ के अन्त तक खाद्यान्नों की बिक्री का सरकारी भाव निम्न प्रकार था—

अनाज	थोक भाव (प्रतिमन)	फुटकर भाव (प्रति रु०)
गेहूं ..	१५ रु० बोरे के दाम सहित	२ सेर १० छटांक
बाजरा, चना, जौ, बेझड़, ज्वार ..	११ रु० ८१ नया पैसा बोरे के मूल्य के अतिरिक्त	३ ,, ४ ,,
कोदों	१० रु० ९८ नया पैसा बोरे के मूल्य के अतिरिक्त	३ ,, ८ ,,
चना ..	१६ रु० ६९ नया पैसा बोरे के मूल्य के अतिरिक्त	३ ,, ५ ,,
मटर (अधिग्रहीत स्टाक)	१५ रु० ८० नया पैसा बोरे मूल्य के अतिरिक्त	२ ,, ७ ,,
चावल ..	१७ रु० ६ नया पैसा, बोरे के दाम सहित	२ ,, ५ ,,

पर्वतीय क्षेत्र खाद्यान्न व्यवस्था—अलमोड़ा, गढ़वाल और टिहरी-गढ़वाल जिलों के पर्वतीय क्षेत्रों में अंतिम रेलवे स्टेशन के गोदाम से अनाज संग्रह करने और देने के (इशू) गोदाम तक उसकी ढुलाई में ३ रु० प्रतिमन से अधिक होने वाले व्यय को सरकार ने वहन किया। सितम्बर, १९५८ से प्रतिमन ढुलाई के उस व्यय को जिसके आगे का व्यय सरकार वहन करती है, बढ़ाकर ४ रु० प्रति मन कर दिया गया।

बिक्री के लिए दिया गया स्टाक--आलोच्य वर्ष में बिक्री के लिए दिये गये विभिन्न खाद्यान्नों की मात्रा १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक इस प्रकार थी--

		टन
(१)	गेहूं	४,८१,४२६
(२)	आयात किया गया चावल	२४,४९७
(३)	मोटा अनाज	१,०२,९०६
	योग ..	६,०८,८२८

स्टाक की स्थिति--२१ मार्च, १९५९ को राज्य सरकार के पास उपलब्ध स्टाक की स्थिति, जिसमें रास्ते में आते हुए स्टाक और गोदाम में पड़ा हुआ इसका कोटा भी शामिल है, निम्नलिखित थी:--

अनाज	स्टक (गोदाम में) (संख्या टनों में)	स्टाक (रास्ते में)	अतिरिक्त कोटा	योग
गेहूं	३५,३६२	११,७४९	१३,१६५	६०,२७६
चावल	४०,४७८	१,८०४	..	४२,२८२
मोटा अनाज	१४,१६७	२,४०३	५,२७३	२१,८४३
योग ..	९०,००७	१५,९५६	१८,४३८	१,२४,४०१

खाद्यान्न उगाही--आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुरक्षित स्टाक रखने की नीति के अनुसार लाइसेंस प्राप्त चावल की मिलों और चावल व्यापारियों पर मात्रा निर्धारण द्वारा चावल की उगाही आरम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश चावल उगाही (लेवी) आदेश, १९५८ के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा ८ दिसम्बर, १९५८ से लागू कर दिया गया लेवी की दर ६५ प्रतिशत निश्चित कर दी गयी। आदेश के लागू होने के समय से लाइसेंस प्राप्त चावल के व्यापारियों और मिलों को अपने पास से स्टाक का ६५ प्र० शि० चावल नियंत्रित मूल्य पर राज्य सरकार के हाथ बेचना अनिवार्य था और दिन के बाद प्रत्येक दिन जितना चावल मिल द्वारा तैयार किया जायगा उसका ६५ प्रतिशत सरकार के हाथ नियंत्रित मूल्य पर बेचना होगा। १७ जनवरी, १९५९ को यह आदेश संशोधित रूप में निम्नलिखित २८ जिलों पर लागू हुआ--

१--मैनपुरी
२--मुजफ्फरनगर
३--सहारनपुर
४--देहरादून
५--बांदा
६--इटावा
७--कानपुर
८--फतेहपुर
९--गोंडा
१०--बहराइच
११--बस्ती
१२--वाराणसी
१३--गोरखपुर
१४--हरदोई
१५--लखीमपुर खीरी
१६--पीलीभीत
१७--शाहजहांपुर
१८--बदायूं
१९--रामपुर
२०--नैनीताल
२१--रायबरेली
२२--सीतापुर
२३--मुरादाबाद
२४--बाराबंकी
२५--आगरा
२६--बरेली
२७--उन्नाव
२८--मिर्जापुर

राज्य सरकार के हाथ जिस नियंत्रित मूल्य पर चावल बेचा गया वह २३ मार्च, १९५९ को संशोधित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, दिनांक ५ दिसम्बर, १९५८ के अन्तर्गत भारत

सरकार द्वारा निर्धारित किया गया (उच्चतम मूल्य था)। निम्नलिखित मूल्य निर्धारित किये गये थे--

चावल की किस्म	उच्चतम मूल्य प्रति मन (रुपयों में)	
	अरवा	सेला
दूसरा किस्म	१८.७५	१८.२५
दूसरा किस्म 'क'	१९.७५	१९.२५
दूसरा किस्म विशेष	२१.७५	..
तीसरा किस्म	१६.७५	१६.२५
चौथा किस्म	१५.००	१४.५०

मार्च, १९५९ के अन्त तक राज्य सरकार ने लगभग ४३,३०० टन चावल की उगाही कर ली थी। खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार सम्बन्धी राष्ट्रीय व्यापार परिषद् के निश्चयों के कार्यान्वियन की दिशा में राज्य में चावल खरीदे गये।

मूल्य--फरवरी, १९५९ के खाद्यान्नों के भाव में गिरावट आरम्भ हो गयी। इस गिरावट के कई कारण थे--रबी की फसल अच्छी होने की आशा, नियंत्रण और नियमों का सरकार द्वारा कठोरता से लागू किया जाना और सरकारी स्टाक से खाद्यानों की सप्लाई। राज्य की मंडियों में साधारण-तौर पर औसत दर्जे के खाद्यान्नों के जो औसत थोक भाव थे उनकी तुलनात्मक तालिका नीचे दी जा रही है:--

(संख्याएं रु० प्रति मन के भाव से)

अनाज	१-४-५८	१-७-५८	३०-९-५८	३०-१२-५८	३१-३-५९
गेहूं ..	१५.५२	१८.२३	२१.४३	२३.६७	१९.८९
चना ..	१०.७४	१३.४५	१६.८१	१९.४३	१७.३४
जौ ..	९.४६	१३.२८	१५.८२	१७.४२	१३.५०
ज्वार ..	९.९४	१३.३०	१३.७१	१३.२७	१२.९८
बाजरा ..	११.९८	१४.०६	१५.३३	१५.५२	१३.८०
मक्का ..	११.२१	१४.३८	१४.४५	१४.०१	१३.६४
चावल तीसरी किस्म	२३.४१	२६.०९	२४.२३	१९.५६	२४.०२

विधि निर्माण--उ० प्र० भण्डार अधिग्रहण, १९५५--चूंकि राज्य की खाद्यान्न की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए खाद्यान्नों की ख़रीद की योजना को चालू करने का पुनः निश्चय कर लिया गया इसलिए खाद्यान्नों के रखने के लिए उपयुक्त भाण्डार अधिग्रहण करने के मौजूदा अधिकार को बनाये रखना आवश्यक समझा गया। अतएव उ० प्र० भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ को ३ वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

नाप तौल की मीट्रिक प्रणाली--मीट्रिक के आधार पर नाप तौल की एक समान व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'स्टैण्डर्ड्स आफ वेट्स ऐण्ड मेजर्स ऐक्ट', १९५६ पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा नाप तौल के निर्धारित स्टैण्डर्ड को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने उ० प्र० नाप तौल इनफोर्समेंट ऐक्ट, १९५९ परित किया।

शक्कर और गुड़--भारत सरकार दानेदार चीनी के लाने ले जाने, उसके मूल्य तथा वितरण का नियमन पूर्ववत् करती रही। चूंकि सन् १९५८ के पूर्वार्ध में शक्कर की कीमतें बहुत अधिक ऊंची चढ़ने लगी थीं इसलिए भारत सरकार ने चीनी के बढ़ते हुए मूल्य को रोकने के लिए अगस्त, १९५८ में शक्कर का मिल के फाटक पर का मूल्य निश्चित कर दिया। उत्तर प्रदेश में यह मूल्य ३६ रु० प्रति मन निश्चित किया गया। शक्कर जिसमें खांडसारी भी शामिल था की सट्टेबाजी पर प्रतिबंध पूर्ववत् लागू रहा। गुड़ की बढ़ती हुई कीमत को भी रोकने के लिए भारत सरकार ने ११ फरवरी, १९५९ से गुड़ को सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया।

पूरे वर्ष भर गुड़ की सप्लाई की स्थिति सामान्यतः संतोषजनक रही। किन्तु राज्य के बाहर इसकी अधिक मांग होने के कारण इसके भाव ऊंचे बने रहे।

लोहा और इस्पात—आलोच्य वर्ष में लोहे और इस्पात की स्थिति, विशेष रूप से सरिया और छड़ की स्थिति गंभीर बनी रही। लोहे और इस्पात की (जिसमें निर्माण उद्योगों के कोटा होल्डरों की इस्पात संबंधी आवश्यकताओं को छोड़ कर) राज्य की कुल अनुमानित उपलब्धि ३७ हजार टन ही रही। तदनुसार निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को इनकी सप्लाई निर्धारित की गई। अल्प आय वालों के लिए गृह योजना के अधीन मकानों के निर्माण के हेतु जनता द्वारा लोहा और इस्पात की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आलोच्य अवधि में जनता के कोटा में थोड़ी वृद्धि हो गयी।

राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा और बाढ़ों के कारण, साथ ही द्वितीय आयोजना के अधीन सार्वजनिक और सरकारी विभागों द्वारा सरिया और छड़ों, विशेष रूप से ३/८ इंच और १/२ इंच मोटाई की छड़ों की मांग अति अधिक बढ़ गई। लगभग चार हज़ार टन सरिया और छड़ की मांग, जो अभी पूरी नहीं की गयी थी, (जो १९५७–५८ की चौथी तिमाही के लिए थी) के आधार पर भारत सरकार से इस राज्य को उन्हें सप्लाई करने का अनुरोध किया गया। राज्य के सरकारी विभागों और जनता की तत्कालिक मांगों की पूर्ति के लिए राज्य के सामान्य कोटा के अलावा एक एक हज़ार टन सरिया और छड़ अस्थायी रूप से निर्धारित करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया। भारत सरकार ने सूचित किया कि पहले के आर्डर के आधार पर इस राज्य को सरिया और छड़ की शीघ्र सप्लाई करने के लिए कलकत्ता स्थित लोहा एवं इस्पात नियन्त्रक को आदेश जारी कर दिये गये हैं। भारत सरकार से इस राज्य के इस्पात की रोलिंग मिलों को यह निर्देश जारी किया गया कि पहले के पड़े हुए आर्डरों के आधार पर सरिया और छड़ों की शीघ्र सप्लाई की जाय। भारत सरकार एक एक हज़ार टन सरिया और (राउंड) छड़ अस्थायी रूप से निर्धारित करने के लिए भी राज़ी हो गयी।

इस्पात के निर्माण उद्योगों के लिए राज्य का कोटा पूर्व वर्ष के स्तर पर ही निर्धारित किया गया था, यद्यपि इस बीच राज्य में कई नये निर्माण उद्योग स्थापित हो चुके थे, यह अनुभव किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात के जो नये प्लांट स्थापित किये जाने वाले हैं, जब तक वे उत्पादन आरम्भ नहीं कर देंगे, लोहे और इस्पात की स्थिति गंभीर ही बनी रहेगी।

आलोच्य वर्ष में इस राज्य को कितना लोहा और इस्पात निर्धारित किया गया और कितना उपलब्ध हुआ, यह निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है:—

अवधि		निर्धारित मात्रा (टन में)*			प्राप्तियां (टन में)
		कृष्येतर	कृषि	योग	
अप्रैल से जून, १९५८	..	११,४९९	४,२७९	१५,७७८	८,०३५
जुलाई से सितम्बर, १९५८	..	११,४९९	३,९१७	१५,४१६	१०,२९६
अक्तूबर से दिसम्बर, १९५८	..	१८,४०३	३,८७९	२२,२८२	८,३५२
जनवरी से मार्च, १९५९	..	२६,६७४	७,६००	३४,२७४	२,६०८ (केवल जनवरी)

*कृष्येतर कार्यों के लिए निर्धारित मात्रा में सरकारी विकास योजनाओं और कुटीर उद्योगों के कोटा सम्मिलित हैं।

स्लेक कोल—कोयला नियन्त्रक के पास पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध न होने के कारण और साथ ही मुगलसराय के पास यातायात की सीमित क्षमता के कारण १९५८–५९ में स्लेक कोल की स्थिति संतोषजनक नहीं रही। फिर भी राज्य के सामान्य कोटा के मुकाबिले में, वस्तुतः प्राप्त हुए कोयले की मात्रा पूर्वगामी वर्ष की अपेक्षा अच्छी रही।

गत वर्ष की अत्यधिक वर्षा और बाढ़ों से क्षतिग्रस्त अनगिनत मकानों के कारण आलोच्य वर्ष के प्रारम्भ में ईंटों की मांग अति अधिक रही। राज्य के सामान्य कोटा से इस मांग को पूरा करना

कठिन था। इस आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार से १० हज़ार वैगन कोयले के चूरे का जो कोटा प्राप्त हुआ था उसका यातायात १९५८ के शुरू में प्रारम्भ हुआ। अस्थायी रूप से निर्धारित इस कोटे में से वस्तुतः ४ हज़ार वैगन कोयले का चूरा प्राप्त हुआ।

सन् १९५८–५९ के वर्ष के स्लेक कोल की निर्धारित और प्राप्त हुई मात्रा निम्नलिखित थी:—

मास		कृषि	सी० डी० पी०	कृष्येतर	योग	प्राप्तियां
अप्रैल, ५८	..	८००	७३३	१,८००	३,३३३	३,२३३
मई, ५८	..	८००	७३४	१,८००	३,३३४	३,६५४
जून, ५८	..	८००	७३४	१,८००	३,३३४	२,५७८
जुलाई, ५८	..	१,२००	१,१००	२,७००	५,०००	३,४६५
अगस्त, ५८	..	१,२००	१,१००	२,७००	५,०००	४,२८०
सितम्बर, ५८	..	१,२००	१,१००	२,७००	५,०००	४,७४३
अक्तूबर, ५८	..	१,२००	१,१००	२,७००	५,०००	६,०३३
नवम्बर, ५८	..	१,२००	१,१००	२,७००	५,०००	४,११०
दिसम्बर, ५८	..	१,२००	१,२००	२,७००	५,०००	५,४५०
जनवरी, ५९	..	८००	७३३	१,८००	३,३३३	३,०१८
फरवरी, ५९	..	८००	७३३	१,८००	३,३३३	२,०५१
मार्च, ५९	..	८००	७३३	१,८००	३,३३३	..
योग	..	१२,०००	११,०००	२७,०००	५०,००	४२,६१५

सीमेंट—आलोच्य वर्ष में सीमेंट की सप्लाई की स्थिति निश्चय रूप से सुधर गयी। इसके कारणों में पहला कारण यह था कि सीमेंट फैक्टरियों की उत्पादन मात्रा बढ़ गयी थी और दूसरा कारण यह था कि आर्थिक कठिनाइयों की वजह से केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों ने अपने विकास योजनाओं में कुछ कटौती कर दी थी। इस प्रकार सीमेंट की सप्लाई काफी हो गयी और उसकी शीघ्र बिक्री के लिए विशेष उपाय करने पड़े। उसके वितरण पर से नियंत्रण पूर्णतः हटा लिया गया और स्टाकिस्टों को यह छूट दे दी गयी कि वह किसी के भी हाथ किसी भी मात्रा में सीमेंट बेच सकते हैं। सीमेंट फैक्टरियों को भी यह अनुमति दे दी गयी कि प्रत्येक ज़िले के उपयुक्त केन्द्रों में जहां भी बेचा है अतिरिक्त स्टाकिस्टों की नियुक्ति कर सकते हैं। सीमेंट के उपयोग पर जो पहले प्रतिबन्ध लगाये गये थे और उसकी सप्लाई या उसके अधिकाधिक उपयोग के सम्बन्ध में जो भी प्रतिबन्ध थे वे सब हटा लिए गये।

सन् १९५८–५९ में सीमेंट की सप्लाई की स्थिति निम्न प्रकार थी—

तिमाही		निर्धारित मात्रा		योग	प्राप्त हुआ
		सामान्य	अस्थायी		
दूसरी तिमाही, १९५८	..	१,४०,०००	३३,८४८	१,७३,०९८	१,१३,०९८
तीसरी तिमाही, १९५८	..	१,७३,४००	१२,०००	१,८५,४००	१,०६,५९३
चौथी तिमाही, १९५८	..	*१,४१,०००	..	१,४१,०००	७३,८९९
पहली तिमाही, १९५९	..	१,१४,०००	..	..	२५,०९५ (केवल जनवरी)

*सन् १९५८ की चौथी तिमाही के लिए सीमेंट की जो मात्रा सरकारी निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित थी, राज्य के सरकारी विभागों के पास सीमेंट का अत्यधिक स्टाक होने के कारण उसमें से २१ हजार, टन सीमेंट भारत सरकार को वापस कर दिया गया।

नमक——नमक की सप्लाई, भारत सरकार की नमक वितरण संबंधी क्षेत्रीय योजना के अधीन होती रही। नमक के विभिन्न साधनों से आलोच्य वर्ष में मासिक निर्धारित मात्रा इस प्रकार थी——

(१)	राजपूताना साल्ट सोर्स डिवीजन, सांभर झील ..	७६१	एम० जी० वैगन
(२)	खारागोधा	६४२	बी० जी० वैगन
(३)	धारंगधरा	४०१	एम० जी० वैगन
(४)	कांडला	२६५	एम० जी० वैगन
(५)	जामनगर	१२५	एम० जी० वैगन

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश के जिलों में नमक की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक बनी रही।

जलाने की लकड़ी——केवल उत्तरी और दक्षिणी खीरी वन डिवीजनों में और बहराइच वन डिवीजनों के कुछ केन्द्रों में इस पर नियन्त्रण लागू रहा। जलाने की लकड़ी के नियन्त्रण के योजना के अधीन प्रारम्भिक वन केन्द्रों को भेजी जाने वाली जलाने की लकड़ी के स्टाक को एक स्थान पर संग्रहीत किया गया और नियंत्रित मूल्य पर लखनऊ को घरेलू उद्योग के लिए इस लकड़ी को भेजा गया जिससे कि खुले बाजार में जलाने की लकड़ी के मूल्य पर नियन्त्रण रखा जा सके। छोटे-छोटे उद्योगों सेना, ए० सी० पी० आदि को भी इसकी सप्लाई की गयी।

साफ्ट कोक——दूसरे प्रकार का घरेलू ईंधन जिस पर नियंत्रण बना रहा, साफ्ट कोक था। राज्य के लिए साफ्ट कोक का कोटा प्रति वर्ष १५,००० वैगन था। यद्यपि साफ्ट कोक की मांग बढ़ रही थी किन्तु कम कोटा निर्धारित होने और यातायात की कठिनाइयों के कारण इसकी प्राप्ति सीमित रही। अतः इसका उपभोग भी सीमित रहा। वैगनों के उपलब्ध न होने और मुगलसराय के बाद यातायात की सीमित क्षमता के कारण निर्धारित मात्रा से भी कम साफ्ट कोक प्राप्त हो सका जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है:——

मास				निर्धारित मात्रा (वैगन में)	प्राप्तियां (वैगन में)
अप्रैल, १९५८	..	..	..	१,२५०	१,०१४
मई, १९५८	..	..	..	”	९६३
जून, १९५८	..	..	..	”	१,०२५
जुलाई, १९५८	..	..	..	”	६९९
अगस्त, १९५८	..	..	..	”	४८७
सितम्बर, १९५८	..	..	..	”	१,२६४
अक्तूबर, १९५८	..	..	..	”	१,०४४
नवम्बर, १९५८	..	..	..	”	५६८
दिसम्बर, १९५८	..	..	..	”	८९४
जनवरी, १९५९	..	..	..	”	८३२
फरवरी, १९५९	..	..	..	”	८९०
मार्च, १९५९	..	..	..	”	(आंकड़े उपलब्ध नहीं)
		योग	..	१५,०००	६,६८०

उत्तर प्रदेश के साफ्ट कोक के लगभग ६६० डिपो थे। राज्य में साफ्ट कोक की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए डिपो की संख्या अपर्याप्त थी। वर्तमान पंचवर्षीय योजना अवधि में इस स्थिति में कुछ परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

यू० पी० (टैम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड एविक्शन ऐक्ट १९४७—१ जनवरी, १९५१ को यह उसके बाद बने हुए मकानों को उत्तर प्रदेश अस्थायी रेंट और इविक्शन कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४७ की व्यवस्थाओं से मुक्त कर देने के फलस्वरूप राज्य के नगरों में गृह निर्माण में कुछ प्रगति हुई, किन्तु मांग और उपलब्धि में इतना भारी अन्तर था कि उसे कुछ अधिक मात्रा में पूरी करना संभव न हो सका। सन् १९५६ में २१,४७५ मकान एलाट करने को उपलब्ध थे जब कि मांग ५९,०९९ मकानों की थी। इसके विपरीत सन् १९५७ में १७,८७७ मकान एलाट करने के लिए उपलब्ध थे जब कि इनकी मांग ५८,०२६ थी। इस प्रकार १९५६ में उपलब्धि मांग की ३७ प्रतिशत थी जबकि १९५७ में यह केवल ३० प्रतिशत थी। राज्य के पंच महानगरियों में मकानों की मांग और उपलब्धि सन् १९५७ में इस प्रकार थी—

नगर	एलाटमेंट के लिए प्रार्थना-पत्रों की संख्या	एलाट किये गये मकानों की संख्या	मांग के विरुद्ध एलाटमेंट की प्रतिशत
(१) कानपुर	१४,६८०	४,८७५	३३
(२) इलाहाबाद	२,८४२	६०१	२१
(३) आगरा	३,०८५	१,२००	३९
(४) वाराणसी	१,७३५	५६६	३३
(५) लखनऊ	१५,४६८	१,५९७	१०

चूंकि नगरों की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती रही है और इमारती सामान, विशेष रूप से लोहे और इस्पात की कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ की अवधि, जो ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली थी, बढ़ाकर ३० सितम्बर, १९६३ तक कर दी गयी।

यू० पी० (टैम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७—केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कल्याणकारी कार्यों के विस्तार के फलस्वरूप कार्यालयों अफसरों और कर्मचारियों के लिए आवास की मांग अत्यधिक बनी रही। यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन, ऐक्ट, १९५७ के अधीन प्राप्त अधिकारों का उपयोग कर के इनके लिए आवास की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया, किन्तु यह प्रभावपूर्ण सिद्ध न हुआ। अतएव अधिग्रहण की नीति अपनाना पड़ा ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश (अस्थायी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट की कार्यावधि भी बढ़ा कर ३० सितम्बर, १९६३ तक कर दी गयी।

नोट—ऊपर की तालिका १ जनवरी, १९५७ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९५७ तक की अवधि के आंकड़े दिये गये हैं।

अध्याय ४

परिवहन, सड़कें और भवन

१९—सड़कें, पुल और भवन

राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यक्रम में तेजी ले आने के प्रयास किये जाते रहे।

नागपुर योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल १६,४९४ मील पक्की और ४२,३०७ मील लम्बी कच्ची सड़कें होनी चाहिए। सन् १९४६ से अपने वित्तीय साधनों की सीमा के भीतर ही राज्य सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु जो कुछ भी संभव है उसे कर रही है।

मार्च, १९५९ तक उत्तर प्रदेश में सड़कों की कुल लम्बाई इस प्रकार थी—

(१) पक्की सड़कें (मील में) १२,९२४ (२) कच्ची सड़कें (मील म) २४,८९६

यह आशा की जाती थी कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि के अन्त तक उत्तर प्रदेश में सड़कों की कुल लम्बाई इस प्रकार हो जायगी—

(१) पक्की सड़कें (मील में) १४,८५४ (२) कच्ची सड़कें (मील में) २५,०००

आलोच्य वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कुल ११,४०८ मील पक्की और ३,२३९ मील कच्ची सड़कों का रखरखाव किया जब कि गत वर्ष यह संख्या क्रमशः १०,७९७ और २,१०५ मील थी। सड़कों की शेष लम्बाई का रखरखाव स्थानीय संस्थाओं आदि द्वारा किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना की चालू परियोजनाएं—प्रथम पंच वर्षीय आयोजना अवधि की अधूरी सड़कों को पूरा करने का कार्य द्वितीय पंच वर्षीय आयोजना में लिया गया। द्वितीय पंच वर्षीय आयोजना के तृतीय वर्ष के अन्त तक प्राप्त लक्ष्यों का विवरण इस प्रकार है —

विवरण	मार्च १९५९ के अन्त तक पूरा हुआ लक्ष्य (द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में)			
	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रु० में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रु० में)
क—पुर्निर्माण				
(१) स्थानीय पक्की सड़कें ..	६८	३७.४८	६१	३३.०३
(२) कच्ची पहाड़ी घोड़ा सड़कें	१६७	११.३२	१११	५.५०
(३) आधुनिकीकरण और सुधार	२१२	७२.६५	१८०	५४.५७
ख—नूतन निर्माण				
(१) पक्की सड़कें ..	३२४	१९३.४२	४१५	२०४.५२
(२) पक्की सड़कें (जिला बोर्ड के अतिरिक्त) ..	३१२	११४.३५		
(३) सीमेंट कंक्रीट मार्ग ..	३३९	९४.९०	१०८	३०
(४) कच्ची सड़कें ..	६८	१३.३१	४८	८.८४
ग—बड़े पुल				
(१) बड़े पुल ..	४१ (संख्या)	१३०.३०	३२	९९.७९
(२) झूलापुल ..	८ (संख्या)	२.६१		
घ—अन्य कार्य ..	थोक रकम	३७.१६	थोक रकम	१५.६९

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की नयी परियोजनाएं---द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित सभी सड़कों और पुलों को अब तक स्वीकृति नहीं मिल सकी है। द्वितीय पंच वर्षीय आयोजना के प्रथम तीन वर्षों में प्रस्तावित और स्वीकृत लम्बाइयों का ब्योरा इस प्रकार है---

विवरण	सम्पूर्ण द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की परियोजना		आयोजना में सन् १९५८-५९ तक स्वीकृत		मार्च १९५९ के अन्त तक लक्ष्य प्राप्ति	
	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रु० में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रु० में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रु० में)
क---पुनर्निर्माण						
(१) स्थानीय पक्की सड़कें ..	४१२	१३१.१७	२९५	९४.६५	६८	२८
(२) कच्ची पहाड़ी घोड़ा सड़कें ..	४३४	१८.४५	२४७	१४.१७	४५	२.३०
(३) अधुनिकीकरण	४६४	१८८.८३	२९३	११९.१८	८७	६३.२७
ख---नूतन निर्माण						
(१) पक्की सड़कें	९५८	४९३.१४	६७२	३५६.६७	२७२	१६४.३६
(२) पक्की सड़कें (जिला बोर्ड के अतिरिक्त)	८११	३२१.८०	६३५	२३६.७१	..	..
(३) श्रमदान मार्ग	१००	२७.५०	५०	१३.३५	..	..
(४) सरकारी अस्थान मार्ग ..	२५	१०	..	५	..	..
(५) कच्ची सड़कें	३९९	२४.४०	२९६	१६.६८	७७	५.१७
(६) श्रमदान मार्ग का रखरखाव	३००	७.५०	३००	७.५०	..	१.०२
ग---बड़े पुल						
(१) झूलापुल (संख्या)	३५	२३	२४	११.२०	..	६६.८
(२) बड़े पुल (संख्या)	५७	३३३.३४	८६ ८	२५५.४०	२	..
घ---अन्य कार्य	थोक रकम	७९.५०		५१.३५	थोक	१८.९५

बेकारी सहायता परियोजना---उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा उनके अन्तर राज्यकीय सड़कों के विकास एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ सड़कों की स्वीकृति हो गयी। इन सड़कों की स्वीकृति १९५४ में दी गयी और इनका पूरा पूरा व्यय भारत सरकार

द्वारा वहन किया गया। मार्च १६५६ तक इस दिशा में कुल मिला कर जो प्रगति हुई उसका विवरण इस प्रकार है:—

विवरण	द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में व्यवस्था		मार्च, १६५६ तक प्राप्त लक्ष्य	
	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रु० में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रु० में)
क—पुर्ननिर्माण				
(१) स्थानीय पक्की सड़कें ..	६	०.४३	६	०.६२
(२) कच्ची पहाड़ी सड़कें (घोड़ा) ..	१०४	२०.०६	६०	५.८६
(३) आधुनिकीकरण एवं सुधार ..	२१	४.८०	..	२.६४
ख—नूतन निर्माण				
(१) पक्की सड़कें	२८२	१८१.४०	२३८	१२५.७४
(२) पक्की सड़कें (जिला बोर्ड के अतिरिक्त)	६६	१५.६१	..	..
(३) कच्ची सड़कें और सुधार ..	६३	१२.५५	६४	७.४४

केन्द्रीय सड़क कोष द्वारा पोषित परियोजनाएं—प्रथम पंच वर्षीय आयोजना के अन्तर्गत आरम्भ किया गया कार्य पूरा नहीं किया जा सका था कि द्वितीय पंच वर्षीय आयोजना का समारम्भ हो गया। प्रथम पंच वर्षीय आयोजना काल में केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य जिन्हें आयोजना अवधि में पूरा न किया जा सका उन्हें जारी परियोजनाओं के अन्तर्गत ले लिया गया। जारी परियोजनाओं के अन्तर्गत एवं मार्च १६५६ तक द्वितीय आयोजना की परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्यों का ब्योरा इस प्रकार है—

कार्य का विवरण	द्वितीय पंच वर्षीय आयोजना में व्यवस्था		मार्च १६५६ तक प्राप्त लक्ष्य	
	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रु० में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रु० में)
क—जारी योजनाएं				
(१) पुर्ननिर्माण, आधुनिकीकरण और सुधार	२१६	६१.५८०	१६७	५४
(२) नूतन निर्माण—नई पक्की सड़कें ..	६	१२.२८६	६	१३.५५
(जिला बोर्ड को अतिरिक्त) ..	..	१.६३५	..	..
(३) बड़े पुल (संख्या)	५	१६.३१६	२	७.८२
(४) अन्य कार्य	थोक रकम	०.१४६	थोक	०.१४५
ख—नूतन परियोजनाएं				
(१) पुर्ननिर्माण, आधुनिकीकरण एवं सुधार	५	१.३४८	४	१.३४
(२) नवनिर्माण पक्की सड़कें ..	२१	१७.०३०	११	१४.३३
(३) बड़े पुल (संख्या)	२	८.६८१	..	०.६८

चीनी मिलों के चारों ओर सड़क—सन् १६५६–५७ में चीनी मिलों के चारों ओर सड़कें बनवाने की एक योजना की स्वीकृति सरकार ने दी। इस योजना में २४१.४३ लाख रु० की लागत पर लगभग १४६ मील कोलतार की और २७१ मील सीमेंट कंक्रीट के मार्गों का निर्माण सम्मिलित था।

यह एक मिली-जुली योजना थी, इसकी लागत बराबर से चीनी मिलों, राज्य व केन्द्रीय सरकारों ने वहन किया। इस योजना के अन्तर्गत जिस प्रकार की सड़कों का निर्माण किया जा रहा था वे मिल मालिकों या कृषकों की मांग के अनुसार या तो १२ फुट चौड़ी तारकोल की सड़कें थीं या सीमेंट कंक्रीट के मार्ग। मार्च, १९५९ तक कुल ४० मील लम्बाई के सीमेंट कंक्रीट के मार्ग बनाये गये।

सड़कों का आधुनिकीकरण—द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना और केन्द्रीय सड़क निधि परियोजना म कुल ९०० मील लम्बी सड़कों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था की गयी थी। इनमें से मार्च, १९५९ तक कुल ४६८ मील लम्बी सड़कों का आधुनिकीकरण किया गया और २७२ मील की लम्बाई के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा था।

पुल—सन् १९५८-५९ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया—

जिला	पुल का नाम (प्रान्तीय राजमार्गों पर)	लागत (लाख रु० में)
१—बदायूं ..	बरेली-मथुरा मार्ग के ४८ वें मील पर कछला घाट रेल—पुल	९.७५७
	बर्दवान पर जिला बोर्ड सीमेंट मार्ग के १० वें मील पर ..	३.१७
२—बस्ती ..	बांदी-नौगढ़ मार्ग पर बांसी में राप्ती पर पुल ..	१४.७७०
	बुलसाओ घाट पर अनू नदी पर पुल	३.२७
३—देहरादून ..	देहरादून-ऋषिकेश मार्ग पर दोईवाला में सोंग नदी पर पुल	१३.६५
४—टिहरी ..	हरद्वार-बदरीनाथ मार्ग पर अलकनंदा में पुल ..	८.६४
५—अल्मोड़ा ..	टनकपुर-पिथौरागढ़ मार्ग पर घाट पर सरजू पुल ..	४.६०
	बरेली-पिथौरागढ़ मार्ग के ६२ वें मील पर जगबड़ा नदी पर पुल	६.०९०
	अल्मोड़ा-खैरोना मार्ग पर स्वाल नदी पर पुल ..	१.००
६—बहराइच ..	बहराइच-बहरामघाट मार्ग पर झंगुरिया नाला पर पुल ..	२.४२
	बहराइच-बहरामघाट मार्ग के २ रे मील पर सरजू पर पुल ..	४.८५
७—बांदा ..	इलाहाबाद-बांदा मार्ग के २ मील पर भगैन नदी पर पुल ..	१३.००
	इलाहाबाद-बांदा मार्ग पर बरवा नाला पर पुल ..	३.६०
८—बिजनौर ..	शेर कोट अफजलगढ़ मार्ग पर घाना नदी पर पुल ..	१.०२८
९—हमीरपुर ..	हमीरपुर-कालपी मार्ग पर रोहित नाला पर पुल ..	२.८०५
१०—जौनपुर ..	जौनपुर-अकबरपुर मार्ग के ५१ वें मील पर टोंस नदी पर पुल	१.४४०
११—गोंडा ..	बलरामपुर-तुलसीपुर मार्ग पर सिरसा नाला (पाइल ब्रिज) पुल	१.६०
	नवाबगंज-अरौला मार्ग पर बिशुन नदी पर (पाइल ब्रिज) पुल	१.४०
१२—मुरादाबाद ..	डिबाई-बबरैला चंदौसी मार्ग पर सोन नदी का पुल	५.३७
१३—जालौन ..	मोहनघाट पर नाव का पुल	१.६०२

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित पुलों का निर्माण-कार्य चल रहा था—

जिला	पुल का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)
१—गोरखपुर ..	राष्ट्रीय राजमार्ग नं० २८ पर बर्डघाट पर राप्ती पर पुल	४१.४३०
२—मेरठ ..	राष्ट्रीय राजमार्ग नं० २४ पर गढ़मुक्तेश्वर में गंगा पर पुल	७०.९७
३—फैजाबाद ..	अयोध्या में सरजू पर पुल (और नदी प्रशिक्षण का कार्य) ..	१८२.०४
४—मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर-बुढ़ाना मार्ग पर हिंडन नदी पर पुल ..	८.३६८
५—देहरादून ..	डी० ए० रोड के १५६ वें मील पर कालागढ़ पुल (पुल का मजबूत किया जाना)	०.८२३

जिला		पुल का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)
६—अलमोड़ा	..	दोबात पर पुल बदलगढ़ पर पुल	१.०५२
		मरोरा पर पूर्वी नयोर पर झूलापुल	०.३०
		अल्मोड़ा-बागेश्वर मार्ग पर गोमती का पुल ..	३.००
		तेजम में रामगंगा पर झूला पुल	०.५४०
७—जौनपुर	..	चंदवक में गोमती पर पीपों का पुल	०.७०२
८—खीरी	..	पलाई-खजुरिया मार्ग पर सूली पुल	१.२०
		पचफेरीघाट पर शारदा पर पीपों का पुल और नावघाट ..	३.२५
९—बस्ती	..	बकरिया घाट पर बूढ़ी राप्ती पर लट्ठों का पुल ..	०.४२५
१०—गढ़वाल	..	मोहन-दौमेल बैंजरौ मार्ग पर रामगंगापुल ..	०.४२५
		रुद्रप्रयाग में अलकनंदा पर पुल	३.९६
		बदगांव में मंडल पर झूला पुल	०.३५
११—टिहरी	..	धरासू-बरकोट मार्ग पर धारा पुल	१.५०
१२—बहराइच		बहराइच नानपारा मार्ग पर लट्ठों का पुल ..	१.७५
१३—आजमगढ़	..	इलाहाबाद-मथुरा मार्ग के ७ वें मील पर टौंस पर पुल ..	१०.५९१
१४—बरेली	..	बरेली-मथुरा मार्ग के ७ वें मील पर रामगंगा पर पुल ..	५८.८६
१५—लखनऊ	..	बनी-हरौनी मार्ग पर ६ वें मील पर नगवा नाला पर पुल	१.१७८
१६—सुल्तानपुर	..	फैजाबाद-रायबरेली मार्ग के ३३ वें मील पर आमघाट पर गोमती पर पुल	७.६२८
१७—मुरादाबाद	..	जिला बोर्ड सीमेंट मार्ग के ३० वें मील पर पसनाला पुल	१.१६
१८—आगरा	..	बाह-शिकोहाबाद मार्ग के नैरंगीघाट पर यमुना पर पीपों का पुल	१.५४०
१९—इटावा	..	यमुना पर पीपों का पुल और नाव घाट का पुनर्निर्माण ..	१.५२
२०—मथुरा	..	मथुरा-राया मार्ग पर यमुना पर पुल	२८.७८
२१—बांदा	..	करवी-पहाँरी राजपुर मार्ग पर वाल्मीकि पर पुल ..	३.६६४
२२—हमीरपुर	..	कानपुर-हमीरपुर मार्ग पर यमुना पर हमीरपुर में पुल	०.६२५
२३—सीतापुर	..	लखनऊ-बरेली मार्ग के ५४ वें मील पर सोन पर पुल ..	४.००
२४—देवरिया	..	बघौंचाघाट पर खन्ना नाला पर पुल	२.१४०
२५—वाराणसी	..	वाराणसी-सारनाथ मार्ग पर वरुणा नदी पर पुल ..	६.६५

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें व पुल—सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ५४ लाख रु० की अनुमानित लागत पर सीमावर्ती क्षेत्रों के सड़कों व पुलों के विकास की एक योजना दिसम्बर, १९५८ में स्वीकृत की गयी। इसका ब्योरा निम्नलिखित है—

कार्य का विवरण		द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में व्यवस्था	मार्च, १९५९ तक प्राप्त लक्ष्य	
१—पुनर्निर्माण—कच्ची घोड़ा सड़क				
२—नवीन निर्माण—नयी मोटर सड़कें	..	२३	३	दिसम्बर १९५८ में स्वीकृत
..	..	६८	४१.५	
३—पुल (क) बड़े (संख्या)	१ ..	..	७.५०	
(ख) झूला (संख्या)	१ ..	..	२.००	

आलोच्य वर्ष में अधिकांश सड़कों पर कार्य आरम्भ किये गये।

राष्ट्रीय राजमार्ग—सन् १९५८-५९ के वर्ष में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए भारत सरकार ने ७२ लाख रु० की स्वीकृति प्रदान की। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित होने के

कारण इनकी मरम्मत तथा विशेष मरम्मत के लिए भारत सरकार ने ५१.३८८ लाख रु० का एक और अनुदान भी दिया। आलोच्य वर्ष में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का और इनमें से कुछ पर होने वाले कार्य की प्रगति का व्योरा निम्नलिखित है—

(१) राष्ट्रीय राजमार्ग नं० २८ पर गोरखपुर के निकट राप्ती नदी के पार बर्ड घाट पर एक पुल का निर्माण। (इस कार्य की अनुमानित लागत ४१.४३ लाख ० थी और कार्य प्रारम्भ हो गया था।)

(२) राष्ट्रीय राजमार्ग नं० २९, गोरखपुर-गाजीपुर मार्ग के ६० वें मील पर मऊ, जिला आजमगढ़ में टोंस नदी पर एक पुल का पुर्ननिर्माण (इस कार्य का अनुमानित लागत १२,४८,८०० रु० था।)

(३) राष्ट्रीय राजमार्ग नं० २८ पर गोरखपुर के निकट राप्ती नदी पर प्रस्तावित पुल को मिलाने वाले मार्गों का निर्माण (इस कार्य की अनुमानित लागत ९,५८,७०० रु० है।)

(४) लखनऊ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग नं० २४, बरेली-लखनऊ मार्ग के ११ वें—१९ वें मील तक चौड़ा करना। (इस कार्य की अनुमानित लागत ५,४९,८०० ० है।)

(५) लखनऊ-बरेली मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग नं० २४ के २३९ वें—२४२ वें मील तक चौड़ा करना। (इस कार्य की अनुमानित लागत ३,७३,७०० रु० है।)

(६) राष्ट्रीय राजमार्ग नं० २८ पर अयोध्या में सरजू (घाघरा) पर प्रस्तावित पुल के लिए प्रारम्भिक कार्यों (रीवर ट्रेनिंग) का निर्माण। (इस कार्य की अनुमानित लागत ३०.५२ लाख है।) इस कार्य में एक अयोध्या की ओर दूसरा लकड़मण्डी की ओर दो गाइड बांधों का निर्माण किया जाना है। अयोध्या की ओर गाइड बांध के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और लकड़मण्डी की ओर गाइड बांध के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया।

(७) गढ़मुक्तेश्वर में गंगा पर पुल का निर्माण। कुएं गलाने का काम आरम्भ हो गया।

(८) गढ़मुक्तेश्वर में गंगा पर पुल। मेरठ की ओर पुल को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण-कार्य पूरा हो गया।

(९) राष्ट्रीय राजमार्ग नं० २४ पर गाजियाबाद—हिंडन पर पुल। बचाव संबंधी कार्य पूरे किये गये।

(१०) मथुरा जिले में बम्बई-दिल्ली मार्ग पर दो सड़क के ऊपर से पुल और दो बाई-पास मार्ग। जोड़ने वाले मार्गों पर कार्य आरम्भ किया गया।

(११) ११३ वें मील पर भाकरा पुल। बरेली जिले में मेरठ-बरेली मार्ग पर मुरादाबाद की ओर जोड़ने वाले मार्ग पर बचाव के कार्य आरम्भ किये गये।

वाराणसी घाट—सन् १९५५ में बाढ़-नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत व वाराणसी के घाटों के पुर्ननिर्माण का कार्य आरम्भ किया गया। मार्च, १९५९ तक इस दिशा में हुए कार्य की प्रगति का व्योरा इस प्रकार है—

१—चेतसिह घाट	.. .. ..	१०० प्रतिशत
२—गुलरिया घाट	.. .. ..	९५ ,,
३—शीतला और दशाश्वमेध घाट	.. ..	५५ ,,
४—विजयानगरम् घाट	.. .. ..	९५ ,,
५—त्रिपुराभैरवी और ललिताघाट	.. ..	९३ ,,
६—दुर्गा, ब्रह्मा और बूंदी परकोटा घाट	.. ..	४३ ,,

वाराणसी में २.७४ लाख रु० की लागत से मां आनन्दमयी घाट की सुरक्षा का कार्य पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त क्रमशः २.४१ लाख और ४.६७ लाख ० की अनुमानित लागत के आदि केशव और जैन घाटों का कार्य आरम्भ हुआ। मार्च, १९५९ के अन्त तक आदिकेशव और जैन घाटों पर हुए कार्य की प्रगति क्रमशः ३ और १६ प्रतिशत थी।

वाराणसी में सम्पूर्ण नदी तट की सुरक्षा के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया।

अन्य बाढ़ नियंत्रण कार्य—बाढ़ नियंत्रण के अन्य कार्यों में गोरखपुर जिले में मलोनी बांध को चौड़ा करना और बुलन्दशहर जिले में काली नदी बांध को चौड़ा एवं सुदृढ़ करना था। यह दोनों कार्य पूरे किये गये। बदरीनाथ और बलिया के नगरों की सुरक्षा का कार्य जिसे गत वर्ष आरम्भ किया गया था, संतोषजनक रूप से प्रगति करता रहा। मिर्जापुर नगर की सुरक्षा के लिए रुड़की की सिंचाई अनुसंधान संस्था में माडल पर प्रयोग परे किये गये जिनके आधार पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जा सकते थे।

वर्षा से क्षति—मथुरा, बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, एटा, मैनपुरी और शाहजहांपुर जिलों में भारी वर्षा हुई जिससे सड़कों को काफी क्षति पहुंची। इन जिलों में, विशेषकर मथुरा, अलीगढ़ और बुलन्दशहर के जिलों में काफी दूर-दूर तक सड़कें काफी अरसे तक पानी में डूबी रहीं। शाहजहांपुर जिले में खनौत नदी पर के तीनों पुल बह गये। इन सड़कों और पुलों की मरम्मत का कार्य आरम्भ किया गया और विशेष मरम्मतों के लिए मुख्य अभियन्ता के सामान्य सुरक्षित कोष से इनका खर्चा पूरा किया गया।

इमारतें—(१) सार्वजनिक भवन—प्रायः उन सभी इमारतों का कार्य, जिन्हें गत वर्ष पूरा न किया जा सका था, जारी रहा और इनमें से अधिकांश का कार्य आलोच्य वर्ष में पूरा हो गया। इस वर्ष जिन महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया था या प्रायः पूरा हो चला था वे यह हैं—

(१) उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षा भवन (हाल), इलाहाबाद

(२) इलाहाबाद में अदालतों के कमरों का नया खण्ड

(३) बिजनौर की कलेक्टरी कचहरी में एक कमरा

(४) नजीबाबाद, बिजनौर में तहसील की नई इमारत

(५) नौगढ़ (बस्ती) में नई तहसील बनाये जाने के फलस्वरूप इमारतें

(६) बस्ती के राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल में अतिरिक्त कमरे

(७) एटा में लड़कों के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल की इमारत में परिवर्तन एवं परिवर्धन

(८) इलाहाबाद में बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन के लिए इमारत

(९) सीतापुर में बालिकाओं के राजकीय नार्मल स्कूल में एक हाल और दो कक्षाओं के लिए कमरे

(१०) लखनऊ के राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में इमारत

(११) इलाहाबाद में दृश्य-श्रव्य शिक्षा की योजना के संबंध में भवन

(१२) लखनऊ के गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट्स एण्ड क्रेफ्ट्स के लिए एक नई इमारत और वर्तमान इमारत का विस्तार

(१३) लैंसडाउन (गढ़वाल) के राजकीय इंटरमीडियेट कालेज भवन में काष्ठ कला, और वाणिज्य के खण्ड तथा जनरल साइंस के लिए थियेटर रूम

(१४) इलाहाबाद में राजकीय सेंट्रल प्रेस के लिए चिकित्सालय, विश्राम गृह, लंच का कमरा, पुस्तकालय आदि

(१५) बांदा में पुलिस कोतवाली

(१६) जमनियां (गाजीपुर), गौरीबाजार (देवरिया), बकेवर और अजीतमल (इटावा), बिलारी (मुरादाबाद), मिलकीपुर और गोसाईंगंज (फैजाबाद) और जौनपुर में पुलिस थानों के लिए इमारतें

(१७) कानपुर में द्वितीय फायर स्टेशन के लिए भवन

(१८) लखनऊ में फोरेंजिक विज्ञान प्रयोगशाला

(१९) फतेहपुर और बाराबंकी में पुलिस आफिस के लिए भवन

(२०) इटावा के पुलिस लाइन में दुमंजिला बैरक

(२१) कानपुर में मेडिकल कालेज की इमारत

(२२) लखनऊ में राज्यीय आयुर्वेद कालेज की अतिरिक्त इमारतें

(२३) शाहजहांपुर में सम्मिलित अस्पताल

(२४) बाराबंकी में नया अस्पताल

(२५) देवरिया, इटावा, मैनपुरी, बहराइच और बुलन्दशहर के अस्पतालों की वर्तमान इमारतों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन

(२६) रहमान खेड़ा, लखनऊ स्थित राज्यीय भूमि संरक्षण फार्म के प्रसार की योजना कार्यों से संबंधित इमारतें

(२७) शाहजहांपुर में गन्ना अनुसंधान कार्य से संबंधित योजना के लिए इमारतें

(२८) चौबटिया में फल अनुसंधान केन्द्र के विकास की योजना के सम्बन्ध में इमारतें

(२९) मथुरा में पशु-चिकित्सा कालेज के अस्पताल का शेष खंड

(३०) लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पशु पालन निदेशक के मुख्यालय में एक नियोजन शाखा स्थापित करने के सम्बन्ध में इमारतें

(३१) लखनऊ में राज्य संग्रहालय

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित महत्वपूर्ण इमारतें तैयार हो गयीं—

(१) बिदकी (फतेहपुर) में तहसील की नयी इमारत

(२) झांसी में पुलिस कोतवाली

(३) हरदोई, फतेहपुर, वाराणसी, उरई और जालौन में पुलिस लाइन में बैरक

(४) धनानन्द इंटरमीडियेट कालेज, मंसूरी में कक्षाएं

(५) देवरिया कला (पीलीभीत) में अस्पताल की इमारत

(६) मथुरा में पशु चिकित्सालय कालेज

महत्वपूर्ण इमारतें जिन पर आलोच्य वर्ष में काम प्रगति पर था—

(१) लखनऊ में विधान भवन का विस्तार

(२) लखनऊ के रायल होटल के प्रांगण में विधायकों के लिए कमरों के १६ सूट

(३) प्रांतीय सशस्त्र पुलिस की तीसरी बटालियन के लिए लखनऊ में इमारत रंगरूटों के प्रशिक्षण केन्द्र सहित

(४) लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के मुख्यालय के लिए इमारत

(५) रायपुर (बांदा), फर्रुखाबाद (बहराइच), संग्रामगढ़ (प्रतापगढ़), सादुल्ला-नगर (गोंडा), दोस्तपुर, पीथरपुर (सुल्तानपुर), अलीगन्ज (बरेली), रुद्रपुर (देवरिया), रामपुर पंवार और अहरौला (आजमगढ़) में पुलिस थानों के लिए इमारतें

(६) लखनऊ में सचिवालय कर्मचारियों के लिए भवन

(७) लखनऊ में स्पोर्टस स्टेडियम में क्लब हाउस

(८) लखनऊ के प्रोग्रेस म्युजियम में एक खंड (विंग)

(९) पांगू (अल्मोड़ा) में सड़कों के लिए जिला बोर्ड जूनियर हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षाएं आदि

(१०) देहरादून, पिथौरागढ़, लैन्ड्सडाउन, अमरोहा और अल्मोड़ा में लड़कियों के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की इमारतें

(११) लोहाघाट मनसियारी में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए भवन

(१२) नैनीताल में वेधशाला के लिए इमारत

(१३) अल्मोड़ा जिले के करीम और गोगिला में भेड़ प्रजनन केन्द्र के लिए गांव कर्मचारियों के निवास के लिए इमारतें

(१४) बारापेटा (अल्मोड़ा) और कोपरधारा (टिहरी गढ़वाल) में भेड़ प्रजनन फार्म के लिए इमारतें

(१५) माना, मिर्जापुर, कटमली, शाहपुरा, बुग्राहंक और राजपुर में भेड़ और ऊन के विकास के सम्बन्ध में इमारतें

(१६) पौड़ी गढ़वाल में जिला सदर अस्पताल

(१७) शिकोहाबाद में नया मिला-जुला अस्पताल

(१८) बादशाहबाग, लखनऊ में बायालोजिकल प्राडक्ट सेक्शन के प्रसार एवं सुधार की योजना के सम्बन्ध में इमारतें

(१९) गाजीपुर में राजकीय बहुधंधी संस्था के पुनस्संगठन योजना से संबंधित इमारतें

(२०) इलाहाबाद में राजकीय काष्ठ कला (वुड वर्किंग) संस्था के पुनस्संगठन की योजना से संबंधित इमारतें

(२१) लखनऊ में यातायात आयुक्त का कार्यालय

(२) विस्थापितों के लिए क्वार्टर एवं दूकानें—आलोच्य वर्ष में विस्थापितों के लिए निम्नलिखित क्वार्टरों और दूकानों का निर्माण किया गया—

(क)	दो कमरे वाले 'ए' टाइप क्वार्टर	४
(ख)	एक कमरे वाले 'सी' टाइप क्वार्टर	६२
(ग)	दूकानें	२४९
(घ)	एक कमरे वाले क्वार्टर	१९६

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों में निर्माण-कार्य चल रहा था—

(क)	वाराणसी	५ 'ए' टाइप क्वार्टर और २५ दूकान
(ख)	देहरादून	१० दूकान

इनके अतिरिक्त कई अन्य परियोजनाओं पर, जैसे विस्थापितों के लिए क्वार्टरों और स्कूलों का निर्माण, शरणार्थी बस्तियों में सड़कों और पुलियों के निर्माण आदि कार्यों पर कार्य होता रहा।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लिए शक्तिनगर, जिला नैनीताल में ८.४ लाख रु० की अनुमानित लागत पर ७०० क्वार्टरों की एक नयी बस्ती बसाने की स्वीकृति प्रदान की गयी और इस पर कार्य आरम्भ किया गया।

(३) **औद्योगिक गृह योजना चतुर्थ चरण**—केवल बरेली, रामपुर और नैनीताल को छोड़कर, जहां बढ़ी हुई उच्चतम लागत व्यय के कारण विलम्ब हुआ, औद्योगिक गृह

निर्माण योजना, चतुर्थ भाग, का इमारती अंश पूरा किया गया। इन स्थानों में भी मार्च, १९६० के अन्त तक आशा की जाती थी कि क्वार्टर बन कर तैयार हो जायेंगे।

नवम्बर, १९५८ के अन्तर्गत औद्योगिक गृह निर्माण योजना, पंचम चरण, के अन्तर्गत सरकार ने कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोविंदपुरी (मेरठ) और नैनी (इलाहाबाद) में १,२३३ एक कमरे वाले और ६९२ दो कमरे वाले मकानों की स्वीकृति दी। इन क्वार्टरों के निर्माण का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग अनुसंधान संस्था—सार्वजनिक निर्माण विभाग अनुसंधान संस्था सड़क के सतह के टूटने के कारणों के सम्बन्ध में लखनऊ झांसी मार्ग पर अनुसंधान करता रहा और इनके सुधार के लिए अपने सुझाव दिये। सड़कों के क्षतिग्रस्त भागों के पुर्ननिर्माण में इन सुझावों को अपनाया गया।

२०—परिवहन

रोडवेज—(१) विस्तार—रोडवेज परिवहन सेवा के विकास के लिए द्वितीय पंच-वर्षीय आयोजना में ४६४ अतिरिक्त मीलों पर १०१ डीजल बसों को चला कर रोडवेज सेवाओं का विस्तार किया गया। ५ वर्ष में होने वाले कुल व्यय का अनुमान ८५.५० लाख रु० लगाया गया। आयोजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में अर्थात्, सन् १९५६–५७ और १९५७–५८ में परिवहन सेवा के विकास पर ६५.५१ लाख रु० व्यय किये गये। सन् १९५६–५७ के वर्ष में रोडवेज की सेवाओं का विस्तार ३१६.७ अतिरिक्त मीलों पर किया गया जबकि प्रस्तावित लक्ष्य केवल १०९ मील का था। सन् १९५६–५७ में रोडवेज ने ८८ चेसिस खरीदे। सन् १९५७–५८ में रोडवेज की सेवाओं का विस्तार ३९७.१ अतिरिक्त मीलों पर किया गया, २२ चेसिसों पर ढांचे बना कर तैयार किये गये और २४ अतिरिक्त बस चेसिस खरीदे गये। अप्रैल, १९५८ से दिसम्बर, १९५८ तक गोरखपुर–सोनौली (नौतवां और फरेंदा होकर), देवरिया–रुद्रपुर–नगवा नरलनपुर, अल्मोड़ा–रानीखेत, कालका–चम्पटिया, सरगखेत–पहाड़ीपुरी, पयागपुर, इकौना, इलाहाबाद–सराय आकिल, इलाहाबाद–जसरा और फर्रुखाबाद संकिसा मार्गों पर रोडवेज सर्विस आरम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच पारस्परिक आदान–प्रदान के आधार पर पहेवा–कुरुक्षेत्र–हरद्वार और अम्बाला–देहरादून के मार्गों पर भी सीधी बस सर्विस आरम्भ की गयीं। दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक उत्तर प्रदेश की सरकारी रोडवेज ५३२ मार्गों पर यात्री–सर्विस चला रहीं थी जिनकी दौड़ राज्य में २५,७४९.३ मील तक थी या इनका विस्तार, ७,०९७ मील सड़क तक था।

(२) संचालन में मितव्ययिता—रोडवेज सर्विस के कार्यान्वियन में सुधार करने के उद्देश्य से प्रत्येक रीजन के विभिन्न मार्गों पर छिटपुट एवं यातायात सर्वेक्षण किये गये। सन् १९५७–५८ में २८१ मार्गों पर यह सर्वेक्षण किये गये। सन् १९५८ के वर्ष में ३०४ सर्वेक्षण किये गये। टायर, बैटरी और इंजन के प्रयोग में सुधार कर और प्रति गैलन अधिक मील की यात्रा प्राप्त कर व्यय में कमी करने की चेष्टा की गयी। मोटर गाड़ियों के एहतियाती के रखरखाव कार्यक्रम को कड़ाई से पालन द्वारा भी मितव्ययिता ले आने के प्रयास किये गये। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कार्यान्वियन की लागत में कमी आई। लागत में यह कमी सन् १९५६–५७ के ८४ नया पैसा प्रति मील से घटकर सन् ५७–५८ में ७९ नया पैसा प्रति मील हो गयी और इस प्रकार कुल २५,८८,१९९ रु० ७० नया पैसा की बचत हुई। सन् १९५८–५९ में खर्चे में और कमी हुई और पहली छमाही में ही १८,७५,९७४ रु० ८२ नया पैसे की बचत हुई। खर्चे में और कमी करने के लिए बस के प्रति भी खर्च में जितना अलाभकर सिद्ध हो रहा था उसमें अधिक से अधिक कमी करने के प्रयास किये गये। बस का अधिक से अधिक उपयोग करने का भी प्रयास किया गया। कई बस मार्गों पर दोहरी क्यू प्रणाली चालू की गयी और इससे बस का अच्छा उपयोग हो सका।

(३) भवनों का निर्माण—आलोच्य वर्ष में बादशाहपुर में एक दुकान का, प्रतापगढ़ में दो कमरों के एक खंड का, राबर्टसगंज में एक पुलिया (२५ फुट लम्बी) का, गोरखपुर में इमारत के विस्तार की और नैनीताल में बस स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इनके अतिरिक्त, जौनपुर

डिपो में कार की धुलाई के लिए टैंक, बीवार में मरम्मत खाना (रिपेयर शेड), कमरे के खंड (ब्लाक) और सर्विस रैम्प, सुल्तानपुर वर्कशाप में फ्लश पाखाने, कैसरबाग (लखनऊ) में लोहारखाना तथा स्टोर, आलिवर रोड (लखनऊ) में फ्लश पाखाना, लखनऊ रीजनल शेड के मरम्मत खाने में चहारदीवारी, लोहार खाना और स्टोर, गोरखपुर वर्कशाप में मेकेनिक रूम, बर्डघाट में रैम्प, और गोंडा के वर्कशाप में ऊंची चहारदीवारी के निर्माण का कार्य आलोच्य वर्ष में पूरा हुआ। खलीलाबाद में बस स्टेशन के निर्माण का काम भी पूरा पूरा हुआ।

(४) रोडवेज के वर्कशाप—रोडवेज वर्कशाप के जाल राज्य भर में फैले थे। इनमें कानपुर में एक केन्द्रीय वर्कशाप, ७ रीजनल वर्कशाप और ४७ डिपो वर्कशाप थे। केन्द्रीय वर्कशाप में पर्यटकों के लिए विशेष प्रकार की 'डीलक्स' बसों का निर्माण और रोडवेज की गाड़ियों की बड़ी बड़ी मरम्मत का कार्य किया जाता था। इंजिनों को फिर से नया बनाया एवं उनके दोषों को दूर किया जाता था। रिजनल और डिपो वर्कशाप में मरम्मत का काम तथा गाड़ियों के रखरखाव का काम किया जाता था। वे पुराने और बेकार हुए फालतू पुरजों को ठीक भी करते थे जिससे वे पुनः काम में लाये जा सकें। १९५८–५९ की प्रथम छमाही में फालतू पुरजों की मरम्मत से १९,१०० रु० की बचत हुई।

(५) सिटी सर्विस—राज्य के ५ बड़े नगरों में यथा–आगरा, इलाहाबाद, बरली, लखनऊ और वाराणसी में रोडवेज की बस सर्विस चालू थी। वह सर्विस लोकप्रिय रही और यातायात के लिए शीघ्र एवं सस्ता साधन प्रस्तुत करती रही। आगरा में लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों, ताजमहल एवं किले सहित सभी ऐतिहासिक स्थानों और प्रमुख केन्द्रों के लिए बस सर्विस की सुविधा उपलब्ध थी। सन् १९५८–५९ के वर्ष में सिटी बस सर्विस १,८०,३२,९६९ यात्रियों को ले गयीं। सन् १९५८–५९ के वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही में सिटी बस सर्विसों ने राज्य के उपरोक्त वर्णित नगरों में ९६,८५,०६८ यात्रियों को ले गयीं।

(६) विशेष अवसरों पर सेवा—मेले और उत्सवों जैसे विशेष अवसरों पर यातायात की सुविधाएं प्रदान की गयीं। सन् १९५८–५९ के वर्ष में नैनीताल में हुई श्रम मंत्रियों के सम्मेलन, मसूरी में हुए अखिल भारतीय लघु उद्योग सम्मेलन, मसूरी में हुये वन विभाग के सम्मेलन और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ७० वीं वर्षगांठ समारोह के अवसरों पर भी रोडवेज ने यातायात का विशेष प्रबंध किया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों के ४०० नवयुवकों के आगरा और मसूरी भ्रमण के अवसर पर, रूसी टीम के लखनऊ आगमन के समय, आंध्र प्रदेश के ४०० कृषकों के एक दल के आगरा इलाहाबाद और देहरादून आने के समय, और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों के रुड़की जाने के मौके पर, कटक (उड़ीसा) के शैलमा महिला विद्यालय की ७५ छात्राओं के दल के लखनऊ पर्यटन के अवसर पर, कश्मीर के संवाददाताओं की एक टोली के उसके लखनऊ वाराणसी और मसूरी के दौरे के अवसर पर, बम्बई राज्य के खैरा जिले के नाडियाद खंड के ५०० कृषकों के लखनऊ आगमन पर आसाम के ४०० कृषकों के आगमन पर, दक्षिण भारत के पत्रकारों की एक टोली के दौरे के मौके पर, उत्तर प्रदेश की एक पत्रकारों की पार्टी के दौरे पर और ४५० अमरीकी पर्यटकों के उनके प्रसिद्ध स्थानों के भ्रमण के अवसर पर यातायात का प्रबंध किया गया। प्रधान मंत्री द्वारा बाजपुर में सहकारी चीनी मिल के उद्घाटन के अवसर भी यातायात का प्रबंध किया गया। विधान मंडल के सदस्यों की उद्योग की स्थायी समिति द्वारा वाराणसी के दौरे के अवसर पर तथा संसद के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास परियोजना स्थलों के दौरे के अवसर पर भी यातायात की व्यवस्था की गयी। राज्य के ऐतिहासिक स्थानों, सौन्दर्य स्थलों और धार्मिक महत्व के केन्द्रों को जाने वाली पर्यटकों को रोडवेज विभाग द्वारा 'डीलक्स' बसें और कारों की सुविधा प्रदान की गयी। इन सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की गयी।

(७) टेक्नीशियनों का प्रशिक्षण—प्रशिक्षित प्राविधिक कर्मचारियों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से रोडवेज के इंजीनियरों की दो टोलियां (एक टोली चार की और दूसरी दो की) को इंगलैण्ड में छः महीने की व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त १४ टेक्नीशियनों की एक टोली पश्चिमी जर्मनी ६ मास की ट्रेनिंग में लिए भेजी गयी। ९ जून से १६ जून, १९५८ तक लखनऊ में रोडवेज के इलक्ट्रीशियनों और असिस्टेन्ट इलक्ट्रेशियनों को ट्रेनिंग दी गयी। बाश इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के रखरखाव व उसकी मरम्मत से संबंधित सिद्धांतिक एवं व्यवहारिक कक्षाओं में रोडवेज

के टेक्नीशियन शामिल हुए। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के कानपुर स्थित वर्कशाप में मरम्मत व रखरखाव की नवीनतम प्रणालियों की जानकारी के लिए दो जूनियर फोरमैनों और ९ मकेनिकों ने रोडवेज इन सर्विस टेक्नीशियन ट्रेनिंग को पूरा किया। सन् १९५६-५७ में भरती किये गये १० मेकेनिक प्रशिक्षार्थियों की और ६ डिप्लोमा होल्डरों की ट्रेनिंग आलोच्य वर्ष में चालू रही। आलोच्य वि ीय वर्ष में २ डिप्लोमा होल्डर प्रशिक्षार्थियों की रोडवेज के कानपुर स्थित केन्द्रीय वर्कशाप में ट्रेनिंग देने के लिए भरती किया गया। केन्द्रीय वर्कशाप में एक मैकेनिक ने अपनी ट्रेनिंग समाप्त की और उसे रोडवेज वर्कशाप में खपा लिया गया।

(८) ट्रक और टैक्सी--गढ़वाल और कुमायूं के सब रीजन में रोडवेज की ट्रक सर्विस नियमित रूप से चलती रही। अप्रैल, १९५८ से सितम्बर, १९५८ तक इन ट्रकों ने ६,२३,७७५ मील का फेरा किया और ७,८१,४२१ रु० १२ न० पै० राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। इसी अवधि में रोडवेज की टैक्सियों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न रीजनों में ६,७३,२०८.५ मील का फेरा लगाया और ३,९२,९५५ रु० ८० नया पैसा राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ।

(९) कर्मचारियों को पारितोषिक आदि--रोडवेज के ड्राइवरों और टेक्नीशियनों को उनके कार्य में निपुणता ले आने के लिए पुरस्कार देने की योजना का परिणाम अच्छा रहा। अप्रैल, १९५८ से सितम्बर १९५८ तक रोडवेज के ड्राइवरों और टेक्नीशियनों को इंजन, बैटरी व टायरों को अच्छी हालत में रखने, प्रति गैलन अधिक मील चलाने और मशीन सम्बन्धी टूट-फूट में कमी करने के लिए २१,२२१ रु० ५७ न० पै० पारितोषिक के रूप में दिये गये। इसके अतिरिक्त मेला या प्रदर्शनी जैसे विशेष अवसरों पर रोडवेज के कर्मचारियों को उनके कठिन परिश्रम एवं प्रशंसनीय कार्यों के लिए ४,९६८ रु० ३६ न० पै० आनरेरियम के रूप में दिये गये।

(१०) कल्याणकारी कार्य--खेलों, संगीत समारोहों आदि के द्वारा प्रत्येक रीजन में रोडवेज के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी एवं मनोरंजनात्मक कार्यों का संगठन किया गया। रीजन के स्तर पर सन् १९५८-५९ में खेलकूद प्रतियोगिता संगठित किये जाने के बाद लखनऊ में एक अन्तर रीजनल खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया। कानपुर के केन्द्रीय वर्कशाप में पूरे समय के लिए एक श्रम कल्याण अधिकारी था। कुछ महत्वपूर्ण बस स्टेशनों पर ड्राइवरों के लिए विश्राम गृहों की व्यवस्था थी। विभिन्न स्थानों पर टेक्नीकल कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था के प्रश्न पर भी ध्यान दिया जा रहा था। प्राकृतिक आपदाओं और अन्य मुसीबत के अवसरों पर अल्प आय वाले कर्मचारियों की सहायता के लिए एक सहायता कोष भी था। इस कोष में अधिकारीगण स्वेच्छा से चंदा देते थे।

(११) क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति--क्षेत्रों (रीजनों) में क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियां भी थीं जिनमें गैरसरकारी सदस्य भी थे। यात्रियों की सुविधा से संबंधित मामलों पर टाइम टेबुल, रोडवेज की सेवाओं आदि के बारे में ये समितियां विचार करती थीं।

मोटर गाड़ी अधिनियम और नियमावली प्रशासन--पंजीकरण, लाइसेंस देना और कर निर्धारण--सन् १९५८ के अप्रैल से सितम्बर तक की अवधि में क्षेत्रीय अधिकारियों ने राज्य में २,६२८ मोटर गाड़ियों की या तो रजिस्ट्री की या उनके नम्बर नये किये। इन लोगों ने मोटर चालक के ३,४७४ लाइसेंस जारी किये और ७,९९१ नये किये। इसके अतिरिक्त आलोच्य अवधि में उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन एंड सेल्स, १९३५ के अधीन सड़क-कर एवं अन्य शुल्कों के रूप में ७४,०४,२७८ रु० वसूल किये गये।

परिवहन का नियंत्रण--द्वितीय पंच वर्षीय आयोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले विकास कार्यों के फलस्वरूप राज्य में यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मोटर गाड़ियों की पर्याप्त संख्या बनाये रखने के हेतु मोटर यातायात के निजी मालिकों को मोटर के परमिट देने में उदार नीति अपनायी गयी। अनेक मार्गों पर राजकीय वाहनों (स्टेज कैरेज) की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में पुनः जांच की गयी और बढ़ती हुई आवश्यकता पर ध्यान रखते हुए इस प्रकार परमिट दिये जाने की अधिकतम संख्या बढ़ा दी गयी। कुछ नये मार्गों पर सरकारी गाड़ियां चालू की गयीं। माल ढोने

वाली गाड़ियों के लिए भी उदारतापूर्वक परमिट दिये गये । भारत सरकार ने, सिद्धांत एवं व्यवहार संहिता की व्यवस्थाओं में ढिलाई करके माल ढोने वाली गाड़ियों को ३०० मील के मार्गों पर या अपने कार्य स्थल से १५० मील अर्द्ध व्यास तक के क्षेत्र में आने जाने की छूट दे दी । एक योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । जिससे कि राज्य को दो अंचलों (जोन) में विभाजित करके क्षेत्रीय परमिट जारी करना संभव हो सके । सितम्बर, १९५८ के अन्त तक निजी क्षेत्र की मोटर गाड़ियों में ३,१६६ स्टेज कैरज, ७,५०१ पब्लिक कैरियर, १,४७६ प्राइवेट कैरियर और टैक्सियों सहित ३९९ के की गाड़ियां थीं जो सार्वजनिक क्षेत्र के गाड़ियों के साथ ही राज्य की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहीं।

यातायात (ट्राफिक) का नियंत्रण—अप्रैल, १९५८ से नवम्बर, १९५८ तक इंफोर्समेन्ट दस्ते ने मोटर वहिकिल अधिनियम और नियमावली की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने के सिलसिले में ८,६१६ मुकदमें चलाये । इस अवधि के आरम्भ में ६,१४० मुकदमें विचाराधीन थे और इस प्रकार निपटाये जाने वाले मुकदमों की कुल संख्या १४,७५६ हो गयी । इनमें से १०,६५० मुकदमों को निपटाया गया । निपटाये गये मामलों में ९,९६३ मामलों में सजा दी गयी, १८१ मुकदमों में बरी किये गये, १७८ में चेतावनी दी गयी और ३२८ दाखिल दफ्तर कर दिये गये । अदालतों में जुर्माने के रूप में ५,३३,२२९ रु० वसूल हुए । जनता में यातायात के नियमों के पालन की भावना उत्पन्न करने और उन्हें दुर्घटनाओं से बचने के लिए इस दस्ते ने 'सुरक्षा प्रथम' का अभियान अपने-अपने क्षेत्रों में चलाया ।

नागरिक उड्डयन—हिन्दी प्रान्तीय क्लब लखनऊ ने अपने मुख्य कार्यालय एवं इलाहाबाद तथा कानपुर की अपनी शाखाओं में अपना कार्य करता रहा । भारत के फ्लाइंग क्लबों में इस क्लब का स्थान पहली श्रेणी में था ।

सन् १९५८—५९ के वर्ष में जनवरी तक क्लब ने कुल ४,०१५.२० घंटों की उड़ान भरी जिसमें ३,३७१.४० घंटे की उड़ान सिखाने के लिए थी । आलोच्य अवधि के अन्त तक इस क्लब ने ३४१ वायुयान चालकों को 'ए', १५ को 'ए—१,' ३२ को 'बी' और १५ को 'शिक्षक' लाइसेंस प्रदान किये इनके अतिरिक्त २५ सदस्यों को ग्राउन्ड इंजीनियर लाइसेंस के लिए प्रशिक्षित किया गया । वर्ष की समाप्ति पर चालकों की ट्रेनिंग के लिए क्लब के सदस्यों की संख्या ८३ थी । इनमें ८ एम०सी०सी० के कैडेट और ४५ ग्राउन्ड इंजीनियर ट्रेनिंग के उम्मीदवार थे ।

अपने १० हवाई जहाजों के बेड़े के साथ क्लब ने इंदौर में हुए अखिल भारतीय उड्डयन प्रतियोगिता में भाग लिया । इसमें क्लब ने ५ ट्राफी, शील्ड और एक कप तथा १,१५२ रु० तक के नकद पुरस्कार प्राप्त किये । इसके कार्यों की बड़ी सराहना की गयी । केवल यही क्लब भारत में एक ऐसा क्लब था जो कि गन्ना, कपास और आलू की फसलों पर कीटाणु नाशक औषधियों का छिड़काव करता था । आलोच्य वर्ष में फजलिका (पंजाब) में फलतापूर्वक छिड़काव के कार्य किये गये ।

———

अध्याय ५

जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा-सुविधाएं

२१–जनस्वास्थ्य

महामारी इत्यादि—आलोच्य वर्ष में राज्य ताऊन के प्रकोप से मुक्त रहा। पूर्वगामी वर्ष में ताऊन सर्वेक्षण योजना दल ने इस रोग से प्रभावित क्षेत्रों की जांच की और निरोधक उपायों का प्रचार किया। १० प्रतिशत डी०डी० टी० के छिड़काव में एक किफायत और प्रभाव पूर्ण तरीके का विकास करने में इसने ताऊन निरोधक उपायों का अध्ययन किया।

विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष हैजा कम फैला। सन् १९५८ की पंजीकृत संख्याएं उपलब्ध न हो सकीं, पर साप्ताहिक रिपोर्टों के आधार पर सन् १९५७ के १६,६४८ की अपेक्षा इस वर्ष मृत्यु संख्या ९,७७७ थी। इस रोग की एक साधारण बात यह रही कि अनेक पश्चिमी जिलों में इस रोग का व्यापक रूप से फैलाव हुआ। सभी महत्वपूर्ण मेलों में जाने के पूर्व हैजे की टीका लेना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही केदारनाथ, बदरीनाथ और गंगोत्री तथा जमुनोत्री के तीर्थ मार्गों में भी जाने के पूर्व टीका लेना अनिवार्य कर दिया गया। लगभग ५८ लाख हैजा निरोधक टीके लगाये गये। हैजे से भिन्न गेस्ट्रोइंट्रीटीज रोग के लिए उत्तरदायी अन्य कारणों की जांच लखनऊ के मेडिकल कालेज के पैथालोजी विभाग में एक रिसर्च यूनिट द्वारा की जा रही थी।

बदरीनाथ-केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ यात्रा मार्ग में सफाई और चिकित्सा के प्रबन्ध किये गये। अल्मोड़ा जिले में कैलाश और मानसरोवर के दोनों तीर्थ-यात्रा मार्गों में भी इसी प्रकार के प्रबन्ध किये गये।

अनेक जिलों में चेचक व्यापक रूप से फैला रहा। इस रोग के संबंध में भी सन् १९५८ की मृत्यु की पंजीकृत संख्यायें आलोच्य अवधि के अन्त तक उपलब्ध न हो सकीं, पर साप्ताहिक रिपोर्टों के आधार पर पूर्वगामी वर्ष के ७,१०३ की अपेक्षा आ आलोच्य वर्ष में ९,७६३ मृत्युएं हुईं। ३६ लाख से ऊपर टीके लगाये गये जब कि पूर्वगामी वर्ष में २० लाख टीके लगाये गये थे। इनमें दूसरी बार लगाये गये टीकों की भी संख्या सम्मिलित है।

हैजा और चेचक के प्रकोप को कम करने के उपाय सुझाने के लिए राज्य सरकार ने आलोच्य वर्ष में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की। इस समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन थीं।

जुलाई के प्रथम सप्ताह में सर्व प्रथम लखनऊ वाइरस सेफेलाइटिस की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के बाद ही नगर के अस्पतालों में काफी मरीज भरती किये गये। बाद में राज्य के अन्य नगरों से, विशेष रूप से आगरा और कानपुर से भी इस बीमारी के समाचार प्राप्त हुए। केवल यहां वहां, इक्के, दुक्के मामलों को छोड़कर सितम्बर के अन्त तक इसका प्रकोप बहुत घट गया। सन् १९५८ के वर्ष के अन्त तक इस रोग के ६६७ व्यक्ति शिकार हुए जिनमें २११ की मृत्यु हो गयी। चिकित्सा अनुसंधान की भारतीय परिषद् की सहायता से इस रोग के कीटाणुओं का पता लगाने और उन्हें अलग करने का तथा रोग फैलने के तरीके के अध्ययन करने का कार्य संगठित किया गया। बचाव के उपायों में सफाई पर विशेष ध्यान देना तथा डी०एच०सी० की छिड़काव प्रमुख था। सभी अभावग्रस्त नगरों में इस रोग के उपचार के लिए उचित प्रबन्ध किये गये।

मलेरिया नियंत्रण—इस वर्ष मलेरिया नियंत्रण की योजना में काफी परिवर्तन हुआ। सन् १९५७–५८ के अन्त तक इस रोग का केवल स्थानीय क्षेत्रों में ही नियंत्रण करने का विचार था। अतः ३५ से अधिक जिलों के छिटपुट क्षेत्रों में २० यूनिटों की स्थापना की गयी थी जिनके अन्तर्गत २ करोड़ की आबादी आती थी। सन् १९५८–५९ के आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के सहयोग से इस रोग का समूल विनाश करने की एक देश व्यापी योजना आरम्भ की गयी। इसके अनुसार समस्त उत्तर प्रदेश में ६७ रोग-उन्मूलन यूनिटों की स्थापना होनी थी। आलोच्य वर्ष

में प्रस्तावित युनिटों में से ४० की स्थापना की गयी। इनमें से २० युनिट, वर्तमान नियंत्रण युनिटों के कर्मचारियों की संख्या में एवं उनके साज-सज्जा में विस्तार करके बनाई गयीं, और शेष २० नयी स्थापित की गयीं। जून से दिसम्बर, १९५८ तक की अवधि में इस दिशा में जो कार्य हुए उनका पता निम्नलिखित आंकड़ों से चलता है—

	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
(१) गांवों की संख्या—		
(क) योजना में सम्मिलित	६४,१५९	..
(ख) छिड़काव किया गया	..	६३,४३६
(२) मनुष्यों के आवास, पशु-आवास और मिले-जुले आवास—		
(क) योजना में सम्मिलित	१,०६,३०,२४४	..
(ख) छिड़काव किया गया	—	९५,७९,४०७
(३) जन-संख्या—		
(क) योजना में सम्मिलित	४,०२,६५,७६९	..
(ख) छिड़काव के अन्तर्गत	..	३,७५,२७,९४५
(४) सतह का क्षेत्रफल जिस पर वास्तव में छिड़काव हुआ	..	११,९१,९९,२१,४४४ वर्गफुट

फाइलेरिया—प्रथम आयोजना-अवधि में एक फाइलेरिया नियंत्रण युनिट और ३ सर्वेक्षण युनिटों की स्थापना की गयी थी और द्वितीय आयोजना में ५ नियंत्रण युनिटों की स्थापना की गयी। नियंत्रण युनिटें बलिया, गोरखपुर, बस्ती, बाराबंकी, फैजाबाद और वाराणसी के जिलों में कार्य करती रहीं तथा इनके अन्तर्गत कुल १८ लाख की जनसंख्या थी। सर्वेक्षण युनिटें जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, बहराइच, गोंडा, लखनऊ, सीतापुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, और मिर्जापुर के १२ जिलों में कार्य करती रहीं।

बतौड़—मिर्जापुर जिले के दक्षिणी भाग में बतौड़ रोग फैला रहा तथा जिन पर इस रोग का आक्रमण हुआ वे बदशकल हो गये और उनकी काम करने की शक्ति जाती रही। सन् १९५४ से एक सचल दल जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी तथा ३ संक्रामक रोग सहायक थे, इस क्षेत्र में इस रोग-ग्रस्त लोगों की चिकित्सा तथा उसके संपर्क में आने वालों का इलाज करता रहा। तब से मार्च, १९५८ के अन्त तक ३२८ गांवों में चिकित्सा का पहला दौर पूरा किया गया। इसके पश्चात् शेष इन गांवों में कार्य आरम्भ किया गया जिनमें अभी तक चिकित्सा का पहला दौर न हो पाया था और साथ ही जिनमें हो चुका था उनमें दूसरा दौर आरम्भ किया गया।

बी० सी० जी० के टीके—बी०सी०जी० के टीके द्वारा क्षय रोग की रोकथाम की ओर विशेष ध्यान दिया जाता रहा। ९ जिलों में बी० सी० जी० की १६ टोलियां कार्य करती रहीं। इन्होंने १८,५५,५३२ व्यक्तियों की जांच की तथा ५,२१,३१९ व्यक्तियों को टीके लगाये।

मातृत्व और शिशु कल्याण तथा शिशु स्वास्थ्य—हेल्थ स्कूलों के मातृत्व संबंधी शिक्षा एवं कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी जाती रही। मिडवाइफरी की ट्रेनिंग के प्रशिक्षार्थियों को नर्सिग की भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता को देखते हुए, राज्य के समस्त मिडवाइफरी ट्रेनिंग स्कूलों को सहायक नर्स-मिडवाइफ ट्रेनिंग स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया।

ग्राम्य दाइयों को प्रशिक्षित करने की एक योजना पूर्वगामी वर्ष में स्वीकृत की गयी थी। २३ जिलों के मातृत्व केंद्रों में इसे आरम्भ किया गया। प्रत्येक केंद्र को २ दलों में ६० दाइयों को प्रशिक्षित करना था। एक निर्धारित वेतन मान के अनुसार उम्मीदवारिनियों को वेतन तथा दाइयों को बैग दिया गया। ट्रेनिंग समाप्त होने पर उन्हें अपने उस बैग के इस्तेमाल हो गये सामानों को फिर पूरा करा दिया गया।

ग्राम्य स्थित मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों की जिनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी, देखभाल करने के लिए आलोच्य वर्ष में आंचलिक मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी के दो पद स्वीकृत किये गये।

लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, बस्ती, मुजफ्फरनगर, देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, बांदा, झांसी, अलीगढ़ और बलिया के नगरों में तथा गोरखपुर, गाजीपुर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, खीरी, बिजनौर, मिर्जापुर, हमीरपुर, बहराइच, बस्ती और आजमगढ़ के जिलों में मातृत्व केंद्रों के सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत के कुछ चुने हुए गाँवों में १०० रु० प्रतिमास से कम की आय वाले परिवारों की भावी एवं नवजात शिशु की माताओं में ताजे दूध के वितरण की एक योजना चालू थी। आलोच्य वर्ष में २१४ नगर एवं ग्राम्य वितरण केंद्र थे। इस योजना के अन्तर्गत दूध केवल ३ मास के लिए अर्थात् प्रसव-काल से ६ सप्ताह पूर्व एवं ६ सप्ताह बाद तक दिया जाता था।

गर्भवती एवं नवजात शिशुओं की माताओं तथा १४ वर्ष से कम अवस्था के कमजोर बालकों के लिए मक्खन निकले दूध के पाउडर की सप्लाई अन्तर्राष्ट्रीय बाल कोष द्वारा उत्तर प्रदेश को की जाती रही। वितरण का कार्य स्कूलों, अस्पतालों, मातृत्व केंद्रों और बालहित से संबंधित संस्थाओं द्वारा पूर्ववत् किया जाता रहा। यह योजना ऊपर वर्णित ताजे दूध के वितरण की योजना के अतिरिक्त थी।

पोषक तत्व—स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से लगा हुआ पोषक तत्व शाखा क्षीणता से प्रभावित क्षेत्रों में पौष्टिक तत्व एवं भोज्य पदार्थों के संबंध में सर्वेक्षण करता रहा। गोरखपुर जिले के पड़रौना तहसील के उत्तरी-पूर्वी भाग में घेंघा रोग के संबंध में भी इसने सर्वेक्षण किया। यह पता चला कि केवल या अत्यधिक केसारी दाल का प्रयोग क्षीणता अथवा सुस्ती का कारण है तथा अन्य फसलों के उत्पादन का प्रश्न विचाराधीन है।

परिवार नियोजन—परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के हेतु द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना-अवधि में जो २५ नागर और १५० ग्राम्य क्लीनिक खोले जाने को थे उनमें से सन् १९५६-५७ में २ नागर और १९५७-५८ में ५ नागर तथा २५ ग्राम्य क्लीनिक स्थापित किये गये। नागर क्लीनिक डफरिन अस्पतालों में और ग्राम्य क्लीनिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित किये गये। सन् १९५८-५९ में २० और ग्राम्य क्लीनिक स्थापित किये गये। परिवार नियोजन की टेकनीक में और इस योजना के प्रशासन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के कुछ कर्मचारियों को बम्बई भेजा गया। विभाग द्वारा लखनऊ में भी एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया। इस राज्य में परिवार नियोजन पर परामर्श देने के हेतु एक राज्य परिवार निरोधक बोर्ड की रचना की गयी। प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य की देखभाल के लिए एक राज्य परिवार नियोजन अधिकारी की नियुक्ति की गयी।

ग्रामीण स्वास्थ्य—सामुदायिक विकास की योजना में ग्राम्य जनता के स्वास्थ्य सुधार के लिए काफी व्यवस्थाएं थीं। इस कार्यक्रम में वर्तमान कुओं की दशा सुधारने और हैण्डपंप लगाने के कार्य को पहली प्राथमिकता दी गयी। गांव में नालियां बनाने के तथा नहाने व कपड़े साफ करने के लिए चबूतरे बनाने के कार्यक्रम और लोगों को अपने घरों में रोशनदान लगवाने, जालीदार आलमारियों का प्रयोग करने और स्वच्छ रसोईघर बनाने के संबंध में भी परामर्श देने पर ध्यान दिया गया। लखनऊ के नियोजन अनुसंधान-शाला के आधार पर तैयार किये गये धूम्ररहित चूल्हों को लोकप्रिय किया जाता रहा। मकानों में पाखानों के कई डिजाइनों पर प्रयोग किया जाता रहा ताकि ऐसी सस्ती डिजाइन निकाली जा सके, जिसे लोग स्वीकार कर लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन से विशेषज्ञों के आ जाने के पश्चात् फरवरी, १९५८ में ग्रामीण स्वच्छता की एक योजना आरम्भ की गयी। इसके अनुसंधान का केंद्र-स्थल लखनऊ से ७ मील दूर चिनहट का विकास खंड था। इसका उद्देश्य प्रत्येक गांव में साफ-पानी की पर्याप्त सप्लाई करना और प्रत्येक मकान में पाखानों की व्यवस्था करना था।

औद्योगिक स्वास्थ्य--कानपुर का औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन उद्योगों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं की जांच करता रहा। इस उद्देश्य से इसने कानपुर में २२ और कानपुर के बाहर की ७२ फैक्टरियों की जांच की और जो कुछ त्रुटियां नजर आईं उन्हें र करने के लिए अनेक सिफारिश की।

औद्योगिक कूड़े-कचरे की निकासी व उसके उपयोग का प्रश्न बहुत दिनों से एक समस्या बना रहा। इन कचरों और गंदे पानी की उत्तर प्रदेश में जो स्थिति थी उनका सर्वेक्षण एवं विश्लेषण करने के लिए और इनके द्वारा उत्पन्न सफाई व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सन् १९५६ के वर्ष में लखनऊ के प्राविंशियल हाइजीन इंस्टीट्यूट में चिकित्सा अनुसंधान की भारतीय परिषद् की एक अनुसंधान युनिट स्थापित की गयी। राज्य के महत्वपूर्ण उद्योगों में से अधिकांश में, जैसे चमड़े के कारखाने, चीनी मिलों, शराब के कारखानों, कागज, कपड़े और चावल मिलों में इनकी स्थिति का सर्वेक्षण किया और सूचनाएं एकत्र कीं जिनके आधार पर इनके निकासी आदि के लिए सस्ते व सम्भव उपायों की सिफारिश की जा सके। इसी बीच, कारखानों में इस दिशा में जो प्रबन्ध किये गये या किये जाने को थे उसके बारे में परामर्श देने के हेतु एक 'कचरा बोर्ड' की नियुक्ति की गयी और यह अनिवार्य कर दिया गया कि प्रत्येक वर्तमान कारखाना लिखित रूप से विस्तृत विवरण सहित बोर्ड को इस बात की सूचना दे कि वह किस प्रकार अपने वर्तमान कूड़े कचरे को हटाता है या उसे हटाने के संबंध में कैसा प्रबन्ध करने को है। जो कारखाने बाद में स्थापित किये जाने को थे उनके लिए अपने गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था किसी सीवर, नदी, पोखरे नहर या भूमि में करने की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य था। वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न कारखानों की योजनाओं की जांच की जा रही थी।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना--औद्योगिक श्रमिकों के लिए राज्य बीमा योजना राज्य के ११ नगरों, अर्थात्, कानपुर, आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रामपुर, बरेली, अलीगढ़, हाथरस और शिकोहाबाद में चालू की और बीमाशुदा व्यक्तियों की संख्या १,१८,५०० थी। सन् १९५८ के वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले चिकित्सा केंद्रों द्वारा २,२६,७०० व्यक्तियों की चिकित्सा की गयी और १,४२२ को चिकित्सा के लिए अस्पतालों (केंद्रों) में भरती करना पड़ा। चिकित्सा के हेतु ३,६०० बार श्रमिकों के घरों पर जाकर उनकी जांच की गयी।

औषधियों पर नियंत्रण--औषधियों के उत्पादन एवं उनकी बिक्री पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। संदिग्ध औषधियों के ७३७ नमूने लिये गये और निर्धारित माप दंड से नीचे की औषधियों की बिक्री के लिए अथवा बिना लाइसेंस के औषधियों की बिक्री के लिए अनेक मामले चलाये गये। ड्रग ऐण्ड मैजिक रेमेडीज (आब्जेक्शनेबुल एडवर्टाइजमेंट) कंट्रोल ऐक्ट, १९५४ (जादूई इलाज एवं आपत्तिजनक विज्ञापन नियंत्रण अधिनियम, १९५४) के अन्तर्गत ५ व्यक्तियों पर मामला चलाया गया जिनमें से २ को सजा हो गयी। काफी बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साहित्य पकड़ा गया और फरीकों के इस आश्वासन पर कि भविष्य में वे ऐसा न करेंगे, उसे नष्ट कर दिया गया।

खाद्य पदार्थों में मिलावट--सार्वजनिक विश्लेषज्ञ के प्रयोगशाला में खाद्यान्नों के २७,२६९ नमूने प्राप्त हुए जिनमें १७,१७७ असली पाये गये और ४,७०१ नमूनों में मिलावट पाया गया।

प्राविंशियल हाईजिन इंस्टीट्यूट--हाईजिन इंस्टीट्यूट में विभिन्न पाठ्यक्रमों में १५१ सेनिटरी, इंसपेक्टर लेबोरेटरी असिस्टेन्ट, ८ पब्लिक हेल्थ अफसर और वाटर वर्क्स के १५ इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियर प्रशिक्षित किये गये। इस संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य नगरपालिकाओं द्वारा सप्लाई किये जाने वाले जल की शुद्धता पर नियंत्रण रखना था। इस दिशा में रासायनिक एवं कीटाणु संबंधी जो जांच किये गये उनकी संख्या क्रमशः ५७४ और १,०१२ थी। इस संस्था में हैजा एवं चेचक निरोधक वैक्सीन और पागल कुत्ते के काटने के इलाज के वैक्सीन का भी उत्पादन किया गया।

स्वास्थ्य शिक्षा--स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने १२ ट्रांसलाइट और ६४ अन्य प्रदर्शनियां संगठित की तथा जनता को स्वास्थ्य शिक्षा की दिशा में शिक्षित करने के हेतु फिल्मों, सिनेमा, स्लाइडों, व्याख्यानों और प्रदर्शनों, गोष्ठियों आदि की सहायता ली जाती रही। पुस्तिकाएं और

मथुरा, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमुनोत्री, फुलवरिया और वृन्दावन के तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए १,०६,७३१ रु० की धनराशि दी गयी।

यह पता लगाने के लिए कि ग्रंथियों और स्वचालित स्नायु तंतु प्रणाली पर यौगिक व्यायामों के चैकित्सिक प्रभाव का पता लगाने के लिए लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में एक यौगिक व्यायाम केन्द्र खोला गया। यह केन्द्र एक यौगिक व्यायाम विशेषज्ञ की देखरेख में प्रयोगात्मक आधार पर चलाया जा रहा है और इसका खर्च राज्य स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा स्वीकृत निधि से किया जा रहा है।

कानपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बलिया, बहराइच, चरखारी और लखनऊ की नगरपालिकाओं को कूड़ा हटाने के हेतु ट्रैक्टरों की खरीद के लिए स्थानीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के हेतु बोर्ड को १,०४,००० रु० तक की सहायता दी गयी।

सर्वेक्षण के परिणामों से यह पता चला कि चीनी मिलों से निकलने वाले गंदे पानी को पास की भूमि या छोटी नदी या नालों में गिराने से अस्वास्थ्य प्रद वातावरण उत्पन्न होता है। आसपास के क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए बाराबंकी चीनी मिल में शीरा निकालने के लिए प्रयोगात्मक आधार पर ७,००० रु० की लागत का एक प्लांट लगाने का प्रस्ताव था। इस कार्य के लिए राज्य स्वास्थ्य बोर्ड ने २,७५० रु० का अनुदान दिया।

२२—चिकित्सा सहायता

(क) एलोपैथिक प्रणाली

ग्राम्य क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा—प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक भाग के रूप में ३० ग्राम्य चिकित्सालयों की स्थापना के लिए सन् १९५८ में स्वीकृति प्रदान की गयी। पूर्वगामी वर्ष की समाप्ति के अवसर पर राज्य में ७६८ ग्राम्य एलोपैथिक चिकित्सालय थे।

आलोच्य वर्ष में ग्राम्य जनता की स्वास्थ्य रक्षा की व्यापक व्यवस्था करने के उद्देश्य से नगरों के परिवेश (क्षेत्र—बाह्य परिधि क्षेत्र) में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यों के समन्वय की योजना के अन्तर्गत चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित किये गये केन्द्रों की संख्या ५० थी। विभाग के इसी प्रकार के ५० केन्द्र पहले ही से सामुदायिक विकास खण्डों में कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त नियोजन विभाग ने भी आलोच्य वर्ष में सघन विकास खण्डों में ५४ यूनिटों की स्थापना की। प्रत्येक प्रारम्भिक स्वास्थ्य यूनिट के लिए जिसमें प्रत्येक के अन्तर्गत औसतन् ६६,००० की जनसंख्या आती थी, एक मेडिकल आफिसर, एक हेल्थ विजिटर, एक सेनीटर इन्सपेक्टर, एक कम्पाउण्डर और चार मिड-वाइफों की व्यवस्था थी। प्रशिक्षित हेल्थ विजिटरों और मिडवाइफों के अभाव के कारण इन यूनिटों के कार्यान्वयन में कठिनाई अनुभव की जा रही थी। इस प्रकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण—कार्यक्रम में तेजी ले आयी गयी और यह आशा की जाती थी कि इस अभाव की शीघ्र पूर्ति की जा सकेगी।

ग्राम्य क्षेत्रों में अधिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के हेतु, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां इस प्रकार की सुविधाओं का अभाव था, चिकित्सा के स्नातकों ने और चिकित्सा के लाइसेंशिएटों ने कुछ जिलों में आर्थिक सहायता के आधार पर कार्य किया। इन्हें मिलने वाली आर्थिक सहायता की दर क्रमशः ६० रु० व ५० रु० प्रति मास थी। इसके अतिरिक्त आर्थिक सहायता के आधार पर चिकित्सालय भी कार्य करते रहे, जिनका नियन्त्रण करने वाली संस्थाओं को सरकार आर्थिक सहायता देती रही। एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के आर्थिक सहायता प्राप्त डाक्टरों को सन् १९५८—५९ के वर्ष में कुल १,०३,८३७ रु० आर्थिक सहायता के रूप में दिये गये।

ग्राम्य क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों को तहसील सदर अस्पतालों से और इन अस्पतालों को स्तर उठाये गये जिलों के अस्पतालों से संबद्ध कर देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

निम्नलिखित सदर तहसील अस्पतालों को प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों से संबद्ध किया जाना था और इनका स्तर संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष की आर्थिक सहायता से ऊपर उठाया जाना था। दो-दो हजार रुपये की यह सहायता प्रत्येक अस्पताल को आयात किये गये साज-सामानों में से आवश्यक टेक्नीकी सामानों के रूप में की गयी।

(१) सरोजनी नायडू स्मारक अस्पताल, फिरोजाबाद
(२) बलरामपुर अस्पताल, जिला गोंडा
(३) सिविल अस्पताल, रानीखेत, अल्मोड़ा
(४) एस० एन० हास्पिटल, हाथरस, जिला अलीगढ़
(५) ललितपुर अस्पताल, जिला झांसी

आलोच्य वर्ष में १० प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इमारत के निर्माण की स्वीकृति दी गयी। इनके खाके और तखमीने का कार्य पूरा कर लिया गया और इनके स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य आरम्भ होना था।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए चिकित्सा सुविधाएं---पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पहुंचाने की, भारत सरकार की विशेष योजना के अन्तर्गत २,१२,१०० रु० के अनुदान के भीतर ही योजनाएं तैयार की गयीं। निम्नलिखित कार्यों को, जिनकी स्वीकृति पूर्वगामी वर्ष में हुई थी, जारी रखा गया और काम चल रहा था---

(१) सोरा (अल्मोड़ा) में एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी और एक मातृत्व केंद्र की स्थापना।
(२) सौरा (टिहरी-गढ़वाल) में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय और एक मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना।
(३) खेलसा (अल्मोड़ा) और नीलंग (टिहरी-गढ़वाल) में एक कम्पाउण्डर यूनिट की स्थापना।

अल्मोड़ा जिले में तेजम और धारचूला स्थानों में चिकित्सालयों की इमारतें बन कर प्रायः तैयार हो चुकी थीं और टिहरी-गढ़वाल में ३ चिकित्सालयों की इमारतें बन कर तैयार हो गयीं। टिहरी-गढ़वाल जिले में घुण्टीधार में औषधालय के भवन के निर्माण कार्य के शीघ्र आरम्भ होने की संभावना थी।

शहरी क्षेत्र में संस्थाओं में सुधार तथा अस्पतालों की इमारतों का निर्माण एवं उनका विस्तार आदि---वर्ष की समाप्ति पर सहारनपुर और मिर्जापुर के अस्पतालों का और आगरा के अस्पताल की मुख्य इमारत का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका था। पौड़ी-गढ़वाल और इलाहाबाद में अस्पतालों के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई और बहराइच में एक नये अस्पताल के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया। इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जा रहे थे।

विभिन्न वर्तमान चिकित्सा संस्थाओं के सुधार पर ७६,७१३ रु० की धनराशि व्यय की गयी।

प्यारेलाल शर्मा अस्पताल, मेरठ का स्तरोन्नति के सम्बन्ध में भवनों के निर्माण का कार्य प्रायः पूरा हो चुका था। शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल वाराणसी और जिला अस्पताल गोरखपुर के स्तरोन्नति का कार्य भी प्रारम्भ किया गया। बरेली के जिला अस्पताल में भी भवनों के निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना था।

बिजनौर, इटावा, गोंडा और बलिया के ४ और जिला अस्पतालों में चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किये जाने के फलस्वरूप भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी। अस्पताल भवनों की निर्माण योजना के अन्तर्गत जिन इमारतों के निर्माण की स्वीकृति सन् १९५६-५७ में दी गयी थी उनमें से मुजफ्फरनगर और एटा में कार्य आरम्भ किया गया और आशा की जाती थी कि अन्य अस्पतालों में भी निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जा सकेगा। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में और गोरखपुर, मेरठ, तथा वाराणसी के जिला अस्पतालों में चार जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की गयीं।

अस्पतालों के लिए खूराक औषधियां और उपकरण---राज्य के अस्पतालों में खूराक, औषधियों तथा उपकरण के लिए निम्नलिखित धनराशि की व्यवस्था की गयी---

		रु०
(१)	औषधियां	४१,५८,४००
(२)	उपकरण	६,३७,२००
(३)	रोगियों के लिए खूराक	२८,६७,४००

उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के लखनऊ स्थित मुख्यालय में गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर्स डिपो राज्य के अस्पतालों और चिकित्सालयों की सजीवनी औषधियों, साज-सज्जाओं, शल्य चिकित्सा संबंधी यंत्रों आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा।

डिपो द्वारा तात्कालिक मांग पर ८,६४,६०५ रु० मूल्य की सजीवनी औषधियां तथा दवाएं राज्य के अस्पतालों और चिकित्सालयों को सप्लाई की गयीं।

आलोच्य वर्ष में अस्पतालों और राज्य की चिकित्सा संस्थाओं को ७,८६,७२१ रु० मूल्य के साज-सज्जा एवं शल्य चिकित्सा के उपकरणों की सप्लाई की गयीं।

इस वर्ष राज्य के एलोपैथिक अस्पतालों, चिकित्सालयों और अन्य संस्थाओं के लिए अतिरिक्त औषधियों की खरीद के हेतु ३,८६,४०० रु० की एक धनराशि स्वीकृत की गयी। इस धनराशि को स्तरोन्नति अस्पतालों में वितरित किया गया। ग्राम चिकित्सालयों के लिए निर्धारित धनराशि में २,५०० रु० की और वृद्धि की गयी।

सेवाएं—आलोच्य वर्ष के आरम्भ और अन्त में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या इस प्रकार थी—

		वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के अन्त में
(१)	सिविल सर्जन	५१	५१
(२)	अस्पतालों के अधीक्षक	५	६
(३)	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी ..	१६८	१६८
(४)	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा के प्रथम श्रेणी की महिला अधिकारी ..	५३	५३
(५)	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी/पी० एस० एम० एस० अधिकारी	६४३	६८१
(६)	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा के द्वितीय श्रेणी की महिला अधिकारी/पी० एस० एम० एस० महिला अधिकारी	१५७	१५८
(७)	परिचारिकाएं (नर्स)	१,०६१	१,१६६
(८)	प्रशिक्षणान्तर्गत छात्र परिचारिकाएं	८२१	८२१
(९)	छात्र मिडवाइफ	१००	१००
(१०)	स्वास्थ्य निरीक्षक हेल्थ विजिटर	८१	१६१

चिकित्सा शिक्षा—प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय आयोजनाओं के अन्तर्गत चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होने के फलस्वरूप सभी श्रेणियों के चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रसार करना एवं उसे प्रगाढ़ रूप से देना आवश्यक हो चला था। चिकित्सा स्नातकों की, जो कि स्वास्थ्य संगठन के प्रधान आधार थे, शिक्षा को सब से पहली प्राथमिकता दी गयी और इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वह कानपुर में एक तीसरे-मेडिकल कालेज की स्थापना करना था। इस कालेज ने सन् १९५७ से अपनी निजी इमारत में कार्य करना आरम्भ कर दिया। यह संस्था अच्छी प्रगति करती रही और आलोच्य वर्ष में छात्रों के प्रशिक्षण के हेतु ६ लाख रु० मूल्य के उपकरणों की व्यवस्था की गयी। कालेजों से, विशेष कार्यों के लिए समर्पित अस्पतालों की एक श्रृंखला संबद्ध करने के विचार के अनुसार लाला लाजपतराय अस्पताल के प्रांगण में, जो कि कालेज की पढ़ाई का एक अंग था, एक मातृत्व अस्पताल की इमारत का निर्माण आरम्भ किया गया।

मेडिकल कालेज—सन् १९५८-५९ के बजट में सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में साज-सज्जाओं के हेतु ३ लाख रु० की व्यवस्था की गयी। क्षय रोग प्रशिक्षण प्रदर्शन केन्द्र के लिए एक भवन के निर्माण के हेतु खाके और तखमीने स्वीकृत किये गये। आगरा मेडिकल कालेज में शय्याओं की संख्या ४२६ से बढ़ा कर ५६० कर दिये जाने की जल्दी ही आशा थी। मेडिकल कालेजों के विभिन्न स्तरोन्नति की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत लखनऊ के मेडिकल कालेज के फार्माकोलोजी, पैथालोजी और बैक्ट्रिआलोजी विभाग में भवन निर्माण के हेतु ४ १/२ लाख रु० के आर्थिक अनुदान दिये गये। महिलाओं और बच्चों के लिए क्वीन मेरी अस्पताल के वाह्य रोगी विभाग में वृद्धि के हेतु अनुदान दिये गये तथा अतिरिक्त शय्याओं के लिए शीघ्र ही स्थान की व्यवस्था की जानी थी। शल्य एवं नेत्र चिकित्सा खण्डों

की तथा अवशिष्ट प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आवास तथा ठहरने के लिए छात्रावास का निर्माण-कार्य चल रहा था।

सन् १९५८-५९ में लखनऊ के मेडिकल कालेज में एक बाल मार्ग दर्शक क्लीनिक तथा मनोवैज्ञानिक चिकित्सा विभाग की स्थापना करने का निश्चय किया गया। इनकी स्थापना का उद्देश्य बच्चों के व्यवहार, व्यक्तित्व और आदतों की बुराइयों और अन्य मनोवैज्ञानिक बुराइयों और बाल-मानसिक विकारों को सामाजिक चिकित्सा पद्धति द्वारा दूर करना था।

इधर हाल के वर्षों में क्वीन मेरी अस्पताल में भरती की संख्या बहुत बढ़ गयी है। इस अस्पताल में विशेष स्त्री रोगों की शैय्याओं की संख्या में २० की वृद्धि करने का प्रस्ताव था। आलोच्य वर्ष में इस प्रकार के शैय्याओं की स्वीकृत संख्या १०० थी।

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान--(१) विशेषज्ञों के रूप में डाक्टरों का प्रशिक्षण--आलोच्य-वर्ष में विभिन्न विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त करने के हेतु देश के विभिन्न संस्थाओं में १७ डाक्टरों को भेजा गया। इनमें से ४ क्लिनिक पैथालोजी में, २ गाइनेकालोजी तथा आब्स-टेक्ट्रिक्स में, ३ एनेस्थीसिया में, ४ आर्थोपीडी में और ४ टियूबर क्लोसिस में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए भेजे गये।

(२) परिचारिकाओं का प्रशिक्षण--नर्सों और मिडवाइफों के प्रशिक्षण का कार्य जारी रहा। परिचारिकाओं के लिए १० प्रशिक्षण केन्द्र, जिनमें सन् १९५६ में गोरखपुर, बरेली, मेरठ और लखनऊ में खोले गये ४ प्रशिक्षण केन्द्र भी सम्मिलित थे, संतोषजनक रूप से कार्य करते रहे। १२६ स्टाफ नर्सों को उनकी सामान्य नर्सों की ट्रेनिंग समाप्त कर लेने के पश्चात् राज्य के अस्पतालों में नियुक्त किया गया। सामान्य परिचारिकाओं के प्रशिक्षण के लिए २०९ उम्मीदवारों को चुना गया किन्तु केवल १५३ ही ट्रेनिंग में शामिल हुईं।

नई दिल्ली के कालेज आफ नर्सिंग (नर्सिंग सर्विसेज) परिचारिका सेवाओं की दो सदस्याओं को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए भेजा गया। परिचारिका सेवाओं की तीन सदस्याओं से, जिन्हें सन् १९५७ में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए इसी कालेज में भेजा गया था, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया और मई, १९५८ में वापिस लौट आईं। एक मैट्रन, जिसे सन् १९५७ में परिचारिका प्रशासन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा गया था, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात् ९ जनवरी, १९५८ को वापस लौट आई। एक मैट्रन ने, जिसे विश्वस्वास्थ्य संगठन की सहायता से नवम्बर, १९५८ में वेलोर के क्रिश्चियन मेडिकल कालेज में नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट के ४ सप्ताह के रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा गया था, दिसम्बर, १९५८ के मध्य तक इस पाठ्यक्रम को पूरा किया।

(३) कम्पाउण्डरों का प्रशिक्षण--आलोच्य वर्ष में कम्पाउन्डरों के प्रशिक्षण के लिए १२ केन्द्र कार्य करते रहे। इनमें से प्रत्येक केन्द्र में ३० छात्रों के भरती किये जाने की व्यवस्था थी। महिला कम्पाउण्डरों की कमी थी। मिडवाइफ-कम्पाउन्डर के सम्मिलित द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए सरकार ने पहले ही छात्रवृत्ति में वृद्धि कर इसे प्रथम वर्ष के दौरान में ७५ रु० प्रतिमास और द्वितीय वर्ष के दौरान में ८१ रु० प्रतिमास कर दिया था। इसका फल अच्छा हुआ और मिडवाइफ-कम्पाउन्डर के लिए अधिक उम्मीदवार आने लगे। मिडवाइफ-कम्पाउण्डरों के वर्तमान वेतन क्रम को संशोधित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था।

(४) टेक्नीशियनों की ट्रेनिंग--एक्स-रे टेक्नीशियनों को ट्रेनिंग सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा में आरम्भ की गयी थी और आलोच्य वर्ष में ४ छात्रों ने अपनी परीक्षा पास की। लेबरो-टरी टेक्नीशियनों की ट्रेनिंग सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा और लखनऊ के मेडिकल कालेज में जारी रही।

(५) सैनीटरी इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग--सैनिटरी इन्सपेक्टरों की ट्रेनिंग में भरती के लिए एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुई। इस परीक्षा में ७३६ उम्मीदवार बैठे और २९ सितम्बर, १९५८ से आरम्भ होने वाली ट्रेनिंग में योग्यता के क्रम से १५८ उम्मीदवार भरती किये गये।

(६) आप्टीशियनों की ट्रेनिंग---अलीगढ़ के गांधी नेत्र चिकित्सालय में जनवरी, १९५८ को आप्टीशियनों तथा रिफ्रैक्शनिष्टों की ट्रेनिंग में १२ उम्मीदवार भरती किये गये। दिसम्बर, १९५८ को जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियनों के ट्रेनिंग कोर्स में लखनऊ के मेडिकल कालेज में १७ और आगरा के मेडिकल कालेज में १२ उम्मीदवार भरती किये गये।

(७) अनुसंधान योजना---राज्य चिकित्सा अनुसंधान परिषद् कार्य करती रही। सन् १९५८-५९ में चिकित्सा अनुसंधान के लिए ५०,००० रु० की एक धनराशि स्वीकृत की गयी। चिकित्सा अनुसंधान विभिन्न विषय, जिनके लिए परिषद् ने सहायता की, निम्नलिखित थे---

(१) उत्तर प्रदेश में गेस्ट्रो-इनट्रोटीज की जांच
(२) गूंगे-बहरेपन का अध्ययन
(३) उत्तर प्रदेश में रिकेट-बुखार संबंधी अनुसंधान
(४) बूकल कैविटी के कैंसर रोग के संक्रमण एवं निदान संबंधी अध्ययन
(५) खाद्य पदार्थों के विटामिन तत्व पर भोजन पकाने का प्रभाव
(६) कानपुर के सूती मिल के मजदूरों में व्ययस्नोसिस और उससे संबंधित कार्डियो-वेस्कुलर रोगों के होने की जांच
(७) आजमगढ़ जिले में हुक वर्मरोग के संक्रमण का सर्वेक्षण
(८) चूहों में प्रयोगात्मक रूप से पैदा किये गये सर्विक्स के कार्सिनोमा नामक रोग का काइरोलाजिक और एसटोलाजिक संबंधी तुलनात्मक अध्ययन
(९) सर्विक में होने वाले कैंसर का सर्वेक्षण
(१०) ट्रेकोमा के गंभीर रोग में ब्लड स्पेक्ट्स एंटीबाइटिक्स के सब कंजक्टाइवल इले-क्शन का प्रभाव
(११) रिकेट और आस्टिओ मेलीशिया के संबंध में अध्ययन
(१२) पथरी पड़ने और उसके घुलने का अध्ययन
(१३) निम्नलिखित के सम्बन्ध में जांच करना---
   (क) बस्ती में पौष्टिक तत्व के स्तर तथा हेलिमन्थिक व प्रोटोजोल के संक्रमण का पारस्परिक संबंध।
   (ख) होमोग्लोबीन के प्रतिशत तथा हेलिमन्थिक व प्रोटोजोल के संक्रमण का पारस्परिक संबंध।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी---उत्तर प्रदेश के मेडिकल फैकल्टी द्वारा सन् १९५८ में संचालित विभिन्न परीक्षाओं के सफल उम्मीदवारों की संख्या निम्न प्रकार है---

परीक्षा	सफल उम्मीदवार
(१) डिप्लोमा नर्सेज परीक्षा	९८
(२) सर्टीफाइड नर्सेज परीक्षा	२९
(३) डिप्लोमेड मिडवाइव्ज परीक्षा	१८९
(४) सर्टीफाइड मिडवाइव्ज परीक्षा	४
(५) हेल्थ विजिटरों की परीक्षा	७९
(६) सेनीटरी इन्सपेक्टरों (खण्ड २) की परीक्षा	१४८
(७) फार्मेसिस्ट्स सर्टीफिकेट परीक्षा (खण्ड २)	२५५
(८) एक्स-रे टेक्नीशियनों की परीक्षा	४
(९) लेबोरेटरी टेक्नीशियनों की परीक्षा	५

चिकित्सा परिषद्---डाक्टरों, हकीमों और वैद्यों के पंजीकरण का कार्य चिकित्सा परिषद् के जिम्मे था। साथ ही यह चिकित्सा आचरण संहिता के लिए भी उत्तरदायी था। आलोच्य वर्ष में परिषद् ने ४०१ डाक्टरों, हकीमों और वैद्यों का पंजीकरण किया।

उ०प्र० नर्स और मिडवाइफ परिषद्——उ० प्र० नर्स और मिडवाइफ परिषद् नर्सों, मिडवाइफों हेल्थ विजिटरों आदि के पंजीकरण करने का, इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का और व्यावसायिक आचरण-हीनता के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने का अपना सामान्य कार्य करती रही।

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित को पंजीकृत किया गया——

(१) नर्स	२०६	(३) सहायक मिडवाइफ	६२
(२) मिडवाइफ	१४८	(४) हेल्थ विजिटर	४०

दन्त चिकित्सा परिषद्——दन्त चिकित्सा परिषद् ने २० दांत के डाक्टरों को भाग क में और २ को भाग ख में पंजीकृत किया। इसने दन्त चिकित्सकों के ३२३ और डेंटल हाइजीनिस्टों के ५३ सर्टिफिकेटों को नया किया। आलोच्य वर्ष में एक डेंटल हाइजीनिस्ट को पंजीकृत किया गया।

विशेष सुविधायें——(१) क्षय रोग——आलोच्य अवधि में राज्य में १० क्षय रोग सनेटोरियम और अस्पताल, २३ क्षय रोग क्लीनिक और कुछ जिला अस्पतालों से संलग्न १४ टी० बी० वार्ड कार्य करते रहे। इनकी शय्याओं की सम्मिलित संख्या १,२०३ थी। क्षय रोग के रोगियों को अधिक संख्या में भरती कर चिकित्सा की सुविधा देने के उद्देश्य से हाथरस में २५ शय्याओं वाला एक नया क्षय रोग का अस्पताल स्थापित किया गया और फिरोजाबाद के क्षय रोग सेनेटोरियम में ६४ अतिरिक्त शय्याओं की व्यवस्था की गयी। मेरठ के प्यारे लाल शर्मा अस्पताल में २० शय्याओं के एक कक्ष (वार्ड) की स्थापना की गयी और बस्ती के क्षय रोग के अस्पताल में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए १८ शय्याओं के एक कक्ष के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। द्वितीय आयोजना-अवधि में राज्य में खोले जाने वाले प्रस्तावित २४ क्षय रोग क्लीनिकों में से गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर और गाजियाबाद में चार क्लीनिकों के स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है। यद्यपि यह क्लीनिक चिकित्सा केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे तथापि इनका मुख्य उद्देश्य निरोधात्मक होगा।

इन उपायों के अतिरिक्त राज्य में एक व्यापक बी० सी० जी० का अभियान १६ बी० सी० जी० की टोलियों द्वारा चलाया गया। सामान्य जनता की, विशेषरूप से कम अवस्था के लोगों की जो इस रोग से शीघ्र प्रभावित होते हैं, प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि करने के प्रयास में।

क्षय रोग नियंत्रण के हेतु क्षय रोग के रोगियों के लिए लखनऊ में एक उत्तर रक्षा एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की योजना थी। इस उद्देश्य के लिए खरीदी गयी इमारत का २ लाख रु० के व्यय से जीर्णोद्धार किया जाना था। यह योजना स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गयी तथा राज्य में अपने प्रकार की प्रथम योजना थी क्योंकि इसके द्वारा निरोग (अच्छे) घोषित किये गये क्षय रोग के रोगियों के लिए एक पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना की आशा थी।

(२) कुष्ठ रोग——कुष्ठरोग के सम्बन्ध में जो योजना थी वह संतोषजनक रूप से कार्य करती रही। इस रोग पर नियंत्रण पाना सल्फोन के आविष्कार से सुविधाजनक हो गया क्योंकि इसके प्रयोग से चर्म में कुष्ठ के कीटाणुओं की संख्या कम हो जाती थी और नाक तथा अन्यत्र के घावों के सूजने में शीघ्रता होती थी। अब मरीज को रखना इतना अनिवार्य नहीं समझा जाता था। अपने सामान्य उद्यम का पालन करते हुए कुष्ठ रोगी की चिकित्सा उसके नगर या गांव में ही की जा सकती है और कुष्ठ आश्रमों को गंभीर रोगियों के लिए रखा जा सकता है। इन बातों के आधार पर सरकार ने एक अध्ययन केन्द्र और ६ सहायक केन्द्रों की स्थापना की। देहरादून स्थित अध्ययन केन्द्र रोग के प्रकार व उसकी तीव्रता का सर्वेक्षण करता था। साथ ही वह चिकित्सा के परिणामों का मूल्यांकन और बी० सी० जी० के टीके के सम्बन्ध में प्रयोग करता था। वाराणसी, मुरादाबाद, बहराइच, गोरखपुर, खीरी और बस्ती के जिलों में कार्यरत सहायक केन्द्र व्यापक पैमाने पर चिकित्सा करते थे। झांसी और हमीरपुर के जिलों में सहायक केन्द्रों के ही समान दो सचल कुष्ठ रोग दल कार्य कर रहे थे। सभी अस्पतालों और चिकित्सालयों को अपने वाह्य विभाग द्वारा कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करने के लिए आदेश दिये गये।

हाल में कुष्ठ रोग निवारण की १८ संस्थाएं थीं जिनमें शय्याओं की संख्या १,५०० थी। इनमें से ३ राजकीय संस्थाए थीं और शेष का प्रबन्ध कुष्ठ निवारण संस्थाओं और निजी संगठनों द्वारा किया जा रहा था। इन निजी संस्थाओं को राज्य सरकार ने २,६०,००० ० वार्षिक का अनुदान दिया।

राज्य में कुष्ठ नियंत्रण कार्यों की देखभाल के लिए और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए एक राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी था। इस समस्या की व्यापकता को देखते हुए हिन्द कुष्ट निवारण संघ के उत्तर प्रदेशीय शाखा को स्वीकृति प्रदान करने का निश्चय किया गया और सहायता कार्यों के क्षेत्र का विस्तार किया गया।

(३) रतिज रोग--अस्पतालों और चिकित्सालयों में और राज्य के मेडिकल कालेजों के रतिज रोग विभागों में रतिज रोगों की चिकित्सा की जाती थी। देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र के अशिक्षित एवं अज्ञान लोगों में इस प्रकार के चिकित्सालय काफी फैले थे। चकराता (देहरादून) में रतिज रोगों का एक अस्पताल था जिसमें मरीजों को भरती कर चिकित्सा की सुविधा सुलभ थी। इसके अतिरिक्त वहां एक सचल रतिज रोग टोली भी कार्य करती रही। इसे एक बड़े गांव से दूसरे बड़े गांव में जाकर और वहां महीने-महीने भर तक ठहर कर रतिज रोगों की व्यापक रूप से चिकित्सा करने के लिए अन्ततः कालसी (देहरादून) में स्थानान्तरित कर दिया गया। इसने जनता में स्वास्थ्य शिक्षा का भी कार्य किया और उन्हें आधुनिक चिकित्सा के लाभों से अवगत कराया।

सम्पूर्ण जौनसार बावर क्षेत्र में 'ब्लैंकेट' उपचार के लिए छिटपुट नमूना सर्वेक्षण की एक योजना पर सरकार विचार कर रही थी।

आलोच्य वर्ष के अन्त तक वाराणसी और मेरठ में दो रतिज रोग क्लीनिक स्थापित किये गये। दो और क्लीनिकों की स्थापना का प्रस्ताव था।

(४) नेत्र चिकित्सा--नेत्र चिकित्सा का कार्य, राज्य के अस्पतालों और चिकित्सालयों में किये जाने के अतिरिक्त, राज्य के ग्राम क्षेत्रों में आंचलिक (जोनल) आधार पर किया जाता रहा। इस कार्य के लिए राज्य ६ अंचलों में विभाजित था। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत मेरठ, वाराणसी और बरेली कमिश्नरियों के मुख्यालयों के सदर अस्पतालों तथा लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में नेत्र चिकित्सा खण्ड स्थापित किये गये। राज्य के विभिन्न जिलों के १० तहसीलों के सदर में, जाड़ों तथा गर्मियों दोनों में सरकारी प्रोत्साहन प्राप्त नेत्र चिकित्सा शिविर खोले गये और इन शिविरों ने आलोच्य वर्ष के लिए निर्धारित २६,००० रु० की धनराशि के ग्राम क्षेत्रों की जनता को नेत्र-चिकित्सा संबंधी सहायता प्रदान की।

आगरा और लखनऊ के मेडिकल कालेजों ने अपने-अपने चिकित्सा विभागों द्वारा नेत्र-चिकित्सा के क्षेत्र म लाभदायक कार्य किया।

अलीगढ़ नेत्र चिकित्सालय ने प्राविधिक देखरेख में अलीगढ़ जिले के अन्तर्राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों में आलोच्य वर्ष में ट्रेकोमा की अग्रगामी योजना के अधीन शल्य चिकित्सा जारी रही। इस प्रकार जो फल प्राप्त हुये उनका अध्ययन करने के लिए नवम्बर, १९५७ में एक अखिल भारतीय सेमीनार हुआ। यह अध्ययन कार्य बाद में सीतापुर जिले में आरम्भ किया गया और वहां के नेत्र चिकित्सालय द्वारा यह कार्य किया गया।

अलीगढ़ नेत्र चिकित्सालय का नेत्र-बैंक आलोच्य वर्ष में अपना कार्य करता रहा।

(५) कैंसर--सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में इलाहाबाद के कमला नेहरू स्मारक अस्पताल के बेगम आजाद वार्ड में २४ शैय्याओं का एक कक्ष (विंग) स्थापित किया गया और इसके रख-रखाव के लिए सरकार ने आवर्तक आधार पर ५१,१८० रु० की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की।

चिकित्सा संस्थाओं को आर्थिक सहायता आदि--सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में गैर सरकारी चिकित्सा संस्थाओं, क्षय रोग के रोगियों आदि की आर्थिक सहायता के लिए बजट में साढ़े ६ लाख रु० की व्यवस्था की गयी।

अस्पताल सील की बिक्री--अस्पताल सील की बिक्री का पांचवां अभियान २६ जनवरी, १९५८ को आरम्भ किया गया। २ अक्तूबर, १९५८ तक एकत्र कुल धनराशि का १० प्रतिशत (१०,९४०) अस्पताल सील के केन्द्रीय लेखा कोष में शामिल करने के लिए उपलब्ध था।

टी०बी०सील की बिक्री--स्थानीय क्षय-निवास योजनाओं को चालू करने और जनता को इस रोग के उत्पन्न होने के कारणों तथा रोकथाम के उपायों से सचेत करने के लिए टी० बी० सील का

बिक्री संबंधी अभियान, जो सन् १९५० से आरम्भ हुआ था, वह इस वर्ष भी चालू रहा। ३१ दिसम्बर, १९५८ तक कुल ११,५१,४०१ रु० एकत्र हुआ।

(ख) आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली

आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता रहा। राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के लिए आवश्यक साज-सज्जाओं एवं प्राविधिक कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी जिससे कि कालेज में प्रतिवर्ष ४० छात्र भरती किये जा सकें। ५० शय्याओं वाले एक वार्ड के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों और व्यय की स्वीकृति दी गयी। आलोच्य वर्ष में जिन कर्मचारियों की स्वीकृति की गयी उनमें ४ लेक्चरर, २ रेजीडेंट मेडिकल आफिसर (आयुर्वेद), ३ हाउस फिजीशियन, १० सिस्टर और नर्स और ५९ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे।

आयुर्वेदिक और यूनानी राजकीय फार्मेसी—उत्तर प्रदेश की आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मेसी ने आलोच्य वर्ष में विभिन्न प्रकार की १,३११ मन आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां तैयार कीं और राज्य के कुल ५९२ राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी संस्थाओं को इनकी सप्लाई की गयी। सन् १९५८–५९ के वर्ष में इसके लिए ४२.४० लाख रु० की व्यवस्था की गयी।

बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन्स, यू०पी०—बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन्स लाभदायक कार्य करता रहा। आलोच्य वर्ष में बोर्ड ने ३७८ वैद्यों और ४८ हकीमों को पंजीकृत किया और इस प्रकार वैद्यों और हकीमों की कुल संख्या, वर्ष के अन्त में, क्रमशः २५,०७५ थी।

आलोच्य वर्ष में बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न आयुर्वेदिक और यूनानी वार्षिक एवं पूरक परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या १,३२९ थी, जिनमें से ८१७ सफल घोषित किये गये।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के पढ़ाई के लिए विभिन्न खंडों का निर्माण कार्य, जिन्हें पहले ही आरम्भ किया गया था, प्रायः पूरा हो चला था। कालेज खण्ड के पहली और दूसरी मंजिल के हाल का, पहली मंजिल पर ४८ शय्याओं वाले एक वार्ड का और आवास के हेतु कुछ क्वार्टरों का निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने को था।

आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणाली की चिकित्सा-शिक्षा पर सन् १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ के वर्षों में कुल व्यय निम्नलिखित है—

वर्ष				व्यय
				रु०
१९५६–५७	..	..	..	३५,०६,२१६
१९५७–५८	..	..	..	३९,४८,५०८
१९५८–५९	..	..	..	३९,२८,७६५

(ग) होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली

बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स, उ० प्र० राज्य के ग्राम क्षेत्रों में २४ होम्योपैथिक चिकित्सालयों का रख-रखाव करता रहा। होम्योपैथिक डाक्टरों का नाम सूची में दर्ज करने एवं उनका पंजीकरण करने का कार्य होम्योपैथिक बोर्ड करता रहा। ३१ दिसम्बर, १९५८, तक ९,११५ होम्योपैथियों का पंजीकरण किया गया। राज्य के विभिन्न होम्योपैथिक अस्पतालों और चिकित्सालयों को १९,८०० रु० के अनुदान स्वीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त अपने चिकित्सालयों को चलाने व उनका अच्छी तरह से रख-रखाव करने के लिए होम्योपैथिक के ६६ योग्य चिकित्सकों को, स्वास्थ्य मंत्री की 'स्वेच्छा-निधि' में से ७,५०० रु० के अनुदान द्वारा उचित आर्थिक सहायता दी गयी। होम्योपैथिक के योग्य डाक्टरों को विदेशों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के हेतु ५,००० ० की व्यवस्था की गयी।

होम्योपैथिक चिकित्सा—राज्य में दो संस्थाएं होम्योपैथिक चिकित्सा प्रदान करती थीं जो उत्तर प्रदेश के बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिन्सि से सम्बद्ध थीं। यह संस्थाएं नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल लखनऊ तथा होम्योपैथिक मेडिकल कालेज अस्पताल इलाहाबाद की थीं।

लखनऊ के नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल के लिए धन की पूरी व्यवस्था सरकार करती थी और इसका प्रबन्ध व नियन्त्रण राज्य सरकार द्वारा निमित्त प्रबन्धक बोर्ड करता था। आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार ने कालेज और अस्पताल के लिए अतिरिक्त धन और कर्मचारियों की स्वीकृति दी। आलोच्य वर्ष में उस संस्था को कुल १,१७,३०० रु० का अनुदान दिया गया। इस अवधि में कालेज में छात्रों की संख्या १४५ थी।

(२) इलाहाबाद का होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल निजी प्रयासों द्वारा चलाया जा रहा था और सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में इस संस्था को सरकार द्वारा १२,००० ० का एक अनावर्तक अनुदान मिला। इस कालेज में छात्रों की संख्याएं ८७ थी।

इन मेडिकल कालेजों का शिक्षा पाठ्यक्रम सन् १९५८ में संशोधित किया गया और ४ वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम को ४-१/२ वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रमों परिवर्तित कर दिया गया जिसमें ६ महीने कालेज में ही कार्य करने का बंधन था।

अध्याय ६

शिक्षा, अनुसंधान इत्यादि

२३—शिक्षा

पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा—सन् १९५८–५९ के वित्तीय वर्ष की नियमित आर्थिक सहायता की सुची में—(१) नन्हीं दुनिया, देहरादून, (२) माडल मांटेसरी स्कूल, कोटद्वारा, गढ़वाल (पौड़ी), (३) रानी शंकर सहाय मांटेसरी स्कूल, उन्नाव, (४) जवाहर विद्यालय, इलाहाबाद, और (५) बाल शिक्षा निकेतन, तुर्रा (रिहन्द बांध, पिपरी) मिर्जापुर के ५ और नर्सरी स्कूलों को सम्मिलित किया गया। इन स्कूलों को आलोच्य वर्ष में रख-रखाव का औसतन लगभग १३,७०९ रु० का एक आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया।

निम्नलिखित १० नर्सरी स्कूलों को, जिन्हें सन् १९५६–५७ और १९५७–५८ की आर्थिक सहायता की नियमित सुची में सम्मिलित किया गया था, औसतन लगभग ५६,२९१ रु० का रख-रखाव आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया—

(१) किशोरी रमन मांटेसरी स्कूल, मथुरा
(२) रघुबीर मेमोरियल बाल मंदिर, अलीगढ़
(३) बाल बिहार नर्सरी स्कूल, हरदोई
(४) शिशु बिहार शाखा (बसंत थियोसोफिकल स्कूल), वाराणसी
(५) शिशु शिक्षा सदन, कानपुर
(६) गांधी बाल निकेतन, बुलन्दशहर
(७) पं० बैजनाथ बाल मंदिर, आगरा
(८) थियोसोफिकल मांटेसरी स्कूल, सीतापुर
(९) चिल्ड्रेन स्कूल, राजघाट, वाराणसी
(१०) लखनऊ मांटेसरो स्कूल, लखनऊ

१४ नर्सरी स्कूलों को उनके रख-रखाव व साज-सज्जा के लिए औसतन लगभग २५,००० रु० का अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया।

प्रारम्भिक शिक्षा

१—**स्कूलों और छात्रों की संख्या**—राज्य में ३१ मार्च, १९५८ को ३७,०४७ बुनियादी प्रारम्भिक पाठशालाएं थी। इनमें पढ़ने वाले बालकों की संख्या ३२,५७,००९ थी। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की तीसरी परियोजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में १,२५० नई बुनियादी प्रारम्भिक पाठशालाएं खोली गयीं।

२—**अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा शिक्षा पर व्यय**—सन् १९५८–५९ के वर्ष के लिए अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय की जाने वाली निम्नतम धनराशि का सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारण किया गया:—

		रु०
(१)	बालकों के लिए जूनियर हाई स्कूल	..७६,१०,४६०
(२)	अनिवार्येतर क्षेत्रों में बालकों के लिये सामान्य प्रारम्भिक पाठशालाएं ..	.. १,६६,९७,१९०
(३)	अनिवार्येत्तर क्षेत्रों में इस्लामिया स्कूल और मकतब	५,९१,५१०
(४)	अनिवार्येत्तर क्षेत्रों में हरिजनों की शिक्षा ..	.. ४,३०,०९०
(५)	अनिवार्येत्तर क्षेत्रों में बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा	.. ११,५२,७४०
(६)	बालकों के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा	.. ११,२८,१८०

	रु०
(७) बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा ..	१६,७२०
(८) भूतपूर्व राजकीय प्रारम्भिक पाठशालाएं	२,८२,६७,७५०
(६) बालिकाओं के लिए जूनियर हाई स्कूल	७,५६,६४०
योग ..	५,६६,८४,२८०

व्यय के इस मद में राज्य का अंशदान ४,८१,६०० रु० और परिषद् का ८८,३२,६८० रु० था।

३—स्कूल की इमारतों तथा साज-सज्जा के लिए अन्तरिम जिला परिषदों को अनावर्तक अनुदान—इस वर्ष अन्तरिम जिला परिषदों को देने के लिए निम्नलिखित कार्यों के हेतु अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये गये—

उद्देश्य	धनराशि
	रु०
(१) अन्तरिम जिला परिषदों के १,३३८ वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों की इमारतों में सुधार	१३,३८,०००
(२) सन् १६५७-५८ में राज्य के ग्राम क्षेत्रों में खोले गये १,२०० नये जूनियर बेसिक स्कूलों का निर्माण	२२,६०,०००
(३) भूतपूर्व राजकीय प्राइमरी स्कूलों की इमारतों का निर्माण	५,६०,२००
(४) सन् १६५८–५६ में खोले गये १,२१७ नये बेसिक जूनियर स्कूलों की इमारतों के निर्माण की मद में	२४,६७,७५०
(५) २६,८१८ वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों का सुधार	२१,८०,५४६ और २२,६१,०००
(६) गांधी योजना के अन्तर्गत बालिकाओं की पाठशालाओं के भवनों का निर्माण	१०,०००
(७) सन् १६५७–५८ में खोले गये १,२०० नये जूनियर बेसिक स्कूलों के लिए फर्नीचर और साज-सज्जा की खरीद ..	१,६६,०००
(८) रामपुर और टिहरी-गढ़वाल जिले में जूनियर बेसिक स्कूलों के लिए फर्नीचर तथा साज-सज्जा की खरीद और भवन निर्माण	२,१०० और ३३,०००

४—वार्षिक वृद्धि के मद में अन्तरिम जिला परिषदों को भुगतान—राज्य सरकार ने अन्तरिम जिला परिषदों को उन्हें अपने अध्यापकों की वेतन-वृद्धि पर होने वाले व्यय के लिए ३०,६४,१६६ रु० के अनुदान की स्वीकृति दी।

५—महंगाई भत्ता के अनुदान का भुगतान—सरकार ने राज्य की अन्तरिम जिला परिषदों को १६,८८,५६२ रु० का अनुदान देने की स्वीकृति दी। यह अनुदान १ जनवरी, १६५७ से परिषद् के अध्यापकों को उनके वेतन में मिला दिये जाने वाले महंगाई भत्ते में सरकार का अंशदान था।

अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा अपने अध्यापकों को १ अप्रैल, १६५७ से ५ रु० प्रतिमास के अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए सरकार ने २८,७०,२१० रु० का एक और अनुदान स्वीकृत किया।

१ जनवरी, १६५७ से नगरपालिकाओं द्वारा अपने अध्यापकों के आधारभूत वेतन में महंगाई भत्ता मिला दिये जाने से होने वाले व्यय में सरकार ने अपने हिस्से की पूर्ति के लिए ८,२३,७७० रु० का एक अनुदान स्वीकृत किया। इसी कार्य के लिए नगरपालिका को देने के लिए ३,८५,०६२ रु० का एक और अनुदान स्वीकृत किया गया।

१ अगस्त, १९५७ से नगरपालिकाओं द्वारा अपने अध्यापकों को ५ रु० प्रतिमास का अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए सरकार ने नगरपालिकाओं को ३,९१,५४५ रु० का एक और अनुदान स्वीकृत किया।

६—अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा—८ नगरपालिकाओं के सम्पूर्ण क्षेत्र में बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा चालू थी। दो नगरपालिकाओं में यह बालकों के लिए लागू थी, पर केवल कुछ क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए लागू थी। ८५ नगरपालिकाओं में यह केवल बालकों के लिए ही लागू थी।

ग्राम क्षेत्रों में २६ जिलों के कुछ चुने हुये क्षेत्रों में यह केवल बालकों के लिए लागू थी। इन चुने हुये क्षेत्रों में से तीन में यह बालिकाओं के लिए भी लागू थी।

४० नगरपालिकाओं को, उन क्षेत्रों में जहां अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा चालू थी, प्राइमरी स्कूलों के भवन बनवाने के लिए ४,००,००० रु० का एक अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया।

७—प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वेक्षण—बुनियादी शिक्षा सर्वेक्षण, जो १९५७ में इस बात की जांच करने के लिए आरम्भ किया गया था कि राज्य के कौन-कौन क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेंड्री स्कूल की व्यवस्था है और किन के लिए नहीं है, तथा किन क्षेत्रों के लिए और अधिक स्कूलों की आवश्यकता है, का कार्य समाप्त हो गया और उसका एक प्रतिवेदन तैयार किया गया।

माध्यमिक शिक्षा—१—जूनियर हाई स्कूलों और छात्रों की संख्या—उत्तर प्रदेश में ३१ मार्च, १९५८ को ३,९८१ जूनियर हाई स्कूल थे तथा उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ४,५६,६०० थी।

२—नये जूनियर हाई स्कूल—द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत सन् १९५८-५९ के वर्ष में आर्थिक अनुदान के आधार पर ३० नये जूनियर हाई स्कूल खोले गये।

३—जूनियर हाई स्कूलों को आर्थिक अनुदान—सरकार ने अन्तरिम जिला परिषदों को देने के लिए १,१२,२२४ रु० की एक अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की। यह धनराशि परिषदों के उस अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए थी जो उनके द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के वेतन-क्रम के संशोधन द्वारा उत्पन्न हुआ था।

४—पुनस्संगठित जूनियर हाई स्कूल—प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत शिक्षित बेकारों की सहायता के लिए केंद्रीय सरकार ने एक योजना प्रेरित की। इससे राज्य सरकार को जूनियर हाई स्कूल के स्तर तक की शिक्षा पद्धति को पुनस्संगठित करने का तथा उनके लिए पाठ्यक्रम में उत्पादनकारी कार्यों का समावेश करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। फलस्वरूप कृषि या किसी एक शिल्प को जूनियर हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में एक केंद्रीय (मुख्य) विषय रूप में शामिल किया गया। सन् १९५८—५९ में पुनस्संगठित जूनियर हाई स्कूलों की संख्या २,२१० थी। इन पुनस्संगठित स्कूलों से लगी हुई कुल भूमि २०,९४४.१९५ एकड़ थी। सन् १९५७—५८ की अवधि में कार्य के उत्पादन में होने वाली आय ८,८३,०६८ रु० थी। पुनस्संगठित स्कूलों में युवक क्लबों के कार्य-कलापों पर अधिक बल दिया गया जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या बढ़कर १,१४७ तक पहुंच गयी।

५—पुनस्संगठित स्कूलों के लाभ के लिए प्रकाशन—आलोच्य वर्ष में पुनस्संगठित स्कूलों के लाभार्थ निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की गयीं—

१—युवक मंगल दलों का संगठन
२—सीनियर बेसिक स्कूलों के संग्रहालय
३—सीनियर बेसिक स्कूलों द्वारा प्रसार कार्य
४—टाट पट्टी
५—सात एकांकी नाटक
६—आदर्श ग्राम्यगीत
७—वार्षिक प्रगति विवरण (१९५६—५७)।

६—जूनियर हाई स्कूलों में सामान्य विज्ञान का प्रचलन—आलोच्य वर्ष में बालकों के ७६ और बालिकाओं के १२ जूनियर हाई स्कूलों में सामान्य विज्ञान (जनरल साइंस) की पढ़ाई आरम्भ की गयी।

७—हायर सेकेन्डरी स्कूलों तथा उनके छात्रों की संख्या—उत्तर प्रदेश में ३१ मार्च, १६५८ को १,५८४ उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं थीं। इनमें से २४६ बालिकाओं के लिए थीं। इनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या ७,२३,३३७ थी।

८—जखानी (वाराणसी) के हायर सेकेन्डरी स्कूल का प्रान्तीयकरण—जखानी में जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र है शिक्षा की अच्छी सुविधा प्रदान करने हेतु आलोच्य वर्ष में जखानी (वाराणसी) हायर सेकेंड्री स्कूल का प्रांतीयकरण किया गया। इस स्कूल में इंटरमीडिएट के स्तर तक कृषि, साहित्य और रचनात्मक वर्गों की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

६—राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं में हिन्दी के अध्यापक—हाई स्कूल की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अधिकांश राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में १२०—३०० रु० वेतन-क्रम के एल० टी० के ग्रेड में हिन्दी अध्यापकों का कोई पद नहीं था। इसलिए अन्य विषयों के अध्यापकों के ३३ फालतू पदों को हिन्दी अध्यापकों के पद में परिवर्तित कर दिया गया।

१०—प्रारम्भिक आर्थिक सहायता—आलोच्य वर्ष में ६८ नये गैर-सरकारी स्कूलों को आर्थिक सहायता की सूची में शामिल किया गया।

११—भवन एवं अन्य अनुदान—स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद शिक्षा का उल्लेखनीय प्रसार हुआ है तथा विशेष रूप से निजी प्रबन्ध के अन्तर्गत हायर सेकेंड्री स्कूलों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कुछ तो आर्थिक सीमाओं के कारण और कुछ इमारती सामानों के न मिलने के कारण स्कूलों की बढ़ती हुई संख्या के साथ-साथ स्कूली इमारतों का निर्माण न हो सका। काफी संख्या में स्कूल अस्वास्थ्यकर इमारतों में चल रहे थे। अतएव सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत इन संस्थाओं की सहायता के लिए एक परियोजना आरम्भ की और इस परियोजना के अन्तर्गत ३५ हायर सेकेंडरी स्कूलों को १०,००० रु० प्रति स्कूल की दर से भवन अनुदान दिया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की एक दूसरी परियोजना के अन्तर्गत नागर क्षेत्रों के १७ हायर सेकेंडरी स्कूलों को खेल के मैदान के लिए, जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, अनुदान दिये गये।

योजना के अन्तर्गत पुस्तकालयों की सुविधा प्रदान करने के हेतु ५०० रु० प्रति स्कूल की दर से ३४० सीनियर बेसिक स्कूलों को आलोच्य वर्ष में अनुदान दिया गया।

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के पुस्तकालयों की दशा में सुधार करने की एक परियोजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में १५० हायर सेकेंडरी स्कूलों को २,५०० रु० प्रति स्कूल की दर से अनुदान दिया गया।

१२—हायर सेकेन्डरी स्कूलों का बहु उद्देशीय स्कूलों में परिवर्तन—हायर सेकेंड्री स्कूलों का बहु उद्देशीय स्कूलों में परिवर्तन करने की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष निम्नलिखित कदम उठाये गये—

(१) अल्मोड़ा और शाहजहांपुर के लड़कियों के लिए राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों की इंटरमीडिएट कक्षाओं में गृह विज्ञान (होम साइंस) की पढ़ाई आरम्भ की गयी।

(२) श्रीनगर (पौड़ी-गढ़वाल) के राजकीय हायर सेकेंड्री स्कूल की इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक रसायन और जीवन विज्ञान के साथ विज्ञान की पढ़ाई आरम्भ की गयी।

(३) कर्ण प्रयाग (पौड़ी-गढ़वाल) के गवर्नमेंट वार मेमोरियल हाई स्कूल का स्तर इंटरमीडिएट तक भौतिक, रसायन, गणित तथा प्राणी विज्ञान के साथ कर दिया गया।

(४) आजमगढ़ का गवर्नमेंट हाई स्कूल (लड़कियों के लिए) का स्तर साहित्यिक वर्ग के साथ इंटरमीडिएट तक कर दिया गया।

(५) काशीपुर (नैनीताल) के लड़कियों के गवर्नमेंट हायर सेकेंड्री स्कूल में साहित्यिक एवं वैज्ञानिक वर्ग के साथ ११ वीं कक्षा आरम्भ की गयी।

(६) इलाहाबाद और झांसी के लड़कियों के गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कालेजों में और फैजाबाद तथा लखनऊ के लड़कों के गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कालेजों में समाज विज्ञान की पढ़ाई आरम्भ की गयी।

(७) पिथौरागढ़, झांसी, रामनगर और टिहरी के गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कालेजों की इंटर की कक्षाओं में वाणिज्य (कामर्स) की पढ़ाई आरम्भ की गयी।

१३—हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् (बोर्ड) —उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड ने आलोच्य वर्ष में ४६ शिक्षा संस्थाओं को हाई स्कूल के रूप में [२ को हाई स्कूल (टेक्निकल)] और ३३ संस्थाओं को इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता प्रदान की। इसके अतिरिक्त १६० संस्थाओं को, जिन्हें पहले से ही मान्यता प्राप्त थी, अतिरिक्त विषयों या वर्गों में मान्यता प्रदान की गयी।

सन् १६५८ की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सफल होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत निम्नलिखित था —

	प्रतिशत
हाई स्कूल	
हाई स्कूल	५१.७६
हाई स्कूल (टेक्निकल)	३३.६६
इंटरमीडिएट	
इंटरमीडिएट	४६.५२
इंटरमीडिएट (टेक्निकल)	८०.००
इंटरमीडिएट (कृषि १)	५६.०७
इंटरमीडिएट (कृषि २)	६३.६४

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की १६५६ की परीक्षाओं में बैठने के लिए उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित थी—

हाई स्कूल	
हाई स्कूल (रेगुलर)	१,५४,८०२
हाई स्कूल (प्राइवेट)	४७,६८१
हाई स्कूल (टेक्निकल)	२८७
योग ..	२,०३,०७०
इंटरमीडिएट	
इंटरमीडिएट (रेगुलर)	५६,३६५
इंटरमीडिएट (कृषि१)	५,२८८
इंटरमीडिएट (कृषि२)	२,३४४
इंटरमीडिएट (टेक्लिकल)	२१
इंटरमीडिएट (प्राइवेट)	३०,६८१
इंटरमीडिएट (कृषि१) } प्राइवेट	१७५
इंटरमीडिएट (कृषि१) } प्राइवेट	११०
योग ..	६५,३१४

बोर्ड की सन् १९५८ की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या निम्न प्रकार थी--

	हाई स्कूल	इंटरमीडिएट
अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी	४५६	२९३
परीक्षार्थियों द्वारा संदेहजनक अनुचित साधन प्रयोग के मामले	५४२	३३३
परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग की शिकायतों की संख्या	९३२	३२
परीक्षा की कापियां गायब होने के मामले ..	१०	३
परीक्षार्थियों द्वारा मारपीट के मामले ..	१०	४
परीक्षार्थियों द्वारा मारपीट की धमकी देने के मामले	३	२
परीक्षार्थियों के लिए धोखे से परीक्षा में बैठने के मामले	४	१

१४--इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९५८--आलोच्य वर्ष में विधान मंडल द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९५८ पारित किया गया। इसके द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों को नौकरी की अधिक सुरक्षा तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गयीं। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थाओं की दशा में सुधार करने के उद्देश्य से उन पर सरकार द्वारा और अधिक नियंत्रण की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत नियमावली तैयार की जा रही थी तथा उन्हें लागू किया जा रहा था।

विश्वविद्यालय की शिक्षा १--वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना--आलोच्य वर्ष में राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी को आधार बना कर वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी।

२--मान्यता प्राप्त डिग्री कालेजों की संख्या--३१ मार्च, १९५८ को सामान्य शिक्षा के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध डिग्री कालेजों की संख्या ८० थी, जिनमें ६९ लड़कों तथा ११ लड़कियों के लिए थे।

३--नये सहायता प्राप्त डिग्री कालेज--आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित डिग्री कालेजों को आर्थिक अनुदान की सूची में सम्मिलित किया गया--

(क) कान्य कुब्ज वोकेशनल डिग्री कालेज, लखनऊ
(ख) विद्यांत हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ
(ग) डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ

४--काशी नरेश राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर (वाराणसी)--काशी नरेश डिग्री कालेज, ज्ञानपुर में सितम्बर, १९५८ से वनस्पति शास्त्र एवं जीव विज्ञान में एम० एस-सी० की कक्षाएं आरम्भ की गयीं। इस कालेज में निम्नलिखित नये पदों का सृजन किया गया--

(१)	बाटनी के सहायक प्रोफेसर का पद यू० पी० ई० एस० जूनियर वेतन क्रम. .	२ पद
(२)	जूलोजी के सहायक प्रोफेसर का पद यू० पी० ई० एस० जूनियर वेतन क्रम. .	२ ,,
(३)	गणित के सहायक प्रोफेसर का पद यू० पी० ई० एस० जूनियर वेतन क्रम. .	१ ,,
(४)	आर्टिस्ट फोटोग्राफर ७५--२०० रु० के वेतनक्रम में	१ ,,
(५)	स्टोर कीपर ६०--११० रु० के वेतन क्रम में	२ ,,
(६)	प्रयोगशाला चपरासी ३२--३७ रु० के वेतन क्रम में	४ ,,

इस कालेज के लिए एक नये छात्रावास और कला भवन (आर्ट बिल्डिंग) के निर्माण के लिए बजट में २ लाख ६९ हजार रु० की व्यवस्था की गयी। वर्ष की समाप्ति पर निर्माण-कार्य चल रहा था।

५--डी० एस० बी० गवर्नमेंट डिग्री कालेज, नैनीताल--डी० एस० बी० गवर्नमेंट डिग्री कालेज का ५ वां पदवीदानोत्सव (कनवोकेशन) ९ जून, १९५८ को हुआ।

विभिन्न विषयों में ३७ छात्र अनुसंधान कार्य कर रहे थे और आलोच्य वर्ष में कालेज के अध्यापकों द्वारा ७५ अनुसंधान पत्र प्रकाशित किये गये।

जनवरी, १९५८ में युवक मंगल योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता प्राप्त एक शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत कालेज के विद्यार्थियों ने देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। कालेज के बनस्पति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल और प्राणिशास्त्र विभागों के विद्यार्थी भी देश के विभिन्न स्थानों में शैक्षिक दौरे पर गये।

६--गवर्नमेंट रजा डिग्री कालेज, रामपुर--जुलाई, १९५८ से गवर्नमेंट रजा डिग्री कालेज, रामपुर में वनस्पति शास्त्र और प्राणिशास्त्र के दो नये विषय आरम्भ किये गये और इस संबंध में भली-भांति सुसज्जित प्रयोगशालाओं की भी व्यवस्था की गयी।

सैन्य शिक्षा--आलोच्य अवधि में गोरखपुर विश्वविद्यालय के एन० सी० सी० युनिट में केडेटों की संख्या १५४ से बढ़ा कर ४७० कर दी गयी। लड़कियों के ट्रूपों की शक्ति भी प्रति ट्रूप ८ केडेट के हिसाब से बढ़ा दी गयी।

केडेटों की कुल संख्या आलोच्य वर्ष में इस प्रकार थी--

(१) सीनियर डिवीजन .. ६,७९३ लड़के और ४९५ लड़कियां
(२) जनियर डिवीजन .. ६,८६४ लड़के और ३१५ लड़कियां

सभी युनिटों के अपने वार्षिक प्रशिक्षण शिविर हुए। यह उनके अपनी संस्थाओं के सामान्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त थे।

रानीखेत में २ दलों में कैडेट और समाज सेवा के सम्मिलित शिविर हुए। सामाजिक सेवा (सोशल सर्विस) कार्य के रूप में लड़के केडेटों द्वारा सामुदायिक प्लान ग्राउन्ड का निर्माण-कार्य किया गया और बालिका केडेटों ने गांव की महिलाओं को सफाई, हाईजीन, स्वच्छता, शिशुकल्याण, कढ़ाई बुनाई आदि की शिक्षा दी।

श्रीनगर में हुए अखिल भारतीय ग्रीष्म प्रशिक्षण शिविर में एक पुरुष अफसर, ४ बालक कैडेट और एक महिला अफसर तथा ४ बालिका कैडेट ने भाग लिया।

सैनिक शिक्षा और सोशल सर्विस ट्रेनिंग--५०० पी०ई०सी० केडेटों और ७५ अध्यापक इंस्ट्रक्टरों के प्रशिक्षण के लिए वार्षिक ग्रीष्म शिविर मई, जून, १९५८ में मंसूरी में हुआ। हथियार के साथ और हथियार के बिना पी० टी० ड्रिल में, प्रारम्भिक फील्ड क्राफ्ट में और नक्शे के अध्ययन में प्रगाढ़ रूप से ट्रेनिंग दी गयी। इस शिविर की अवधि ३० दिन की थी।

पी० ई० सी० का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर फैजाबाद में हुआ। इन शिविरों में लगभग २,००० केडेटों ने ५ दलों में भाग लिया। प्रत्येक शिविर की अवधि १४ दिन की थी।

लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ और देहरादून के सात जिलों में पी० ई० सी० के लगभग १४०० केडेटों को सड़क में महत्वपूर्ण चौराहों पर यातायात नियंत्रण की ट्रेनिंग ट्राफिक पुलिस द्वारा दी गयी।

शारीरिक शिक्षा (फिजिकल एजूकेशन) में प्रशिक्षित न हुए अध्यापकों को पी०टी० में ट्रेनिंग देने के लिए चौथा पाठ्यक्रम १४ नवम्बर, १९५८ से रामपुर के गवर्नमेंट कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन में हुआ। इस पाठ्यक्रम की अवधि तीन मास की थी।

अनिवार्य उपस्थिति, अनुशासन को बनाये रखने और ओहदा प्रदान करने के अधिकार देने के लिए तथा योजना को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए विधान मंडल द्वारा प्रदेशीय शिक्षा दल अधिनियम, १९५८ पारित किया गया। इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत नियम तैयार किये जा रहे थे।

छात्रवृत्ति और अंशदान--सदा की भांति सरकार ने सैनिक स्कूल (भूतपूर्व प्रिंस आफ वेल्स मिलिटरी कालेज) देहरादून और अजमेर तथा नौगांव के किंग जार्ज मिलिटरी स्कूलों के इस राज्य के उम्मीदवारों को अनेक छात्रवृत्तियां प्रदान की। ७५० रु० प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति देहरादून के सैनिक स्कूल

के इस राज्य के एक उम्मीदवार को १ अगस्त, १९५८ से तथा २० जनवरी, १९५९ से प्रारम्भ होने वाले दोनों सत्रों के लिए स्वीकृत किया गया। पहले की छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त इस वर्ष ९:९ मास के लिए पांच-पांच रुपए की ९ नई छात्र वृत्तियां नौगांव के किंग जार्ज मिलिटरी स्कूल के इस राज्य के केडेटों को भी स्वीकृत की गयी।

खड़ग वासला (पूना) स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में सैनिक जीवन अपनाने के लिए इस राज्य के उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने उत्तर प्रदेश के योग्य उम्मीदवारों को योग्यता एवं साधन के आधार पर निम्नलिखित सहायता देने का निश्चय किया—

(१) ३० रु० प्रति मास की एक छात्रवृत्ति, तीन वर्ष तक के लिए
(२) वर्दी के लिए ४०० रु० की एक छात्र वृत्ति

इस विषय में अकादमी के कमाण्डेन्ट से परामर्श चल रहा था। उपरोक्त सहायता उनके सिफारिश पर विचार किए जाने के बाद दी जानी थी।

भारत सरकार के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अधिक से अधिक ६ प्रशिक्षार्थियों में प्रत्येक को ११६ पौंड का अंशदान दिया जाना था। यह अंशदान भारतीय नौसेना में भरती के लिए चुने गए उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के खर्च की मद में उनके अभिभावकों के हिस्से के तौर पर दिया जाना था। आलोच्य वर्ष में इस प्रकार का कोई भी अंशदान न दिया गया क्योंकि भारत सरकार ने किसी उम्मीदवार के नाम की सिफारिश न की।

शिक्षा प्रसार कार्य—शिक्षा प्रसार विभाग ने राज्य के ग्रामक्षेत्रों में स्थित १,३३२ सरकारी पुस्तकालयों का रख-रखाव किया। इनमें इलाहाबाद, लखनऊ और मुजफ्फरनगर जिलों में समाप्त किये गये सामुदायिक केन्द्रों के १५ पुस्तकालय भी सम्मिलित हैं। इन पुस्तकालयों में से ४० विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही थे।

विभाग ने अनेक निजी पुस्तकालयों को उनकी उपयोगिता के अनुसार आर्थिक अनुदान दिये। इन अनुदानों की दर ३६ रु०, ६० रु० और ९६ रु० वार्षिक थी। सन् १९५७–५८ (३१ मार्च, १९५८ ई० तक) के वर्ष में १८८ पुस्तकालयों में ७,९९२ रु० की धनराशि वितरित की गयी।

राज्य के ग्राम क्षेत्रों में फैले हुए ३,६०० वाचनालयों का भी विभाग ने रख-रखाव किया।

विभाग की मासिक पत्रिका नव ज्योति प्रकाशित होती रही। यह सभी राजकीय पुस्तकालयों में भेजी जाती रही। १५ अगस्त, १९५८ के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस पत्रिका का एक विशेष अंक 'निर्माण के पथ पर' प्रकाशित किया गया।

आलोच्य वर्ष में १२ जनवरी, १९५८ से २६ फरवरी, १९५८ तक डेढ़ मास के लिए नव साक्षरों के हेतु साहित्य का सृजन करने के उद्देश्य से लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक 'साक्षरता कार्यशाला' संगठित की गयी। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के शैक्षिक विकास के अन्तर्गत यह कर्मशाला भारत सरकार द्वारा प्रेरित थी। राज्य के सरकारी व गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं के १९ प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। नव साक्षर साहित्य के विभिन्न पहलुओं से उन्हें अवगत कराया गया। इस प्रकार अर्जित अपने ज्ञान का अभ्यास करने के लिए प्रत्येक प्रतिनिधि ने एक एक पुस्तक तैयार की। इनमें से तीन पुस्तकें 'चलो कैलाश चलें', 'वोट किसको दें' और 'सुक्खू के भाग जागे' मुद्रित की गयीं।

दृश्य श्रव्य शिक्षा—आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित फिल्में और फिल्म स्ट्राइप तैयार की गयीं—

फिल्म

(१) नये सिक्के
(२) चीनी
(३) विभागीय समाचार १९५७–५८
(४) सीमेंट की कहानी
(५) ढालू धरती के उपयोग

फिल्म स्ट्राइप

(१) इलाहाबाद
(२) लखनऊ संग्रहालय
(३) अयोध्या
(४) दृश्य श्रव्य सहायता १
(५) दृश्य श्रव्य सहायता २
(६) दृश्य श्रव्य सहायता ३

(३) राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ — (क) क्राफ्ट अध्यापकों की इन सर्विस ट्रेनिंग
(ख) बुनियादी शिक्षा की प्रणाली में अध्यापकों की इनसर्विस ट्रेनिंग।

(५) महिलाओं के लिये राजकीय प्रशिक्षण कालेज, इलाहाबाद--राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय (महिला) ने एल० टी० डिप्लोमा के लिए अध्यापिकाओं को तैयार किया। एक वर्ष के नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ अध्यापिकाओं के लिए कला और भूगोल में इन सर्विस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संगठित किया गया।

(६) महिलाओं के लिए राजकीय कालेज, लखनऊ--राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय (महिला), लखनऊ ने अध्यापिकाओं के लिए २ वर्ष का एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (सी० टी० कोर्स) आरम्भ किया। नियमित सी० टी० कक्षाओं के साथ विद्यालय ने १ सितम्बर, १९५८ से ३ मास की अवधि के लिए गणित में एक इनसर्विस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ किया।

(७) राजकीय नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद--इलाहाबाद का राजकीय नर्सरी ट्रेनिंग कालेज नर्सरी स्कूलों के लिए अध्यापकों को तैयार करता था। आलोच्य वर्ष में इलाहाबाद में आयोजित चित्रकारी तथा पुष्पों एवं गुलदस्तों के सजाने की एक प्रतियोगिता में नर्सरी स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। बालकन जी बारी द्वारा संगठित सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भी कुछ बच्चों ने भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए।

(८) जूनियर ट्रेनिंग कालेज--आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित नये राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज आरम्भ किये गये--

(१) राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, सकलडीहा (वाराणसी),
(२) राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, कांठ (मुरादाबाद),
(३) राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज (महिला), देहरादून।

इस प्रकार राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेजों की कुल संख्या ९ तक पहुंच गयी।

(९) नार्मल स्कूल--आलोच्य वर्ष में तल्लीताल (नैनीताल), दिलीपपुर (प्रतापगढ़), वृन्दावन (मथुरा), आध्यात्मिक नगर (मेरठ), ताड़ीखेत (अल्मोड़ा), रामपुर, ज्वालापुर (सहारनपुर), ज्ञानपुर (वाराणसी), सिन्डी (लखनऊ) और बांसगांव (गोरखपुर) में नये गवर्नमेन्ट नार्मल स्कल खोले गये। इनके अतिरिक्त उन्नाव में लड़कियों के लिए एक नार्मल स्कूल खोला गया। इन नये नार्मल स्कूलों के फलस्वरूप कुल गवर्नमेंट नार्मल स्कूलों की संख्या ६३ तक पहुंच गयी।

(१०) राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय, रामपुर--पूर्व की भांति रामपुर के शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय में ग्रेजुएटों और अंडर ग्रेजुएटों की भरती की जाती रही और उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण में सार्टिफिकेट और डिप्लोमा के लिए प्रशिक्षित किया जाता रहा। सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त विद्यालय ने शारीरिक शिक्षा के अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के हेतु १४ नवम्बर, १९५८ से ११ फरवरी, १९५९ तक एक पुनर्ध्यापन पाठ्यक्रम की व्यवस्था की।

महिलाओं के लिए इलाहाबाद स्थित राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय ने लड़कियों के लिए पी० टी० अध्यापक तैयार किये।

(११) गृह विज्ञान का राजकीय कालेज--इलाहाबाद स्थित गृह विज्ञान का राजकीय विद्यालय, राज्य के बालिका विद्यालयों (गर्ल्स कालेजों) में पढ़ाये जाने वाले गृह विज्ञान के विषय में अध्यापकों को तैयार करता रहा।

मनोविज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश--ब्यूरो आफ साइकोलाजी का नाम ८ अक्तूबर, १९५८ से बदल कर मनोविज्ञान शाला कर दिया गया तथा डायरेक्टर का पदनाम, निदेशक किया गया। सन् १९५८-५९ के सत्र में लड़कों के लिए एटा, अल्मोड़ा, लैंड्स डाउन और रामपुर के राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों में और लड़कियों के लिए नैनीताल के हायर सेकेन्डरी स्कूल में एक-

एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति कर उत्तर प्रदेश में मनोवैज्ञानिक सेवा का और प्रसार किया गया। पूर्वगामी वर्षों की भांति मनोविज्ञान शाला ने, उसके केन्द्रों ने और मनोवैज्ञानिकों ने ८वीं, १०वीं और १२वीं कक्षाओं के लगभग १०,००० विद्यार्थियों को ग्रुप आधार पर शिक्षा संबंधी तथा लगभग ५०० व्यक्तियों को व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा, व्यवसाय और निजी शिक्षा, व्यवसाय और निजी मार्ग प्रदर्शन सम्बन्धी परामर्श प्रदान किये। मनोविज्ञान शाला ने लगभग ११ स्कूलों को ९वीं कक्षा के प्राविधिक पाठ्यक्रमों में भरती करने में तथा १६ स्कूलों को ६ठीं कक्षा में भरती के लिए उम्मीदवार को छांटने में सहायता दी। शुगर टेक्नालाजी के हरकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट को भी भरती करने के कार्य में सहायता दी गयी। रिज़र्व मोटर ड्राइवरों के चुनाव में पुलिस विभाग को सहायता पहुंचायी गयी। भारत सरकार द्वारा विशेष योग्यता पर छात्र वृत्तियां प्रदान करने हेतु उम्मीदवारों की भलीभांति जांच और उनके अन्तिम चुनाव के लिए मनोविज्ञान शाला ने एक चुनाव केन्द्र के रूप में कार्य किया।

'११ प्लस' के बुद्धि और गणित सम्बन्धी परीक्षण के पुनर्प्रतिमानीकरण की एक बड़ी योजना इस वर्ष प्रारम्भ की गयी। इस योजना से सन् १९४१ में जब इन परीक्षाओं का प्रथम बार प्रतिमानीकरण किया गया था, उस समय से अब तक की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा सम्बन्धी प्रगति पर अच्छा प्रकाश पड़ने की सम्भावना है। इस प्रकार के परीक्षण ५५ विद्यालयों में किये गये और दोनों प्रकार के परीक्षणों में से प्रत्येक में '११ प्लस' के लगभग ३ हजार विद्यार्थी इन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए। परीक्षण पुस्तिकाओं का विश्लेषण किया जा रहा था।

पथ प्रदर्शन की टेक्नीक के प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होने के कारण बहुउद्देशीय विद्यालयों में अप्रशिक्षित विद्यालय में मनोविज्ञान वेत्ताओं को इस कार्य के लिए नियुक्त करने के उद्देश्य से एक एक सप्ताह के दो सेमीनारों की व्यवस्था की गयी। वर्ष समाप्त होने पर पथ प्रदर्शन मनोविज्ञान वेत्ताओं के डिप्लोमा के लिए १३ उम्मीदवार मनोविज्ञानशाला द्वारा प्रशिक्षित किये जा रहे थे।

मनोविज्ञानशाला के अन्य कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य लोकप्रिय भाषण माला का था। अभिभावकों, अध्यापकों तथा छात्राध्यापकों को बाल विकास सम्बन्धी आधुनिकतम मनोविज्ञान से परिचित कराने के उद्देश्य से शिक्षा एवं विकास सम्बन्धी विभिन्न मनोवैज्ञानिक विषयों पर ६ भाषण हुए।

स्कूलों के जिला निरीक्षकों के कुछ पदों का स्तर ऊंचा उठाना—

अलीगढ़, झांसी, फैजाबाद और गोरखपुर के जिला निरीक्षकों के पदों का, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा के जूनियर वेतन-क्रम (२५०—८५० रु०) में थे, स्तर उठा कर उ० प्र० शिक्षा सेवा के सीनियर वेतन-क्रम (५००—१,२०० रु०) में कर दिया गया। (फैजाबाद में यह स्तर सन् १९५७ में और अलीगढ़, झांसी तथा गोरखपुर में सन् १९५८ में किया गया)।

संस्कृत पाठशाला के निरीक्षकों के कार्यालय का स्थानान्तरण—

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश की संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक का कार्यालय वाराणसी से हटा कर इलाहाबाद में कर दिया गया।

हिन्दी साहित्य निधि—आलोच्य वर्ष में सरकार ने दुखमय परिस्थितियों में पड़े ४३ लेखकों व कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही सरकार ने सर्वोत्तम हिन्दी पुस्तकों पर ६३,३०० रु०, सर्वोत्तम संस्कृत पुस्तकों पर ४,८५० रु० और सर्वोत्तम उर्दू पुस्तकों पर ७,३०० रु० के पुरस्कार प्रदान किये।

स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की समिति—स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की समिति की स्थापना सन् १९५३ में की गयी थी। इसका उद्देश्य भारत के स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास लिखने के लिए सामग्री का संकलन करने के हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त सम्पादक मण्डल की सहायता करना था तथा साथ ही इसी विषय पर उत्तर प्रदेश के लिये एक अलग इतिहास की सामग्री का संचय करना था। आलोच्य वर्ष में समिति द्वारा अच्छी खासी दो जिल्दें—एक १५ अगस्त, १९५८ को अवध के सम्बन्ध में और दूसरी २६ जनवरी, १९५९ को बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रकाशित की गयीं।

२४—राज्य भाषा

अक्तूबर, १९४७ में राज्य सरकार द्वारा देव नागरी लिपि में लिखी गयी हिन्दी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा के रूप में अपनाने के लिए किये गये निश्चय को कार्यान्वित करने के प्रयत्न जारी रहे। आलोच्य वर्ष में इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किये गये—

(१) १५ अक्तूबर, १९५८ से भाषा विभाग के नाम से एक नए विभाग की स्थापना की गयी। इस विभाग का मुख्य कार्य हिन्दी के सम्बन्ध में सरकार की नीति का कार्यान्वियन सुनिश्चित करना था और साथ ही उत्तर प्रदेश सचिवालय का समस्त अनुवाद कार्य भी करना था।

(२) यह पता लगाने के लिए कि किस सीमा तक सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग किया जाने लगा है और साथ ही कर्मचारियों को अपना कार्य हिन्दी में करने में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने के लिए दिसम्बर, १९५७ में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये विशेष अधिकारी (हिन्दी) ने आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश के जिला स्थित लगभग ७५ कार्यालयों का और उत्तर प्रदेश सचिवालय के कुछ विभागों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने सरकारी कार्यों में हिन्दी का निम्नलिखित प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए—

(क) सभी विभागाध्यक्षों और सचिवालय के सभी विभागों से यह कहा गया कि वे विशेष अधिकारी (हिन्दी) द्वारा भेजे गये निरीक्षण प्रतिवेदन पर ध्यान दें और अपने विभाग का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के ६ सप्ताह के भीतर ही उस पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ उसे राज्य सरकार के पास भेज दें।

(ख) उत्तर प्रदेश के डाक विभाग के अधिकरियों को सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले सरकारी पदनामों के हिन्दी पर्याय से परिचित कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल को सरकारी पदनामों के हिन्दी पर्याय की एक सूची भेज दी गयी और उनसे यह कहा गया कि वे इसे उत्तर प्रदेश के समस्त डाक अधिकारियों के पास प्रसारित कर दें।

(ग) सचिवालय के सभी विभागों से कहा गया कि जहां तक संभव हो सके सभी विभागाध्यक्षों को सरकार आदेश एवं सभी परिपत्र हिन्दी में भेजें। इसी प्रकार विभागाध्यक्षों से भी यह अनुरोध किया गया कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों का अपने सभी आदेश एवं परिपत्र केवल हिन्दी में भेजें।

(घ) सचिवालय के सभी विभागों, सभी विभागाध्यक्षों आदि से हिन्दी सम्बन्धी प्रगति की अर्धवार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से १ जनवरी और १ जुलाई को सरकार के पास भेजने के लिए कहा गया। साथ ही उनसे हिन्दी के सम्बन्ध में की गयी प्रगति का समस्त विवरण भी सरकार के पास भेजने के लिए कहा गया। जिससे कि राज्य सरकार को हिन्दी के सम्बन्ध में की गई प्रगति का वास्तविक चित्र प्राप्त हो सके।

(ङ) सचिवालय के सभी विभागों, सभी विभागाध्यक्षों आदि से यह भी कहा गया कि वे यह देखें कि उनके विभागों में नयी भरती के सभी लिपिक अपना कार्य केवल हिन्दी में ही करते हैं क्योंकि उनसे हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार ने सरकारी कार्यों में हिन्दी पर्याय के सम्बन्ध में परामर्श देने के हेतु नियुक्त की गयी (राज्य हिन्दी शब्द कोष समिति का पुनर्गठन किया)। पुनर्गठित हिन्दी शब्द कोष समिति इस प्रकार थी—

(१) मुख्य मंत्री .. .. अध्यक्ष
(२) गृहमंत्री .. .. उपाध्यक्ष
(३) डा० के० ए० एस० अय्यर, उप-कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय .. .. सदस्य
(४) मुख्य सचिव .. .. ,,
(५) श्री मोती बाबू, विशेष कार्याधिकारी, विधायन विभाग ,,
(६) श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी, विशेष कार्याधिकारी (हिन्दी), भाषा विभाग ,,
(७) श्री कन्हैयालाल मिश्र, एडवोकेट जनरल ,,

(८) श्री कुबेर नाथ सुकुल, प्राध्यापक, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी — सदस्य
(९) श्री भगवती शरण सिंह, सूचना निदेशक, उ०प्र० — "
(१०) श्री गोपाल चन्द्र सिन्हा, विशेष कार्याधिकारी, भाषा विभाग — सचिव, सदस्य

एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम जो इस वर्ष उठाया गया वह था २० जुलाई, १९५८ को एक प्रेस विज्ञप्ति का जारी किया जाना। इसमें राज्य सरकार की भाषा नीति को, उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में उर्दू के स्थान पर विशेष रूप से ध्यान देते हुये दुहराया गया था।

राज्य सरकार ने निम्नलिखित ५ प्रस्तावों को स्वीकार किया जो कि उर्दू के सम्बन्ध में १४ जुलाई, १९५८ को भारत सरकार द्वारा जारी किये गये 'भाषा पर वक्तव्य' में थे।

(१) प्रारम्भिक स्तर पर सभी बालकों के, जिनके माता पिता अथवा अभिभावकों द्वारा उनकी मातृभाषा उर्दू घोषित की गयी हो, उर्दू भाषा की शिक्षा और परीक्षा की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये।

(२) अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए और उर्दू की उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धि के लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

(३) शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भी उर्दू की शिक्षा के लिए सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।

(४) सभी अदालतों और दफ्तरों द्वारा उर्दू में लिखे पत्र-प्रमाण किसी अन्य भाषा में उसके अनुवाद या लिपि परिवर्तन की बंदिश के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए और साथ ही उर्दू में दिये गये आवेदनों और प्रतिवेदनों को भी स्वीकार किया जाना चाहिये।

(५) महत्वपूर्ण कानूनों, नियमों और नियमावलियों तथा विज्ञप्तियों को उन क्षेत्रों में उर्दू में भी जारी किया जाना चाहिए जहां कि यह भाषा प्रचलित हो और इस उद्देश्य के लिए जो निर्दिष्ट किया गया हो।

यह प्रेस विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश के गजट में मुद्रित की गई और उचित कार्रवाई के हेतु सभी विभागाध्यक्षों आदि के पास भेजी गयी।

२५—प्राविधिक शिक्षा बोर्ड और वैज्ञानिक अनुसंधान समिति

प्राविधिक शिक्षा बोर्ड—आलोच्य वर्ष में राज्य में प्राविधिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के हेतु प्राविधिक शिक्षा और प्रशिक्षण के एक राज्य बोर्ड की स्थापना की गयी। ११ अक्तूबर, १९५५ को तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में प्राविधिक शिक्षा के एक राज्य बोर्ड की स्थापना का निश्चय किया गया था। यह भी निश्चय किया गया कि जब तक बोर्ड की स्थापना नहीं हो जाती तब तक के लिए केवल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में भरती एवं परीक्षा आदि की व्यवस्था करने के लिए रुड़की विश्वविद्यालय में एक अस्थायी अथवा काम चलाऊ परामर्शदात्री बोर्ड की स्थापना की जाय। अतएव इस निश्चय के आधार पर, जोकि प्राविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् के सिफारिशों पर आधारित थी, राज्य बोर्ड की स्थापना की गयी। इरादा यह था कि विधिवत् कानूनी तौर पर बोर्ड की स्थापना की जाय पर चूंकि इसमें समय लगता और मामला महत्वपूर्ण था, सरकार ने बोर्ड की स्थापना कार्यपालिका के आदेश द्वारा कर दी। जल्दी ही इसे कानूनी आधार प्रदान करने के लिए विधान मंडल में विधेयक उपस्थित किया जायगा।

(बोर्ड के विधान में यह व्यवस्था है कि उसकी बैठकों की अध्यक्षता सरकार के मुख्य सचिव करेंगे। बोर्ड के अन्य सदस्यों में विकास आयुक्त तथा शिक्षा, उद्योग, श्रम, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई और बिजली विभागों के अध्यक्ष थे। साथ ही इसमें राज्य के प्रमुख उद्योगपति एवं शिक्षाविद् थे।)

बोर्ड की पहली बैठक ३० अक्तूबर, १९५८ को हुई। इस बैठक में तीन महत्वपूर्ण निम्नलिखित निश्चय किये गये —

(१) बोर्ड ने सिविल, इलेक्ट्रिक और मेकेनिकल इंजीनियरिंग तथा टेक्सटाइल, प्रिंटिंग और लेदर (ट्रेनिंग) टेक्नालाजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाली

प्रायः १४ संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने का निश्चय किया। कुछ १२ और इंजीनियरिंग की संस्थाओं को, इस कार्य के लिये बनायी गयी जांच एवं सम्वर्द्धन समिति द्वारा जांच किये जाने के पश्चात् मान्यता प्रदान करने का निश्चय किया गया।

(२) बोर्ड ने सन् १९५९ में सभी परीक्षाओं का संचालन स्वयं करने का निश्चय किया।

(३) बोर्ड ने निम्नलिखित उप-समितियों की रचना की——

(क) परीक्षा उप-समिति,

(ख) पाठ्य पुस्तकें एवं पाठ्यक्रम उप-समिति,

(ग) जांच एवं सम्वर्द्धन उप-समिति——(१) व्यवसाय पाठ्यक्रमों, और (२) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए।

किन्तु, चूंकि प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के सचिव की नियुक्ति इस वर्ष काफी देर से की जा सकी, इसलिए सन् १९५९ में परीक्षाएं लेने के निश्चय में संशोधन कर उसे १९६० से कर दिया गया। जांच एवं सम्बर्द्धन उप-समिति ने जाकर इस कार्य के लिए छांटी गयी १२ सिविल इंजीनियरिंग की संस्थाओं की जांच की और अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया।

(यह बोर्ड एक 'विकास योजना' की परियोजना है, अतः यह केन्द्र से सहायता प्राप्त करने वालों की श्रेणी में आयेगा।)

वैज्ञानिक अनुसंधान समिति——उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक अनुसंधान समिति, जिसका गठन सन् १९४७ में किया गया था, राज्य के विश्वविद्यालयों में एवं विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं में मौलिक और सहायक अनुसंधान कार्यों की निगरानी करती रही तथा अनुसंधान के लिए प्रेरित करती रही। आलोच्य वर्ष में २,६८,३०० रु० की व्यवस्था की गयी जिसमें से २,००,१०० रु० विश्वविद्यालयों और कालेजों में तथा ६०,००० रु० विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं में अनुसंधान के लिए और ८,००० रु० अनेक अनुसंधान मोनोग्राफों के प्रकाशन के लिए स्वीकृत किये गये। कुल मिलाकर इस वर्ष ९१ अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की गयीं।

समिति का कार्य सुचारु रूप से चलाते रहने के लिए अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं में परामर्श देने के हेतु ६ उप-समितियां भी थी।

कृषि, उद्योग और जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों में परामर्श देने के हेतु, निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के लिए समिति की सेवाएं उपलब्ध थीं।

२६——रुड़की विश्वविद्यालय

रुड़की विश्वविद्यालय ने और अधिक प्रगति की। आलोच्य वर्ष में वर्तमान आठ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में फोटोग्रामेटिक इंजीनियरिंग का एक और पाठ्यक्रम शामिल किया गया। भूकम्प इंजीनियरिंग में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल, ग्राम गृह-निर्माण के लिए एक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र और जन-स्वास्थ्य में एक नया अल्पकालिक पुनर्प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आरम्भ किया गया। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय में फाउन्ड्री, काष्ठकार्य और फ्रेक्शनल हार्स पावर मोटर के उत्पादन के लिए एक अग्रगामी प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की भी स्वीकृति दी।

प्राविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् के नेशनल सार्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के स्तर पर ले आने के उद्देश्य से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि २ वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष कर दी गयी।

सिविल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसरों की जगहें जो उपयुक्त अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त पड़ी थीं, अस्थायी तौर पर भरी गईं।

छात्रावास, अस्पताल और आवास की इमारतों के निर्माण का कार्य चलता रहा। डिग्री कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक क्लब भवन का निर्माण-कार्य पूरा किया गया।

२७—भू-तत्व एवं खदान

यह निदेशालय सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत कार्य करता रहा। आलोच्य वर्ष में अवैतनिक निदेशक के पद को पूर्णरूपेण निदेशक के पद में परिवर्तित कर दिया गया और भूरसायन शाखा (जिओ केमिकल सेक्शन) में वैज्ञानिक अनुसंधान समिति द्वारा अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत एक अनुसंधान सहायक की नियुक्ति की गयी। ३१ मार्च, १९५९ को टेक्निकल कर्मचारियों में एक निदेशक, एक जियोलोजिस्ट, चार सहायक जियोलोजिस्ट, एक केमिस्ट और सात टेक्निकल असिस्टेंट्स थे।

निदेशालय का आवर्तक अनुदान सन् १९५७–५८ के ९९,७०० रु० से बढ़ कर सन् १९५८–५९ में १,३८,५०० रु० हो गया।

पंचवर्षीय आयोजना में कटौती किये जाने के फलस्वरूप निदेशालय के लिए नई इमारत की स्वीकृति वापस ले ली गयी और कार्यालय लखनऊ में किराये की इमारत में बना रहा। किन्तु फिर भी रासायनिक प्रयोगशाला और फोटो के कमरे के लिए इमारत में आवश्यक परिवर्तन किये गये।

आलोच्य वर्ष में जो अतिरिक्त सामान खरीदे गये उनका विवरण मूल्य सहित निम्नलिखित है—

(१)	बैरो मीटर	१,१०९ रु०
(२)	माइक्रो फोटोग्राफी के सामान	१,३५२ ,,
(३)	पी० एच० मीटर	१,६८० ,,
(४)	ड्रिल राड	४,६०० ,,
(५)	केसिंग	९,४२१ ,,

खनिजों के खोज का कार्य—चूने के पत्थर, शैलखड़ी, मैगनीसाइट, चूने की मिट्टी और खड़िया के निक्षेपों की जांच का काम पहले की सिफारिशों के अनुसार भूतत्व एवं खदान निदेशालय द्वारा पूर्ववत् किया जाता रहा।

(१) चूना—मिर्जापुर जिले में कोटा नामक स्थान पर कजरहट के चूने के निक्षेपों का सीमेंट और रासायनिक उद्योगों में उनकी उपयोगिता निर्धारण के लिए विस्तृत रूप से मान-चित्र तैयार करने व भूमि छेदन कार्य के लिए कर्मचारियों का एक दल भेजा गया। पहले ही किए गये प्रारंभिक जांचों की सिफारिशों के आधार पर विस्तृत कार्य वर्ष की समाप्ति पर चल रहा था। बांदा जिले में करवी के निकट विन्ध्य पर्वत के तिरोहन चूने के निक्षेपों की जांच का प्रारम्भिक कार्य किया गया किन्तु नमूनों के रासायनिक विश्लेषण द्वारा यह पता चला कि चूने में लगभग १८ प्रतिशत मैगनीशिया मिला हुआ है और इस प्रकार सीमेंट के उत्पादन के लिए वह अनुपयुक्त था।

देहरादून जिले के धोरापट्टी क्षेत्र में गड्ढा खोदकर चूने के निक्षेपों के नमूने की जांच का प्रबंध किया गया। भूमि की सतह पर पहले जो कार्य किये गये थे उनके परिणाम अच्छे रहे।

गढ़वाल जिले में नीलकंठ के निकट ताल चूना निक्षेपों की खोज जारी रही। दो खांइयों से एकत्र किये गये नमूनों के ढेर जांच के लिए जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातु शोधशाला संस्था को भेजे गये।

(२) शैलखंडी और मैग्नेसाइट—पहले के प्रारम्भिक कार्यों की सिफारिशों के अनुसार अल्मोड़ा में जखेरा के आसपास के क्षेत्रों के शैलखड़ी तथा मैग्नेसाइट के निक्षेपों की खोज जारी रही। इन क्षेत्रों में पाये जाने वाली शैलखड़ी से सभी निक्षेप आशाजनक प्रतीत हुए। इन निक्षेपों में और अधिक विस्तृत खोज की आवश्यकता थी और इस सम्बन्ध में उचित प्रयोग किये गये। सुराग और जख हरवर क्षेत्र में मैग्नेसाइट की कुछ अच्छी किस्मों का पता चला। सोमेश्वर के निकट ग्रीछिना से मैग्नेसाइट के नमूने का एक ढेर प्राप्त किया गया और खनिज से धातु मैग्नेशियम निकालने की प्रणाली निर्धारित करने हेतु इसे कराइकुडी स्थित सेन्ट्रल इलेक्ट्रो केमिकल इंस्टीट्यूट में भेजा गया।

(३) चूने की मिट्टी—उन्नाव जिले में अजगैन के निकट बसहा ताल में गड्ढों से चूने की मिट्टी के नमूने एकत्र करने के प्रबंध किये गये। गड्ढे खोदने का काम बन्द कर दिया गया क्योंकि यह खर्चीला सिद्ध हुआ। अन्त में यह निश्चय किया गया कि भूमि छेदन क्रिया द्वारा अथवा बरमा द्वारा गुण सम्बन्धी और परिणाम सम्बन्धी निरूपण किया जाय।

(४) खड़िया—गढ़वाल जिले में रंगरगांव सेरा और लक्ष्मण झूला के निकट पाये गये खड़िया के निक्षेपों की विस्तृत खोज से संबंधित कार्य आरम्भ किया गया। लक्ष्मण झूला के क्षेत्र में ८ मील की दूरी तक, जिसमें कहीं-कहीं चट्टानों में खड़िया पाया गया, जांच की गयी। देशी चट्टानों और खड़िया का मानचित्र बनाया गया तथा खड़िया के महत्वपूर्ण निक्षेपों का बड़ा मानचित्र तैयार किया गया।

(५) सीमा—खनिजों के सम्बन्ध में जो नयी खोजें की गयीं उनमें झांसी जिले में बबीना के निकट तथाकथित सीसे की कच्ची धातु पाये जाने के सम्बन्ध में की गयी खोज भी सम्मिलित है। पर इस सम्बन्ध में यह पता चला कि यह निक्षेप छिटफुट था और इसका कोई व्यावसायिक महत्व नहीं था।

(६) गंधक—अल्मोड़ा जिले में दारगांव के स्थायित्व के जांच के सिलसिले में (जिसके सम्बन्ध में आगे चर्चा की गयी है), कुछ गंधक के सोते पाये गये। मल्लादार में भी एक गरम पानी का सोता पाया गया जिससे किनारों के पत्थरों पर गंधक जमा होती दिखाई दी।

डाइमण्ड ड्रिल टेस्ट—देहरादून जिले में सहस्र धारा स्थित चूने की चट्टानों पर नयी खरीदी हुई लांगइयर २४ डाइमंड ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। ड्रिलिंग मशीन का कार्य सन्तोषजनक पाया गया।

नैनीताल जिले में कुछ पहाड़ियों के किनारों की स्थायित्व के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कहने पर जांच की गयी। स्थायित्व का पता लगाने के लिए जिन स्थानों की जांच की गयी उनमें पनौरा की चोटी (जो राजकीय वेधशाला का निर्माण स्थल है) दानसिंह विष्ट कालेज का क्षेत्र, रईस होटल, पुलिस लाइन की पहाड़ी, बलिया की खार और कालिया खां की पहाड़ी थी।

इंजीनियरिंग सम्बन्धी जिन समस्याओं की जांच की जा रही थी उनमें इलाहाबाद जिले में नैनी के निकट आप्टिकल ग्लास ऐन्ड आप्थेलेजिक फैक्टरी के लिए प्रस्तावित स्थल की जांच भी शामिल थी। इस स्थल का विस्तृत मानचित्र तैयार किया गया। पर अन्त में इस फैक्टरी के स्थापित करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।

इंजीनियरिंग समस्याओं से सम्बन्धित नये जांच के कार्य अल्मोड़ा जिले में किये गये। वहां जिले के अधिकारियों की प्रार्थना पर पट्टी माल डरमा के दार गांव के स्थायित्व के सम्बन्ध में जांच आरम्भ की गई।

सिसमोलाजी सम्बन्धी पूछताछ—२८ दिसम्बर, १९५८ को भूकम्प के जो धक्के लगे थे और अल्मोड़ा जिले के कायकोट क्षेत्र में जो भूकम्प आया था उसके भूतत्व सम्बन्धी कारणों का पता लगाने के लिए जांच आरम्भ की गयी।

मल्ला, तल्ला और विछा दानपुर पट्टियों के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया गया और प्रभाव ग्रस्त क्षेत्रों का भूतत्व सम्बन्धी एवं सतह सर्वेक्षण किया गया। २८ दिसम्बर, १९५८ के भूकम्प के समय पर कम्पन की दिशा का भी अध्ययन किया गया।

रिपोर्ट—भूकम्प का कारण हिमालय का अनुकूलन निश्चित किया गया। आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खदान निदेशालय द्वारा अधिकारियों के समक्ष उपस्थित करने के हेतु निम्नलिखित प्रतिवेदनों के तैयार करने का कार्य किया गया—

(१) दक्षिण-पश्चिमी मिर्जापुर में फायर क्ले डिपाजिट के सम्बन्ध में जांच की रिपोर्ट—प्रतिवेदन के भूतत्व सम्बन्धी अंश का पाठ्य तैयार था और विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने के हेतु अन्य संस्थाओं द्वारा किये गये जांच एवं प्रयोगों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी,

(२) नैनीताल में कुछ पहाड़ियों के किनारों के स्थायित्व सम्बन्धी प्रतिवेदन,

(३) गढ़वाल जिले में नीलकंठ स्थित ताल चूने के चट्टानों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन, यह प्रतिवेदन कुछ विश्लेषणात्मक जांचों के पूर्ण हो जाने के बाद तैयार होनी थी।

(४) मंसूरी के निकट भाटा के संगमरमर के रासायनिक विश्लेषण पर टिप्पणी,
(५) अल्मोड़ा ज़िले के पट्टी मल्ल डरमा के दार गांव के स्थायित्व पर प्रतिवेदन,
(६) सहस्त्रधारा में लांग इयर २४ माडल डाइमन्ड ड्रिल के प्रदर्शन पर प्रतिवेदन,
(७) उत्तर प्रदेश की कुछ नदियों की तलहटी पर प्रतिवेदन ।

२८—राजकीय वेधशाला, नैनीताल

राजकीय वेधशाला, नैनीताल में उपकरणों के विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की गयी। आलोच्य वर्ष में कर्मचारियों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई और भवन निर्माण कार्य क्रम के सम्बन्ध में आगामी दो वर्षों में इसे पूरा करने के लिए कई निर्णय किये गये। मनौरा की चोटी के सिरे तक पहुंचने के लिए सन् १९५६ में १६ फुट चौड़ी एक सड़क का निर्माण किया गया था तथा इसे काठगोदाम और नैनीताल को मिलाने वाली गाड़ी सड़क से जोड़ दिया गया था। चोटी पर बिजली भी उपलब्ध थी। एक बाहरी ट्रांसफारमर भी था जो कि ५० किलोवाट की विद्युत् शक्ति का प्रबंध वेधशाला के लिए कर सकता था और वितरक लाइनों को बढ़ा कर वर्कशाप और कृत्रिम उपग्रह स्टेशन तक ले जाया गया। जून, १९५८ तक कुल २०,११५ रु० की लागत से वेधशाला की बस्ती में बिजली लगाने का काम पूरा किया गया। मनौरा की चोटी पर १०,००० गैलन की क्षमता के एक तालाब की व्यवस्था की गयी और २ इंच के पाइप लाइन से जलाशय को नैनीताल से जोड़ दिया गया। यह कार्य ३२,५०० रु० की लागत पर वर्ष के आरम्भ में ही पूरा किया गया और इस प्रकार इस कार्य के तखमीने के अनुसार २५,००० रु० की बचत की जा सकी। इस वर्ष सेटेलाइट ट्रेनिंग कैमरा की और भू-भौतिक वर्ष प्रयोगशाला की इमारतें, एक ईंधन शेड तथा एक डी०सी० बिजली घर का निर्माण-कार्य पूरा किया गया। चूंकि सेटेलाइट ट्रेकिंग कैमरा की सचल छत जिसे अमरीका की स्मिथ सोनियन वेधशाला ने सप्लाई किया था, आने में अंशतः गायब हो गई थी अतः पूरे-पूरे ढांचे की बनावट और छत खड़ा करने का काम वेधशाला के कर्मचारियों ने मई, १९५८ में किया तथा कच्चे सामानों की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग ने की। प्रशासकीय खंड के लिए सरकार द्वारा ३,५६,००० रु० की एक धनराशि की स्वीकृति दी गई।

१० इंची दरबीन के रखने के लिए एक २५ फुट व्यास वाले गुंबद की ढलाई का कार्य लखनऊ की कृषि कर्मशाला में किया जा रहा था और यह आशा की जा रही थी कि गुंबद का कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायगा। मनौरा की चोटी पर भवन निर्माण हो जाने तक विशेष रूप से प्रशासकीय खंड और आवास गृहों (क्वार्टरों) का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने तक वेधशाला का मुख्य कार्यालय नैनीताल स्थित देवी लाज में ही बना रहेगा।

अभिकरण सम्बन्धी विकास—एक ऐसे २० इंची दूरबीन के लिए आर्डर दिया गया जो कि 'कूड फोकस' पर सूर्य का १४" व्यास का प्रतिविम्ब बना सकता था। सम्बन्धित ब्रिटिश फर्म से प्राप्त सूचना के अनुसार ट्यूब में २२ इंची शीशा सम्बन्धी काम भली प्रकार चल रहा था और यह आशा की जाती थी कि यह यंत्र कुछ ही महीनों में निर्यात के लिए तैयार हो जायगा। फोटो इलेक्ट्रिक फोटो मीटरों के लिए एक १५ इंची एपरचर एल्यूमिनाइज्ड का जिसका प्रयोग 'कासग्रेन फोकस' पर केवल फोटो इलेक्ट्रिक फोटो मीटरी के लिए ही किया जायगा, आर्डर दिया गया और जल्दी ही माल पहुंचन की आशा की जाती थी। आलोच्य वर्ष में एक इचनरऐस्ट्रो फोटोमीटर के लिए भी आर्डर दिया गया।

. **कर्मशाला**—मनौरा की चोटी पर वर्कशाप ने अपना कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया था पर मशीनें खड़ी की जा चुकी थीं।

इलेक्ट्रानिक्स प्रयोगशाला—आलोच्य वर्ष में इलेक्ट्रानिक प्रयोगशाला के लिए जो उपकरण उपलब्ध किये गये उनमें एक ऐवरोसिगनल जेनरेटर, एक १५ के० डब्लू० १०० बोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक बैटरी चार्जर था जो कि बड़ी मात्रा में करेंट की चार्जिंग कर सकता था। यह सब उपकरण उन अनेक उपकरणों के अतिरिक्त थे जो प्रयोगशाला के इलेक्ट्रोनिक साज-सज्जा के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यांत्रिक विकास सम्बन्धी जो परियोजनाएं आलोच्य वर्ष में कार्यान्वित की गयीं वे मुख्यतः फोटो इलेक्ट्रिक फोटोमीटरी से सम्बन्धित थीं। नक्षत्रों के 'लो डिसपरशन स्पेक्ट्रोस्कोपी' के लिए थीं एक स्पेक्ट्रम स्कैनर का, जिसमें आसिलोस्कोपिक टेकनीक का प्रयोग किया गया था, विकास किया गया जिससे कि १/१०० सेकेंड के समय के अन्तर की गणना की जा सके।

समय मानदण्ड—वर्ष के अधिकांश में क्वार्ट्ज घड़ियां बिना किसी रुकावट के चलती रहीं। यह घड़ियां एक सेकेंड के बहुत छोटे अंश तक समय बताने में समर्थ थीं।

अनुसंधान कार्य—आलोच्य वर्ष में वेधशाला में अनुसंधान कार्य मुख्यतः नक्षत्रों की स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो इलेक्ट्रिक फोटोमीटरी, नक्षत्रों के रंग और उनकी आकार सम्बन्धी जांच, एच गामा फोटोमीटरी, एयरग्लो और जोडिकल लाइट आदि के सम्बन्ध में किये गये। फलस्वरूप वेधशाला द्वारा मूल्यवान प्रकाशन निकाले गये।

अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष—अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत वेधशाला ने निम्नलिखित कार्य किये—

(१) कृत्रिम उपग्रहों के मार्ग का दृग्गत पथानुगमन (आप्टिकल ट्रेकिंग),
(२) प्रभा मंडल (अरोरा) निरीक्षण,
(३) मार्को विज केमरा से चन्द्रमा की फोटोग्राफी।

जून, १९५८ के पहले नक्षत्र भवन (सेटेलाइट बिल्डिंग) की सचल छत में 'बेकरन केमरा और तत्सम्बद्ध टाइम स्टेंडर्ड' लगाया गया तथा अक्तूबर से नक्षत्रों को पथानुगमन के लिए इसका नियमित रूप से प्रयोग आरम्भ किया गया। ३१ मार्च, १९५९ तक इसने १५३ उपग्रहों की फोटो ली। यह केमरा मुख्यतः २० इंची एपरचर एफ-१ शित केमरा था जिसे कि सुविधाजनक रूप से उपग्रहों की फोटो उतारने के लिए तीन अक्षों पर खड़ा किया गया था। सिनेमास्कोप पर जिस दृश्य भाग की फोटो ली गयी वह ३०″+५″ थी और स्वचालित प्रणाली के अनुसार केमरे की फिल्म एक चित्र उतारने के बाद अपने आप दूसरे चित्र के लिए घूम जाती थी। पथानुगमन कोण कौणिकवेग आदि सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं स्मिथ सोनियन वेधशाला द्वारा पहले से ही दे दी गयी थीं। फोटो लेने के बाद विपूलेषण के लिए स्थिति की सूचना कैम्ब्रिज और अमरीका को भेज दी गयी। कैम्ब्रिज, अमरीका और नैनीताल को, दोनों स्थानों से एक दूसरी जगह उपग्रह सूचना सम्बन्धी तार भेजने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गयी।

पुस्तकालय—आलोच्य वर्ष में १७० पुस्तकें उपलब्ध की गयीं और इस प्रकार वेधशाला के पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या १,२४० तक पहुंच गयी। आलोच्य वर्ष में पत्र-पत्रिकाओं के ६२ अंक प्राप्त हुये। सन् १९५८ में पुस्तकालय में ५३ पत्रिकाएं मंगाई जाती थीं। पांच पत्रिकाओं के पिछले अंक खरीदे गये। वेधशाला ६० ऐसी वेधशालाओं की आदान प्रदान की सूची पर थीं जो इस वेधशाला के रिप्रिंट के बदले अपने प्रकाशन भेजते थे। १०,००० रु० की लागत से नेशनल जाग्रोफिकल सोसाइटी द्वारा तैयार किया गया साल भर स्काई एटलस भी वेधशाला को प्राप्त होता रहा।

प्रकाशन आदि—आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित प्रकाशन हुए—

(१) 'फोटोग्राफिक आब्जरवेशन आफ मून्स पोजीशन' (जर्नल आफ साइंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में प्रकाशित),
(२) आप्टिकल ट्रेकिंग आफ आर्टीफिशियल सेटेलाइट्स (जर्नल आफ साइंटिफिक ऐंड इन्डस्ट्रियल रिसर्च में प्रकाशित)।

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित शोधन निबन्ध विभिन्न सम्मेलनों में पढ़े गये—

(१) हो प्युपिस नक्षत्र का रंग वविध्य,
(२) एयरग्लो की आक्सीजन रेखा की इंटेंसिटी परिवर्तन सम्बन्धी फोटो इलेक्ट्रिक अध्ययन (भारतीय विज्ञान कांग्रेस),
(३) 'उल्फ रे स्पेक्ट्रास्कोपिक बाइनरी सीक्यु सेफाई' (भारतीय विज्ञान कांग्रेस),
(४) उल्फ रे नक्षत्रों का स्पेक्ट्रा (स्पेक्ट्रास्कोपिस्ट का सम्मेलन),
(५) ट्रेकिंग आफ आर्टीफीशियल सेटेलाइट्स और चन्द्रमा की फोटोग्राफी (अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष संकलन भारतीय विज्ञान कांग्रेस)।

२९—राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय

लखनऊ स्थित राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय (गवर्नमेंट कालेज आफ आर्टस् ऐंड क्राफ्ट्स) निरन्तर प्रगति करता रहा।

आलोच्य वर्ष में विद्यालय को आयोजना बजट के अन्तर्गत ९६, १०० रु० की तथा आयोजनाएतर बजट के अन्तर्गत १,९९,७०० रु० की धनराशि प्रदान की गयी। विद्यालय की इमारत में निर्माण-कार्यों के अतिरिक्त नये फाइन आर्ट्स् और खुले थियेटर का निर्माण-कार्य पूरा हुआ।

विद्यालय में एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई और प्रिंसिपल को उसके प्रशासकीय कार्यों से मुक्ति दे दी गयी। विद्यालय के पुस्तकालय की देखभाल करने के लिए एक योग्य लाइब्रेरियन की और एक जिल्दसाज की नियुक्ति की गयी। मृतिका शाखा के लिए एक मिस्त्री के पद का सृजन किया गया।

विभिन्न कक्षाओं में भरती किये गये विद्यार्थियों की कुल संख्या ४०७ थी। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करने के हेतु भाषणों की एक शृंखला आरम्भ की गयी जिसमें भाषण देने के लिए प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया गया। शैक्षिक भ्रमण भी संगठित किये गये। अध्यापकों और छात्रों के चार दलों ने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और उन्हें भारत की कला, संस्कृति एवं उद्योग का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ।

मई और जून, १९५८ में डिजाइन अनुसंधानशाला के सभी डिजाइन बनाने वाले कलाकारों को कश्मीर की कला और शिल्प का अध्ययन करने के लिए उस राज्य में भेजा गया।

पा येतर कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को भाग लेने की सुविधा प्रदान करने के हेतु विद्यालय में कई समितियों की स्थापना की गयी।

जनवरी, १९५९ में विद्यालय के वार्षिक खेलकूद समारोह का प्रबन्ध किया गया जिसमें विजेताओं को पारितोषिक दिये गये।

मार्च, १९५९ में विद्यालय की २९ वीं वार्षिक प्रदर्शनी आयोजित की गयी। प्रदर्शित वस्तुओं की दर्शकों ने काफी सराहना की।

आलोच्य वर्ष में प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू, मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द, भारत सरकार के राजस्व एवं नागरिक व्यय के मंत्री श्री गोपाला रेड्डी तथा अन्य अनेक सम्मानित अतिथि विद्यालय में आये।

३०—संग्रहालय और पुस्तकालय

राजकीय संग्रहालय, लखनऊ—लखनऊ के राजकीय संग्रहालय की सभी शाखाओं में प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं के रख-रखाव पर उचित रूप से ध्यान दिया गया। इस वर्ष की प्राप्तियों का उचित रूप से अध्ययन किया गया और इनमें से महत्वपूर्ण को प्रदर्शन के लिए रखा गया। स्थानीय तथा बाहरी शिक्षा संस्थाओं से आने वाले छात्रों के दलों को सामान्य रूप से दी जाने वाली सुविधाएं प्रदान की जाती रहीं। संग्रहालय की प्रदर्शित वस्तुओं में जन अभिरुचि उत्पन्न करने के हेतु प्राचीन सिक्कों के इलेक्ट्रोप्लेटेड सांचे, पुराने अभिलेखों के ठप्पे और अति प्राचीन वस्तुओं के फोटोग्राफ प्रसिद्ध विद्वानों के पास भेजे गये। राज्य के छोटे-छोटे संग्रहालयों के अधिकारियों को प्राचीन वस्तुओं के प्रदर्शन एवं उनको सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में प्राविधिक परामर्श दिये गये।

आलोच्य वर्ष में संग्रहालय के नियमित सेवाक्रम में दो जगहें एक लाइब्रेरियन की और दसरी मार्क्समैन की स्वीकृत की गयीं। इनके अतिरिक्त आयोजना की परियोजनाओं में २४ जगहें (सहायक क्यूरेटर का एक स्थान, गाइड लेक्चरर का एक स्थान, माडेलर का एक स्थान, केमिकल असिस्टेंट का एक स्थान, गैलरी असिस्टेंट का एक स्थान, हेड क्लर्क का एक स्थान, एकाउन्टेंट क्लर्क का एक स्थान, स्टेनोग्राफर का एक स्थान, क्लर्क के २ स्थान, चपरासियों के ८ स्थान, फर्राश के २ स्थान, मेहतर का एक स्थान और माली के ३ स्थान) नई की गयीं और उनकी स्वीकृति

समय मानदण्ड—वर्ष के अधिकांश में क्वार्ट्ज घड़ियां बिना किसी रुकावट के चलती रहीं। यह घड़ियां एक सेकेंड के बहुत छोटे अंश तक समय बताने में समर्थ थीं।

अनुसंधान कार्य—आलोच्य वर्ष में वेधशाला में अनुसंधान कार्य मुख्यतः नक्षत्रों की स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो इलेक्ट्रिक फोटोमीटरी, नक्षत्रों के रंग और उनकी आकार सम्बन्धी जांच, एच गामा फोटोमीटरी, एयरग्लो और जोडिकल लाइट आदि के सम्बन्ध में किये गये। फलस्वरूप वेधशाला द्वारा मूल्यवान प्रकाशन निकाले गये।

अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष—अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत वेधशाला ने निम्नलिखित कार्य किये—

(१) कृत्रिम उपग्रहों के मार्ग का दृग्गत पथानुगमन (आप्टिकल ट्रैकिंग),
(२) प्रभा मंडल (अरोरा) निरीक्षण,
(३) मार्को विज कैमरा से चन्द्रमा की फोटोग्राफी।

जून, १९५८ के पहले नक्षत्र भवन (सेटेलाइट बिल्डिंग) की सचल छत में 'बेकरन केमरा और तत्सम्बद्ध टाइम स्टैंडर्ड' लगाया गया तथा अक्तूबर से नक्षत्रों को पथानुगमन के लिए इसका नियमित रूप से प्रयोग आरम्भ किया गया। ३१ मार्च, १९५९ तक इसने १५३ उपग्रहों की फोटो ली। यह केमरा मुख्यतः २० इंची एपरचर एफ-१ शित केमरा था जिसे कि सुविधाजनक रूप से उपग्रहों की फोटो उतारने के लिए तीन अक्षों पर खड़ा किया गया था। सिनेमास्कोप पर जिस दृश्य भाग की फोटो ली गयी वह ३०''+५'' थी और स्वचालित प्रणाली के अनुसार केमरे की फिल्म एक चित्र उतारने के बाद अपने आप दूसरे चित्र के लिए घूम जाती थी। पथानुगमन कोण कौणिकवेग आदि सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं स्मिथ सोनियन वेधशाला द्वारा पहले से ही दे दी गयी थीं। फोटो लेने के बाद विश्लेषण के लिए स्थिति की सूचना कैम्ब्रिज और अमरीका को भेज दी गयी। कैम्ब्रिज, अमरीका और नैनीताल को, दोनों स्थानों से एक दूसरी जगह उपग्रह सूचना सम्बन्धी तार भेजने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गयी।

पुस्तकालय—आलोच्य वर्ष में १७० पुस्तकें उपलब्ध की गयीं और इस प्रकार वेधशाला के पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या १,२४० तक पहुंच गयी। आलोच्य वर्ष में पत्र-पत्रिकाओं के ६२ अंक प्राप्त हुये। सन् १९५८ में पुस्तकालय में ५३ पत्रिकाएं मंगाई जाती थीं। पांच पत्रिकाओं के पिछले अंक खरीदे गये। वेधशाला ६० ऐसी वेधशालाओं की आदान प्रदान की सूची पर थीं जो इस वेधशाला के रिप्रिंट के बदले अपने प्रकाशन भेजते थे। १०,००० रु० की लागत से नेशनल जाग्रोफिकल सोसाइटी द्वारा तैयार किया गया साल भर स्काई एटलस भी वेधशाला को प्राप्त होता रहा।

प्रकाशन आदि—आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित प्रकाशन हुए—

(१) 'फोटोग्राफिक आब्जरवेशन आफ मून्स पोजीशन' (जर्नल आफ साइंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में प्रकाशित),

(२) आप्टिकल ट्रैकिंग आफ आर्टीफिशियल सेटेलाइट्स (जर्नल आफ साइंटिफिक ऐंड इन्डस्ट्रियल रिसर्च में प्रकाशित)।

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित शोधन निबन्ध विभिन्न सम्मेलनों में पढ़े गये—

(१) हो प्युपिस नक्षत्र का रंग ववविध्य,
(२) एयरग्लो की आक्सीजन रेखा की इंटेंसिटी परिवर्तन सम्बन्धी फोटो इलेक्ट्रिक अध्ययन (भारतीय विज्ञान कांग्रेस),
(३) 'उल्फ रे स्पेक्ट्रास्कोपिक बाइनरी सीक्यु सेफाई' (भारतीय विज्ञान कांग्रेस),
(४) उल्फ रे नक्षत्रों का स्पेक्ट्रा (स्पेक्ट्रास्कोपिस्ट का सम्मेलन),
(५) ट्रैकिंग आफ आर्टीफीशियल सेटेलाइट्स और चन्द्रमा की फोटोग्राफी (अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष संकलन भारतीय विज्ञान कांग्रेस)।

२६—राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय

लखनऊ स्थित राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय (गवर्नमेंट कालेज आफ आर्टस् ऐंड क्राफ्ट्स) निरन्तर प्रगति करता रहा।

आलोच्य वर्ष में विद्यालय को आयोजना बजट के अन्तर्गत ६६, १०० रु० की तथा आयोजनाएतर बजट के अन्तर्गत १,६६,७०० रु० की धनराशि प्रदान की गयी। विद्यालय की इमारत में निर्माण-कार्यों के अतिरिक्त नये फाइन आर्ट्स् और खुले थियेटर का निर्माण-कार्य पूरा हुआ।

विद्यालय में एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई और प्रिंसिपल को उसके प्रशासकीय कार्यों से मुक्ति दे दी गयी। विद्यालय के पुस्तकालय की देखभाल करने के लिए एक योग्य लाइब्रेरियन की और एक जिल्दसाज की नियुक्ति की गयी। मृतिका शाखा के लिए एक मिस्त्री के पद का सृजन किया गया।

विभिन्न कक्षाओं में भरती किये गये विद्यार्थियों की कुल संख्या ४०७ थी। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करने के हेतु भाषणों की एक शृंखला आरम्भ की गयी जिसमें भाषण देने के लिए प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया गया। शैक्षिक भ्रमण भी संगठित किये गये। अध्यापकों और छात्रों के चार दलों ने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और उन्हें भारत की कला, संस्कृति एवं उद्योग का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ।

मई और जून, १९५८ में डिजाइन अनुसंधानशाला के सभी डिजाइन बनाने वाले कलाकारों को कश्मीर की कला और शिल्प का अध्ययन करने के लिए उस राज्य में भेजा गया।

पा्ठ्येतर कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को भाग लेने की सुविधा प्रदान करने के हेतु विद्यालय में कई समितियों की स्थापना की गयी।

जनवरी, १९५९ में विद्यालय के वार्षिक खेलकूद समारोह का प्रबन्ध किया गया जिसमें विजेताओं को पारितोषिक दिये गये।

मार्च, १९५९ में विद्यालय की २९ वीं वार्षिक प्रदर्शनी आयोजित की गयी। प्रदर्शित वस्तुओं की दर्शकों ने काफी सराहना की।

आलोच्य वर्ष में प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू, मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द, भारत सरकार के राजस्व एवं नागरिक व्यय के मंत्री श्री गोपाला रेड्डी तथा अन्य अनेक सम्मानित अतिथि विद्यालय में आये।

३०—संग्रहालय और पुस्तकालय

राजकीय संग्रहालय, लखनऊ—लखनऊ के राजकीय संग्रहालय की सभी शाखाओं में प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं के रख-रखाव पर उचित रूप से ध्यान दिया गया। इस वर्ष की प्राप्तियों का उचित रूप से अध्ययन किया गया और इनमें से महत्वपूर्ण को प्रदर्शन के लिए रखा गया। स्थानीय तथा बाहरी शिक्षा संस्थाओं से आने वाले छात्रों के दलों को सामान्य रूप से दी जाने वाली सुविधाएं प्रदान की जाती रहीं। संग्रहालय की प्रदर्शित वस्तुओं में जन अभिरुचि उत्पन्न करने के हेतु प्राचीन सिक्कों के इलेक्ट्रोप्लेटेड सांचे, पुराने अभिलेखों के ठप्पे और अति प्राचीन वस्तुओं के फोटोग्राफ प्रसिद्ध विद्वानों के पास भेजे गये। राज्य के छोटे-छोटे संग्रहालयों के अधिकारियों को प्राचीन वस्तुओं के प्रदर्शन एवं उनको सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में प्राविधिक परामर्श दिये गये।

आलोच्य वर्ष में संग्रहालय के नियमित सेवाक्रम में दो जगहें एक लाइब्रेरियन की और दूसरी मार्क्समैन की स्वीकृत की गयीं। इनके अतिरिक्त आयोजना की परियोजनाओं में २४ जगहें (सहायक क्यूरेटर का एक स्थान, गाइड लेक्चरर का एक स्थान, माडेलर का एक स्थान, केमिकल असिस्टेंट का एक स्थान, गैलरी असिस्टेंट का एक स्थान, हेड क्लर्क का एक स्थान, एकाउन्टेंट क्लर्क का एक स्थान, स्टेनोग्राफर का एक स्थान, क्लर्क के २ स्थान, चपरासियों के ८ स्थान, फर्राश के २ स्थान, मेहतर का एक स्थान और माली के ३ स्थान) नई की गयीं और उनकी स्वीकृति दी गयी।

प्राप्तियों की दृष्टि से यह वर्ष महत्वपूर्ण रहा। संग्रहालय में काफी संख्या में महत्वपूर्ण सिक्के, मूर्तियां, मिट्टी की पकी हुई मूर्तियां, चित्र आदि आये। इनमें प्रकाशदित्य का धनुषधारी चिन्ह वाला एक सोने का सिक्का सबसे महत्वपूर्ण था तथा अभी तक मिलने वाले सिक्कों में यह इस प्रकार का पहला सिक्का है। सोने का एक और सिक्का मिला है जिसमें समुद्रगुप्त का सामान्य चिन्ह है। इससे सिक्कों के संग्रह में एक नई किस्म की वृद्धि हुई है। इसके सामने की ओर खड़े हुए राजा की ओर पीछे की ओर सिंहासन पर बैठी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा है जिस पर, 'श्री विक्रम' अंकित है। प्रस्तर प्रतिमाओं में कुशाण युग (सी० प्रथम ईसवी शताब्दी) की यूनानी लोक कथा 'गेनीमीड का बलात्कार' के आधार पर भारतीय कला के रूप में लाल पत्थर की बनी हुई मूर्ति और नालन्दा कला के अनुसार (सी० आठवीं ईसवी शताब्दी) बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की सुन्दर गढ़ी मूर्ति सर्वाधिक उल्लेखनीय है। मानव वंश विज्ञान शाखा में दो रत्न जटित मंजूषाओं की प्राप्ति सर्व प्रमुख हैं। यह एक ही पत्थर से बनी है (एक मंजूषा में ४ खाने हैं और इसके ढक्कन पर सुन्दर कमल का फल बना हुआ है। दूसरी में उसके ढक्कन पर मूल्यवान् पत्थर जड़े हुये हैं।) यह मंजूषा मुगल काल की है और तत्कालीन उच्च स्तरीय कला को प्रदर्शित करती है। उसी काल का एक दूसरा उल्लेखनीय नमूना एक कटार है जिसकी मूठ और मियान रत्न जटित है तथा उसमें सोने का बारीक काम किया हुआ है और उसमें कीमती रत्न भी जड़े हैं।

चित्रकला शाखा की विशेष उल्लेखनीय प्राप्तियां इस प्रकार हैं—दक्षिणी चित्रशैली के दो छोटे चित्र जिनमें एक में पनघट का और दूसरी में नूरजहां और कंधारी बेगमों का दृश्य है। एक और चित्र कांगड़ा शैली का है जिसमें शिशुओं के आदान प्रदान का दृश्य अंकित है। राजस्थानी शैली की बीकानेरी उप शैली के तीस रागमाला चित्रों का एक सेट और देव कवि के 'अष्टयाम' (संवत १८३८ वि० या १७८० ई०) को प्रदर्शित करने वाले ५३ चित्रों का सेट है। यह सेट राजस्थानी शैली की बुन्देलखंड उप शैली का है जिसके अब तक बहुत कम चित्र प्रकाश में आ पाये हैं।

संग्रहालय के सम्पूर्ण संग्रह को जो कि अभी लाल बारादरी और कैसरबाग की दो इमारतों में हैं, एकत्र रखने के हेतु आधुनिक ढंग की एक नई इमारत का लखनऊ के बनारसी बाग (जुलोजिकल गार्डेन) के अहाते में १३,००,००० रु० की लागत से निर्माण किया जा रहा है। वर्ष की समाप्ति पर निर्माण-कार्य चल रहा था।

पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा—मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के लिए बजट में जिस धनराशि की व्यवस्था की गयी थी उसमें आयोजनाएतर परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि १८,१५० रु० से बढ़ कर २६,१४० रु० हो गयी और आयोजना की परियोजनाओं में यह ३५,६१० रु० से बढ़ कर ४६,४०० रु० हो गयी। आलोच्य वर्ष में सहायक क्यूरेटर, लाइब्रेरियन और मार्कमैन के नये पदों का सृजन किया गया और आर्टिस्ट एवं माडेलर और गाइड लेक्चरर के जिन दो पदों का सृजन पहले ही किया जा चुका था उन्हें इस वर्ष भरा गया। जनवरी, १६५६ में संग्रहालय भवन की छत के पुनर्निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया। इस कार्य में तथा अन्य मरम्मत के कार्यों में १,०६,००० रु० के खर्च होने का अनुमान था।

आलोच्य वर्ष में कुल २५४ संग्रहीत वस्तुओं में प्रस्तर मूर्तियां, शिलालेख, मिट्टी की पकी हुई मूर्तियां तथा अन्य विविध प्राप्तियां थीं। प्रस्तर मूर्तियों में (१) सुन्दर पगड़ी बांधे हुए एक पुरुष का सिर जिसकी दाढ़ी छल्लेनुमा बनी है, (२) बुद्ध का एक विशाल सिर जिसका इस कारण विशेष महत्व है कि मथुरा कला में इस प्रकार के विशाल सिर अलभ्य है, और (३) ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और शिव को प्रदर्शित करती हुई एक ब्राह्म मूर्ति, विशेषरूप से उल्लेखनीय है।

मिट्टी की पकी हुई मूर्तियों में निम्नलिखित उल्लेखनीय रहीं—(१) पकी हुई मिट्टी का एक लोंदा जिसमें अहिक्षत्र की एक आकृति बनी हुई है। यह पांचवीं सदी ईसा पूर्व की है, (२) तोंदवाली एक मानव आकृति जिसकी बनावट साधारण सी है, (३) देवी माता की दो प्राचीन मिट्टी की मूर्तियां, (४) ढले हुए चेहरे सहित दो महिला धड़, (५) सूर्यकालीन एक सुन्दर मृतिका फलक जिसमें एक स्त्री आकर्षक मुद्रा में खड़ी हुई है, उसके दाहिने हाथ में कोई गोली सी वस्तु है और बांया हाथ एक सुन्दर करधनी के किनारे को छू रहा है जिसके झब्बे (फुंदने) धीरे-धीरे उसकी जांघों के बीच गिर रहे हैं, (६) कौशाम्बी

से नागी का एक सिर, यक्ष की एक मूर्ति जिसे खिलौना गाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता था, (७) विष्णु की एक मूर्ति, और (८) एक मृतिका फलक जिस पर संभवतः भैरव का पृष्ठभाग अंकित है और जो छठी और सातवीं शताब्दी का है।

कांसे की मूर्तियों के विभाग में एक आयताकार कांसे का फलक जिसमें चार सौ देवताओं के सम्वतः किरतों के चित्र बने थे, अपने प्रकार का अनोखा नमूना था। यह वस्तु जिसे स्थानीय बाजार से खरीदा गया था, १८वीं शताब्दी की थी।

१८ वीं शताब्दी की राजस्थानी शैली के राग और रागिनियों के २२ चित्रों का एक सेट जो कि अपनी सजीवता और भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति के लिए उल्लेखनीय है, भी उपलब्ध किया गया।

सिक्कों की संख्या बढ़कर २,६०४ तक पहुंच गयी। इस वर्ष कुल १,००६ सिक्कों का संग्रह किया गया, जिनमें १५ सोने के, १५९ चांदी के और ८३२ तांबे के थे।

काफी संख्या में प्राचीन संग्रहीत वस्तुओं की, जिनमें प्रस्तर मिट्टी की पकी हुई और कांसे की मूर्तियां और सिक्के भी थे, भलीभांति सफाई की गयी जिससे कि उन्हें जीर्ण होने से बचाया जा सके। गोदाम में रखी गयी संग्रहीत वस्तुओं की भी समय-समय पर देख-भाल की जाती रही। चूंकि अनेक संग्रहीत प्राचीन वस्तुओं पर लवण का प्रभाव पड़ता था, अतएव इन पर कागज की लुग्दी का प्रयोग किया गया। गैलरी की सभी वस्तुओं को खुली आलमारियों (रैकों) और बक्सों में सजाया गया।

संग्रहालय में प्राचीन संग्रहीत वस्तुओं का अध्ययन और उनकी विवेचना तथा सिक्कों के संग्रह द्वारा प्राप्त ऐतिहासिक आंकड़ों का मूल्यांकन संग्रहालय करता रहा। संकिसा, सारनाथ और श्रावस्ती पर सुन्दर पुस्तिकाएं छप रही थीं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में पूर्व ऐतिहासिक शिला लेख, इतिहास तथा मुद्रालेख आदि विषयों पर लेख भेजे गये।

आलोच्य वर्ष में संग्रहालय देखने अनेक संभ्रांत व्यक्ति आये जिनमें विदेशों के और भारतीय सम्मानित व्यक्ति भी थे।

वर्ष के अन्त में चुनी हुई १४ प्रस्तर प्रतिमाओं और पकी मिट्टी की मूर्तियों का एक सेट पश्चिमी जर्मनी के विला हुगेल में होने वाली प्रदर्शनी में भेजा गया। इसके अतिरिक्त लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय को तीन प्रस्तर प्रतिमाएं स्थायी ऋण के रूप में दी गयीं।

गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, यू०पी०, इलाहाबाद--इलाहाबाद स्थित सेन्ट्रल स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना दिसम्बर, १९५९ में की गयी। इस पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह सन् १८६७ प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट नं० २५ के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्राप्त पुस्तकों द्वारा होता था।

पुस्तकालय के संग्रह शाखा में सन् १९५८-५९ के वर्ष में लगभग ९,६०० पुस्तकों और प्रतिवेदनों की तथा कापी राइट शाखा में १,५०५ पुस्तकों की वृद्धि हुई। आलोच्य वर्ष में ३ हजार से अधिक व्यक्ति इस पुस्तकालय में गये और लगभग चार हजार ुस्तकें पढ़ने के लिए दी गयीं।

बाल साहित्य की चुनी हुई १,००० हिन्दी और अंग्रेजी पुस्तकों का एक संग्रह इस वर्ष पुस्तकालय में शामिल किया गया।

अल्मोड़ा, मथुरा, मेरठ, आगरा, बरेली, कानपुर, झांसी, वाराणसी और गोरखपुर में खोले जाने वाले ९ प्रस्तावित पुस्तकालयों का निर्माण चल रहा था।

पुस्तकालय---सन् १९५८-५९ में २२० सार्वजनिक पुस्तकालयों को कुल १,१३,८०० रु० का अनुदान दिया गया। लखनऊ के अमीनुद्दौला सार्वजनिक पुस्तकालय और इलाहाबाद के सार्वजनिक पुस्तकालय को क्रमशः १७,००० रु० और २१,८०० रु० के रख-रखाव के अनुदान दिये गये। अमीनुद्दौला सार्वजनिक पुस्तकालय को किताबों तथा पत्रिकाओं की जिल्दबंदी के लिए ३,००० रु० का एक अनावर्तक अनुदान दिया गया। इलाहाबाद के सार्वजनिक पुस्तकालय को इमारत की एक नई शाखा के निर्माण के लिए १०,००० रु० का एक अनावर्तक अनुदान दिया गया।

३१—पुरातत्व संग्रहालय

इलाहाबाद स्थित उत्तर प्रदेश के राज्य पुरातत्व संग्रहालय (स्टेट आर्काइवज्) का बजट अनुदान आलोच्य वर्ष में ३८,२०० रु० प्रति वर्ष से बढ़ा कर ७५,२०० रु० कर दिया गया। टेक्नीकल असिस्टेंट के दो तथा प्रिजर्वेशन अफसर और एकाउन्टेन्ट के एक-एक पदों का सृजन किया गया और पुरातत्व संग्रहालय के असिस्टेंट कीपर का एक पद गजटेड बना दिया गया।

जिलों की कलेक्टरियों से पुस्तकालय में कुल ७५६ पुस्तकें प्राप्त हुई और निजी व्यक्तियों से ३ अलभ्य पुस्तकें उपलब्ध की गयीं। पुस्तकालय का अनुदान बढ़ा कर ७०० रु० वार्षिक कर दिया गया तथा पुस्तकालय में पुस्तकों का स्टाक १,३८७ तक पहुंच गया।

जहां तक अभिलेखों के प्राप्त करने का प्रश्न था, वहां आगरा कमिश्नरी से ऐतिहासिक अभिलेखों की १,२४२ पत्रावलियां थीं और वाराणसी कमिश्नरी से ६६१ पत्रावलियां और १२६ पुस्तकें थीं। इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड से राजस्व अभिलेखों की १,५०० पत्रावलियां थीं। अभिलेखों को जांचने, उनका वर्गीकरण करने और उन्हें उनके मूल कार्यालयों के अनुसार आलमारियों में सजाने का सामान्य कार्य किया गया।

जुलाई, १९५८ में सरकार ने सचिवालय की पांडुलेख शाखा को तोड़ देने का निश्चय किया और यह कार्य इलाहाबाद स्थित राज्य पुरातत्व संग्रहालय को सौंप दिया गया। फलस्वरूप सचिवालय की पांडुलेख शाखा द्वारा सन् १९५७–५८ और १९५८–५९ में संग्रहीत किये गये २,५६५ रु० मूल्य के १२१ पांडुलेखों, १७५ पत्र-प्रमाणों (डाक्यूमेंट्स), ८ मुद्रित पुस्तकों और एक फोटोचित्र (फोटो स्टेट कापी) को सुरक्षित रखने एवं उनके रख-रखाव के लिए राज्य पुरातत्व संग्रहालय में जमा कर दिया गया।

आलोच्य वर्ष में सहारनपुर के जिला जज ने राज्य पुरातत्व संग्रहालय को ४६ अनोखे मूल पत्र-प्रमाण सौंपे।

राज्य और बाहर की संस्थाओं तथा अधिकारियों को आलोच्य वर्ष में जो सूचनाएं एवं परामर्श दिये गये उनमें दीमकों की कठिनाई, पांडुलेखों को सुरक्षित रखने तथा अभिलेखों की छटाई के सम्बन्ध में सूचनाएं सम्मिलित थीं।

अभिलेखों के १९० गट्ठरों को, इस कार्य के लिए निर्मित दो विभिन्न कमरों में पैराडाईक्लो बेंजीन तथा थाइमोल से धूप दिया गया। मरम्मत किये गये पत्र-प्रमाणों की संख्या ३७३ थीं और ऐसी पुस्तकों की संख्या जिनकी जिल्दबंदी की गयी तथा जिन पर चमड़ा सुरक्षित रखने के खोल का प्रयोग किया गया १९८ थी। कुल ३,९५२ पृष्ठों को सीधा किया गया, ६,६०४ पृष्ठों में गार्ड लगाये गये और २४७ पृष्ठों में कश्मीर शेफान चिपकाया गया। हाथ से चिपकाने का कार्य (लैमिनेशन कार्य) न किया जा सका क्योंकि विदेशों से सेलूलोज एसिटेट फाइल प्राप्त न किया जा सका। मरम्मत के कार्य के लिए भारत के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय द्वारा तैयार की गयी डेक्सट्रिन की लुगदी और आंटे की लेई का प्रयोग किया गया।

मुद्रण के लिए निम्नलिखित संकलन तैयार किये गये—

(१) सेलेक्शंस फ्राम इंगलिश रेकार्डस, बनारस अफेयर्स (१८११–१८५९) (खंड २),
(२) सेलेक्शंस फ्राम ओरिएंटल रेकार्डस्–एकैलेन्डर आफ ओरिएंटल रेकार्डस् (खंड ३),
(३) बुन्देलखंड अभिलेखों की प्रेस सूची।

पुरातत्व संग्रहालय में अभिलेखों के देखने की आज्ञा नियमानुसार १९ अनुसंधान स्नातकों को दी गयी। इनमें से १४ ने इस प्रकार दी गयी आज्ञा का उपयोग किया। इन १४ रिसर्च स्कालरों में से ३ अमरीका और १ आस्ट्रेलिया के थे।

अभिलेखों को नष्ट होने से बचाने के कार्य की ओर भी ध्यान दिया गया। भारत सरकार ने अभिलेखों का एक ऐसा राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का विचार किया जिसमें पाण्डुलेखों के प्राप्त होने का स्थान, उनका वर्णन, उनकी दशा, उनका महत्व और उनके स्वामियों के पता आदि का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाय और साथ ही इस बात का भी उल्लेख उसमें किया जाय कि किन शर्तों पर

पांडुलेख के स्वामी उसे देने अथवा उसकी प्रतिलिपि करने या उसके सम्बन्ध में अनुसंधान करने की सुविधाएं दे सकते हैं।

यह कार्य आंचलिक अभिलेख सर्वेक्षण समितियां तथा राज्य के इसी प्रकार के अन्य संगठनों के सहयोग से भारत के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय द्वारा किया गया।

उत्तर प्रदेश की पुनस्संगठित आंचलिक अभिलेख सर्वेक्षण समिति ने अगस्त, १९५८ की अपनी बैठक में यह निश्चय किया कि इलाहाबाद जिले में निजी व्यक्तियों के पास जो पांडुलेख एवं अभिलेख हों उनका पता लगाया जाय। फलस्वरूप कार्यवाही आरम्भ की गयी और अधिकारियों के एक दल को केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय द्वारा सिराथू तहसील भेजा गया। नवम्बर, १९५८ और मार्च, १९५९ के बीच इस दल ने पांडुलेखों के स्थानीय मालिकों से सम्पर्क किया और काफी महत्वपूर्ण सामग्री की रक्षा की।

मार्च, १९५९ में उत्तर प्रदेश की आंचलिक अभिलेख सर्वेक्षण समिति द्वारा ४० पांडुलेख एवं ७३८ पत्र-प्रमाण जिनका पता उक्त दल ने लगाया था, खरीद लिये गये। इस स्थान के एक भूतपूर्व जमींदार ने, नाममात्र के मूल्य पर अपने संग्रह को दे देने के अतिरिक्त राज्य के पुरातत्व संग्रहालय को २१ महत्वपूर्ण पत्र-प्रमाण प्रदान किये। इनके अतिरिक्त उक्त दल ने सिराथू तहसील में १६ पांडुलेख, १७ पत्र-प्रमाण और ३० चित्रों का पता लगाया।

मार्च, १९५९ में आंचलिक अभिलेख सर्वेक्षण समिति ने पुरातत्व संग्रहालय के कीपर से ६९६ पत्र प्रमाणों, ७,३५७ पांडुलेखों और २ लीथोग्राफ पुस्तकों के खरीदने की सिफारिश की। इन्हें बाद में प्राप्त कर लिया गया।

आंचलिक अभिलेख सर्वेक्षण समिति का पुनस्संगठन जून, १९५८ में जारी की गयी एक आज्ञा के अनुसार किया गया था। इस समिति का कार्य क्षेत्र बढ़ा कर इस प्रकार कर दिया गया था जिससे कि उसके अन्तर्गत ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक मूल्य के पांडुलेख एवं पत्र-प्रमाण भी आ जायं।

आंचलिक समिति ने मथुरा और वाराणसी के पांडुलेखों के संग्रह की जांच करने के लिए एक उप-समिति की स्थापना की सिफारिश की। ऐसा मान लिया गया कि इस उप-समिति की सिफारिशें आंचलिक अभिलेख सर्वेक्षण समिति की ओर से की गयी हैं। सरकार ने एक उप-समिति की नियुक्ति की और इसकी सिफारिशों पर २८,८०५ रु० मूल्य के पांडुलेख एवं पत्र-प्रमाण खरीदे गये। कुल मिलाकर ९७६ पत्र-प्रमाण ७,४७४ पांडुलेख, ४३ ताड़पत्र पांडुलेख और २ लीथोग्राफ पत्र प्रमाण प्राप्त किये गये। इस वर्ष कागज के जो पांडुलेख प्राप्त किये गये वे संस्कृत, फारसी, राजस्थानी, हिन्दी, मराठी और बंगला में थे जबकि ताड़पत्र पांडुलेख मेवाड़ी, कन्नड़, मैथिली और उड़िया लिपि में थे।

इन पांडुलेखों में जिन विषयों का उल्लेख था उनमें वैदिक साहित्य, व्याकरण, छन्द शास्त्र, कोश कला शास्त्र, भारतीय दर्शन की प्रणालियां, धर्म स्तोत्र, शास्त्र, इतिहास, काव्य, ललितकला, चिकित्सा, ज्योतिष और तन्त्र विद्या थे।

इन पांडुलेखों ने भाषा विज्ञान, साहित्य, दर्शन और चिकित्सा में अनुसंधान करने की सामग्री प्रदान की।

समुचित अनुसंधान के लिए जारी किये गये उद्धरणों के अतिरिक्त सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर निजी व्यक्तियों को पुरातत्व संग्रहालय से सूचनाएं उपलब्ध की गयीं। सन् १९५८–१९५९ में १९ पूछताछ की गयीं जिनमें १५ सरकारी विभागों से थे। इनमें से ६ मामलों में सूचनाएं दी गयीं, ७ मामलों में पत्र-प्रमाण उपलब्ध नहीं थे और वर्ष की समाप्ति पर २ मामलों के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्र की जा रही थीं। इनमें से अधिकांश पूछताछ उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड द्वारा की गयी थी और उन्हें मूल पत्र-प्रमाण भेजे गये।

सरकार द्वारा निम्नलिखित सम्मेलनों में पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष (कीपर) को भाग लेने के लिए भेजा गया—

(१) दिसम्बर, १९५८ में त्रिवेन्द्रम में हुये भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के ३४वें अधिवेशन में,

(२) सितम्बर, १९५८ में नई दिल्ली में हुई अनुसंधान एवं प्रचार समिति की २७वीं बैठक में और दिसम्बर, १९५८ में हुई बैठक में,

(३) सितम्बर, १९५८ में नई दिल्ली में हुई और दिसम्बर, १९५८ में त्रिवेन्द्रम में हुई पुरातत्व संग्रहालयों की समिति की ९ वीं और १० वीं बैठकों में,

आलोच्य वर्ष में एक माइक्रो फिल्मिग यूनिट और फोटो कापियर की स्थापना की गयी तथा पत्र-प्रमाणों के कार्यों में अच्छी प्रगति की जा रही थी।

३२––साहित्यिक प्रकाशन

सन् १९५८–५९ के वर्ष में पंजीकृत किये गये कुल प्रकाशनों की संख्या १,५०५ थी। इनमें से ९४१ प्रकाशन हिन्दी में और ७५ उर्दू में थे। इनमें से एक रोमन लिपि में था। ३१९ पुस्तकें अंग्रेजी में, ५९ संस्कृत में, ४ बंगला में, १ गुरमुखी में और १ संथाली में थी। विभिन्न विषयों पर ९४ पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं जिनमें अंग्रेजी तथा हिन्दी की भी थीं। भाषा पर, जिसमें साहित्य भी सम्मिलित है, सब से अधिक अर्थात् ३०७ प्रकाशन हुए, अन्य मुख्य विषयों पर प्रकाशनों की संख्या इस प्रकार थी––

कविता	२६९	चिकित्सा	२२
धर्म	१८४	इतिहास	१८
उपन्यास	८९	भूगोल	१९
विज्ञान	६६	कृषि	९
कानून	५२	राजनीति	१९
जीवन चरित्र	४०	अर्थशास्त्र	१५
गणित	३८	दर्शन	१६
वाणिज्य	२९	इंजीनियरिंग	११
संगीत	२७	स्वास्थ्य और सफाई	१०
नाटक	१७८	समाज शास्त्र	४६
कला और शिल्प (प्रत्येक)	२३	शिक्षा	९
		विविध	१४६

आठ विषयों पर प्रकाशन ९ से भी कम थे। नेचर स्टडी पर कोई भी प्रकाशन पंजीकृत नहीं किया गया।

३३––सूचना और प्रसार

सूचना विभाग ने पूर्व की भांति सरकार के विभिन्न कार्य-कलापों से जनता को अवगत कराने के हेतु पत्रिकाएं, पैम्फलेट, संवादपत्र, फोटोग्राफ, फोटोग्राफर, फिल्म, रेडियो आदि विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों, सम्पादकों और भारतीय एवं विदेशी पत्रों के प्रतिनिधियों को विभिन्न विकास योजनाओं तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का दौरा करने में सुविधाएं प्रदान की गयीं।

पत्रिकाएं, पैम्फलेट आदि––विभागीय प्रकाशनों से सम्बन्धित कार्य जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व था, प्रकाशन शाखा द्वारा किये जाते रहे। ऐसा साहित्य जिसका उद्देश्य सरकार के विभिन्न विभागों के राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी कार्यों का विवरण देना था, अधिकांश निःशुल्क वितरित किया जाता था। आलोच्य वर्ष में ५८ पुस्तिका, ११ पोस्टर और भित्ति चित्र और १३ फोल्डर तैयार किये गये तथा समस्त राज्य में इनका वितरण मुफ्त किया गया। १७ समूल्य प्रकाशन भी तैयार किये गये।

पूर्वगामी वर्षों की भांति उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य (हिन्दी पाक्षिक), त्रिपथगा (हिन्दी मासिक) उत्तर प्रदेश (अंग्रेजी मासिक), नयादौर (उर्दू मासिक) प्रकाशित किये जाते रहे किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य का प्रकाशन उसके गणतंत्र दिवस अंक (जनवरी, १९५९ में प्रकाशित) के बाद बन्द कर दिया गया और 'ग्राम्या' नामक एक हिन्दी साप्ताहिक, जो मुख्यतः ग्राम क्षेत्रों की समस्याओं से सम्बन्धित था, १२ फरवरी, सन् १९५९ से आरम्भ किया गया।

इन पत्रिकाओं की समूल्य प्रति नियमित रूप से ग्राहकों को भेजी जाती रही तथा साथ ही एक स्वीकृत वितरण सूची के अनुसार इनकी कुछ प्रतियां निःशुल्क भी वितरित की जाती रहीं।

सदा की भांति वार्षिक डायरी और सूचना पंचांग समूल्य प्रकाशनों के रूप में प्रकाशित किये गये।

पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कुछ लाभप्रद पुस्तिकाएं, फोल्डर, पोस्टर आदि भी आलोच्य वर्ष में तैयार किये गये।

प्रकाशनों से आय—विभिन्न समूल्य प्रकाशनों की बिक्री का कार्य बिक्री शाखा द्वारा देखा जाता रहा। विभागीय प्रकाशनों का और भारत सरकार के प्रकाशनों की बिक्री का कार्य विभाग के सेल डिपो अर्थात् सूचना साहित्य, लखनऊ द्वारा किया जाता रहा। डिपो में बिक्री से होने वाली आय १६,१४० रु० थी जबकि सन् १९५७ ई० के वर्ष में यह आय ११,६०६ रु० थी। सन् १९५८-१९५९ में प्रकाशनों से हुई कुल आय जिसमें उक्त धनराशि भी सम्मिलित है तथा अन्य विभागीय पत्रिकाओं की बिक्री से तथा विज्ञापन आदि द्वारा होने वाली आमदनी सम्मिलित है, २,७०,६२६ रु० थी, जिसमें उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य के ग्राहकों की बकाया वसूली का १,७१,८६९ रु० भी सम्मिलित है।

समाचार-पत्रों द्वारा प्रचार—जहां तक समाचार-पत्रों के माध्यम द्वारा प्रचार का सम्बन्ध है, विभाग की पत्र सूचना शाखा द्वारा आलोच्य वर्ष में १,२२९ प्रेस विज्ञप्तियां, ५० साप्ताहिक-पत्र समीक्षाएं (जिनमें १,३६० संवाद थे), ४९ साप्ताहिक समाचार समीक्षाएं, ८० विशेष लेख और ३० रेडियो वार्ताओं के मूलपाठ जारी किये गये और इन्हें राज्य के ४१८ दैनिक और साप्ताहिक हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के समाचार-पत्रों को भेजा गया।

विकास योजनाओं के प्रचार के हित में दिसम्बर, १९५८ में पत्र सूचना शाखा का पुनर्संगठन किया गया। इनका कार्यकाल अब ८ बजे प्रातःकाल से ११ बजे रात तक कर दिया गया, जिससे कि कोई भी सूचना रात में देर से या सबेरे प्राप्त हो तो उसे अविलम्ब समाचार-पत्रों को भेजा जा सके।

आकाशवाणी के लखनऊ केन्द्र के क्षेत्रीय बुलेटिन के लिए पहले की भांति सामग्री दी जाती रही।

विशेष पत्र प्रतिनिधियों के भ्रमण परियोजनाओं के विषय में राज्य के विशेष स्थानों में पत्र प्रतिनिधियों के भ्रमण करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किया जाता रहा। आलोच्य वर्ष के पत्र प्रतिनिधियों के एक भ्रमण में राज्य के पश्चिमी जिलों से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के सम्पादकों अथवा उनके प्रतिनिधियों ने इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर का भ्रमण किया तथा ऐतिहासिक विकास सम्बन्धी एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थान दिखलाये गये। जम्मू और कश्मीर के प्रमुख ९ पत्रकारों को भी राज्य की बड़ी-बड़ी विकास परियोजनाओं को दिखलाया गया। उन लोगों ने सरकार द्वारा किये गये कार्यों की सराहना की और अपने समाचार-पत्रों में अपने दौरे का विवरण रोचक तथा सारगर्भित ढंग से प्रकाशित किया।

राज्य में कुछ प्रमुख विदेशी पत्रकारों का आगमन जिनमें एक उच्च पत्रकार, एक प्रमुख भारतीय पत्र का विदेश स्थित प्रतिनिधि, एक इटली का पत्रकार, न्यूयार्क टाइम्स का विशेष प्रतिनिधि और पश्चिमी जर्मनी के सम्पादकों की एक टोली भी थी, विशेष उल्लेखनीय है। इनके भ्रमण के समय आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गयीं। संसद के सदस्यों को भी जो कि फरवरी, १९५९ में संसद सदस्यों के एक सम्मेलन में एकत्र हुये थे, परियोजनाओं के अन्तर्गत की गयी वास्तविक प्रगति का स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के और उत्तर प्रदेश में भारी उद्योगों की आवश्यकता अनुभव करने के उद्देश्य से राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं को दिखलाया गया।

सूचना केन्द्र—जिलों के मुख्यालयों पर ५० सूचना केन्द्र (जिसमें लखनऊ स्थित राज्य सूचना केन्द्र सम्मिलित नहीं है) और अन्य नगरों में ६२ सूचना केन्द्र विभाग की देखरेख में कार्य कर रहे थे। इन केन्द्रों से सम्बद्ध भलीभांति सुसज्जित पुस्तकालय एवं वाचनालय थे तथा यह सरकार के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं से जनता को परिचित कराने में एक महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे थे। प्रत्येक केन्द्र में काफी संख्या में शिक्षाप्रद चार्ट और पोस्टर थे और अधिकांश में रेडियो सेटों की भी व्यवस्था थी। यह केन्द्र प्रतिदिन ६ से ८ घंटे तक खुले रहते थे। प्रत्येक तहसील सूचना केन्द्र एक केयर टेकर के अधीन होता था, जिसके ऊपर सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारी का सामान्य नियंत्रण रहता था।

लखनऊ स्थित राज्य सूचना केन्द्र लाभदायक सेवा करता रहा। इसके महिला एवं बालकक्ष ने इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ा दी और इसमें जाने वालों की संख्या में जोकि पहले से ही काफी थी और अधिक वृद्धि हुई। केन्द्र के वाचनालय के लिए विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को मंगाया जाता रहा। इसके पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें एवं प्रतिवेदन काफी बड़ी संख्या म थी।

आलोच्य वर्ष में ६ अतिरिक्त तहसील केन्द्रों की स्थापना का निश्चय किया गया, जहां पर कि अभी तक ऐसे केन्द्र न थे। ६५ ऐसे तहसील और जिला सूचना केन्द्रों में पंखों की व्यवस्था का निश्चय किया गया, जहां बिजली उपलब्ध थी।

तहसील सूचना केन्द्रों में घड़ियों की भी व्यवस्था की गयी। नियमित सूचना केन्द्रों के अतिरिक्त गर्मियों में मंसूरी, बदरीनाथ और केदारनाथ में पर्यटकों की सुविधा के लिए मौसमी सूचना केन्द्र भी आलोच्य वर्ष में खोले गये।

प्रोग्रेस म्यूजियम (विकास संग्रहालय)——लखनऊ स्थित प्रोगेस म्यूजियम के प्रांगण में एक दूसरे एक तल्ला खण्ड का निर्माण किया गया। आशा की जाती थी कि इस खण्ड में राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत की गयी प्रगति को चित्रित करने वाले माडलों, चार्टों, नकशों आदि के लिए स्थान प्राप्त हो सकेगा।

फिल्म——निजी प्रोड्यूसरों के द्वारा निम्नलिखित तीन वृत्त चित्र तैयार किये गये——

(१) कल के नागरिक,
(२) भूमि संरक्षण,
(३) भविष्य के निर्माता,

दो वृत चित्रों के अर्थात् (१) उत्तर प्रदेश में सहकारिता सम्बन्धी कार्यकलाप, और (२) उद्योग निदेशालय की गुण चिन्हांकन योजना के निर्माण का काम निजी निर्माताओं को दिया गया।

'तुम अकेले क्यों', 'और पाइन रेजिन उद्योग' नामक दो फिल्में सूचना विभाग की फिल्म यूनिट द्वारा तैयार की गयीं।

निम्नलिखित ५ फिल्मों के निर्माण का काम चला रहा था ——

(१)	उत्तर प्रदेश में वन (जीवन)	रंगीन
(२)	कारवेट नेशनल पार्क	
(३)	समाचार दिग्दर्शन संख्या १	काला और सफेद
(४)	,, ,, २	
(५)	लखनऊ का चिड़िया घर	

आलोच्य वर्ष में गांव के अनेक फिल्मों का दिग्दर्शन कराया गया। राज्य के ग्राम एवं नागर क्षेत्रों में पंचवर्षीय योजना तथा बांट और नाप सम्बन्धी स्लाइड दिखलाये गये।

आलोच्य वर्ष में पुरानी और बेकार के स्थान पर ४ गाड़ियां, ४ पी० ए० ई० सेट, ३ जनरेटर और २ प्रोजेक्ट खरीदे गये।

किसान मेले और प्रदर्शनी——ग्राम और नगर क्षेत्रों में प्रगाढ़ प्रचार कार्य के सिलसिले में किसान मेले और प्रदर्शनियोंकी आयोजना की गयी। बलिया, आगरा, मेरठ, बुलन्दशहर, कानपुर, फैजाबाद, रायबरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, उन्नाव, हमीरपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, गोंडा, गाजीपुर, फतेहपुर, बहराइच, फर्रुखाबाद और हरदोई के जिलों में कार्तिकी पूर्णिमा के मेले के अवसरों पर प्रचार शिविरों का आयोजन किया गया। द्वितीय आयोजना के अन्तर्गत राज्य सरकारी विभिन्न योजनाओं से जनता को परिचित कराने के उद्देश्य से मेलों और प्रर्शनियों में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक सूचना केन्द्र को तीन आंयाम वाले चार्ट और 'द्वितीय आयोजना के देन' सम्बन्धी चार्ट सप्लाई किये गये। नई दिल्ली में हुई, भारत १९५८, प्रदर्शनी में भी विभाग ने भाग लिया। साथ ही लखनऊ में हुई खादी और ग्राम उद्योग प्रदर्शनी तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में भी विभाग ने भाग लिया।

उत्सव, सांस्कृतिक समारोह आदि––पूर्वगामी वर्षों की भांति स्वतंत्रता दिवस समारोह तथा अन्य राष्ट्रीय उत्सवों से सम्बन्धित समारोहों में विभाग भाग लेता रहा। इन उत्सवों तथा सांस्कृतिक समारोहों के सिलसिले में सदा की भांति एक लाख रुपये की व्यवस्था की गयी।

लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वार्षिक लोकगीत समारोह मनाया गया और बाद में यहीं पर बाल-दिवस (१४ नवम्बर) के अवसर पर लोक नृत्य समारोह तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य नाट्य समारोह मनाया गया। प्रथम दोनों समारोहों में राज्य के विभिन्न जिलों की पार्टियों ने भाग लिया। सामान्य परिपाटी के अनुसार लोक नृत्य समारोह में प्रथम आने वाली लोक नृत्य पार्टी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली भेजा गया। सन् १९५९ में जो पार्टी दिल्ली भेजी गयी थी वह लखीमपुर खीरी के थारुओं की पार्टी थी। सन् १९५८ में जो पार्टी दिल्ली भेजी गयी थी वह जौनसार बावर (जिला देहरादून) की थी।

सन् १९५८ के गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा दिल्ली में विभिन्न राज्यों की झांकियों का जो जुलूस निकालने का प्रबन्ध किया गया था उसमें एक उत्तर प्रदेश द्वारा भेजे गये एक झांकी थी। इस झांकी में सम्राट अकबर फतेहपुर-सीकरी में विद्वानों से विचार-विमर्श करते हुए प्रदर्शित किये गये थे।

सन् १९५८ में भारत का दौरा करने वाले मंगोलियन सांस्कृतिक शिष्ट मंडल ने एक सांस्कृतिक प्रदर्शन लखनऊ में भी किया। भारत सरकार के निर्देशानुसार इन प्रदर्शनों में टिकट द्वारा प्रवेश की व्यवस्था थी और टिकट द्वारा होने वाली बिक्री की रकम प्रधान मंत्री सहायता कोष में जमा करने के लिए भारत सरकार को भेज दी गयी थी।

सन् १९५८–५९ के वित्तीय वर्ष में ५ भजनीकों की नियुक्ति की गयी और वे वाराणसी, फैजाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में जिला सूचना अधिकारियों की देख-रेख में काम करते रहे। उन्होंने स्थानीय बोलियों में गीतों की रचना की और ग्राम क्षेत्रों में विकास कार्यों का प्रचार किया।

ग्रामोफोन रिकार्ड बनाने के लिए विकास योजनाओं सम्बन्धी चार गाने देहाती धुन में टेप रेकार्ड किये गये।

विभाग के कठपुतली दल ने विकास खंडों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन किये। 'अल्प बचत' प्रचार के लिए एक अतिरिक्त कठपुतली दल की नियुक्ति की गयी।

'भूमिजा' शीर्षक एक नाटक प्रोग्रेस म्यूजियम की नाट्यशाला में उत्तर प्रदेश संसद सदस्यों के सम्मेलन के अवसर पर खेला गया।

विशेष प्रचार––५ जनवरी से ११ जनवरी, १९५९ को सूचना प्रचार सप्ताह मनाया गया और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसार मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश के विकास आयुक्त कार्यालय के सम्मिलित सहयोग से विशेष प्रचार कार्य का संगठन किया गया जिससे कि जन-मन में योजना के प्रति चेतना उत्पन्न हो सके। 'अधिक अन्न उपजाओ' तथा रबी और खरीफ आन्दोलनों के सम्बन्ध में समुचित प्रचार कार्य किये गये। अल्प बचत आन्दोलन की ओर भी उचित ध्यान दिया गया और अधिकतम बचत के महत्व से जनता को अवगत कराने के हेतु विशेष प्रचार किये गये।

पंचवर्षीय आयोजना, अल्प बचत और हथकरघा के बारे में होर्डिंग और नियोन बत्तियां भारत सरकार से प्राप्त हुईं अथवा विभाग द्वारा तैयार कर के प्रमुख स्थानों में लगाया गया।

पंचवर्षीय योजना सप्ताह समारोह सम्बन्धी ५०० स्लाइडें तैयार की गयीं और राज्य के विभिन्न जिलों के सिनेमा-गृहों में उनके प्रदर्शन की व्यवस्था की गयी।

———

यह अधिनियम राज्य के निम्नलिखित संस्थाओं में पूर्ववत लागू रहा—

(१) उत्तरी भारत मालिक संघ, कानपुर के सदस्य,

(२) उत्तर प्रदेश आयल मिलर्स एसोसियेशन, कानपुर के सदस्य,

(३) बिजली के कारखाने,

(४) जलकल,

(५) कांच उद्योग,

(६) उन संस्थानों में, जिनके मालिकों ने अधिनियम के अधीन अपने स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण के लिए स्वयम् आवेदन किया ।

आलोच्य वर्ष में, इस अधिनियम की व्यवस्थाएं उन सभी समाचार-पत्र संस्थानों पर लागू की गयीं जिनमें २० अथवा अधिक कर्मचारी थे । कारखाना अधिनियम, १९४८ के अधीन रजिस्टर्ड तेल मिलों को इस अधिनियम के अधीन किया गया ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अधीन सर्वप्रथम २४ फरवरी १९५२ को कानपुर तथा दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गयी। बाद में यह योजना आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, रामपुर, हाथरस, अलीगढ़, बरेली तथा शिकोहाबाद में भी लागू की गयी । दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक राज्य में १,२८,५०० कर्मचारी इस योजना के अधीन थे । सन् १९५८ में इस योजना के अधीन श्रमिक को विभिन्न प्रयोजनों के लिए १५,४६,००७ रु० की धनराशि गयी । बाद में मार्च, १९५९ से यह योजना गाजियाबाद, मिर्जापुर, मोदीनगर और सहजनवा (जिला गोरखपुर) में भी लागू की गयी । वर्षान्त के बाद मजदूरों के परिवारों को भी चिकित्सा सहायता देने के लिए प्रयत्न किये जा रहे थे ।

कर्मचारी प्रावीडेंट फंड अधिनियम—सन् १९५२ में कर्मचारी प्रावीडेन्ट फन्ड अधिनियम के अधीन सर्व प्रथम ६ उद्योगों अर्थात सीमेंट, सिगरेट, इलेक्ट्रिकल, मेकनिकल तथा सामान्य इंजीनियरिंग उत्पादनों, लोहा तथा इस्पात कागज तथा सूती वस्त्र उद्योगों को किया गया। १९५८ के अन्त तक यह अधिनियम ३८ उद्योगों तथा संस्थानों पर लागू किया गया जिनमें पांच श्रेणी के चाय बागान और चार श्रेणी की खानें थीं । वर्ष के अन्त में यह अधिनियम लगभग ६,८०० कारखानों पर लागू था जिनमें लगभग ३० लाख मजदूर काम करते थे। इसके अधीन राज्य के लगभग ३३० कारखाने थे और उनमें ८५,००० से अधिक मजदूर रोजगार पर थे।

चीनी मिल श्रमिक के लिए गृह निर्माण योजना—चीनी मिलों के श्रमिकों की गृह निर्माण योजना के अधीन सन् १९५८ में दो और चीनी कारखानों ने निर्माण कार्य आरभ किया और इस प्रकार ऐसे कारखानों की संख्या बढ़कर ५८ हो गयी । १,२८९ मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और ११८ मकान निर्माणाधीन थे । ऐसे प्रायः सभी कारखानों में, जहां निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था, श्रमिकों को क्वार्टर अलाट किये गये ।

वित्त पोषित औद्योगिक गृह निर्माण योजना—भारत सरकार की वित्त पोषित औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अधीन अन्य उद्योगों के श्रमिकों के लिए गृह निर्माण कार्य-क्रम में प्रर्याप्त प्रगति हुई । चार चरणों में निर्माण कार्य किया गया और कुल २०,६९० क्वार्टरों का निर्माण हुआ । इनमें से २०,६०६ क्वार्टर आलोच्य वर्ष के अन्त में तैयार हो चुके थे और शेष निर्माणाधीन थे । निर्मित्त क्वाटरों में से १३,१५८ क्वार्टर श्रमिकों को अलाट किये जा चुके थे ।

श्रम कल्याण कार्यालय—राज्य में कुल ५४ श्रम कल्याण केन्द्र थे । इन केन्द्रों में श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा, मनोरंजन, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सुविधाएं प्रदान की जाती रहीं । 'सी' श्रेणी के दो केन्द्र को 'बी' श्रेणी में संगठित किया गया ।

ट्रेड युनियनें—उत्तर प्रदेश में ३१ मार्च, १९५८ को ९७१ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनें थीं, जबकि पूर्व वर्ष में इनकी संख्या ८८४ थी । केवल ५९७ यूनियनों से वार्षिक नक्शे प्राप्त हुए । इनकी कुल सदस्य संख्या २,१८,३२३ थीं । ट्रेड यूनियनों के निरीक्षकों तथा सहायक निरीक्षकों ने आलोच्य वर्ष में १५५ निरीक्षण किये तथा ५५३ जांच-पड़तालें थीं ।

वृद्धावस्था की पेंशन—आलोच्य वर्ष में ४,४७० व्यक्तियों ने वृद्धावस्था की पेंशनें प्राप्त कीं। इस बात का पता लगाने के लिए कि पेंशन पाने वाले द्वारा पेंशन की धनराशि का समुचित उपयोग किया जा रहा है या नहीं और कहीं इस योजना की प्रशासन व्यवस्था में कोई त्रुटि तो नहीं है, नमूने के तौर पर एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से पता चला कि सामान्यतया पेंशन प्राप्तकर्त्ता योजना की प्रशासन व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं।

रोजगार दफ्तरों के कार्यालय—आलोच्य वर्ष में नौकरी की तलाश करने वाले ४,१४,३७२ व्यक्तियों ने रोजगार दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराये, जबकि पूर्व में इनकी संख्या ३,४३,६६३ थी। १९५७ में नाम दर्ज कराने वालों का मासिक औसत २८,६३८.५८ था। रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज थे उनकी संख्या ३१ दिसम्बर, १९५७ को १,३८,३०७ से बढ़ कर ३१ दिसम्बर, १९५८ को १,४६,११९ हो गयी।

आलोच्य वर्ष में राज्य में रोजगार दफ्तरों को कुल ६१,५४२ रिक्त स्थानों की सूचना दी गयी जबकि पूर्व वर्ष इनकी संख्या ४६,६१८ थी।

राज्य में इस वर्ष रोजगार दफ्तरों द्वारा ४५,०७५ आवेदकों को नौकरी पर लगाया गया। पूर्व वर्ष में इनकी संख्या ३४,४२२ थी।

व्यावसायिक अनुसंधान एवं विश्लेषण—व्यावसायिक अनुसंधान एव विश्लेषण कार्यक्रम का उद्देश्य देश में सभी ज्ञात व्यवसायों की प्रमाणिक परिमाण और विवरण तैयार करना था। आलोच्य वर्ष में इस योजना की प्रगति अच्छी रही। वर्ष के अन्त तक १,००० से ऊपर के व्यवसायों का अध्ययन करके उनकी परिभाषाएं तैयार की गयी।

व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन तथा रोजगार सम्बन्धी परामर्श—रोजगार दफ्तरों में व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन सेवाओं के कार्य के संगठन एवं समन्वय के लिए निदेशालय के मुख्यालय में एक केन्द्रीय 'सेल' की स्थापना की गयी।

शिक्षा अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से ४१७ युवकों तथा २२६ वयस्कों का व्यक्तिगत रूप से पथ-प्रदर्शन किया गया। समूचे प्रदेश में सभी माध्यमिक स्कूलों और इन्टरमीडियेट कालेजों में व्य-व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन सम्बन्धी पुस्तिकाएं भी वितरित की गयीं।

पूल एवं आकस्मिक नियुक्ति योजना—कानपुर की ऊनी-सूती एवं तेल मिलों में चालू पूल एवं आकस्मिक नियुक्ति योजना के अधीन ६,८९१ व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये और ८,५९२ को रोजगार पर लगाया गया जबकि पूर्व में यह संख्या क्रमशः १५,०४४ और ८,८८७ थी।

प्रशिक्षण योजना—आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश, में १३ प्रशिक्षण केन्द्र थे, जिनमें से एक प्रशिक्षण केन्द्र देहरादून में केवल महिलाओं के लिए था। दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अधीन दो प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती रही—

(१) इंजीनियरिंग तथा भवन-निर्माण व्यवसायों में प्राविधिक प्रशिक्षण,
(२) कुटीर एवं लघु उद्योगों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी ५,९४० सीटों में से ४,१४१ सीटें ३१ दिसम्बर, १९५८ तक भर चुकी थीं।

सन् १९५८ में व्यावसायिक ट्रेडों की परीक्षा में ७१६, और प्राविधिक ट्रेडों की परीक्षा में ९३२ अभ्यर्थी बैठे जिनमें से क्रमशः ६५४ और ९७० उत्तीर्ण किये गये।

३५—समाज कल्याण

समाज कल्याण समिति योजना—जिला स्तर पर समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकारी और स्वेच्छिक प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करने और इस महत्वपूर्ण कार्य में जन-साधारण को अधिक से अधिक सम्बन्धित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आरम्भ की गयी समाज कल्याण समितियों की योजना संतोषजनक रूप से कार्य करती रहीं। इस योजना के द्वारा जिसके अनुसार नागर क्षेत्रों में शहर और

मुहल्ला स्तर पर समाज कल्याण समितियों की स्थापना की जानी थी, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज को संगठित प्रयास करने का एक अवसर प्रदान करने, सामाजिक समस्याओं का समाधान करने (जहां तक व्यावहारिक हो सके) और नागरिकों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए एक स्वस्थ्य सामुदायिक जीवन का निर्माण करने के लिए व्यवस्थित ढंग से स्वेच्छिक समाज सेवा की परम्परागत भारतीय भावना को पुनर्जागृत करना था। अपने सह नागरिकों के सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने, जनता को अपने सामाजिक कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करने तथा निराश्रित, पंगु, बाधित एवं अल्प सुविधा प्राप्त व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए अभी तक समाज द्वारा अपने जन-बल एवं आर्थिक साधनों से यथासम्भव संगठित प्रयासों का सामान्यतः अभाव रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ५१ जिलों के सदर में स्थापित की गयीं नगर समाज कल्याण समितियां कार्य करती रहीं। प्रत्येक समाज कल्याण समिति के अन्तर्गत कई मुहल्ला समाज कल्याण समितियों की स्थापना की जा रही थी।

समाज कल्याण की उत्तर प्रदेशीय परिषद्——समाज कल्याण की उत्तर प्रदेशीय परिषद्, जिसकी स्थापना सन् १९५५ में समाज कल्याण कार्यों के विकास एवं सुधार के लिए अपनाये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में परामर्श देने के हेतु की गयी थी, अपना कार्य करती रही। समाज कल्याण विभाग के मंत्री इस परिषद् के अध्यक्ष थे और समाज कल्याण कार्य से सम्बन्धित अनेक सरकारी व असरकारी व्यक्ति इस परिषद् सदस्य थे।

सामाजिक समस्याओं का सर्वेक्षण——समाज कल्याण निदेशालय ने आलोच्य वर्ष में चार प्रशिक्षित जांच करने वालों द्वारा राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में अनैतिक व्यापार की समस्या का सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण जौनसार बावर, रेवाइन, जौनपुर और उत्तर काशी के परगनाओं में किया गया। आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित अन्य सर्वेक्षण कार्य भी पूरे किये गये।

(१) इलाहाबाद में बच्चों के निराश्रित होने के कारणों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण (काशी विद्यापीठ, वाराणसी के माध्यम द्वारा),

(२) कानपुर में निराश्रय बालकों का सर्वेक्षण (नगर समाज कल्याण समिति, कानपुर के द्वारा),

(३) इलाहाबाद में निराश्रय बालकों का सर्वेक्षण (नगर समाज कल्याण समिति इलाहाबाद द्वारा),

(४) आगरा में मूक, बधिर और अन्धों का सर्वेक्षण (नगर समाज कल्याण समिति, आगरा द्वारा)।

संस्थाओं और संगठनों को आर्थिक सहायता——स्वेच्छिक समाज-कल्याण संस्थाओं एवं संगठनों को उनके आर्थिक कार्यों के उचित विकास एवं संगठन के लिए आर्थिक अनुदान दिये जाते रहे।

आलोच्य वर्ष के बजट में इस कार्य के लिए ५,८८,२०० रु० की एक धनराशि की व्यवस्था की गयी। दरिद्रों, अनाथों और मां-बाप द्वारा परित्यक्त बालकों की परवरिश के लिए और कंगालों के कफन-दफन आदि के लिए जिलाधीशों के पास ४४,००० रु० की एक धनराशि रख दी गयी। दातव्य अनुदानों के रूप में ३५,५०० रु० की एक धनराशि दी गयी। राज्य के विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले योग्य एवं निर्धन, मूक, बधिर और नेत्रहीन छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए १०,००० रु० की एक धनराशि (जो प्रति वर्ष दी जाती है) स्वीकृत की गयी।

उद्धार संगठन——इस योजना के अन्तर्गत वाराणसी और देहरादून में एक उद्धार अधिकारी कुछ जातियों की महिलाओं और बालिकाओं में, मुख्यरूप से आर्थिक, सामाजिक कारणों से उत्पन्न वेश्यावृत्ति की कुरीति का रोकथाम का कार्य करते रहे। उद्धार संगठनों का मुख्य कार्य महिलाओं और बालिकाओं को नैतिक खतरों से बचाना था। दोनों स्थानों के उद्धार अधिकारियों को पुलिस और जिला प्रशासन से सक्रिय सम्पर्क बनाये रखना आवश्यक था और उन्हें प्रलोभन द्वारा पथ-भ्रष्ट की गयी एवं भगायी गयी महिलाओं और बालिकाओं के उद्धार में तथा निकटतम के राज्य रक्षा गृह तक पहुंचाने के कार्य में सहायता करना था। वेश्याओं के नाबालिग-बालिकाओं के रोक रखने के लिए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए देहरादून में एक उद्धार-गृह था। इस गृह में परित्यक्त, प्रलोभन देकर भगायी गयी, तलाकशुदा, फुसलाकर ले जायी गयी और त्यागी हुई महिलाओं

ग्रौर बालिकाग्रों के भी रहने की व्यवस्था उन्हें सामान्य एवं दस्तकारी की शिक्षा देकर उनके पुनर्वास का प्रबन्ध करने के उद्देश्य से की गयी थी।

महिला मंगल---महिला मंगल की योजना, जिनका उद्देश्य महिलाग्रों की सामाजिक, ग्रार्थिक ग्रौर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सहायता करना था, राज्य के ३३ जिलों में कार्यान्वित की जा रही थीं। एक जिले में, नियमतः १० से १४ तक केन्द्र थे, पर बरेली, पौड़ी गढ़वाल ग्रौर फर्रुखाबाद के तीन जिलों में प्रत्येक में केवल पांच-पांच केन्द्र थे। प्रत्येक केन्द्र २ से ३ गांवों की ग्रावश्यकता की पूर्ति करता था ग्रौर उसमें एक प्रशिक्षित ग्राम सेविका तथा दो से तीन तक स्थानीय ग्रवैतनिक ग्राम कर्त्रियां जिन्हें ग्राम लक्ष्मी कहा जाता है, होती थीं। ग्राम सेविकाएं ग्राम लक्ष्मियों की सहायता से ग्राम महिलाग्रों को प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात्, जच्चा-बच्चा की देखरेख, खाद्य एवं पौष्टिक तत्व, फलसंरक्षण, बुनाई, कसीदाकारी, नेवाड़ ग्रादि की शिक्षा देने पर विशेष रूप से बल दिया गया। प्रत्येक महिला कार्यकर्त्री ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ग्रौर उसने गांवों में महिलाग्रों की काफी बड़ी संख्या को खरीफ ग्रौर रबी ग्रभियानों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया। पहाड़ी जिलों में बागवानी व पाकशाला उद्यान पर विशेष रूप से बल दिया गया। ग्राम सेविकाएं ग्रौर ग्राम लक्ष्मियां वर्ष भर इस उद्देश्य से कार्य करती रहीं कि एक ग्रौसत ग्रामीण के भोजन का उसमें हरी सब्जियों की व्यवस्था कर सुधार किया जा सके।

प्रत्येक जिले के सदर पर एक जिला ग्रार्गनाइजर, (महिला) ग्रौर दस्तकारी शिक्षक (क्राफ्ट टीचर) की व्यवस्था की गयी। जिला ग्रार्गनाइजर का कार्य केन्द्रों में कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, उसकी देख-रेख करना व उसे ग्रारम्भ करना था। दस्तकारी शिक्षक को लगभग एक सप्ताह के लिए केन्द्र में ग्राकर ठहरना ग्रौर दस्तकारी की व्यापक ट्रेनिंग देना ग्रावश्यक था। निम्नलिखित बाल बारी केन्द्रों ग्रोर गृह विज्ञान की शाखाग्रों (विंग) में जिसका निर्धारण (एलाटमेंट) केन्द्रीय सरकार ने किया, ग्राम सेविकाग्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया---

(१) बालबारी प्रशिक्षण केन्द्र, पृथ्वीगंज, प्रतापगढ़,
(२) बालबारी प्रशिक्षण केन्द्र, दोहाई, मेरठ,
(३) बालबारी प्रशिक्षण केन्द्र, ज्योलीकोट, नैनीताल,
(४) गृह विज्ञान विंग, दोहाई, मेरठ,
(५) गृह विभाग विंग, सरोजिनीनगर, लखनऊ।

ग्रालोच्य वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने चार ग्रौर केन्द्र निर्धारित किये, जो निम्नलिखित हैं---

(१) मसौदा, फैजाबाद,
(२) बिचपुरी, ग्रागरा,
(३) हवालबाग, ग्रल्मोड़ा,
(४) गाजीपुर।

इस सम्बन्ध में ग्रनावर्तक व्यय का वहन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना था, जबकि ग्रावर्तक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना था। बालबारी केन्द्र समाप्त कर दिये गये ग्रौर उनके कोष का उपयोग चार नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने में किया जा रहा था। यह चार नये प्रशिक्षण केन्द्र १ जुलाई, १९५९ से ग्रपना कार्य ग्रारम्भ करने को थे।

ग्रवैतनिक सामाजिक कार्यकर्त्री जिन्हें ग्राम लक्ष्मी कहा जाता है स्थानीय रूप से प्रत्येक जिले ग्रौर खंड में प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। इसका प्रबन्ध जिला ग्रार्गनाइजर समय-समय पर इसे ४ सप्ताह ग्रवधि के शिविरों द्वारा करते थे। दस्तकारी शिक्षक भी विशेष रूप से ग्राम दस्तकारी में विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। जिला ग्रार्गनाइजरों के लिए भरती होने के तुरन्त बाद ही विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना ग्रावश्यक था।

इन विभागीय प्रशिक्षण की सुविधाग्रों के ग्रतिरिक्त ग्राम महिलाग्रों के लिए सचल शिविरों की व्यवस्था की गयी थी। देश के विकास कार्यक्रम में उनके महत्वपूर्ण भाग को ग्रनुभव कराने के उद्देश्य से इनका संगठन विभाग द्वारा किया जाता था। इन शिविरों का संगठन महिला मंगल योजना के ढांचे के ग्रन्तर्गत सन् १९५५-५६, १९५६-५७ ग्रौर १९५७-५८ के वित्तीय वर्षों में किया गया था

और ये गांव की महिलाओं और बालिकाओं के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुए। अनेक क्षेत्रों से इस प्रकार के और शिविरों के चलाने की मांग की गयी। इन शिविरों की अवधि ३ सप्ताह की होती थी और इस अल्प अवधि में ग्राम महिलाओं और बालिकाओं को काफी शिक्षा दे दी जाती थी।

जिला स्तर पर जिला आर्गनाइजर ग्राम सेविका, दस्तकारी शिक्षक और ग्राम लक्ष्मियों के अपने कर्मचारि मंडल के सहित जिला नियोजन अधिकारी की टोली का एक भाग होता था किन्तु ये सब समाज कल्याण निदेशालय के प्रशासकीय नियन्त्रण में थे। राज्य के ३३ जिलों में लगभग ३०० महिला मंगल केन्द्र थे और लगभग ६७३ ग्राम लक्ष्मियों के केन्द्र थे।

युवक मंगल शिविर—नौजवान लड़कों में होशियारी, समझदारी और व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने और उन्हे नेतृत्व एवं अनुशासित जीवन के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से विभाग वर्ष प्रतिवर्ष ग्राम युवक शिविरों का संगठन करता रहा। आलोच्य वर्ष में राज्य के २३ जिलों में २७,६०० रु० की लागत से सरकार ने २३ ग्राम युवक मंडल शिविरों के संगठन की स्वीकृति दी। जिला स्तर पर इन शिविरों के साथ-साथ आगरा, गोरखपुर, इलाहाबाद और मेरठ में ११,६०० रु० की लागत से चार आंचलिक ग्राम युवक समारोह संगठित किये गये।

बाल दिवस समारोह—सन् १९५४ में संयुक्त राष्ट्र की महासभा (जनरल असेम्बली) के ९वें अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार सरकार ने १४ नवम्बर को बाल दिवस मनाने के लिए आदेश जारी किये। आलोच्य वर्ष में राज्य के ५१ जिलों में समारोह पूर्वक बाल दिवस मनाने के लिए सरकार ने २०,९०० रु० की एक धनराशि की स्वीकृति दी।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत—द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग निम्नलिखित ७ परियोजनाएं चला रही थी—

(१) समाज कल्याण विभाग के पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम धनराशि में शामिल की गयी परियोजनाएं—
- (क) लखनऊ में अन्धों के लिए एक संस्था,
- (ख) पांच और जिलों में महिला मंगल योजना का विस्तार,
- (ग) राज्य समाज कल्याण परामर्शदात्री परिषद् द्वारा कल्याण प्रसार की परियोजनाएं,
- (घ) सामाजिक एवं नैतिक स्वच्छता और उत्तर सेवा परियोजनाएं,
- (च) भिखारियों के लिए दो कार्यगृह—एक हरद्वार में और एक वाराणसी में,

(२) शिक्षा विभाग की अधिकतम निर्धारित धनराशि द्वारा पोषित ९ लाख ४६ हजार रुपये की लागत की परियोजनाएं—
- (छ) आगरा में मूक बधिर के लिए एक संस्था,
- (ज) गोरखपुर में अन्धों के लिए एक संस्था,

इन परियोजनाओं में दो अर्थात् (घ) और (च) की परियोजनाएं पूर्णरूपेण केन्द्रीय सरकार के कोष द्वारा चलाई जा रही थीं, जबकि (ग), (छ) और (ज) की परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार से अधिक सहायता प्राप्त होती थी। शेष दो अर्थात (क) और (ख) की परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही थी।

(१) विकलांगों के लिए संस्थाएं—(क), (छ), (ज) की परियोजनाओं के अन्तर्गत अन्धों के लिए दो संस्थाएं—एक लखनऊ में और दूसरी गोरखपुर में तथा मूक बधिर के लिए एक संस्था आगरा में स्थापित की गयी। लखनऊ और गोरखपुर की संस्थाओं का उद्देश्य अन्धों को सामान्य एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना था जबकि आगरा स्थित संस्था का उद्देश्य इसी प्रकार का प्रशिक्षण मूक बधिरों को प्रदान करना था। इन संस्थाओं की अधिकतम क्षमता ५० थी। आलोच्य वर्ष में इन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित थी—

राजकीय अन्ध पाठशाला, लखनऊ	५०
राजकीय मूक बधिर पाठशाला, आगरा	५०
राजकीय अंध पाठशाला, गोरखपुर	२३

लखनऊ और गोरखपुर की संस्थाओं में अन्धे विद्यार्थियों को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल प्रणाली के अनुसार सामान्य शिक्षा दी जाती है, जबकि आगरा की संस्था में मूक-बधिरों को दृष्य-श्रव्य उपकरणों की स्वीकृत प्रणालियों के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। उन्हें वाणों के सम्बन्ध में ट्रेनिंग दी जाती है और होठों के हिलने-डुलने तथा फेफड़ों की गति के अध्ययन से बातचीत समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अन्धों को दी जाने वाली व्यावसायिक ट्रेनिंग में शास्त्रीय संगीत, बेंत का काम और बिनाई सम्मिलित है। आगरा के मूक और बधिर छात्रों को दर्जीगीरी, रंगायी और केलिको प्रिंटिंग में प्रशिक्षित किया जाता है। इन प्रत्येक संस्थाओं के छात्रावासों में रहने वाले अधिकतम ४० निर्धन एवं योग्य विद्यार्थी ३० रु० प्रतिमास की सरकारी छात्रवृत्ति पाने के हकदार हैं।

(२) भिखारियों के लिए कार्यगृह—दूसरी नं० की परियोजना के अन्तर्गत रक्षा कार्यक्रम में भिखारियों के लिए दो कार्यगृह स्थापित किये गये। इनमें एक कार्यगृह हरद्वार में स्थित था और दूसरे ने अपना कार्य वाराणसी में आरम्भ किया। इन दोनों संस्थाओं में प्रत्येक की अधिकतम क्षमता १०० की थी। इन संस्थाओं का उद्देश्य भिखारियों की व्यक्तिगत अक्षमता के अनुसार विकलांग भिखारियों को दस्तकारी केन्द्रित शिक्षा देनी थी। इरादा यह था कि जहां तक सम्भव हो सके विकलांग भिखारियों का समाज के सम्मानित एवं स्वयं कमाने वाले सदस्यों की भांति पुनर्वास किया जा सके।

हरद्वार के कार्यगृह में रहने वालों की संख्या १०० थी, जबकि वाराणसी के नव आरम्भ गृह में इनकी संख्या ९५ थी। वाराणसी के कार्यगृह में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे थे तथा हरद्वार के गृह में इस दिशा में काफी प्रगति की जा चुकी थी। वर्ष की समाप्ति तक उस संस्था के भिखारियों ने काफी बड़ी मात्रा में रस्सों, चटाइयों टोकरियों, गुड़ियों, व कालीनों आदि का उत्पादन किया।

(३) महिला मंगल परियोजना का विस्तार—द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रारम्भ में ३० जिलों में महिला मंगल योजना चालू थी। आयोजना अवधि में ५ और जिलों में क्रमशः इसका विस्तार करने का प्रस्ताव था। सन् १९५८–५९ में इस परियोजना का विस्तार ३ और जिलों में किया गया; पर अन्ततः यह निश्चय किया गया कि इस परियोजना को नियोजन विभाग क साथ समन्वित रूप से चालू किया जाय और किसी नये जिले में इसका विस्तार न किया जाय।

(४) कल्याण प्रसार की परियोजनाएं—उपरोक्त वर्णित परियोजना चन्दे के आधार पर चलाई जा रही थी। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कल्याण प्रसार योजना पर होने वाले व्यय का एक भाग वहन कर रही थी। इस योजना के अनुसार राज्य के ग्राम क्षेत्रों में, गांवों की एक निर्दिष्ट संख्या की सहूलियत के लिए प्रत्येक खंड में ५ या उससे अधिक महिला मंगल केन्द्र खोलने का इरादा था। इन परियोजनाओं का उद्देश्य अपने-अपने क्षेत्रों में महिला मंगल एवं कल्याण कार्य करना था। एक मान्य सत्र के अनुसार इन परियोजनाओं पर होने वाले व्यय का २५ प्रतिशत भार वहन करने के अतिरिक्त, राज्य सरकार राज्य बोर्ड के मुख्यालय के प्रतिष्ठान का ५० प्रतिशत खर्च देती थी। इन परियोजनाओं का शेष व्यय अंशतः केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा और अंशतः स्थानीय चन्दों द्वारा पूरा किया जाता था। कल्याण प्रसार की परियोजनाओं पर होने वाले व्यय में राज्य का हिस्सा पूरा करने के लिए आलोच्य वर्ष में समाज कल्याण विभाग के बजट में ४ लाख ७० हजार रुपये की व्यवस्था की गयी।

आलोच्य वर्ष में राज्य बोर्ड के ३३ जिलों में ५० परियोजनाएं चल रही थीं।

(५) सामाजिक और नैतिक स्वच्छता और उत्तर सेवा परियोजनाएं—यह योजना केन्द्र द्वारा प्रेरित थी। इसके अन्तर्गत ५ उत्तर रक्षा गृहों, जिसमें एक गृह नैतिक खतरों से बचायी गयी महिलाओं और बालिकाओं के लिए था और ३० जिला शरण एवं स्वागत केन्द्रों की स्वीकृत दी गयी थी। उपयुक्त इमारतों के उपलब्ध न होने के फलस्वरूप स्वीकृत किये गये ३० शरण केन्द्रों में से केवल २१ ही आलोच्य अवधि के अन्त तक स्थापित किये जा सके। (इन २१ जिला केन्द्रों में से १२ महिलाओं के लिए और ९ पुरुषों के लिए थे)। कुल पांचों उत्तर रक्षा गृह जिनमें एक उद्धार गृह भी था, स्थापित किये जा चुके हैं।

इस योजना का उद्देश्य ऐसी सेवा संस्था की व्यवस्था करना है जो जेलों और चरित्र सुधार संस्थाओं (करेक्शनल) से युक्त किये गये स्त्री-पुरुषों, और अनैतिक कार्यों से मुक्त की गयी स्त्रियों और बालिकाओं के लिए दीर्घ कालिक पुनर्वासन का कार्य कर सकें। जिलों में उद्धार किये गये उपर्युक्त श्रेणी के स्त्री-पुरुषों को जिला स्तर पर स्थापित २१ जिला आश्रय एवं स्वागत केन्द्रों में से किसी एक में अस्थायी तौर पर आश्रय दिया जाता है। उनकी श्रेणियों के अनुसार जगह मिलते ही उन्हें किसी उत्तर रक्षा गृह को भेज दिया जाता है। पांचों उत्तर रक्षा गृहों में पूर्णतया प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की व्यवस्था करने के प्रस्ताव के सिलसिले में आवश्यक लघु उद्योगों का चुनाव किया गया। भारत सरकार से अनुदान मिलते ही इन केन्द्रों का कार्य आरम्भ होना था। इस बीच इन गृहों के आवासियों को छोटी-छोटी घरेलू दस्तकारियों के संबंध में सीमित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी जिस से कि उनके समय का पूरा-पूरा सदुपयोग हो सके।

पांचों गृहों के स्थान और आलोच्य अवधि के अन्त में उनमें से प्रत्येक के आवासियों की संख्या निम्नलिखित थी—

राज्य गृह का नाम	स्थान	आवासियों की संख्या
(१) जेल से मुक्त पुरुषों के लिए उत्तर रक्षा गृह	.. इलाहाबाद	५८
(२) जेल से मुक्त स्त्रियों के लिए उत्तर रक्षा गृह	.. मेरठ	८४
(३) सुधार संस्थाओं से मुक्त पुरुषों के लिए उत्तर रक्षा गृह	.. कानपुर	५५
(४) सुधार संस्थाओं से मुक्त स्त्रियों के लिए उत्तर रक्षा गृह	.. लखनऊ	७६
(५) उद्धार गृह ..	.. देहरादून	३६

विचार गोष्ठी और सम्मेलन—समाज कल्याण कार्यों के विकास और उनके उचित संगठन संबंधी उपायों एवं साधनों पर विचार करने के लिए एक विचार गोष्ठी समाज कल्याण निदेशालय के अहाते में ४ से ७ नवम्बर, १९५८ तक हुई। इस विचार गोष्ठी का उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री ने किया और इसमें विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया।

समाज कल्याण के निदेशक को राज्य के प्रतिनिधि की हैसियत से सामाजिक कार्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए टोकियो (जापान) भेजा गया।

विधि निर्माण—(१) उ० प्र० महिला और बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम—अनाथालयों, विधवाश्रमों और महिलाश्रमों तथा बालकों की अन्य संस्थाओं पर और अधिक अच्छा नियन्त्रण रखने व उनकी देख-रेख करने के लिए और उनके निवासियों को उचित संरक्षण देख-भाल तथा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५५ पारित किया गया। आरम्भ में इस अधिनियम को लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी के राज्य के तीन महत्वपूर्ण जिलों में अगस्त, १९५८ में लागू किया गया। इस अधिनियम की धाराओं के अनुसार महिलाओं और बालकों के लिए कोई भी स्वेच्छिक संस्था सरकार से लाइसेंस प्राप्त किये बिना कार्य नहीं कर सकती। ऐसी संस्थाओं को जो बहुत बदनाम थीं और जिनमें बहुत कुप्रबन्ध था, इस अधिनियम के अनुसार बंद कर दिये जाने का आदेश दिया जाना था और उनमें रहने वालों के लिए कोई दूसरा उचित प्रबन्ध किया जाना था। इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं को कार्यान्वित करने के हेतु राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर एक प्रशासकीय बोर्ड की स्थापना की, जिनमें १५ सरकारी और गैरसरकारी सदस्य थे तथा समाज कल्याण के निदेशक इसके सचिव सदस्य थे। इस अधिनियम के अन्तर्गत इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ में महिलाओं तथा बालकों की संस्थाओं को लाइसेंस दिया जाता था।

महिलाओं और बालिकाओं का अनैतिक व्यापार (नियन्त्रण) अधिनियम, १९५६—संसद द्वारा पारित महिलाओं और बालिकाओं का अनैतिक (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ (सप्रेशन

आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन ऐन्ड गर्ल्स, एक्ट, १९५६)—१ मई १९५८ से भारतीय संघ में लागू किया गया। इस कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए राज्य सरकार ने गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ देहरादून और अल्मोड़ा के जिलों के पुलिस अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान किया और इन जिलों में चकलों तथा लाल बत्ती के क्षेत्रों में पुलिस ने अनेक छापे मारे। इस कार्य का परिणाम यह हुआ कि चकलों से काफी बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियां बरामद की गयी और पूरे राज्य भर में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इस अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत एक नियमित सुरक्षा गृह की स्थापना किये जाने तक, राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं नैतिक स्वच्छता और उत्तर सेवा परियोजना के अन्तर्गत आरम्भ किये गये सीतापुर, कोटद्वार, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, हल्द्वानी, टेहरी, गोरखपुर, उन्नाव, वाराणसी, अल्मोड़ा और गाजीपुर के १२ जिला शरण स्वागत केन्द्रों को इस कानून की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षा-गृह घोषित कर दिया गया।

प्रशासकीय ढांचा—समाज कल्याण निदेशालय में एक पुरुष शाखा और एक महिला शाखा थीं और यह दोनों शाखाएं (विंग) निदेशक समाज कल्याण विभाग के प्रशासनीय एवं निरीक्षण संबंधी नियंत्रण में थीं।

पुरुष शाखा का कार्य एक उप-निदेशक और एक सहायक निदेशक की सहायता से किया जाता था। महिला शाखा में उप-निदेशक के दो पद थे। इनके कार्यों में मुख्यालय में चार अधिकारी इनकी सहायता करते थे जो कि टेक्निकल असिस्टेंट कहे जाते थे और वे क्रमशः (१) सामाजिक शिक्षा, (२) शिल्प, (३) बालबारी, और (४) शारीरिक शिक्षा के कार्यों को देखते थे।

एक सहायक लेखा अधिकारी भी निदेशालय से सम्बद्ध था जो कि निदेशालय के लेखा की निरीक्षा के लिए उत्तरदायी था।

पुरुष शाखा में जिलों में कार्य संचालन के हेतु १८ सहायक समाज कल्याण अधिकारी होते थे। इन अधिकारियों के कार्य की तात्कालिक देख-रेख के लिए मुख्यालय में दो आंचलिक समाज कल्याण अधिकारी थे। इन अधिकारियों के अतिरिक्त एक युवक कल्याण अधिकारी जो कि युवक कल्याण सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख करता था तथा दो उद्धार अधिकारी जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है, भी थे जो कि महिलाओं एवं बालिकाओं को नैतिक खतरों से उद्धार के कार्य में संलग्न थे। महिला मंगल कार्य के लिए जिलों में कुल मिला कर ३३ जिला आर्गनाइजर (महिलाओं के लिए) थीं और जिले के मुख्यालय पर प्रत्येक जिला आर्गनाइजर से सम्बद्ध एक दस्तकारी शिक्षक होता था तथा ग्राम लक्ष्मियों का एक कर्मचारिमंडल होता था। ग्राम सेविकाएं पूरे समय की वेतन प्राप्त सरकारी कर्मचारी होती थीं और ग्राम लक्ष्मी अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्त्री होती थीं जिन्हें २० रुपये प्रतिमास भत्ता (आनरेरियम) मिलता था।

३६—हरिजन उत्थान

परिगणित जातियों, विमोचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं चालू रहीं। सन् १९५८–५९ के वर्ष में कुल १,४६,६४,५०० रुपये की व्यवस्था थी जब कि सन् १९५७–५८ के वित्तीय वर्ष में १,३६,९६,६०० रु० की व्यवस्था थी। बजट में व्यवस्था की गयी पूरी धनराशि में से १,१७,७९,००० रु० आयोजना की तथा २८,८५,४०० रु० आयोजनायेत्तर योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया था। परिगणित जाति के निर्धन एवं योग्य सदस्यों को अपना मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने की सुविधा प्रदान करने के हेतु ५०,१०० रु० की एक धनराशि निर्धारित की गयी क्योंकि यह अनुभव किया गया कि अवसर परिगणित जाति के लोग मकान के लिए जमीन न मिल पाने के कारण मकान न बना पाते थे यद्यपि उन्हें गृह निर्माण के लिए सहायता मिल चुकी होती थी।

हरिजन सहायक विभाग द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं वे—(१) शैक्षिक विकास, (२) सामाजिक, आर्थिक विकास, (३) अस्पृश्यता का निराकरण, (४) घुमन्तू और खानाबदोश जातियों का पुनर्वास, और (५) सरकारी उन्नयन बस्तियों की थीं।

शैक्षिक विकास—परिगणित जाति के विद्यार्थियों को अपना अध्ययन जारी रखने के लिए सुविधा प्रदान करने के हेतु बजट के आलोच्य वर्ष में ८२ लाख रु० की व्यवस्था की गयी। यह पूरी व्यवस्था छात्रवृद्धि और अनावर्तक सहायता देने के लिये थी तथा साथ ही शिक्षा संस्थाओं की उस कमी की पूर्ति के लिए भी थी जो उन्हें परिगणित जाति के विद्यार्थियों की पढ़ाई, खेलकूद, चिकित्सा और छात्रावास की फीस की माफी से होती थी। हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय २५० रु० तक थी पढ़ाई, खेलकूद ,पुस्तकालय, चिकित्सा और छात्रावास की फीस से छूट थी और स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को, भरती और पढ़ाई की फीस से छूट मिलती थी। यह सुविधा इंजीनियरिंग, टेक्नीकल और अंध-मूक-बधिर स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी उपलब्ध थी। धनराशि की इस व्यवस्था का एक बड़ा भाग पढ़ाई की फीस की छूट की पूर्ति में ही लग जाता था। परिगणित जाति के लगभग ५,६५,००० विद्यार्थी इस छूट का लाभ उठा रहे थे। निर्धन और योग्य छात्रों को भी छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता दी गयी। २७,७०० विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी और लगभग १०,००० छात्रों को पुस्तकें तथा लिखने-पढ़ने की अन्य समग्री खरीदने के लिए अनावर्तक आर्थिक सहायता दी गयी। अब देखा गया कि शिक्षा सम्बन्धी इन सुविधाओं का हरिजन पूरा-पूरा उपयोग कर रहे थे और हरिजन विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही। स्थानीय निकायों को, जैसा जिला बोर्ड और नगरपालिकाओं को भी अनुदान दिये गये जिससे कि वे अपने नियन्त्रण में चलने वाले स्कूलों के हरिजन व पिछड़ी एवं परिगणित जातियों के विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान कर सकें। सन् १९५८–५९ में छात्रवृत्ति, अनावर्तक आर्थिक सहायता देने और फीस से होने वाली छूट पूरी करने के मद में कुल ८०,९२,८०० रु० का व्यय हुआ।

पिछड़े वर्गों और मोमिन-अन्सार के छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने के हेतु साढ़े ११ लाख रु० व्यय किया गया। इन जातियों के निर्धन एवं योग्य छात्रों को छठीं कक्षा से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं तक और इंजीनियरिंग एवं टेक्नीकल स्कूलों में छात्रवृत्तियों और अनावर्तक अनुदान दिये जाते थे। ऐसे छात्रों की संख्या, जो इन छात्रवृत्तियों एवं अनावर्तक अनुदानों से लाभान्वित हुए क्रमशः ६,४७६ और २,००० थीं।

विमोचित जातियों के छात्रों को भी उनकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक अनुदान के रूप में सहायता दी गयी। इस मद में २८,००० रु० व्यय किये गये और १,४७६ छात्र लाभान्वित हुए।

ऐसी संस्थाओं को भी उनके रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिये गये जिनका प्रबन्ध गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा किया जाता था। आलोच्य वर्ष में इस मद में कुल ४ लाख ५४ हजार रु० व्यय किये गये। अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थाओं की संख्या ५३० थी जिनका विवरण इस प्रकार है—

बालकों के लिए हरिजन प्राइमरी पाठशालाएं	१९८
बालिकाओं के लिए हरिजन प्राइमरी पाठशालाएं	७९
हरिजन रात्रि पाठशालाएं	६५
पुस्तकालय	१०८
छात्रावास	८०
योग ..	५३०

नैनीताल, गोरखपुर और बक्सी का तालाब (लखनऊ) स्थित प्राविधिक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र विभिन्न व्यवसायों में प्राविधिक प्रशिक्षण प्रदान करते रहे। नैनीताल केन्द्र के सभी १३ छात्रों ने इंजीनियरों की एक एडहाक बोर्ड द्वारा संचालित ओवरसियरी की फाइनल परीक्षा पास की। अन्य केन्द्रों से परिणाम भी काफी सन्तोषजनक रहे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ट्रेसर एव मिस्त्रीगीरी का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हरिजन छात्रों को भी पुस्तकें, उपकरण एवं अन्य सामान खरीदने के लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति और अनावर्त्तक सहायता दी गयी।

सामाजिक आर्थिक विकास––(१) कुटीरोद्योग––पिछड़ी, परिगणित एवं विमोचित जातियों के निर्धन एवं योग्य व्यक्ति छोटे पैमाने पर कुटीरोद्योग आरम्भ करने के लिए जिससे कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। आर्थिक अनुदान प्राप्त करने वाले ऐसे २० स्वीकृत पेशे थे जिनके लिए सरकारी सहायता दी जाती थी। इन पेशों में चमड़े का काम, बढ़ईगीरी, साबुन बनाना, बुनाई, कैलिको प्रिंटिंग, बनियाइन बनाना, मिट्टी के वर्तन बनाना आदि प्रमुख थे। उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती थी जो उद्योग अथवा श्रम विभाग द्वारा संचालित प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त किये होते थे। आलोच्य वर्ष के लिए २० लाख ६२ हजार रु० की व्यवस्था थी जिसका विवरण इस प्रकार है––

(क) परिगणित जातियों को अनुदान	..	..	१,६२,००० रु०
(ख) विमोचित जातियों को अनुदान	..	..	५०,००० ,,
(ग) पिछड़ी जातियों को अनुदान	..	..	५०,००० ,,
	योग	..	२,६२,०००

यह अनुदान जिलेवार दिये गए और इन्हें जिले के नियोजन अधिकारियों के पास उचित रूप से उपयोग किये जाने के लिए रखा गया।

(२) कृषि विकास––परिगणित जातियों, विमोचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों में कृषि का विकास करने के हेतु भी आर्थिक अनुदान दिये गये। आलोच्य वर्ष में इस मद के लिए बजट में २ लाख ५० हजार रुपया की व्यवस्था की गयी थी, जिसमें से १ लाख ५० हजार परिगणित जाति के लिए था और शेष एक लाख विमोचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लिए ५०:५० के आधार पर था। यह अनुदान जिले के नियोजन अधिकारियों को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्धन एवं योग्य व्यक्तियों को अनुदान देने के हेतु सुपुर्द कर दिया गया––

(क) भूमि तोड़ना एवं उसे कृषि योग्य बनाना
(ख) बैल एवं अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए
(ग) बैलों के रखरखाव और अनुदान प्राप्त करने वाले परिवार के भरणपोषण के लिए
(घ) कृषि के सहायक एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिए

(३) गृह निर्माण––परिगणित, विमोचित एवं पिछड़ी जातियों के सदस्यों को मकान बनवाने या अपने घरों की मरम्मत करने के हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सन् १९५८–५९ के बजट में ३ लाख ४० हजार १०० रु० की व्यवस्था की गयी थी जबकि सन् १९५७–५८ में २ लाख ९० हजार की व्यवस्था की गयी थी। परिगणित जाति के लोगों के लिए मकान की जमीन खरीदने के हेतु ५०,१०० रु० के अतिरिक्त अनुदान की भी व्यवस्था की गयी।

(४) कुयें––परिगणित जाति के लोगों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य के ग्राम क्षेत्रों में कुओं के निर्माण की योजना चालू रही। इस मद में २ लाख रु० की व्यवस्था थी और लगभग ४०० कुओं के निर्माण किये जाने या उनके सुधार किये जाने की सूचना प्राप्त हुई।

(५) क्षय रोगियों को सहायता––परिगणित, पिछड़ी एवं विमोचित जातियों के क्षय रोग के रोगियों को चिकित्सा की सहायता पहुंचाने के हेतु बजट में २४,००० रु० के आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की गयी। यह अनुदान निर्धनता के आधार पर दिया गया।

(६) विशेषरूप से पिछड़ी जातियों का विकास––राज्य के कुछ क्षेत्रों में बसने वाली कुछ जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इस वर्ग के अन्तर्गत गढ़वाल में नीटा और मंडा, निचले हिमालय क्षेत्र के भोटिया, नैनीताल के थारू और भोकसा, मिर्जापुर

के आदिवासी, टिहरी गढ़वाल के रवाइन जौनपुर में रहने वाले व्यक्ति, देहरादून जिले के जौनसार-बावर क्षेत्र के कोल्टा और बोगी, झांसी के सहरिया और बांदा के कोल आते थे। आलोच्य वर्ष में इन लोगों की शिक्षा तथा आर्थिक उत्थान के लिए १ लाख ५२ हजार रुपये व्यय किये गये।

अस्पृश्यता निवारण—अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन को तीव्र बनाया गया। इस सम्बन्ध में उपयुक्त पुस्तिकायें, परचे तथा भित्त चित्र आदि वितरित किये गये और अनेक सिनेमा प्रदर्शनों का भी प्रबन्ध किया गया। एक व्यवस्थित आन्दोलन चलाने के उद्देश्य से ७९ अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी नियुक्ति की गयी। पूरे राज्य भर में तहसील और जिलों के सदर में सम्मेलन आयोजित किये गये। इस मद पर कुल ८९,००० रुपये व्यय किये गये।

छुआछूत दूर करने के पक्ष में प्रचार करने के उद्देश्य से शिविर तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के हेतु स्वयं-सेवी संस्थाओं को भी २५,५०० रुपये अनुदान दिया गया।

खानाबदोश एवं घुमन्तू जातियों का पुनर्वास—राज्य सरकार की एक योजना खाना बदोश एवं घुमन्तू जातियों को भूमि पर बसाने के लिए थी। कुछ जिलों में नट, कुचबादियां और कंजड़ जैसी जातियां थीं। इनका कोई स्थायी निवास-स्थान नहीं था। यह जीविका की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं और इस प्रकार अपराध करने की दिशा में अग्रसर होती थीं। इस योजना का उद्देश्य यह था कि वे निश्चित एवं इमानदारी का जीवन व्यतीत कर सकें। आलोच्य वर्ष में २० कंजड़ परिवारों के पुनर्वास के लिए देहरादून जिलों को ४०,००० रु० निर्धारित किये गये।

राजकीय उन्नयन बस्तियां और उपनिवेश—भूतकाल के पक्के अपराधियों की, जिन्हें जरायम पेशा जाति का कहा जाता था, गतिविधि राज्य के कई उन्नयन बस्तियों तक ही सीमित रखी जाती थीं। इन उन्नयन बस्तियों की स्थापना जरायम पेशा अधिनियम (जिसे अब रद्द कर दिया गया है) के नियम १६ के अनुसार हुई थी। पर अन्ततोगत्वा इन लोगों में से अधिकांश को भूमि पर बसा दिया गया और प्रत्येक परिवार को रहने के लिए एक पक्का मकान (झोपड़ी), ८ एकड़ भूमि तथा कृषि उपकरण भी प्रदान किया गया जिससे वे इमानदारी के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। किन्तु फिर भी आलोच्य वर्ष में विभाग के अन्तर्गत तीन उन्नयन बस्तियां, कल्यानपुर (कानपुर), फजलपुर (मुरादाबाद) और गोरखपुर में थीं जिनमें कंजड़, भंटू, करवाल, हबुराह, डोम आदि जातियों के लोग रहते थे। इन लोगों को रहने के लिए मुफ्त मकान दिये गये व साथ ही चिकित्सा एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं भी प्रदान की गयीं। इन लोगों को काम में लगाने के भी प्रयास किये गये और इस उद्देश्य से उन्हें कृषि के लिए भूमि दी गयी। इसके अतिरिक्त कल्यानपुर की उन्नयन बस्ती में एक दर्जी खाना भी था जिसमें पुलिस विभाग के लिए वर्दियां तैयार की जाती थीं। मुरादाबाद की बस्ती में बुनाई के उद्योग का प्रबन्ध था। इन तीनों बस्तियों के अतिरिक्त विमोचित जातियों की लगभग ७४ छोटी-छोटी बस्तियां भी थीं जिन्हें सरकार द्वारा अक्सर सहायता प्रदान की जाती थी।

केन्द्र द्वारा प्रेरित योजनाएं—परिगणित जातियों के कल्याण के हेतु केन्द्र द्वारा प्रेरित योजना में इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, सीतापुर, मेरठ और बाराबंकी के १० जिलों में प्रत्येक जिले के एक एक विकास खंड को हरिजन उत्थान के हेतु प्रगाढ़ विकास कार्य के लिए चुना गया। सन् १९५८-५९ के वर्ष में भारत सरकार ने परिगणित जाति के योग्य सदस्यों को मकान एवं कुओं के निर्माण के लिए और कृषि के विकास के लिए सुविधा प्रदान करने के हेतु १८ लाख १८ हजार रु० की धनराशि स्वीकृत की। संबंधित जिलों के नियोजन अधिकारियों के पास अनुदान की धनराशि में से १६,८०,५०० रु० आवश्यक कार्यवाही के हेतु रख दिये गये।

३७—सहायता एवं पुनर्वास

पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए १९५८-५९ में वही नीति अपनायी गयी जो कई वर्ष पहले सन् १९५३ में निश्चित की गयी थी, जिसके द्वारा इन व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता में सामान्यतः कमी होती गयी और सामान्य जनता में उन्हें खपाने का प्रयास किया

जाता रहा। इसके साथ ही उनके निरीक्षित दावों के लिए प्रतिकर की अदायगी के अलावा पुनर्वासन अनुदान की अदायगी का भी निश्चय किया गया। इस प्रकार जब कि विस्थापितों को प्रदान की गयी विभिन्न सुविधाओं में धीरे-धीरे कमी होती गयी, प्रतिकर की अदायगी में काफी तेजी आयी।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के सम्बन्ध में इससे भिन्न नीति अपनाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया, क्योंकि उनका आना जारी था। इसके अतिरिक्त इसके सम्बन्ध में पाकिस्तान में छोड़ी हुई इनकी सम्पत्ति को स्वीकार नहीं किया गया था। अतएव इनके पुनर्वास की समस्या पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों से भिन्न थी। यद्यपि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश निर्धारित क्षेत्र नहीं किया गया था, फिर भी विशेष परिस्थितियों में ऐसे ३,००० परिवारों को भूमि पर बसाने की स्वीकृति दी गयी। यह सुविधा उस सुविधा के अतिरिक्त थी जिसके अनुसार पहले १,००० परिवारों को बसाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी।

शिक्षा सम्बन्धी सहायता—पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की जो योजना १९५७–५८ में चालू थी उसे कुछ संशोधनों के साथ १९५८–५९ में भी जारी रखा गया। इस मद की सहायता १९५७–५८ के पांच लाख ७० हजार रुपये से घटाकर ४ लाख २० हज़ार रुपए कर दी गयी। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत १९५८–५९ में वही धनराशि स्वीकृत की गयी जो इसके पूर्व वर्ष में थी। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के हेतु ५६ हज़ार रुपए की धनराशि नियत की गयी। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित विद्यार्थियों को संख्या जिन्हें आलोच्य वर्ष में वित्तीय सहायता प्रदान की गयी, लगभग ६ हज़ार थी। इसके अतिरिक्त २७ शिक्षा संस्थाओं के लिए, जो विस्थापित विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रही थीं, ३,३१,००० रु० की आर्थिक सहायता दी गयी और जहां कहीं आवश्यकता हुई नये स्कूल बनवाये गये।

व्यावसायिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण—पश्चिमी पाकिस्तान के शहरी क्षेत्रों से आये हुये विस्थापितों के पुनर्वास की एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग व्यवसाय द्वारा जीवकोपार्जन करते थे और इन सभी परिवारों को उनके पुराने व्यवसायों में लगाना सम्भव नहीं था। अतएव उनके स्थायी पुनर्वासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राविधिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। १९५७–५८ के वर्ष में इस प्रदेश में गोविन्दनगर (कानपुर), हस्तिनापुर (मेरठ) और गोविन्दपुरी (मोदीनगर, जिला मेरठ) में केवल तीन प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र थे। किन्तु १९५८–५९ में भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय ने यह निश्चय किया कि विस्थापितों के लिए प्रशिक्षण योजनाओं को पुनस्संगठित करके और उन्हें राज्य के अन्य निवासियों के लिए उपलब्ध व्यावसायिक एवं प्राविधिक सुविधाओं के साथ सम्बद्ध कर दिया जाय। इसी निश्चय के अनुसार पहली अगस्त, १९५८ से पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित विद्यार्थियों एवं उत्पादन केन्द्रों को राज्य सरकार के श्रम विभाग को हस्तान्तरित कर दिया। किन्तु सन् १९५७ में दिनेशपुर में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए, जिन्हें तराई उपनिवेशन क्षेत्र में बसाया गया था, स्थापित किये गये व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र १९५८–५९ में भी सहायता एवं पुनर्वास विभाग के प्रशासन में बने रहे। परन्तु यहां के प्रशिक्षार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां पहली जुलाई, १९५८ से बन्द कर दी गयीं।

व्यापार और उद्योग में लगाने का कार्यक्रम—पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को लघु शहरी ऋण देने की योजना भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय द्वारा पहली अप्रैल, १९५७ से समाप्त कर दी गई। किन्तु पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को शहरी ऋण देने की योजना आलोच्य वर्ष में भी चालू रही और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को व्यापार, रोजगार या अन्य व्यवसायों म लगाने के लिए ४२,१०० रुपया वितरित किया गया। विस्थापितों को रोजगार से लगाने की जो सुविधाएं देश विभाजन के समय से ही उपलब्ध थीं उन्हें १९५८–५९ के अन्त तक जारी रखा गया।

नई बस्तियां—विस्थापितों की नई बस्तियों में और उन स्थानों में जहां विस्थापितों की संख्या अधिक थी, छोटे और औसत दर्जे के उद्योगों की योजना चालू रखी गयी २ जनवरी, १९५९ से यह कार्य राज्य सरकार के उद्योग (ग) तथा आबकारी विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया।

विस्थापितों की बेरोजगारी समाप्त करने के लिए आलोच्य वर्ष में योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा जो ऋण स्वीकृत किये गये और जिन योजनाओं के लिए ऋण स्वीकार किये गये तथा जिन लोगों को ये ऋण दिये गये, उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है —

उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं तथा योजनाओं का नाम, जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि
१—मेसर्स अमिताभ टेक्साटाइल मिल्स लिमिटेड, इलाहाबाद, प्रेमनगर शरणार्थी बस्ती, देहरादून में कपड़े की मिल खोलने के लिए	२१ लाख रु०
२—मेसर्स बी० डी० गुप्ता एंड ब्रदर्स, मेरठ, हस्तिनापुर बस्ती (मेरठ जिला) में चीनी मिल खोलने के लिए	२४ लाख ,,
३—मेसर्स स्टीलसन्स प्राइवेट लिमटेड, गोविन्दपुरी (मेरठ), गोविन्दपुरी में तीन पहियों वाली साइकलें और पेराम्बुलेटर बनाने वाली उनकी फैक्टरी के विस्तार के लिए	१ लाख १८ हजार ,,
४—मेसर्स रामदास मनोहरदास, नैनी औद्योगिक बस्ती, इंजीनियरिंग वर्कशाप खोलने के लिए	एक लाख ,,
५—मेसर्स किंग्स ऐंड कम्पनी, नैनी औद्योगिक बस्ती, नैनी में औषधि निर्माण उद्योग स्थापना के लिए	५०, हजार ,,
६—दिल्ली के श्री राजेन्द्र पाल, मेरठ जिले की हस्तिनापुर शरणार्थी बस्ती में मशीन के पुर्जे बनाने वाली फैक्टरी खोलने के लिए	५०, हजार ,,
७—मेरठ छावनी के श्री डी० सी० जैन, रेडियो, लाउड स्पीकर आदि बनाने-वाले उनके कारखाने के विस्तार के लिए	४५, हजार ,,
८—मेसर्स ईस्ट इंडिया ट्रेनिंग कम्पनी, नैनी औद्योगिक बस्ती, इलाहाबाद ..	२५, हजार ,,

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को ग्रामीण ऋण—भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय ने सहारनपुर जिले में स्थित सुभाषगढ़ गांव में बसाये गये पश्चिमी पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले से आये १९९ विस्थापित परिवारों को ग्रामीण ऋण देने के निमित्त वर्ष १९५६–५७ में राज्य सरकार को ९९,५०० रुपयों की धनराशि निर्धारित की थी। इस धनराशि में से ५७,००० रुपये जिलाधीश, सहारनपुर को सन् १९५८–५९ में दिये गये ताकि यह रुपया सहकारी समितियों के माध्यम से ११४ परिवारों को ग्रामीण ऋण के अग्रिम के रूप में दिया जा सके।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि पर बसाने की योजना—पूर्वी पाकिस्तान के उन विस्थापित व्यक्तियों को, जो काफी संख्या में पश्चिमी बंगाल के शिविरों में रह रहे थे, पुनर्वास सम्बन्धी कठिन समस्या के निराकरणार्थ अपना योगदान देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के ३,००० वियापित परिवारों को इस राज्य में भूमि पर बसान का भार ग्रहन करने के लिए अपनी सहमति प्रकट की। इसके अलावा नैनीताल जिले के तराई उपनिवेशन क्षेत्र में पहले ही से लगभग १,००० विस्थापित परिवारों को बसाया जा चुका था। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के आग्रह पर उन निजी भू-स्वामियों के प्रस्तावों पर विचार करने का निर्णय किया गया जो सरकार को अपनी जमीन बेचना चाहते थे। फलस्वरूप सन् १९५८–५९ के अन्त तक भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय (सचिवालय शाखा, कलकत्ता) द्वारा १४ योजनाएं स्वीकृत की गयीं जिनके अन्तर्गत पहले उल्लिखित ३,००० विस्थापित परिवारों में से २,११७ परिवारों को पीलीभीत, नैनीताल, बिजनौर और रामपुर जिलों में १,००,९८,२६५ रुपयों के अनुमानित व्यय पर बसाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। अनुमानित व्यय की इस धनराशि में भूमि और उसके विकास, सड़कों, पुलियों, पुलों, बसने वालों के मकानों, अस्पतालों और अस्पताल भवनों, चिकित्सा कर्मचारियों के लिए मकानों, स्कूल भवनों और स्कूल कर्मचारियों के लिए मकानों की लागत तथा बसने वालों को प्रारम्भिक गुजारे, बैलों तथा कृषि उपकरणों की खरीद के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता और एक वर्ष का स्थापना व्यय तथा इन योजनाओं के कर्मचारियों के मकानों के निर्माण का व्यय शामिल है। उपर्युक्त १,००,९८,२६५ रुपयों में से ६,०६,८०८ रुपयों को भारत सरकार ने राज्य सरकार को 'प्रयुक्त

के रूप में स्वीकृत की जिसकी आवश्यकता एक वर्ष के स्थापना व्यय को पूरा करने तथा कर्मचारियों के मकानों, अस्पतालों और चिकित्सालयों के भवनों, चिकित्सा कर्मचारियों के लिए मकानों, स्कूल भवनों तथा स्कूल कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण के व्यय के लिए थी। शेष ६४,६१,४५७ रु० की धनराशि 'ऋण' के रूप में स्वीकृत की गयी जो अन्तिम बसने वालों को ऋण के रूप में दी जाने को थी।

सन् १९५८-५९ के अन्त तक उपर्युक्त २,११७ परिवारों में से पूर्वी पाकिस्तान के ३०८ विस्थापित परिवार उत्तर प्रदेश में आये। इनमें से २१४ परिवार नैनीताल तराई उपनिवेशन क्षेत्र और पीलीभीत जिले में भूमि पर बसाये गये।

विस्थापित महिलाओं का व्यावसायिक प्रशिक्षण और सहायता योजनाएं—जस जसे पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास कार्य पूरा होता जाता था, वैसे वैसे सहायता एवं पुनर्वास संगठन के कार्यकलाप में उत्तरोत्तर कमी आती जाती थी। बापू व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, देहरादून का, जहां पश्चिमी पाकिस्तान से आयी विस्थापित महिलाओं और बालिकाओं को उद्योग धंधों आदि में प्रशिक्षित किया जाता था, तथा विस्थापित महिलाओं के अनेक अन्य प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों का प्रबन्ध श्रम विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। सहायता एवं पुनर्वास व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था में १,४९५ विस्थापित महिलाओं तथा बलिकाओं को प्रशिक्षित किया गया। पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए एकमात्र आश्रम शरणार्थी महिला उद्योग मंदिर, मेरठ बन्द कर दिया गया। लेकिन उन १६६ विस्थापित व्यक्तियों को जिनका खर्चा सरकार को उठाना पड़ रहा था किन्तु इस आश्रम के बाद भी प्रति व्यक्ति प्रतिमास १५ रुपये के हिसाब से आर्थिक सहायता दी गयी।

सन् १९५१ में उत्तर प्रदेश राज्य ने पश्चिमी बंगाल पर निराश्रित विस्थापित महिलाओं को बसाने का भार कम करने के उद्देश्य से पूर्वी पाकिस्तान के ५०० विस्थापित निराश्रित महिला परिवारों को अपने यहां बसाने का प्रस्ताव किया था। इनमें से कुछ महिलाएं वृद्ध तथा अशक्त थीं। इनके लिए वाराणसी में एक आश्रम खोला गया। इस आश्रम में २३२ ऐसी वृद्ध एवं अशक्त महिलाओं के रहन सहन की व्यवस्था थी जिनका कोई भी आश्रय नहीं रहा। इनके अलावा पूर्वी पाकिस्तान के ४६ विस्थापित व्यक्ति ऐसे थे जो कि स्थाई रूप से सरकार के ऊपर भार बने हुए व्यक्तियों की श्रेणी में आते थे। इनको आश्रमों से बाहर रहने के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह १५ रुपये के हिसाब से नकद सहायता दी गयी। ऐसी महिलाओं तथा उनके आश्रितों के लिए, जिन को प्रशिक्षित किया जा सकता था। मिर्जापुर जिले के चुनार नामक स्थान में एक प्रशिक्षण संस्था खोली गयी। यह संस्था अक्तूबर, १९५४ में बन्द कर दी गयी थी। इस संस्था ने ४२५ विस्थापित महिलाओं के पुनर्वास में सहायता दी। उन महिलाओं के लिए जो स्वयं ही सहायता से नहीं बस सकती थी, लखनऊ और इलाहाबाद में दो उत्पादन केन्द्र स्थापित किये गये। वर्ष के अन्त तक लगभग ६३ परिवारों को छोड़ कर लगभग सभी परिवारों को, जो इन उत्पादन केन्द्रों में भर्ती किये गये थे, बसाया जा चुका था, लेकिन उक्त ६३ परिवार इन उत्पादन केन्द्रों में बने रहे। ऐसी आशा की जाती थी कि निकट भविष्य में ही ये परिवार भी राज्य की अर्थ व्यवस्था में खप जायंगे।

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए गृह व्यवस्था—दुकानों और गृहों के निर्माण के लिए १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी गृह निर्माण समितियों को ६५,००० रुपये तथा स्थानीय निकायों को २,५५,००० रुपये के ऋण दिये गये राज्य में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से निम्नलिखित मकानों तथा दूकानों का निर्माण कार्य पूरा किया गया—

१—राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा .. .. ३१ मकान और ६९ दुकानें
२—सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा .. .. ६१ मकान
३—स्थानीय निकायों द्वारा .. .. ९५ दुकानें
४—निजी संस्थाओं द्वारा .. .. ७ मकान और ७ दूकानें

एवेक्यू इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अधिनियम, १९५१ का प्रशासन—जब 'एवेक्यू इन्टरस्ट (सेपरेशन) अधिनियम' का प्रशासन १९५१ में लागू हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश राज्य

इस अधिनियम को लागू करने के लिए ६ सर्किलों में विभाजित किया गया। इस अधिनियम में उन निष्कान्त तथा अनिष्कान्त हितों के पृथक्करण के लिए विशेष व्यवस्था की गयी थी जो सम्मिलित निष्कान्त सम्पत्ति में मिल गये थे। राज्य की उक्त ६ समितियों में से प्रत्येक समिति एक अधिकारी को सौंपी गयी जिसे 'कम्पीटेंट आफीसर' की संज्ञा दी गयी और जो राज्य न्याय सेवा का सदस्य होता था।

कालान्तर में इस अधिनियम में अपेक्षित अधिकांश काम पूरा कर लिया गया और काम की कमी देखते हुये फैजाबाद, इलाहाबाद, आगरा और मुरादाबाद के चार सर्किलों को समाप्त कर दिया गया। आलोच्य वर्ष के अन्त में लखनऊ और मेरठ के दो ही सर्किल थे। ऐसी आशा की जाती थी कि निकट भविष्य में ही शेष कार्य पूरा कर लिया जायगा।

दावा संगठन—मई, १९४९ में भारत सरकार ने एक केन्द्रीय दावा संगठन स्थापित किया था जिसका काम निष्कान्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, प्रावीडेंट फंड, छुट्टी के वेतन और सेक्योरिटी डिपाजिट सम्बन्धी दावों का निर्धारण करना था। इन दावों को तय करने के लिए इसी प्रकार का एक संगठन राज्य सरकार के अधीन स्थापित किया गया। इस संगठन ने बाद में निष्कान्त ठेकेदारों के भी दावों को निपटाने का कार्य भी शुरू किया।

सन् १९५७-५८ के अन्त में राज्य दावा संगठन के पास निष्कान्त सरकारी कर्मचारियों तथा ठेकेदारों के २६५ दावे अनिर्णीत पड़े थे जिनको प्रमाणित किया जाना था। सन् १९५८-५९ में भारत सरकार ने प्रमाणित किये जाने के लिए ३८४ नये दावे भेजे और १८८ दावों को, प्रमाणित किया गया। अनिर्णीत दावों को शीघ्रातिशीघ्र प्रमाणित करन का कार्य पूरा करन लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किय जा रहे थे।

अध्याय ८

स्थानीय निकायों के कार्य

३८—पंचायतें

सामान्य—गांव पंचायतों ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को उत्साह के साथ कार्यान्वित किया और रचनात्मक कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुए।

राज्य के रबी और खरीफ के अभियानों में जिनमें पंचायतों ने भी भाग लिया, काफी उत्साह दिखलाई पड़ता था। पंचायतों ने कार्य समितियां बनाईं, ग्राम सहायक शिक्षण शिविरों के संचालन में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया, फसल प्रतियोगिता एवं क्षेत्र प्रदर्शन संगठित किये और बीज, उर्वरक तथा कृषि यन्त्रों के वितरण में सहायता पहुंचाई। रबी और खरीफ के अभियानों को लोकप्रिय बनाने तथा उन्नत कृषि विधियों में कृषकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से गांव सभाओं द्वारा २,८६,२०४ सभाएं की गयीं।

आलोच्य वर्ष में पंचायतों ने सामुदायिक बनों के क्षेत्रफल में ४४७ एकड़ की वृद्धि की। ८२० एकड़ के नये सामुदायिक उद्यान लगाये गये। सड़कों के किनारे तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में काफी संख्या में वृक्ष लगाये गये।

पंचायतघर—इसी प्रकार पक्के पंचायतघरों के निर्माण पर काफी बल दिया गया जिससे कि वे स्कूलों, चिकित्सालयों, सामुदायिक केन्द्रों और बीज गोदामों आदि के रूप में उपयोग किये जाने के लिए वे बहु उद्देशीय इमारतों का काम दे सकें। पंचायतों ने ९७५ पक्के और ३४ कच्चे पंचायत घरों का निर्माण किया जब कि पूर्वगामी वर्ष में ६९६ पक्के तथा ४४ कच्चे पंचायतघरों का निर्माण किया गया था। पंचायतघरों के लिए ६ पक्के और ४ कच्चे भवन दान में प्राप्त हुए।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता—आलोच्य अवधि में ८,६६६ पक्के और ८७४ कच्चे पीने के पानी के कुओं का निर्माण किया गया जबकि पूर्वगामी वर्ष में ७,१९८ पक्के और ८२४ कच्चे कुओं का निर्माण किया गया था। १३,१७५ पक्के और ९७१ कच्चे कुओं की मरम्मत की गयी।

पंचायतों ने ४८० मील लम्बाई की नई नालियों का निर्माण किया और २६८ मील की पुरानी नालियों की मरम्मत की जबकि पूर्वगामी वर्ष में ४९३ मील नई नालियों का निर्माण और २६९ मील पुरानी नालियों की मरम्मत की गयी थी। नालियों के निर्माण एवं उनके मरम्मत के कार्य में इस मामूली-सी कमी का कारण प्रकट रूप में यह था कि पंचायतें कृषि अभियानों में व्यस्त रहीं।

आलोच्य वर्ष में २,२१९ औषधि पेटिकाएं और ९० जच्चा-बच्चा पेटिकाएं खरीदी गयीं जबकि पूर्वगामी वर्ष में २,५५९ औषधि पेटिकाएं और ११८ जच्चा-बच्चा के बक्से खरीदे गये थे। इस मामूली-सी कमी का कारण धन की कमी थी।

सड़कें, गलियां इत्यादि—पंचायतों ने आलोच्य अवधि में ५१२ मील पक्की और २,१३४ मील कच्ची सड़कों का निर्माण किया जबकि पूर्वगामी वर्ष में १८६ मील पक्की और ७,२०८ मील कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया था। पूर्वगामी वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष निर्मित पक्की सड़कें लम्बाई में लगभग तिगुनी अधिक थीं। कच्ची सड़कों की लम्बाई घटने का कारण यह था कि इस वर्ष पुरानी कच्ची सड़कों की मरम्मत पर विशेष बल दिया गया।

२४४ मील लम्बी गांव की गलियों में ईंटे बिछाये गये जबकि पूर्वगामी वर्ष में ३२९ मील लम्बी पटरियों को पक्का किया गया था। इस कमी का कारण यह था कि पंचायतों ने पक्की सड़कों के निर्माण पर अधिक जोर दिया और अपने कोष का अधिक अंश इन्हीं सड़कों पर खर्च किया।

रोशनी—गांव पंचायतों ने सड़कों पर ५,३६० लालटेनें लगायीं जबकि पूर्वगामी वर्ष में इनकी संख्या ८,३१६ थी। लगायी गयी लालटेनों की संख्या में यह कमी निर्मित पक्की सड़कों की लम्बाई में कमी के अनुपात में थी।

शिक्षा एवं मनोरंजन—आलोच्य वर्ष में गांव पंचायतों ने अनेक साहित्यिक केन्द्र आरम्भ किये और ६६६ पुस्तकालयों की स्थापना की जबकि पूर्वगामी वर्ष में ८३८ पुस्तकालयों की स्थापना की गयी थी। धन की कमी के फलस्वरूप खरीदे गये रेडियो सेटों की संख्या में भी कमी हुई।

पंचायतों ने भजन मंडलियां भी संगठित कीं और राष्ट्रीय उत्सवों को उत्साह के साथ मनाया।

पंच सम्मेलन—राज्य में न्याय पंचायत, खंड और जिला स्तर पर चार दिन की अवधि क ८,३७७ पंच सम्मेलन संगठित किये गये। इन पंच सम्मेलनों में पदाधिकारियों को पंचायतराज अधिनियम और नियमावली के विषय में प्रशिक्षित किया जाता था और विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाता था। बख्शी का तालाब प्रशिक्षिण केन्द्र में चार दिवसीय एक पंच सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न विकास विभागों के राज्य स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया तथा इसमें मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रियों ने भाषण दिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार के गांव पंचायतों के आयुक्त भी सम्मिलित हुए।

३९—नगरपालिकाएं

जन-स्वास्थ्य और सफाई—नगरपालिकाएं सामान्य रूप से शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था, यातायात एवं परिवहन के साधनों का रखरखाव और उनका सुधार, संक्रामक रोगों की रोक थाम और उनका नियन्त्रण तथा जन-स्वास्थ्य का सुधार करती रहीं।

८६ नगरपालिकाओं द्वारा (जिनसे रिपोर्ट प्राप्त हुई) कुल ८९ चिकित्सा संस्थाओं का रख-रखाव किया जा रहा था तथा वित्त पोषित संस्थाओं की संख्या १३० थी। इस प्रकार की संस्थाओं को नगरपालिकाओं द्वारा कुल २,२५,३८० रु० की आर्थिक सहायता दी गई।

शिक्षा—३१ अक्तूबर, १९५८ को ६३ नगरपालिकाओं द्वारा (जिनसे रिपोर्ट प्राप्त हुई) कुल जितने स्कूलों का रखरखाव किया जा रहा था उनकी संख्या १,७९८ थी। और इन पर अनुमानित धन १ करोड़ २० लाख ५७ हजार रु० था। इनके अतिरिक्त इन नगरपालिकाओं ने ४५२ स्कूलों को कुल ३ लाख ६० हजार रु० की आर्थिक सहायता दी।

सार्वजनिक निर्माण—नगरपालिकाओं द्वारा कई सड़कों, इमारतों तथा पुलों का निर्माण तथा मरम्मत किया गया। कुल १,३७४·८०३ मील पक्की तथा ६०६·४६७ मील कच्ची सड़कों का ८३ नगरपालिकाओं द्वारा (३१ अक्तूबर, १९५८ तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) रखरखाव किया गया। इन सड़क के रखरखाव व उनकी मरम्मत पर ६७ लाख ८६ हजार रु० का तखमीना था।

अन्य कार्य—नगरपालिकाओं ने अनेक मेले व प्रदर्शनियों का अयोजन किया और इन स्थानीय समारोहों को सफल बनाने के लिए प्रत्येक सम्भावित सुविधाएं प्रदान कीं। स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयन्ती जैसे राष्ट्रीय महत्व के अवसर राज्य सरकार के सहयोग से नगरपालिकाओं ने मनाये।

४०—जिला बोर्ड (अन्तरिम जिला परिषद्)

शिक्षा—सदा की भांति शिक्षा जिला बोर्डों का मुख्य उत्तरदायित्व बना रहा। आलोच्य वर्ष में जिला नियोजन समिति जिला बोर्ड (अन्तरिम जिला परिषद्) में परिवर्तित कर दिये गये। १ नवम्बर, १९५० को सरकारी प्रारम्भिक पाठशालाओं (प्राइमरी स्कूलों) का हस्तान्तरण जिला बोर्डों को कर दिये जाने के फलस्वरूप जिला बोर्डों पर ग्राम क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व आ पड़ा था।

स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों की संख्या में आलोच्य वर्ष में काफी वृद्धि हुई। इलाहाबाद, आजमगढ़, गढ़वाल, और मिर्जापुर के जिलों में इन स्कूलों की संख्या जो कि क्रमशः ८७५, ८२१, ८०५ और ५८५ थी, विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

इन स्कूलों में शिक्षा के अभिनवीकरण की योजना कार्यान्वित की जाती रही। कृषि पर, जोकि बहुसंख्यक ग्राम जनता का मुख्य धंधा था, उचित बल दिया जाता रहा। सामाजिक शिक्षा और पाठ्येतर कार्यक्रमों पर भी काफी ध्यान दिया जाता रहा।

श्रमदान—श्रमदान लोकप्रिय बना रहा और आत्म सहायता दल स्कूल की इमारतों में सफेदी करने, छोटे छोटे निर्माण कार्यों और मामूली मरम्मत जैसे कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे। एक जिले में इन स्कूलों में अध्यापकों और छात्रों द्वारा किये गये श्रमदान का मूल्य १०,३३७ रु० आंका गया।

सार्वजनिक निर्माण—आलोच्य वर्ष में इमारतों के रखरखाव उनकी मरम्मत तथा उनके निर्माण पर अधिकांश स्थानीय निकायों ने उचित ध्यान दिया। धन और श्रम के रूप में जनता के चन्दे से ये निकाय काफी बड़ी संख्या में इमारतों एवं सड़कों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत कर सकने में समर्थ हुए।

सीतापुर जिले में रहीमाबाद पुल से सम्बद्ध एक पक्की सड़क का २०,१३३ रु० की लागत से पुनर्निर्माण किया गया। वाराणसी में बोर्ड (परिषद्) ने ६ नई पुलियाओं का निर्माण किया और कार्यालय की इमारत के विस्तार का निर्माण कार्य पूरा हुआ। मथुरा में राया के पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य ३०,००० रु० की लागत से पूरा किया गया। आजमगढ़ में ४४ मील से अधिक की कच्ची सड़क पक्की की गयी। इलाहाबाद में ४ स्कूलों के वर्कशाप, २ पुलियाएं, और क्वार्टरों सहित ३ कांजी हाउसर्ज की इमारतों का निर्माण किया गया और नैनी रेलवे स्टेशन को मिलाने वाली सीमेंट कंक्रीट की सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया गया। झांसी में ६ पुलियाओं का निर्माण किया गया। हमीरपुर जिले में ३ कांजी हाउसों का निर्माण किया गया और आलोच्य वर्ष में महोबा टेनरी रोड के ४ मील से अधिक का भाग पक्का किया गया।

चिकित्सा सहायता और जन-स्वास्थ्य के उपाय—ऐसे एहतियाती और रोग निरोधक उपायों को बढ़ावा देने के प्रयत्न किये गये जोकि गांवों में सम्भव थे। केवल कुछ जिलों को छोड़ कर राज्य के ग्राम क्षेत्र सामान्यतः संक्रामक रोगों से मुक्त रहे।

अपनी वित्तीय कठिनाइयों की चिन्ता न करते हुए इन स्थानीय निकायों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं की उदारता पूर्वक सहायता की। सीतापुर में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय को ५,८०० रु० की सहायता दी गयी और क्षय रोग के रोगियों की चिकित्सा के लिए भी सहायता दी गयी। मिर्जापुर में गुरसण्डी में एक नेत्र चिकित्सा शिविर खोला गया और अलीगढ़ में गांधी नेत्र चिकित्सा को ५,००० रु० दिये गये तथा दो अन्य अस्पतालों को ३,००० रु० दिये गये।

जल सप्लाई की योजनाएं—आलोच्य वर्ष में काफी तादाद में कुओं की बोरिंग की गयी, उनकी सफाई की गयी तथा अनेक हैंड पम्प भी लगाये गये, ३६ कुओं की बोरिंग की गयी, ५५१ पुराने कुओं की सफाई की गयी और १,४०,००० कुओं को कीटाणु रहित किया गया।

मेले और प्रदर्शनियां—बोर्ड (परिषद्) के प्रबन्ध में होने वाले मेले और प्रदर्शनियों का सफलतापूर्वक संगठन किया गया। सफाई की भी उचित व्यवस्था की गयी। कुछ जिलों में ग्राम जनता की सुविधा के लिए पशु मेले भी लगाये गये। मथुरा के सादाबाद में एक प्रदर्शनी संगठित की गयी जो काफी सफल एवं शिक्षाप्रद रही।

वन महोत्सव—वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण में काफी दिलचस्पी ली गयी। आजमगढ़ जिले में ९,८७५ वृक्ष लगाये गये जिनमें से ८,४४४ वृक्ष पाठशालाओं के अहाते में और १,४३१ सड़कों के किनारे लगाये गये। अलमोड़ा जिले में ७६० वृक्ष लगाये गये।

४१—नोटीफाइड एरिया

स्वच्छता—सरकार ने अपने पर मैला न ले जाने के लिये नोटीफाइड एरिया कमेटियों को जो आदेश दिये थे इनका पालन किया गया। इस आदेश के पालन में अधिकांश नोटीफाइड एरिया कमेटियों ने कूड़ा-कचरा तथा मैला हटाने के लिए बैलगाड़ियों तथा हाथ से खींचे जाने वाले ठेले आदि की व्यवस्था

की। अनेक नोटीफाइड एरियाओं में सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय भी बनाये गये। द्वितीय श्रेणी के नगरों के मेहतरों के लिये स्वीकृत वेतन दर के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र की नोटीफाइड एरिया कमेटियों को भी अपने मेहतरों को इसी दर से वेतन देने की, उनकी विशेष स्थिति को देखते हुए, आज्ञा दी गयी, क्योंकि ये कमेटियां काफी संख्या में मेहतरों को पाने व उन्हें रखने में कठिनाई अनुभव कर रही थी।

नोटीफाइड एरिया कमेटियों ने नालियों की मरम्मत व इनकी सुधार की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया। बागपत (मेरठ) की नोटीफाइड एरिया कमेटी ने अपनी नाबदानों को सीमेंट का करा लिया, नवाबगंज (गोंडा) की नोटीफाइड एरिया ने नालियों के निर्माण पर १,२०० रु० व्यय किया। ककराला (बदायूं) और कधांला (मुजफ्फरनगर) की नोटीफाइड एरिया क्रमशः योजनाएं कार्यान्वित कर रही थीं।

जल सप्लाई—पूर्व की भांति अधिकांश नोटीफाइड एरियाओं का जल सप्लाई का मुख्य साधन पक्के कुयें और नलकूप थे। आलोच्य वर्ष में आलमबाग, चारबाग (लखनऊ) की नोटिफाइड एरिया ने ८ नलकूप लगाये और कुछ तालाबों का निर्माण किया। उत्तर काशी (टिहरी गढ़वाल) की नोटिफाइड एरिया में जल सप्लाई की एक योजना कार्यान्वित की गयी। अहरोरा (मिर्जापुर) की नोटीफाइड एरिया ने ३२,००० रु० की लागत से एक नलकूप का निर्माण किया और इससे उस क्षेत्र के पीने के शुद्ध पानी की समस्या काफी आसान हो गयी। दोगड्डा (गढ़वाल) की नोटीफाइड एरिया कमेटी ने 'हरिजन बस्ती' में हरिजनों के लिए एक पक्के कुयें का निर्माण कराया और हैंड पाइप लगवाया। भुवाली (नैनीताल) और ककराला (बदायूं) ने नोटीफाइड एरिया कमेटियों की जल सप्लाई की योजना विचाराधीन थी।

जन-स्वास्थ्य के उपाय—टीका लगाने, मलेरिया निरोधक औषधियों का मुफ्त वितरण, करने, डी० डी० टी० या छिड़काव करने और कुओं में कीटाणुनाशक औषधियों के छोड़ने जैसे एहतियाती एवं निरोधात्मक कार्यवाहियों के फलस्वरूप नोटीफाइड एरिया कमेटियां सामान्यतः संक्रामक रोगों से मुक्त रहीं। ककराला (बदायूं) की नोटीफाइड एरिया १०,००० रु० की लागत से एक अस्पताल बनवाने का प्रयत्न कर रही थी। कुछ नोटीफाइड एरिया कमेटियों ने अपने क्षेत्र के अन्दर के अस्पतालों को वार्षिक अनुदान आदि में रूप में आर्थिक सहायता भी दी। सरधना (मेरठ) की नोटीफाइड एरिया ने जनाना अस्पताल और जैन औषधालय को दो-दो सौ रुपयों की आर्थिक सहायता दी।

सड़कों का निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य—कमेटियां अपने वर्तमान सड़कों व गलियों का रखरखाव और उनकी मरम्मत आदि करती रहीं। अपने वित्तीय सीमित साधनों को देखते हुए भी कमेटियों ने, सामान्य रूप से इस दिशा में अच्छा कार्य किया। इन कमेटियों द्वारा किये गये कार्यों की सराहना के हेतु सरकार ने सड़कों की रखरखाव एवं उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक नोटीफाइड एरिया को ५,००० रु० का आर्थिक अनुदान स्वीकृत किया। चारबाग आलमबाग की नोटीफाइड एरिया ने ९क मील लम्बी सड़क को पक्का किया। कमेटी ने आलमबाग क्षेत्र में दो दुकानों का भी निर्माण किया। बागपत की नोटीफाइड एरिया ने कुल ६,१८७ वर्ग फुट क्षेत्र की गलियों में खडंजा बिछाया। नवाबगंज (गोंडा) की नोटीफाइड एरिया कमेटी ने ३,६०० फुट लम्बी तारकोल की सड़क बनायी। ककराल की नोटीफाइड एरिया कमेटी ने सड़कों और गलियों के निर्माण में तथा अन्य निर्माण कार्यों में बहुत सी अन्य कमेटियों से अपने कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए इसने ३०,००० की लागत की एक योजना तैयार की। इस इमारत की पहली मंजिल बन कर तैयार हो गयी। कमेटी द्वारा निर्मित सड़कों और नालियों की लागत २५,००० थी। नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल) की नोटीफाइड एरिया कमेटी ने एक टाउन हाल की इमारत, ४ स्टाफ क्वार्टर और एक धोबी-घाट का निर्माण ५६,००० रु० की लागत से किया। दोगड्डा (गढ़वाल) की नोटीफाइड एरिया कमेटी ने अपनी सभी सड़कों को आलोच्य वर्ष में पक्का कर लिया। भिनगा (बहराइच) की नोटीफाइड एरिया कमेटी ने एक सड़क का निर्माण आरम्भ किया जो कि ३०,००० फुट लम्बी और १४ फुट चौड़ी थी। श्रीनगर (गढ़वाल) के नोटीफाइड एरिया कमेटी ने २,१०० रु० की लागत से २ फर्लांग लम्बी एक सड़क का निर्माण किया।

सड़कों पर रोशनी——प्रायः सभी नोटीफाइड एरिया कमेटियों ने सड़कों पर की रोशनी के प्रबन्ध में सुधार किया। अधिकांश कमेटियों ने रोशनी के लिए सड़कों पर लैम्प लगवाये पर कुछ ने बिजली लगवा ली। कंधाला की नोटीफाइड एरिया कमेटी ने सड़क पर अपने लैम्पों की संख्या ७६ से बढ़ाकर १४७ कर ली और बिजली के पाइंट ८२ से ९४ कर लिये। साथ ही कमेटी ३० बिजली के ट्यूब लगवाने की भी आशा करती थी। ककराला की नोटीफाइड एरिया कमेटी ने २१२ लैम्प लगवाये। देवप्रयाग (टिहरी-गढ़वाल) की नोटीफाइड एरिया ने अपनी सड़कों पर रोशनी का प्रबन्ध करने के लिए तेल के लैम्पों और गैसों की व्यवस्था की। नवाबगंज (गोंडा) की नोटीफाइड एरिया ने मुख्य बाजार में रोशनी के लिए बिजली लगवा दी। शेष स्थानों पर लैम्प द्वारा ही रोशनी होती रही। अहरौरा (मिर्जापुर) की नोटीफाइड एरिया ने १२० नये लैम्प पोस्ट लगवाये। मिट्टी के तेल से लैम्प जलाये जाते थे।

शिक्षा——नोटीफाइड एरिया की सीमाओं के भीतर कमेटियां या तो स्वयं शिक्षा संस्थाएं चला कर या निजी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देकर शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के लिये प्रयत्नशील थी। दोगड्डा (गढ़वाल) की नोटीफाइड एरिया एक प्राइमरी स्कूल चला रही थी और लड़कों तथा लड़कियों का एक जूनियर स्कूल खोलने के लिये प्रयत्नशील थी। कन्धाला (मुजफ्फरनगर) की नोटीफाइड एरिया दो प्राइमरी स्कूल चला रही थी और लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल को आर्थिक सहायता दे रही थी। एक स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालय को भी यह कमेटी २०० रु० का वार्षिक अनुदान दे रही थी। चारबाग आलमबाग की नोटीफाइड एरिया अपनी सीमा के भीतर स्थित एक स्कूल को १,२५० रु० का अनुदान दे रही थी। बागपत (मेरठ) की नोटीफाइड एरिया कमेटी एक पुस्तकालय और एक वाचनालय चला रही थी और एक प्राइमरी स्कूल को ९६० रु० वार्षिक अनुदान दे रही थी। नवाबगंज (गोंडा) की नोटीफाइड एरिया कमेटी एक स्कूल चला रही थी जिसमें ५वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी थी। इस स्कूल के लिए एक नई इमारत का भी प्रबन्ध कमेटी ने किया। नरेन्द्रनगर (टिहरी-गढ़वाल) और बादशाहपुर (जौनपुर) की नोटीफाइड एरिया कमेटियां अपनी सीमाओं के भीतर स्थित शिक्षा संस्थाओं को क्रमशः ४०० रु० और ७२० रु० का वार्षिक अनुदान देती थीं। उतरौला (गोंडा) की नोटीफाइड एरिया कमेटी एक बुनियादी प्रारम्भिक पाठशाला चला रही थी और इसकी इमारत के निर्माण के हेतु आवश्यक सक्रिय कदम उठा रही थी।

विकास और अन्य कार्य——उत्तर काशी (टेहरी-गढ़वाल) की नोटीफाइड एरिया कमेटी कस्बे की सुरक्षा के लिए केदार घाटी पर गंगा नदी पर एक बांध बांधने का विचार कर रही थी। सरकार द्वारा इस कार्य के लिए ११,१०० रु० का अनुदान दिया गया। शाहगंज (जौनपुर) और ककराला (बदायूं) की नोटीफाइड एरिया कमेटियों ने किसानों के लाभार्थ कम्पोस्ट खाद की योजना चालू की। यह दोनों नोटीफाइड एरिया कमेटियां मुख्यतः कृषि क्षेत्र थीं। अनेक नोटीफाइड एरिया कमेटियों ने अपनी सीमाओं में या आसपास होने वाली प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लिया। कन्धाला (मुजफ्फरनगर) की नोटीफाइड एरिया ने रामलीला के मेले में सफाई, रोशनी आदि के प्रबन्ध पर ३०० रु० खर्च किया। सरधना (मेरठ) की नोटीफाइड एरिया कमेटी ने नौचन्दी के मेले में रोशनी की व्यवस्था की। बागपत (मेरठ) की नोटीफाइड एरिया कमेटी ने एक पशु बाजार लगाया जिससे उसमें पूर्वी पंजाब से भी उन्नत नस्ल के पशु मंगाये। नरेन्द्रनगर की नोटीफाइड एरिया ने कार्तिक स्नान के अवसर पर एक छोटा-सा मेला लगाने के अतिरिक्त ड्रामा और वालीवाल प्रतियोगिता की। मकरसंक्रांति और वसंत पंचमी के दिनों भी एक प्रदर्शनी और दो मेले आयोजित किये गये। नवाबगंज (गोंडा) ने एक सावन झूला मेला संचालित किया जो १५ दिन तक रहा। दशहरा और जन्माष्टमी के दिनों अहरौरा (मिर्जापुर) की नोटीफाइड एरिया ने दो मेले लगाये।

कुछ नोटीफाइड एरियाओं ने बच्चों के लिये उद्यान लगाये और कसरत व खेलकूद के सामान की व्यवस्था की। दोगड्डा (गढ़वाल), नरेन्द्रनगर (टिहरी-गढ़वाल) और नवाबगंज (गोंडा) की नोटीफाइड एरिया ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किये। चारबाग आलमबाग (लखनऊ) की नोटीफाइड एरिया ने अपनी सीमा के भीतर निवासियों की सुविधा के लिए एक शाखा डाकखाना खुलवाया।

४२—टाउन एरिया

सफाई और जन-स्वास्थ्य के उपाय—प्रायः सभी टाउन एरियाओं में हैजा, मलेरिया, चेचक आदि से बचाव के लिए कुओं में कीटाणुनाशक दवाएं छोड़ना, टीके लगाने जैसे निरोधात्मक उपाय व्यापक पैमाने पर अपनाये गये। प्रायः सभी टाउन एरियाओं के पास मेहतर, जमादार और भिश्ती पर्याप्त संख्या में थे। सड़कों और गलियों की रोजाना सफाई के अतिरिक्त वर्षा से हुए गड्ढों आदि को भी भरने के प्रयास किये जाते रहे। यद्यपि किसी भी टाउन एरिया में नाबदानों की संतोषजनक व्यवस्था न थी, फिर भी वर्तमान नालियों की सफाई का काम छोड़ा नहीं गया। पवांयां की टाउन एरिया में, जहां सितम्बर, १९५८ में भारी वर्षा के कारण हैजा फैल गया था, जन-स्वास्थ्य विभाग की सहायता से बीमारी की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किये गये। बागेश्वर (अल्मोड़ा) की टाउन एरिया ने १२ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया। मुनि की रेती (टिहरी-गढ़वाल) की टाउन एरिया ने अनेक सार्वजनिक मूत्रालय बनवाये। सिंघाही भेरौरा (खीरी) और पोखरायां (कानपुर) की टाउन एरियाओं में कूड़ा हटाने के लिए ठेले खरीदे गये।

खेरी के टाउन एरिया में स्वच्छता के सामान्य उपाय अपनाये जाने के अतिरिक्त सांप काटने की एक दवा का सांप काटने वालों में बांटने का प्रबन्ध किया गया। हैजा की रोकथाम के लिए एसेंशल आयल का स्टाक कर लिया गया। चकिया (वाराणसी) की टाउन एरिया ने मुफ्त दवा बांटने का प्रबन्ध किया।

जल सप्लाई—पानी की सप्लाई के मुख्य साधन कुएं और हैंडपम्प रहे। जहां सम्भव हुआ वहां टाउन एरियाओं ने बड़ी योजनाएं आरम्भ कीं। मौदहा (हमीरपुर) की टाउन एरिया ने स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ६०० रु० की अनुमानित लागत की अपनी जल सप्लाई की योजना तैयार कराई, जोहारपुर (देहरादून) की टाउन एरिया कमेटी के लिए विभाग ने पाइप द्वारा जल सप्लाई की और प्रयोगात्मक नलकूपों की एक योजना भी तैयार की। राज्य स्वास्थ्य बोर्ड ने इस कार्य के लिए ४४,००० रु० के एक अनुदान की स्वीकृति दी। गोकुल (मथुरा) की टाउन एरिया कमेटी ने एक नलकूप लगाया। मेंहदावल की टाउन एरिया में जल विद्युत् द्वारा चालित एक नलकूप सरकार द्वारा लगाया गया। मिर्जापुर जिले के राबर्ट्सगंज टाउन एरिया में जल सप्लाई की एक योजना चल रही थी और जनता को मीटर के आधार पर पानी के कनेक्शन दिये गये। शिवपुर (वाराणसी) की टाउन एरिया कमेटी ने २०,००० रु० की लागत की एक जल सप्लाई की योजना तैयार की। गंगापुर की टाउन एरिया कमेटी ने भी जल सप्लाई की एक योजना तैयार की। इटावा जिले में जसवंतनगर की टाउन एरिया ने अपने इस वर्ष के बजट में हैंड पाइप लगाने के लिए ३,००० रु० की व्यवस्था की। पोखरायां (कानपुर) की टाउन एरिया में १६,००० रु० की लागत से एक नलकूप लगाया गया और योग्य इंजीनियरों के परामर्श से पाइप लाइनें लगाने का प्रबन्ध किया जा रहा था।

सड़कें और सार्वजनिक उपयोग के अन्य कार्य—अपने मामूली वित्तीय साधनों के बावजूद भी इन स्थानीय निकायों ने सड़कों, नालियों, पुलियों और अन्य छोटे-मोटे कार्यों के निर्माण एवं उनकी मरम्मत में काफी रुचि दिखलाई।

हमीरपुर जिले में मौदहा की टाउन एरिया कमेटी ने कुछ खड़ंजे बिछाये और एक लाख रु० की लागत से अपनी सड़कों को पक्का करने की योजना बनायी।

लखनऊ जिले में मलिहाबाद की टाउन एरिया कमेटी ने अपनी कच्ची गलियों की मरम्मत की और काकोरी तथा गोसाईंगंज की कमेटी ने पक्की सड़कें बनाई। मेंहदावल की टाउन एरिया कमेटी ने ११,००० रु० अपने सरकारी अनुदान का उपयोग अपनी सड़कों की मरम्मत में किया।

संथल (बरेली) की टाउन एरिया कमेटी ने अपने बजट में सड़कों और कुओं के निर्माण के लिए १४,८४४ रु० की व्यवस्था की। मेवागंज की टाउन एरिया ने राज्य सरकार से ३०० रु० की सड़क के लिए स्वीकृत अनुदान से खड़ंजा बिछाने का काम आरम्भ किया। सिरौली की टाउन एरिया में

२,६०० रु० सड़कों के निर्माण पर व्यय किये गये। साही की टाउन एरिया ने भी नयी सड़कों का निर्माण किया।

बदायूं जिले में दातागंज की टाउन एरिया ने ४ फर्लांग लम्बी तारकोल की सड़क का निर्माण किया। बिसौली की टाउन एरिया ने इस वर्ष अपनी ३ फर्लांग लम्बी कंक्रीट की सड़क का कार्य पूरा किया। गवा की टाउन एरिया में पटरियों के कार्य पर ६,००० रु० खर्च किया गया।

कोपागंज, फूलपुर, सराहमीर, नियामाबाद, अमिला, दोहरीघाट मुबारकपुर, मोहमदाबाद और अतरौलिया की कमेटियों ने अपने लिये स्वीकृत किये गये सरकारी अनुदानों का उपयोग करने के हेतु अनेक सार्वजनिक कार्य आरम्भ किया।

पूरनपुर (पीलीभीत) की टाउन एरिया ने तीन छोटे-छोटे पुलों का निर्माण किया। नियोरिया हुसेनपुर की टाउन एरिया ने अपने कुछ सड़कों और नालियों की मरम्मत की। छोहारपुर (देहरादून) की कमेटी ने नई नालियों के निर्माण की और पुरानी के मरम्मत की अपनी योजना के कार्यान्वय को जारी रखा। बिलसदा की टाउन एरिया ने सड़कों के दोनों ओर ६ खड़ंजे की और पक्की नालियों का निर्माण किया। गोरखपुर जिले में नौतनवा, सिसवा, बड़हलगंज और गोला की कमेटियों ने सड़कों और नालियों के निर्माण व उनकी मरम्मत पर काफी रुपया खर्च किया। राबर्ट्सगंज की कमेटी ने सड़कों की मरम्मत पर ११,६३३ रु० खर्च किया और १५१ रु० की लागत से दो पुलों की मरम्मत की।

वाराणसी जिले में ज्ञानपुर की टाउन एरिया ने एक सड़क का निर्माण किया और २४५ फुट लम्बी सड़कों पर ३,१०० रु० की लागत से खड़ंजे बिछाये। चकिया (वाराणसी) की टाउन एरिया कमेटी ने अपनी पुरानी सड़कों की मरम्मत की।

शाहजहांपुर में जलालाबाद की टाउन एरिया ने एक पक्की सड़क का निर्माण किया और ३ सड़कों पर खड़ंजे बिछाये। इन सब की कुल लम्बाई १५०० फुट थी। कटरा की टाउन एरिया में एक पक्की सड़क बनाई गयी और ७ सड़कों पर खड़ंजे बिछाये गये। इन सब की लम्बाई १००० फुट थी। मुख्य सड़क को पुनः पक्का किया गया। पौवांया में कमेटी ने अपनी मुख्य सड़क को पुनः पक्का किया और ३ नाबदानों का निर्माण किया।

लहरपुर (सीतापुर) की टाउन एरिया कमेटी ने अपनी ५ मील लम्बी सड़कों को पक्का करने के अतिरिक्त एक फर्लांग खड़ंजा बिछाए और १ फर्लांग की तारकोल की सड़क बनाने का कार्य आरम्भ किया।

अल्मोड़ा जिले में जागेश्वर की टाउन एरिया कमेटी ६,००० रु० के सरकारी अनुदान की सहायता से ३ सार्वजनिक मार्गों का निर्माण कर रही थी। इसने ६८ फुट लम्बी एक नयी पक्की नाली का निर्माण-कार्य पूरा कर लिया।

बुलन्दशहर जिले में शिकारपुर, औरंगाबाद, गुलावती, मान बहादुरनगर, जेवार, राबूपुरा, पहासू, ददरी, डंकौर और बिलासपुर की कमेटियों ने नालियों, सड़कें, खड़ंजे बिछाने, पुलियां, मोटर स्टैंड और सीमेंट तथा कंकड़ मार्ग बनाने जैसे विभिन्न सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर लगभग ५०,००० रु० व्यय दिये गये। सियाना की टाउन एरिया कमेटी १७,००० रु० की लागत से एक चिकित्सालय की इमारत का निर्माण कर रही थी।

सहारनपुर जिले में बेहाट, रामपुर, ननौल, नकुर, सरसवां, अम्बेहदा नितरांव और चिलखाना की कमेटियों ने भी कुछ सड़कों का निर्माण किया।

कानपुर की मऊ एरिया कमेटी ने ३० गज लम्बी सड़क की मरम्मत की और ३६४ फुट लम्बी तथा २ फुट चौड़ी एक नाली का निर्माण किया। झींझक की टाउन एरिया कमेटी ने ५६५ फुट लम्बी एक पक्की सड़क का निर्माण किया। छोहारपुर (देहरादून) की टाउन एरिया कमेटी ने एक बूचड़खाने का भी निर्माण किया। मौदहा की टाउन एरिया कमेटी ने कुओं की मरम्मत पर १,०६६ रु० व्यय किया। फफूंद की टाउन एरिया ने भी अपने पुराने कुओं की मरम्मत की।

सड़कों पर रोशनी—केवल कुछ को छोड़ कर शेष टाउन एरियाओं में सड़कों पर रोशनी तेल के लैम्पों द्वारा की जाती थी। कुछ कमेटियों ने बिजली की रोशनी का प्रबन्ध किया।

आलोच्य वर्ष में छोहारपुर (देहरादून) की टाउन एरिया में बिजली लगी। इसी अवधि में बरेली जिले की फतेहगंज, बिसौली, सेंथल और शाही की टाउन एरियाओं में भी बिजली लगी। बिसौली और इस्लामनगर (बदायूं) की टाउन एरियाएं अपने यहां सड़कों पर बिजली लगवाने का प्रबन्ध कर रही थीं। गोकुल, बलदेव राधा और गोवर्धन की टाउन एरियाओं में सड़कों पर बिजली लगाने की योजनाएं तैयार की गयी। नेवरिया (पीलीभीत) की टाउन एरिया में एक उप-बिजली घर का निर्माण किया गया और बिजली के आवश्यक उपकरण खरीदे गये। गोरखपुर जिले के सिसवा और बड़हलगंज की टाउन एरियाओं में बिजली के द्वारा रोशनी करने का प्रबन्ध किया गया। राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) की टाउन एरिया में भी विद्युत विभाग ने बिजली की सप्लाई का प्रबन्ध किया। कदुआ की टाउन एरिया में बिजली के खम्भे लगा दिये गये और वहां शीघ्र ही बिजली आ जाने की आशा है।

पार्क, उद्यान और बाल क्रीड़ास्थल—वित्तीय कठिनाइयों के कारण टाउन एरियाएं उद्यान और पार्क लगाने की दिशा में अधिक प्रगति न कर सकी। आलोच्य वर्ष में मेंहदावल की टाउन एरिया कमेटी ने बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान का प्रबंध किया और आवश्यक उपकरण आदि खरीदे। गोपीगंज (वाराणसी) की टाउन एरिया ने भी बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान की व्यवस्था की। टनकपुर (नैनीताल) और बरथाना (इटावा) की टाउन एरियाओं ने भी बच्चों के खेलने के पार्क की व्यवस्था की और जिमनास्टिक के उपकरण मंगाये। नेवरिया (पीलीभीत) की टाउन एरिया कमेटी ने और बिसौली (बदायूं) की कमेटी ने भी बच्चों के खेलने के मैदान की व्यवस्था की।

सार्वजनिक संस्थाओं को सहायता—पहले की ही भांति टाउन एरिया कमेटियां दातव्य, शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाओं की सहायता करती रही। झांसी की टाउन एरियाओं ने नेत्र चिकित्सा कोष में २,००० रु० दिये। सुमेरपुर की टाउन एरिया ने भी एक संस्कृत पाठशाला को ६०० रु० का अनुदान दिया। गौरा (बदायूं) की टाउन एरिया कमेटी ने एक स्थानीय स्कूल को ६०० रु० का अनुदान दिया। दातागंज और अलीगंज की टाउन एरिया कमेटियों ने सार्वजनिक वाचनालयों का प्रबन्ध किया। मथुरा जिले की कमेटियों ने कुछ संस्थाओं को अनुदान देने के अतिरिक्त नेत्र-चिकित्सा संस्था को २,००० रु० का अनुदान दिया। राबर्ट्सगंज की टाउन एरिया कमेटी ने स्थानीय पाठशाला और रामलीला समिति को क्रमशः ७५० रु० और १००० रु० का अनुदान दिया। गंगापुर (वाराणसी) की टाउन एरिया ने एक ग्राम सेविका केंद्र की स्थापना के लिए १०० रु० दिये।

४३—कानपुर विकास बोर्ड

आलोच्य वर्ष में कानपुर विकास बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में मास्टर प्लान के अनुसार नगर का नियमित प्रसार करना, नगर के पड़ोस में आवास बस्तियों का विकास करना, औद्योगिक और व्यावसायिक स्थलों की व्यवस्था करना, जल सप्लाई और जल की निकासी की व्यवस्था का विस्तार करना, बाजारों का निर्माण करना और गन्दी बस्तियों की सफाई का कार्य करना था।

नियोजन और विकास—कल्याणपुर के निकट रिजनल नेशनल टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट के लिए स्थल का चुनाव किया गया। जाजमऊ के औद्योगिक एवं आवास क्षेत्र किदवईनगर विस्तार और जूही के अल्प आय के लोगों के लिए गृह निर्माण का नक्शा 'ले आउट' को अंतिम रूप दिया गया तथा वहां और काकादेव में विकास कार्य आरम्भ किया गया।

ग्रांड ट्रंक रोड और कालपी रोड को मिलाने वाली १०० फुट चौड़ी एक मास्टर प्लान रोड का निर्माण किया गया और उसे यातायात के लिए खोल दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण सड़क, जिसका कि निर्माण किया गया और जिसे यातायात के लिए खोला गया, १०० फुट चौड़ी किदवई नगर-गोविन्दनगर सड़क थी। इस पर गंगा नहर पर एक पुल भी बनाया गया।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त पुराने कानपुर, किदवई नगर, गोविन्दनगर इमारती सामानों के बाजार के क्षेत्र में, लाजपत नगर विस्तार और हरिहरनाथ शास्त्री नगर में विकास कार्य चल रहे हैं।

जल-सप्लाई का रखरखाव व विस्तार—नगर की जल सप्लाई का पूरे वर्ष उचित रूप से रखरखाव किया गया। अब नगर के विभिन्न भागों में 'पानी बचाओ' अभियान चला कर जल की बरबादी रोकने के लिए प्रयास किये गये।

गोविन्दनगर, परमपुरवा और फैक्टरी के क्षेत्र के विभिन्न भागों में जल सप्लाई के विस्तार का कार्य पूरा किया गया। गोविन्दनगर के पंप हाउस की शक्ति बढ़ाई गयी और २,६७० मकानों के नये लेबर कालोनी को पानी की सप्लाई करने के लिए जूही के पंपिंग स्टेशन का कार्य पूरा किया गया। जाजमऊ में, उस क्षेत्र के मुख्य वितरक लाइनों के विस्तार होने तक नई लेबर कालोनी के लिए ३ नलकूप लगाये गये। काकदेव पंप हाउस में प्लांट खड़ा करने का कार्य पूरा किया गया। कैंटोनमेंट क्षेत्र में पानी की सप्लाई के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड से प्रबन्ध किया गया।

बेना झाबर में, छने पानी का पंप करने के लिए १३ एम० जी० डी० पंपिंग सेट लगाया गया। नहर पंपिंग हाउस में एक १५ एम० जी० डी० पंपिंग प्लांट लगाया गया और चालू किया गया।

जल निकासी का विस्तार—नवाबगंज से जाजमऊ तक १० मील से अधिक ही फैली हुई ट्रंक सीवर नं० १ का कार्य पूरा किया गया जिससे कि विभिन्न घाटों पर नालियों द्वारा गंगा जी में गिरने वाले गन्दे मलमूत्र इन नालों से अन्यत्र ले जाये जा सकें।

गंदगी व मलमूत्र के उपयोग की जो योजना सन् १९५१–५२ में आरम्भ की गयी थी वह जारी रही और आलोच्य वर्ष में इस कार्य के लिए एक विशेष प्रकार के परदे मंगाये गये। गंदे पानी के ले आने के लिए एक नाली का भी निर्माण किया गया।

औद्योगिक आस्थान—उद्योग निदेशालय की ओर से बोर्ड द्वारा कालपी रोड स्थित औद्योगिक आस्थान में विकास का कार्य पूरा किया गया।

वित्त-पोषित औद्योगिक गृह निर्माण योजना—इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से २६४ क्वार्टरों का निर्माण उस अहाते पर किया गया जो मेसर्स फोर्ड मैकडानेल्ड के कार्यालय के पीछे था और जिसे अधिगृहीत कर वहां की गन्दी बस्ती को इस कार्य के लिए साफ किया गया था।

गंदी बस्तियों की सफाई—भारत सरकार की गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना के अन्तर्गत अजीतगंज बगाही में और ५७६, हरिहरनाथ शास्त्री नगर में १,२०० क्वार्टरों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया और गटैया खुर्द आबादी में ध्वस्त करने का कार्य चालू रहा। इस योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए ३० लाख रु० व्यय किया जाना था।

बाजार निर्माण—परेड के समीप डिप्टी कलेक्टर के बंगले के स्थान पर विस्थापितों के लिए बाजार बनाने का कार्य चल रहा था। लाटूश रोड पर भगत सिंह बाजार की अस्थायी दूकानें गिरा दी गयीं, वहां की सफाई की गयी और इस स्थान को विस्थापितों को अलाट किया गया।

कारपोरेशन की इमारत—बेनाझाबर मार्ग पर कारपोरेशन के लिए इमारत बनाने की योजना को नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अंतिम रूप दिया गया। कारपोरेशन भवन तक पहुंचने वाली सड़क का और कारपोरेशन के उद्यान के विकास का कार्य आरम्भ किया गया।

निकुंज—योजना वाले विभिन्न क्षेत्रों में ६ हजार वृक्षों और २० उद्यानों (पार्क) का रख-रखाव किया गया। ६५० नये फल वृक्ष सीवेज फार्म क्षेत्र में लगाये गये और हरिहरनाथ शास्त्री नगर, किदवई-नगर तथा गोविन्दनगर में सड़कों के किनारे १,००० नये वृक्ष लगाये गये। कारपोरेशन स्थल के निकट के तालाब के चारों ओर के उद्यानों का पूरा-पूरा विकास किया गया और उन्हें जनता के लिए खोल दिया गया। गोविन्दनगर में दो और किदवईनगर तथा हरिहरनाथ शास्त्री नगर में एक-एक नये पार्क लगाये गये। २ नवम्बर, १९५८ को भारत सरकार के रेलवे मंत्री द्वारा एक उद्यान का शिलान्यास किया गया जिसका नाम हरिहरनाथ शास्त्री पार्क रखा गया। यह आशा की जाती है कि इससे जूही, हमीरपुर मार्ग के पिछड़े क्षेत्र के लोगों की आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी।

राज्य के समस्त जिलों के औद्योगिक सर्वेक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। आलोच्य वर्ष में इस कार्य में काफी प्रगति हुई।

विभाग ने 'भारत—१९५८' प्रदर्शनी में भाग लिया। राज्य में विभाग ने अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनमें मसूरी तथा नैनीताल की लघु उद्योग प्रदर्शनियां भी सम्मिलित थीं।

औद्योगिक संग्रहालय—उद्योग निदेशालय का औद्योगिक एवं वाणिज्य संग्रहालय तथा लघु-कुटीर उद्योगों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योग देता रहा। साप्ताहिक संवाद पत्र अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशित होता रहा।

भारी उद्योग—(१) राजकीय सूक्ष्मयंत्र निर्माणशाला, लखनऊ—राजकीय सूक्ष्मयंत्र निर्माणशाला जो जल मापक यंत्र, अनुवीक्षण यंत्र तथा अन्य सूक्ष्म यंत्र बनाने के लिए सन् १९५० में स्थापित की गयी थी, के कार्य में प्रगति होती रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस फैक्टरी में प्रति मास ३,००० जल-मापक यंत्र तथा २५ अनुवीक्षण यंत्र बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह समय से पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया। आलोच्य वर्ष में उत्पादन तथा बिक्री की स्थिति इस प्रकार रही—

वस्तुएं		उत्पादन	बिक्री
(१) जल मापक यंत्र आकार १/२", ३/४" तथा १"	..	३६,३५७	३६,१८२
(२) अनुवीक्षण यंत्र (स्कूली अनुसंधान तथा बुलैट प्रकार के)	..	२८३	२४५
(३) स्टेथेस्कोप	..	७९	६५

फैक्टरी में डाक्टरी यंत्र तथा प्रेशर ेज जैसी नयी वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ हुआ।

(२) **राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क**—सितम्बर, १९५८ में राजकीय सीमेंट फैक्टरी ने पांचवें वर्ष में पदार्पण किया। सीमेंट के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही और आलोच्य वर्ष में उत्पादन २,१३,१२४ टन तक पहुंच गया, और निर्धारित क्षमता का ९३ प्रतिशत था। फैक्टरी के दैनिक उत्पादन को ७०० टन से बढ़ा कर १,४०० टन करने की योजना में काफी प्रगति हो रही थी। इसके लिए आवश्यक मशीनों का आर्डर एक यूरोपियन फर्म को दिया गया। भट्ठी की ईंटों के निर्माण के लिए एक अग्रगामी योजना आरम्भ की गयी।

(३) **रामपुर के उद्योग**—राज्य सरकार ने निम्नलिखित फर्मों में धन लगा रखा था—

(१) मैसर्स रामपुर इंजीनियरिंग, कम्पनी, लिमिटेड
(२) मैसर्स रामपुर डिस्टेलरी ऐण्ड केमिकल कम्पनी, लिमिटेड
(३) मैसर्स रजा टैक्सटाइल्स, लिमिटेड
(४) मैसर्स रामपुर मेज़ प्रोडक्ट्स, लिमिटेड
(५) मैसर्स रामपुर टैनरी ऐंड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, लिमिटेड
(६) मैसर्स रामपुर मेज़ प्राडक्ट्स, लिमिटेड
(७) मैसर्स माडर्न मेटल इंडस्ट्रीज़ (प्राइवेट), लिमिटेड
(८) मैसर्स डान मैच कम्पनी, लिमिटेड
(९) मैसर्स रामपुर डेरी फार्म, लिमिटेड (विघटनाधीन)

उपर्युक्त छठी, सातवीं व आठवी नम्बर की फर्में बंद रहीं। ये फर्में पिछले कई वर्षों से नहीं चल रही थीं।

पांचवें नम्बर की फर्म की समस्त सम्पत्ति-मैसर्स भारत फायर ऐंड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने अपने अधिकार में कर ली और उसका कुछ भाग कम्पनी द्वारा बेच भी दिया गया।

शेष पहले से चौथे नम्बर तक की फर्में सामान्य रूप से चालू रहीं। दूसरे नम्बर की फर्म १९५७-५८ में लाभप्रद रही और उसने उस वर्ष अपने हिस्सों पर तीन प्रतिशत का मुनाफा घोषित किया।

आलोच्य वर्ष में चांदगंज योजना को सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी।

इस वर्ष जांच के लिए कुछ और योजनाएं ली गयीं।

इलाहाबाद

इलाहाबाद की इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की एक योजना के अन्तर्गत सिविल लाइन क्षेत्र में महात्मा गांधी मार्ग पर १२,८८८ रु० की लागत से १२ दूकानों का निर्माण किया गया। आशा की जाती थी कि इससे ट्रस्ट को १५,८४० रु० की वार्षिक आय होगी। निम्नलिखित अन्य योजनाओं पर कार्य चल रहा था:—

(१) दक्षिण गृह निर्माण योजना
(२) कीडगंज गृह-निर्माण योजना
(३) इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बिल्डिंग।
(४) ममफोर्डगंज गृह-निर्माण योजना
(५) जार्ज टाउन एक्सटेंशन योजना
(६) ससयाबाद खुला क्षेत्र योजना
(७) फूल तालाब और सुलतानपुर-भावा योजना
(८) हेस्टिंग्ज रोड योजना

भारत सरकार द्वारा प्रेरित गन्दी बस्तियों के सफाई की योजना पर भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कार्य आरम्भ किया। गन्दे तालाब के क्षेत्र में गन्दी बस्तियों में रहने वालों को बसाने के लिए पुनर्गृह निर्माण की एक योजना को ट्रस्ट कार्यान्वित कर रहा था।

आगरा

आलोच्य वर्ष में आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की निम्नलिखित गृह-निर्माण की योजनाएं पूरी की गयीं—

(१) रकाबगंज विकास योजना
(२) फडी वरती स्ट्रीट योजना
(३) नाई की मंडी स्ट्रीट योजना
(४) राजा मंडी स्ट्रीट योजना
(५) सिविल लाइन्स विकास योजना

वर्ष की समाप्ति पर निम्नलिखित गृह-निर्माण योजनायें प्रायः पूरी हो चुकी थी।

(१) उत्तर विजय नगर विकास योजना
(२) कंवारी रोड विकास योजना (खंड)
(३) पश्चिमी ईदगाह विकास योजना

उपरोक्त के अतिरिक्त कई अन्य गृह-निर्माण योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया। इनके संबंध में संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है।

राजा की मंडी के पड़ोस के विकास की नयी योजना—दिल्ली गेट से न्यू राजा की मंडी स्टेशन तक का सड़क-कार्य पूरा किया गया। सड़क पर रोशनी, पानी के 'मेन' नालियों आदि का भी काम पूरा किया गया।

रेलवे लाइन के पश्चिम की ओर की सड़कों का तथा पानी के 'मेनों' का भी निर्माण किया गया। रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे लाइन के क्रासिंग की समस्या का समाधान होते ही सीवर बिछाने का प्रस्ताव था। इस योजना के अन्तर्गत लगभग २५ प्लाट बेंचे गये और आगे बिक्री चालू थी।

दिल्ली गेट पर दूकान एवं आवास के लिए प्लाट बेंचे गये और एक प्लाट पर निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया। हिन्दी गेट के निकट पर्यटक होटल के लिए निर्धारित स्थानों पर होटल का निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया।

फटी धरती योजना में नये प्लाट--इस क्षेत्र में लगभग १२ नये प्लाट निकाले गये और उन्हें एलाटमेंट के लिए उपलब्ध कर दिया गया।

आलोच्य वर्ष में भूमि अधिग्रहण के लिए निम्नलिखित योजनाओं को विज्ञापित किया गया--

(१) भीतरी सिटी रिंग रोड योजना
(२) गांधी रोड हाउसिंग योजना
(३) उत्तरी ईदगाह विकास योजना

बाजार (क)--शहर में मछली, गोश्त और मुर्गियों के बाजार के लिए एक बाजार की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी। इस दिशा में भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई पूरी की गयी।

(ख) थोक सब्जी और फल के एक मार्केट के विकास के लिए कुछ वर्ष पूर्व छिप्पी टोला-सब्जी मंडी विकास योजना तैयार की गयी थी। यह योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाइयों के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही थी।

गन्दी बस्तियों के सफाई की योजना--आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित गन्दी बस्तियों के सफाई की योजनायें विज्ञापित की गयीं--

(१) भारत टाकीज के पीछे मुहल्ला रंगरेजान में सामान्य विकास और पुनर्गृह निर्माण की योजना।
(२) नाला फटीधरती में सामान्य विकास और पुनर्गृह निर्माण की योजना
(३) महिला अस्पताल से रतनपुरा रोड तक सामान्य सुधार और पुनर्गृह निर्माण योजना
(४) नया घर में सामान्य सुधार और पुनर्गृह निर्माण की योजना
(५) टीला मंगली मनिहार में सामान्य सुधार और पुनर्गृह निर्माण की योजना

वाराणसी

सन् १९५८-५९ के वर्ष में वाराणसी के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है--

गृह निर्माण और सामान सुधार योजनाएं--भेलूपुरा गृह निर्माण योजना के जोन नं० ३ के अन्तर्गत लगभग ४५ एकड़ भूमि का विकास किया गया और आवास के लिए २६३ प्लाटों की निशान-बन्दी की गयी। इनमें से ४५ प्लाटों पर अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए वाराणसी की नगरपालिका द्वारा मकान बनाये गये। अल्प आय वर्ग के लोगों को ४२ प्लाट एलाट भी किये गये।

गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार की योजना--गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार के लिये राज्य सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं की स्वीकृति दी--

(१) अंधेरा का पुल के पास गोश्त बाजार केन्द्र
(२) चन्द्र की सट्टी के निकट का क्षेत्र
(३) पिशाच मोचन के निकट की गन्दी बस्ती

अंधरा के पुल के निकट भूमि अधिग्रहण किया गया और साढ़े तीन खंडों में ४२ दो मंजिले मकानों का निर्माण किया गया और इतने ही क्वार्टरों का निर्माण-कार्य चल रहा था। इस योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा था।

अन्य दो योजनाओं में भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई चल रही थी।

सड़क विकास की योजनाएं--इस योजना के अन्तर्गत विद्यापीठ रोड, वाराणसी कैन्ट, स्टेशन रोड और कलेक्टर रोड के विकास का आधे से अधिक का कार्य पूरा किया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्रासिंग से वरुणा के पुल तक के सड़क पर एक ओर का काम पूरा किया गया। केवल सड़क पर डामर रंगने का काम शेष था।

उपरोक्त वर्णित योजनाओं के अतिरिक्त चौमुहानियों और उद्यानों के विकास की अन्य कई योजनाएं आरम्भ की गयीं।

४५—नगर और ग्राम नियोजन

नगर और ग्राम नियोजन विभाग नगरों के लिए विकास योजनाएं तैयार करने के संबंध में परामर्श देने का अपना कार्य करता रहा। इसके कार्यों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं, जैसे आवास क्षेत्रों, उद्यानों व खुले स्थानों के विकास की परियोजनाओं, और औद्योगिक उद्देश्य के स्थलों, बाजारों और क्रय-विक्रय केंद्रों आदि के विकास की योजनाओं के लिए रूपरेखा, नक्शे इत्यादि तैयार करना शामिल था। इनके अतिरिक्त विभाग ने विभिन्न सरकारी विभागों के लिए भी कई परियोजनाएं तैयार की, जैसा उद्योग विभाग के लिए औद्योगिक आस्थान की योजना और सहायता एवं पुनर्वास विभाग के लिए विस्थापित बस्तियों की योजना। इसने राज्य के सहकारी गृह-निर्माण समितियों के लिए तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा भूमि के सुधार के निमित्त नक्शे भी तैयार किये। भारत तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन तैयार किये गये नक्शे तथा निर्माण के अनुमानित व्यय को सरकारी स्वीकृति मिलने के पहले उसकी जांच नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा की जाती थी। ऐसी योजनाओं में जिनकी जांच विभाग द्वारा की गयी अल्प आय वालों के लिए गृह निर्माण योजना, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त गृह निर्माण योजना तथा गन्दी बस्तियों के सफाई की योजना आदि सम्मिलित थीं। इमारतों की डिजाइनें तथा उनकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करके विभाग सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक संस्थाओं आदि का स्थापत्य संबंधी विषयों पर सलाह दी गयी।

आलोच्य वर्ष में ग्राम गृह निर्माण योजना, जो विभाग के कार्यक्रम का एक अंग था, का प्रसार अनेक गांवों के पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किये गये। साथ ही गांवों के वातावरण तथा सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रों के लिए घरों की डिजाइनें तैयार की गयीं।

सन् १९५८–५९ के वर्ष में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा, जो योजनायें प्रस्तुत की गयीं उनका विवरण इस प्रकार है—

मास्टर प्लान	१
गृह निर्माण योजनाएं	११६
ग्राम विकास योजनाएं	१२४
रूपरेखा एवं स्थापत्य संबंधी विभिन्न योजनाएं ..	२३०

मास्टर प्लान आदि—सन् १९५८–५९ में विभाग द्वार जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था वह सीतापुर के विकास के लिए था। रामपुर का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा था। राज्य की पंच महानगरियों की विकास योजनाओं के लिए नक्शे तथा खाके विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे थे। इनमें कानपुर के विकास बोर्ड द्वारा चकेरी हवाई अड्डे के निकट की भूमि के सुधार करने की, आगरा में जमुनापार के क्षेत्र के विकास करने की, वाराणसी में भेलूपुर गृह निर्माण की और लखनऊ में महानगर के विस्तार की योजनाएं थीं। विभिन्न नगरों में शहर की सीमा में अन्दर छोटी-छोटी भूमि के टुकड़ों के विकास की भी कई योजनाएं तैयार की गयीं। यह आशा की जाती थी कि स्थानीय निकाय इन योजनाओं के अनुसार भूमि का विकास करेंगे और विकास की गयी भूमि को वे निजी व्यक्तियों को बेंच देंगे अथवा स्वयं ही उन पर मकान या अन्य सार्वजनिक इमारत बनायेंगे।

जहां तक गृह निर्माण योजनाओं संबंध था, इस विभाग द्वारा जो कार्य किये गये उनमें भारत सरकार द्वारा प्रेरित विभिन्न स्थानों में वित्त पोषित औद्योगिक गृह निर्माण की योजनाओं के लिए नक्शे तथा योजनाएं आदि तैयार करने का काम भी शामिल था। इनमें कानपुर, नैनी, वाराणसी और गाजियाबाद में औद्योगिक गृह निर्माण की योजनाएं थीं। सन् १९५८–५९ के वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत अधिकांश मकान एक कमरे वाले मकान के रूप में होने को थे। इन मकानों का निर्माण कार्य राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा था।

राज्य की पंच महा नगरियों में गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना पर भी कार्य प्रारम्भ किया गया। यद्यपि आरम्भिक अवस्था में यह योजना केवल पंच महानगरियों तक ही सीमित थी, पर यह आशा की जाती थी कि इस कार्य के लिए अधिक धन उपलब्ध होने पर इसका विस्तार अन्य नगरों में भी किया जायगा। इस योजना के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों में रहने वालों को बसाने के लिए मकान बनाये जाने थे या भूमि का सुधार कर उन्हें अपने ही द्वारा मकान बनाने के लिए दिये जाने को थे। गन्दी बस्तियों में रहने वालों के हेतु वर्तमान गन्दी बस्तियों के स्थलों पर अथवा दूसरी ही भूमि पर, उसका इस कार्य के लिए विकास कर उस पर पुनः मकान बनाने की रूपरेखा व नक्शे एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किया।

कई सहकारी गृह निर्माण समितियों ने तथा अनेक सार्वजनिक संस्थाओं ने भारत सरकार द्वारा प्रेरित अल्प आय वालों के लिए गृह निर्माण योजना से लाभ उठाया। इन संस्थाओं द्वारा तैयार की गयी गृह निर्माण योजनाओं के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने नक्शे व रूप रेखाएं तैयार कीं। अल्प आय वाले लोगों के लिए गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण की स्वीकृति के हेतु मकानों की योजना की जांच का भी उत्तरदायित्व विभाग पर था।

सन् १९५८-५९ के वर्ष में विभाग ने उद्योग विभाग के लिए औद्योगिक आस्थानों की योजनाएं तैयार कीं। आगरा और कानपुर के औद्योगिक आस्थानों का कार्य चल रहा था और लोनी, देवबन्द तथा वाराणसी में छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक आस्थानों की निर्माण योजना तैयार की गयी। रेशम के बुनकरों के लिए एक बस्ती की रूपरेखा एवं योजना आदि तैयार की जा रही थी।

सर्वेक्षण—विभाग की संख्या की शाखा ने नैनीताल की गन्दी बस्तियों का सन् १९५८-५९ में विस्तृत सर्वेक्षण किया जिसे कि गन्दी बस्ती की सफाई की एक योजना तैयार की जा सके। पंचमहानगरियों में भी गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनाएं तैयार करने के लिए इसी प्रकार के सर्वेक्षण किये गये। सीतापुर और रामपुर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के हेतु इन नगरों का भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सर्वेक्षण किया जाय। इन मास्टर प्लान को ग्राम वासियों को भी समझना था जिससे कि उनके सहयोग से उन्हें कार्यान्वित किया जा सके। ग्राम निवासियों के मार्ग-दर्शन के हेतु ग्राम क्षेत्रों में मकानों के लिए अनेक डिजाइनें तैयार की गयीं।

विधि निर्माण—नगर तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में उटपटांग ढंग से भूमि का विकास रोकने के उद्देश्य से यू० पी० रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशन्स ऐक्ट, १९५८ पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली नियमावली तैयार की जा रही थी। नगर और ग्राम नियोजन संबंधी एक विधेयक भी राज्य सरकार के विचाराधीन था।

स्थापत्य संबंधी योजनाएं—विभाग द्वारा स्थापत्य संबंधी अनेक योजनाएं तैयार की गयीं। इनमें वाराणसी और आगरा में कारपोरेशन की इमारतों के लिए डिजाइनें थीं। लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के अनेक भवनों के लिए भी डिजाइनें तैयार की गयीं। इसी प्रकार अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालय की इमारतों तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवास की इमारतों के लिए भी डिजाइन तैयार की गयीं।

४६—गृह निर्माण

राज्य के विभिन्न भागों में मकानों की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिये गृह निर्माण विभाग द्वारा गृह निर्माण की अनेक योजनायें कार्यान्वित की जाती रहीं।

वित्त-पोषित औद्योगिक निर्माण की योजनाएं—राज्य में सन् १९५२ में वित्त-पोषित औद्योगिक गृह निर्माण की योजना चालू की गयी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना के अधीन औद्योगिक श्रमिकों के लिए क्वार्टरों के निर्माण का कार्य चार भागों में विभाजित किया गया। वैगामी वर्ष में प्रथम तीन चरणों को पूरा किया गया।

चतुर्थ चरण के अन्तर्गत राज्य सरकार ने ६,७६४ मकानों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया। इसका व्योरा इस प्रकार है—

कानपुर ..	.. ५,२४६	..	बरेली ..	१०८
लखनऊ ..	.. ४८६	..	नैनी ..	२१६
रामपुर ..	.. ३८४	..	हाथरस ..	२१६
गोरखपुर..	.. १०८	..	.. ..	..

रामपुर और बरेली के अतिरिक्त इन सभी स्थानों में आलोच्य वर्ष के अन्त तक निर्माण कार्य पूरा किया गया। इस योजना के अन्तर्गत जितने मकान तैयार किये गये उनमें बिजली, पानी और गंदे पानी के निकासी की सुविधाएं उपलब्ध थीं। इन बस्तियों में श्रम कल्याण केन्द्रों, अस्पतालों, स्कूलों और दूकानों की भी व्यवस्था थी।

राज्य सरकार ने पांचवें तथा छठें चरण के अन्तर्गत ७५,९७,२०० रु० और १,०६,९३,२०० रु० की लागत से क्रमशः १,९९४ तथा २,९०४ मकानों के निर्माण की स्वीकृत दी। इस सम्बन्ध में विवरण इस प्रकार है—

पांचवा चरण			छठां चरण		
कानपुर	..	४२८	कानपुर	..	१,००८
गोविंदपुरी	..	३६६	गोविंदपुरी	..	७०८
नैनी	..	७५६	नैनी	..	२८८
गाजियाबाद	..	२५२	शिकोहाबाद	..	२५२
वाराणसी	..	१९२	साहूपुरी	..	२५२
			मेरठ	..	२५२
			बरेली	..	१४४
योग	..	१,९९४	योग	..	२,९०४

इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भिक कार्य आलोच्य वर्ष में आरम्भ किये गये।

अल्प आय वालों के लिए गृह निर्माण योजना—अल्प आय वालों के लिए गृह निर्माण योजना चालू रही, इस कार्य के लिए द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना अवधि में राज्य सरकार को ४६२ लाख हजार रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी। आलोच्य वर्ष के अन्त तक २,८२१ मकानों का निर्माण कार्य तथा ५३.२२ एकड़ भूमि के विकास का कार्य पूरा हो चुका था।

गंदी बस्तियों की सफाई की योजना—पूरे देश में गंदी बस्तियों की सफाई की योजना की नीति के अनुसार भारत सरकार के कारखाने, आवास एवं पूर्ति मंत्रालय द्वारा प्रेरित गंदी बस्तियों के सफाई की योजना उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय आयोजनाओं में चल रही थी, द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना अवधि के लिए राज्य सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के हेतु १९६ लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी। इस धनराशि में से ९८ लाख रु० ऋण के रूप में तथा ४९ लाख रु० आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त होने थे। शेष ४९ लाख राज्य सरकार को देना था।

आलोच्य वर्ष के अन्त तक कार्य की प्रगति इस प्रकार रही—

कानपुर	४८० मकान नींव तक तथा ३७२ मकान छत तक पहुंच चुके थे
आगरा	५० मकानों का निर्माण किया गया
लखनऊ	९६ मकानों का निर्माण किया गया
वाराणसी	४२ मकानों का निर्माण किया गया

बागान मजदूरों की गृह निर्माण योजना—बागान मजदूरों के गृह निर्माण की योजना के अन्तर्गत बगान मजदूरों को ऋण देने के हेतु द्वितीय आयोजना-अवधि के लिए भारत सरकार ने ५ लाख रु० की धनराशि दी, पर आलोच्य वर्ष के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत किसी भी बागान मजदूर के

ऋणके लिए आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुये। सन् १९५९–६० में बगान मजदूरों को क्वार्टर बनवाने के लिए ऋण देने के हेतु ३५,००० रु० की व्यवस्था की गयी।

ग्राम गृह निर्माण योजना––ग्राम गृह निर्माण योजना, नगर और ग्राम नियोजन विभाग से सम्बद्ध ग्राम गृह निर्माण खंड के प्राविधिक परामर्श पर कार्यान्वित की जा रही थी। आलोच्य वर्ष में ऋण के रूप में देने के हेतु विकास आयुक्त को ६ लाख २० हजार रु० दे दिये गये। इस योजना के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि में ऋण देने के लिए १७० लाख रु० की व्यवस्था की गयी। वर्ष के अन्त तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ३२० गांव चुने गये तथा इंजीनियरिंग सम्बन्धी एवं सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण किये गये।

यू० पी० रेगूलेशन आफ आपरेशंस ऐक्ट, १९५८––इमारतों के निर्माण आदि के लिए नियम तैयार करने के हेतु राज्य सरकार ने यू० पी० रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशंस ऐक्ट, १९५८ पारित किया।

इस अधिनियम का उद्देश्य नगरों गांवों में उटपटांग एवं अनियोजित ढंग से विकास को रोकना था। नैनीताल और मेरठ (गाजियाबाद) के तथा पंचमहानगरियों के कुछ क्षेत्र इस अधिनियम के अन्तर्गत 'नियमित क्षेत्र' घोषित कर दिये गये। इन नियमित क्षेत्रों में लघर निर्माण कार्य तभी हो सकता था जबकि निर्माण की योजना इस कार्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारी द्वारा स्वीकृत न कर दी जाय। अधिकृत निर्माणों का मामला निपटाने के लिए भी नियंत्रण करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की गयी।

४७––स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग

सामान्य––स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग राष्ट्र के विकास एवं वातावरण की स्वच्छता के कार्यों में अपना योगदान देता रहा और राज्य की जनता के लिए पीने के पानी की सप्लाई, गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था और नालियों के सुधार जैसी अनिवार्य सुविधाओं से सम्बन्धित कार्यों को करता रहा। इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को, जहां आवश्यकता पड़ी, ऋण दिये तथा विभाग ने ऐसे कार्यों के लिए योजना बनाने एवं उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य किया। विभाग के अन्तर्गत मेरठ, आगरा और लखनऊ में स्थित ३ मंडल कार्यालय थे और पूरे राज्य भर में फैले १४ डिवीजनल कार्यालय थे। ७३ वाटर वर्क्स नालियों की २६ योजनाएं, नालियों के १२ पंपिंग स्टेशन और नगरपालिका की १२ बिजली सप्लाई कम्पनियां विभाग के प्राविधिक नियंत्रण में थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना––जहां तक जल सप्लाई और पानी निकासी योजना का सम्बन्ध है, प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के पूर्ण होने पर ३३ नये १९५८ वर्क्स और १० नई जल निकास प्रणालियों का निर्माण हो चुका था। इनके अतिरिक्त १४ पुराने वाटर वर्क्स और ६ वर्तमान जल निकास प्रणालियों में सुधार किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय जल सप्लाई और स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत जल सप्लाई एवं जल निकास सम्बन्धी कुल ६३ योजनाओं के सम्बन्ध में कार्य किया गया।

आलोच्य वर्ष में शहरी जल सप्लाई और जल निकास योजना के कार्य की प्रगति मुख्यतः आर्थिक कठिनाइयों के कारण पूर्वगामी वर्ष की तुलना में धीमी रही तथा आलोच्य वर्ष का उपयोग नई परियोजनाओं को तैयार करने में और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अनेक चालू योजनाओं को अन्तिम रूप देने में किया गया। राज्य की पंच महानगरियों की जल सप्लाई और जल निकासी योजनाओं और इलाहाबाद, लखनऊ तथा वाराणसी के नगरों के लिए कूड़ा-कच्चरा के उपयोग की योजना के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति हुई तथा इन योजनाओं के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा उचित ध्यान दिया गया। शेष ६ जिलों के सदर स्थानों में जल सप्लाई की परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी प्रगति की गयी। जल सप्लाई की सविस्तर परियोजनाएं और जल सप्लाई के दो संशोधित तखमीने तैयार करके स्थानीय निकायों को दिये गये। इनके अतिरिक्त जल निकास की ११ योजनाएं और जल निकास योजनाओं से सम्बन्धित ३ संशोधित तखमीने तथा योजनाओं की लागत के ६ भावी अनुमान भी तैयार करके स्थानीय निकायों को दिये गये।

ऐसी जल निकास की योजनाओं को भी, जिन्हें प्रथम पंचवर्षीय आयोजना अवधि में पूरा न किया जा सका था, इस वर्ष धन की उपलब्धि के अनुसार पूरा किया गया और इनके काफी भाग को चालू किया गया। अधिकतर जल निकासी योजनाओं का गंदा पानी सीवेज फार्मों में जाता है और यह गंदा पानी जो नदी-नालों के पानी को गंदा करने तथा गंदगी फैलाने का कारण बनता, सब्जियां उगाने के काम में लाया जा रहा था।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना—द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में राज्य के १२ और नगरों में अर्थात् बाराबंकी, गोंडा, रायबरेली, सुल्तानपुर, महोबा, बहेरी, चुनार, शिकोहाबाद, बरौत, लखीमपुर खीरी, कालपी और अमरोहा के नगरों में पाइप द्वारा जल सप्लाई की योजना आरम्भ करने का और मेरठ जिले के मोआना में जल निकासी की एक योजना आरम्भ करने का विचार था। इन योजनाओं के पूरी हो जाने पर यह आशा की जाती थी कि स्वच्छ (हाइजिनिक) जल सप्लाई की सुविधा वाले नगरों की संख्या ८५ हो जायगी और इसी प्रकार जल निकासी योजनाओं वाले नगरों की संख्या २७ तक पहुंच जाएगी। नई परियोजनाओं के लिए और प्रथम पंचवर्षीय आयोजना की उन परियोजनाओं के लिए जो धनाभाव के कारण पूरी न की जा सकी थी, और साथ ही जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप जल सप्लाई और जल निकासी की वर्तमान योजनाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने ६५ लाख रु० की एक धनराशि निर्धारित की। यह सभी कार्य आरम्भ किये गये।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना-अवधि में ग्राम सप्लाई का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा था। स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग मुख्य रूप से नगर जल सप्लाई और जल निकासी की योजनाओं में व्यस्त रहा। अतएव प्रथम पंचवर्षीय आयोजना-अवधि में ग्राम जल सप्लाई की दिशा में इस विभाग ने बहुत ही कम कार्य किया। इसने केवल गोरखपुर बस्ती, नैनीताल, बांदा, बरेली और लखीमपुर-खीरी के जिलों में सौ चापां कलों (हैंड पम्पों) के लगाने के सम्बन्ध में ही कुछ काम किया। सन् १९५८ के अन्त में यह निश्चय किया गया कि भविष्य में कुमायूं और गढ़वाल के पहाड़ी जिलों में तथा उन क्षेत्रों में सिंचाई विभाग ग्राम जल सप्लाई का कार्य करेगा जहां जल का साधन राजकीय सिंचाई नलकूप थे। अन्य स्थानों में विशेषकर देहरादून के पहाड़ी जिले में और बुंदेलखंड के पाठा क्षेत्र के गांवों में यह कार्य स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के माध्यम द्वारा किया जाना था। ३१ मार्च, १९५९ तक २ लाख २२ हजार रु० की लागत का कार्य किया गया। शेष धनराशि का उपयोग अगले वर्ष किया जाना था।

नलकूप निर्माण कार्य—नलकूप निर्माण के लिए विभाग के दो यांत्रिक उपखंड कार्य करते रहे और यह अनुभव किया गया कि नलकूपों के ड्रिलिंग में इस प्रकार के प्रबंध से काफी कम लागत बैठती है। यह कार्य सन्तोषजनक रूप से चलता रहा। विभाग का कानपुर स्थित तीसरा डिवीजन जिसके द्वारा वैभागिक नलकूपों का कार्य सम्पन्न हो रहा था अब आत्म निर्भर बन गया है।

रखरखाव और परामर्श—रखरखाव के कार्य पर भी जोकि राज्य में वाटर वर्क्सों की संख्या बढ़ जाने के फलस्वरूप काफी बढ़ गया था, ध्यान दिया जाता रहा। राज्य में कुल ७३ वाटर वर्क्स थे जबकि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व इनकी संख्या केवल २७ थी। इन जलकलों (वाटर वर्क्सों) का कार्य संचालन करने वाले प्राविधिक कर्मचारी अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के तथा अपनी कठिनाइयों के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग से परामर्श एवं मार्ग निदेशन प्राप्त करते रहे। जल कलों के कार्य का बहुधा निरीक्षण करने और उनके सम्बन्ध में परामर्श देने की व्यवस्था की गयी।

अनुसंधान कार्य—चिकित्सा अनुसंधान की भारतीय परिषद् द्वारा प्रेरित एक आंचलिक अनुसंधान यूनिट राज्य में कार्य करती रही। इसका मुख्यालय लखनऊ में था तथा इसका उद्देश्य सर्वेक्षण करना एवं विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कूड़े-कचरों का विश्लेषण करना था तथा साथ ही उनके शुद्धीकरण की सीमा निर्धारित करना ताकि वे कृषि के लिए हानिकारक न सिद्ध हों। गंदे पानी पर उसके गंदे नाले में पहुंचने के पूर्व ऐसी रसायनिक क्रिया के प्रश्न पर भी ध्यान दिया गया जिससे कि उसके द्वारा गंदे नालों और सिवेज फार्म पर उगाई जाने वाली फसलों को होने वाली हानि से बचाया जा सके। आलोच्य वर्ष में अनुसंधान यूनिट यह निश्चय करने के लिए गोमती के सर्वेक्षण कार्य में लगी रही कि

किस हद तक नदी में गंदगी मिल रही थी। अनुसंधान यूनिट की सेवाएं चिकित्सा अनुसंधान की भारतीय परिषद् द्वारा स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध की गयी थी। यह सर्वेक्षण महत्वपूर्ण था क्योंकि इस अनुसंधान के परिणामों से यह निश्चित किया जा सकता है कि राज्य में विभिन्न नगरों की नदियों से जो पानी की सप्लाई की जाती है उसमें कहां तक गंदगी होने की संभावना हो सकती है।

इस विषय का अनुसंधान करने के लिये कि शाखा की भट्ठियों से निकले हुये गंदे पानी और कूड़े-कचरे का अच्छा से अच्छा उपभोग किस प्रकार किया जा सकता है। इस हेतु लखनऊ में एक अग्रगामी योजना चालू की। इसी प्रकार का एक दूसरा अनुसंधान चीनी मिलों के सम्बन्ध में भी होने की संभावना थी। चीनी मिलों से निकले हुये गंदे पानी और कूड़े-कचरे के उपयोग का जहां तक सम्बन्ध है उसकी अनुमानित लागत के एक अंश को राज्य स्वास्थ्य बोर्ड ने वहन करने का बचन दिया है।

ग्राम क्षेत्र में पानी सप्लाई और शौचालयों की उपयुक्त व्यवस्था और पास-पड़ोस के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार करने वाले कार्यकर्ताओं को इसी प्रकार के कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में एक अग्रगामी योजना आरम्भ करने की आशा की जाती है। उत्तर भारत के लिए यह एक आदर्श योजना सिद्ध होगी, ऐसी आशा की जाती है और बाद में इस राज्य में और अन्य राज्यों के ग्राम क्षेत्रों में इसी प्रकार की योजनायें, प्रारम्भ की जा सकेंगी।

जल सप्लाई की व्यवस्था में सुधार—विभाग ने विभिन्न स्थानों में सप्लाई किये जाने वाले पानी में फ्लोराइड के अंश का पता लगाने के लिए परीक्षण किये। देश के जल सप्लाई के इतिहास में यह अपने ढंग का पहला प्रयोग था और दांतों में कीड़े लगने की रोकथाम के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गयी। (पीने के पानी में यदि फ्लोराइड थोड़ी मात्रा में भी मौजूद हो तो इससे दांत में कीड़े नहीं लगने पाते।)

राज्य के विभिन्न भागों में पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता रहा। पंच महानगरियों के वाटर वर्क्स में पूर्ण रूपेण सुसज्जित प्रयोगशालाएं थीं और इनके लिए पूरे समय के लिए केमिस्ट नियुक्त किये गये। छोटे वाटर वर्क्स के लिए वाटर वर्क्स के अधीक्षकों, सुपरिन्टेडेन्टों को पानी के रासायनिक तथा कीटाणु सम्बन्धी परीक्षण के लिए लखनऊ स्थित प्रादेशिक हाइजिन इंस्टीट्यूट में दो सप्ताह की ट्रेनिंग प्रदान की गयी। यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ और जल सप्लाई की व्यवस्था में इससे सुधार हो सका।

अध्याय--९

प्रकीर्ण

४८--अर्थ और संख्या

अर्थ और संख्या विभाग राज्य के व्यक्तिगत एवं संसृष्टि बहुमुखी जीवन के सम्बन्ध में आंकड़ों का संग्रह, संकलन और प्रकाशन करता रहा। इस प्रकार राज्य की आय, ग्राम क्षेत्र में उपलब्ध श्रमिकों की संख्या, ग्राम्य क्षत्र में रोजगारी एवं बरोजगारी, ग्राम्य क्षत्र की मजदूरी दर और वहां उपभोक्ता वस्तुओं की खपत, रोजगार के सरकारी साधनों, औद्योगिक उत्पादन विभिन्न संगठित उपभोगों में लगी हुई पूंजी, उद्योगों में लगे हुये लोगों, कच्चे माल एवं ईंधन की खपत, कृषि उत्पादन, स्टाक आदि, उत्तर प्रदेश के आयात-निर्यात, कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं की थोक और फुटकर कीमतें, सरकारी सम्पत्ति के मूल्य, राज्य म रचनात्मक कार्य-कलापों तथा विभिन्न सरकारी विभागों क कार्य-कलापों के सम्बन्ध में तथ्य एवं आंकड़े एकत्र किये जाते रहे। इन तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी निष्कर्ष नियमित रूप से प्राप्त किये गये और प्रकाशित किये गये। नवीन सर्वेक्षणों द्वारा तथ्य एवं आंकड़े संग्रह करन की दिशा म जो कमी थी उसे भी दूर करने के प्रयास किये जाते रहे। इसी हेतु नागरिक जीवन, तथा नागर क्षेत्रों में यातायात से होने वाली आय की जांच के लिए बल गाड़ियों द्वारा माल के ढोने के सम्बन्ध म सवक्षण करने के लिए आलोच्य वर्ष में तथ्य एवं आंकड़े एकत्र करने का काम आरम्भ किया गया।

इस विभाग के नियोजन सांख्यकी डिवीजन ने जिसकी स्थापना सन १९५७-५८ में की गयी थी, राज्य में आलोच्य एवं सामुदयिक विकास सम्बन्धी तथ्य एवं आंकड़े एकत्र करने में प्रमुख भाग लिया। इस डिवीजन न आयोजना सम्बन्धी योजनाओं तथा सामुदायिक विकास सम्बन्धी परियोजनाओं, दोनों ही की मासिक, त्रमासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तयार करन पर विशष ध्यान दिया। आलोच्य वर्ष में विकास सम्बन्धी कार्य-कलापों की सफलताओं की प्रगति के सम्बन्ध में निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये। आयोजना के अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन किया गया। इस कार्य को नियमित रूप देने का प्रयास किया गया।

यह पहले ही स्वीकार कर लिया गया था कि ग्राम्य एवं जिला स्तर के प्रारम्भिक तथ्यों एवं आंकड़ों के एकत्र करने की विधि में सुधार करने की आवश्यकता है। वर्ष क अन्त तक प्रारम्भिक रूप में जिलों में १७ जिला सांख्यिक अधिकारियों को तैनात किया गया और उन्हें जिला और उसके नीच के स्तरों पर एकत्र किये गये आधारभूत तथ्यों एवं आंकड़ों के समन्वय तथा उन्हें विश्वस्त एवं तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया।

इस वर्ष सांख्यिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजना चालू रही और ३२ व्यक्तियों ने एडवांस कोर्स में, तथा ९ व्यक्तियों ने बेसिक कोर्स में योग्यता प्राप्त की। इस योजना के अधीन २ एडवांस कोर्स एक पूरे समय का और एक अल्प समय का, के चौथे सत्र का प्रारम्भ दिसम्बर १९५८, में हुआ, दूसरा कोर्स १२ महीने का था और यह लखनऊ के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए था।

सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष के बजट में इस विभाग के लिए १४.८४ लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी, जबकि पूर्वगामी वित्तीय वर्ष में वास्तविक व्यय १०.९९ लाख रुपया था। बजट व्यवस्था में इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि विभाग की आयोजना सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करना था जिसके कुल आवर्तक व्यय का ५० प्रतिशत तक केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

४९--मुद्रण तथा मुद्रण-सामग्री

आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार के कार्य-कलापों में प्रसार होने के फलस्वरूप मुद्रण तथा मुद्रण सामग्री सम्बन्धी आवश्यकताओं में पुनः वृद्धि हुई। बढ़ काम को पूरा करने क हेतु राजकीय मुद्रणालय के लिए और अधिक मशीनों तथा साज-सज्जाओं की खरीद की गयी। इसमें बिलकुल नयी तथा पुरानी के

स्थान पर नयी मशीनों की खरीद सम्मिलित है। विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण कुछ सामान खरीदे न जा सके। इस वर्ष निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया।

सरकार को सप्लाई करने के लिए मुद्रण सामग्री एवं अन्य वस्तुओं को खरीद कर विभाग हाथ के बने कागज और अन्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करता रहा।

राजकीय मुद्रणालयों के अनेक अस्थायी पदों को स्थायी बना दिया गया।

५०—राजकीय वर्कशाप

वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के आरम्भ में राजकीय कार्यशालाओं/वर्कशापों को २९.५९ लाख रु० का कार्य करना था। आलोच्य वर्ष में ४४.३० लाख के नये आर्डर प्राप्त हुये। इस प्रकार कुल ७३.८९ लाख रु० का कार्य होना था। विभिन्न सिंचाई के कार्यशालाओं तथा रुड़की, बरेली, मेरठ और झांसी के कार्यशालाओं ने आलोच्य वर्ष में ४०.७० लाख रु० की लागत के कार्य किये और इस प्रकार सन् १९५९-६० के लिए ३३.१९ लाख रु० की लागत का कार्य शेष रह गया। किया गया काम मुख्यत: सरकारी विभागों के और रेलवे के आर्डरों को पूरा करने का था। इसका विवरण इस प्रकार है—

(१)	सिंचाई विभाग	१५.८९ लाख रुपया
(२)	विद्युत् विभाग	३.५२ ,,
(३)	सार्वजनिक निर्माण विभाग	५.०४ ,,
(४)	नियोजन विभाग	४.९० ,,
(५)	भारतीय रेलवे	७.५७ ,,
(६)	अन्य विभाग	३.६९ ,,

आलोच्य वर्ष में किये गये मुख्य कार्य निम्नलिखित थे—

(१) उठाने के यंत्रों सहित फ्लड और स्लूइस गेट, नलकूप के फिटिंग के सामान, मोटर और पम्पों के फुटकर पुर्जे, सुराख करने के यंत्र और टेकेल्स आदि
(२) ट्रांसमिशन टावर, हाइडल फिटिंग और सम्बन्धित यंत्र
(३) सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए १३३ फुट से २२५ फुट तक के एक स्पैन वाले इस्पात के पुल
(४) उत्तरी रेलवे के लिए डिब्बों और खम्भा, पानी के खंभों, सिगनल के खंभों और ब्रेक बाक्स के लिए फुटकर पुरजे
(५) मिट्टी तोड़ने की मशीनों और गाड़ियों की मरम्मत

५१—श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर

श्री बदरी नाथ और श्री केदार नाथ समूह के मंदिरों का प्रशासन श्री बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा किया जाता रहा। तीर्थ यात्रियों के मंदिर के मार्ग में सुविधा पहुंचाने के प्रयास जारी रहे। आलोच्य वर्ष में बदरी नाथ में धर्मशाला और रंग तथा बेलाकुची में छायादार विश्रामालय बन कर तैयार हो गये। इनके अतिरिक्त समिति ने बदरी नाथ और केदार नाथ में दो बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की।

जोशीमठ में वेद-वेदांग पाठशाला—जून, १९५८ में अपनी बदरी नाथ की यात्रा के अवसर पर मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार मंदिर समिति ने जोशीमठ में एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की। इस पाठशाला के विद्यार्थी व्याकरण, साहित्य, कर्मकांड आदि विषयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। साथ ही उन्हें निःशुल्क भोजन, आवास और पुस्तकें भी दी जाती थीं।

५२—मेला

प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर पूर्ववत् माघ मेला लगा।

प्रयाग में अर्द्ध कुम्भ मेला लगाने के विषय में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया। पर अन्त में यह निश्चय किया गया कि सन् १९५९-६० के वर्ष में अर्द्ध कुम्भ मेला लगाया जाय।

बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु व्यापक प्रबंध किये गये। आलोच्य वर्ष में तीर्थ यात्रियों की संख्या लगभग दूनी थी। बसन्त पंचमी के दिन तक सब कुछ कुशलतापूर्वक चलता रहा, किन्तु उस दिन मेला क्षेत्र के बाहर निर्मित सार्वजनिक निर्माण विभाग के पीपे के पुल पर एक मामूली-सी दुर्घटना हो गयी। तीर्थ यात्रियों के भारी दबाव के कारण पीपे के पुल से बंधी कुछ नावें डूब गयीं। इस सम्बन्ध में इलाहाबाद कमिश्नरी के आयुक्त को जांच के लिए आदेश दिये गये।

५३—पर्यटन

राज्य में पर्यटन के विकास की अच्छी संभावना देखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में पर्यटन के विकास के लिए २३.७५ लाख रु० की व्यवस्था की गयी। सन् १९५८-५९ के वर्ष में इस कार्य के लिए ५.४२ लाख रु० की स्वीकृति दी गयी।

पर्यटकों के मार्ग प्रदर्शन के हेतु महत्वपूर्ण स्थानों में ५ आंचलिक पर्यटक ब्यूरो, ६ पर्यटक उप ब्यूरो और ६ स्वागत केन्द्र कार्य कर रहे थे। पर्यटन के विकास के हेतु राज्य ५ अंचलों में विभाजित था और प्रत्येक अंचल एक आंचलिक रीजनल पर्यटन अधिकारी के अधीन था। यह अधिकारी पर्यटकों के महत्व के स्थानों के बारे में लाभदायक सूचनाएं देते थे और पर्यटन के सफर में यह अधिकारी टिकट एवं स्थान आदि की व्यवस्था करते रहे। ये दृश्य अवलोकन कार्यक्रम का भी संचालन करते थे।

आखेट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नेशनल कार्बेट पार्क में अपने प्राकृतिक वातावरण में वन्य पशुओं को विभिन्न महापुरुषों को, जिनमें विदेशी राजदूत भी थे, दिखलाया गया। किसान स्पेशल के अनेक संगठन कर्ताओं को यात्रा स्पेशल ले आने के लिए प्रोत्साहित किया गया और किसानों को ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी महत्व के केन्द्रों से किसानों को परिचित कराने के सम्बन्ध प्रबंध किये गये।

'राज सदन' इमारत का जीर्णोद्धार किया गया और उसे साज सज्जा से युक्त कर पर्यटकों के विशेष रूप से अल्प अल्प आय वर्ग के पर्यटकों के लिए उपलब्ध कर दिया गया। आगरा और वाराणसी में अल्प आय वर्ग के होस्टल के लिए भूमि खरीदी गयी। लखनऊ के निकट एक दर्शनीय स्थल, चिनहट में एक मंडप (पेवेलियन) बनाया गया। गौना और बेराही में लट्ठे की कुटिया (लांग केबिन) बन कर तैयार हो गयी। हिमालय क्षेत्र के पर्यटकों की सुविधा के लिए पांडुकेश्वर, बुईधर, फुरकिया, ओसला, माला, सुखी झाला, धरारी, मौरानीपाट और ग्वालदम में लकड़ी की कुटियों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया।

उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के हेतु विभिन्न समाचार-पत्रों में समय-समय पर विज्ञापन दिये जाते रहे। लखनऊ की सैर करने वाले पर्यटकों की सुविधा के हेतु लखनऊ पर एक फोल्डर प्रकाशित किया गया।

५४—चिड़ियाघर

सन् १९५८-५९ में लखनऊ का चिड़ियाघर प्रगति करता रहा। पशुओं के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार हुआ। पशुओं की खुराक पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया तथा सामान्य रूप से स्वच्छता का वातावरण बनाये रखा गया। चिड़ियाघर के भीतर स्थित संगमरमर की बारादरी की मरम्मत के लिए १५,००० रु० का एक विशेष अनुदान स्वीकृत किया गया। इस वर्ष के मुख्य आकर्षण मैसूर से आये हाथी के दो बच्चे थे।

आलोच्य वर्ष में लगभग ७ लाख व्यक्ति चिड़ियाघर देखने गये। मार्च, १९५९ में प्रधान मंत्री भी चिड़ियाघर देखने गये थे।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११ जनरल (पब०)—१९६२—१,२५०।